एमएमटीसी
लि मि टे ड
MMTC
LIMITED
भारत सरकार का उपक्रम
A GOVT. OF INDIA ENTERPRISE
touching lives, adding value

विश्वव्यापी
परिवेश में व्यापार

52वीं
वार्षिक रिपोर्ट
2014-2015

PRABHU JIVESH

एमएमटीसी लि मि टे ड
MMTC LIMITED
भारत सरकार का उपक्रम
A GOVT. OF INDIA ENTERPRISE
touching lives, adding value

विषय सूची

कारपोरेट मिशन	2
कारपोरेट उद्देश्य/एमएमटीसी वर्तमान में/रणनीतिक पहल	3
कार्यनिष्पादन एक नजर में	4
अध्यक्ष का वक्तव्य	5
निदेशक मंडल	8
निदेशकों की रिपोर्ट	10
प्रबंधन चर्चा एवं विश्लेषण रिपोर्ट	22
सीएसआर गतिविधियों की रिपोर्ट	29
कारपोरेट गवर्नेंस	32
व्यवसाय दायित्व रिपोर्ट	43
लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट	61
भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां	79
दशक पर एक नजर	82
सांविधिक लेखा परीक्षक रिपोर्ट तथा उसके संबंध में प्रबंधतंत्र के उत्तर	93
एमएमटीसी लिमिटेड के वित्तीय विवरण	109
एमएमटीसी ट्रांसनेशनल पीटीई लिमिटेड, सिंगापुर के वित्तीय विवरण	151
समेकित वित्तीय विवरण	167
एमएमटीसी के लेखा परीक्षक	223
एमएमटीसी के बैंकर्स	224
एमएमटीसी कार्यालय	225

52वीं वार्षिक रिपोर्ट 2014-2015

एमएमटीसी लिमिटेड
MMTC LIMITED
भारत सरकार का उपक्रम
A GOVT. OF INDIA ENTERPRISE
touching lives, adding value

कारपोरेट मिशन

भारत की विशालतम व्यापारिक कंपनी तथा एशिया की व्यापारिक कंपनी होने के नाते अपने सभी कार्यकलापों में उत्कृष्टता लाकर विकास की दीर्घकालिक तथा व्यवहारिक दर प्राप्त कर अपनी स्थिति और मजबूत करना तथा शेयरधारकों, ग्राहकों, आपूर्तिकारों, कर्मचारियों तथा समाज को पूर्ण संतुष्टि प्रदान करते हुए अधिकतम लाभ अर्जन करना एमएमटीसी का लक्ष्य है।

कारपोरेट उद्देश्य

- विश्व स्तर पर व्याप्त व्यापारिक प्रतिस्पर्धा के माहौल में कार्यशील रहते हुए, विशेषकर थोक व्यापार के क्षेत्र में विशिष्टता प्राप्त कर स्वयं को एक अग्रणी अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक कंपनी के रूप में स्थापित करना तथा लगाई गई पूंजी से समुचित लाभ कमाना।
- खनिजों, धातुओं तथा बहुमूल्य धातुओं जैसे उत्पादों के व्यवसाय में देश की एकमात्र विशालतम कंपनी के स्थान को बनाए रखना।
- सभी श्रेणी के ग्राहकों को व्यावसायिकता तथा कुशलता के साथ उत्तम सेवाएं प्रदान करना।
- मध्यम व लघु उद्योगों को सहायक सेवाएं मुहैया कराना।
- वाणिज्यिक विवादों के निपटान के लिए कंपनी के भीतर ही कारगर व्यवस्था स्थापित करना।
- व्यापार से संबंधित बुनियादी सुविधाओं के विकास को प्रोत्साहन देना।

एमएमटीसी वर्तमान में

- भारत की विशालतम अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक कंपनी
- भारत में खनिजों के निर्यात के मामले में सबसे बड़ा निर्यातक, पिछले 21 वर्षों से लगातार कैपेक्सिल पुरस्कार प्राप्तकर्ता तथा ईईपीसी द्वारा उच्चतम निर्यात के लिए मान्यता–प्राप्त (मर्चेंट इंटरप्राईज वर्ग)
- देश में बुलियन तथा अलौह धातुओं का एकल सबसे बड़ा आयातक/सप्लायर, कृषि, उर्वरक, कोल तथा हाइड्रोकार्बन के क्षेत्र में अग्रणी अंतर्राष्ट्रीय व्यापारी।
- भारत में 56 स्थानों पर कार्यालय, वेयरहाउसिस, पोर्ट आफिस तथा आउटलेट्स।
- जोहान्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका में विदेश कार्यालय
- सिंगापुर में सहायक कंपनी, एमटीपीएल जिसका दिनांक 31.03.15 को 15.64 मिलियन यूएस डालर का नेट वर्थ है।
- प्रोमोटेड प्रोजेक्ट नीलाचल इस्पात निगम लिमिटेड (एनआइएनएल) के 1.10 मिलियन टन उत्पादन क्षमता वाले ओडिशा में स्थित स्टील प्लांट के माध्यम से संवर्धित उत्पाद उपलब्ध कराता है।
- एमएमटीसी–पैम्प इंडिया प्रा. लि. (एमपीआईपीएल) भारत में गोल्ड व सिल्वर का पहला एलएमबीए अक्रीडिटेड रिफाइनर।

रणनीतिक पहल

- अंतर्राष्ट्रीय भागीदार के साथ मिलकर सोने/चांदी के मेडालियन बनाने के लिए संयुक्त उद्यम के रूप में एक यूनिट स्थापित करना।
- मेडालियंस, ज्वेलरी तथा सांची सिल्वरवेयर की बिक्री के लिए भारत के विभिन्न शहरों में रिटेल स्टोर्स की चेन स्थापित करना।
- इंडिया बुल्स के साथ मिलकर संयुक्त रूप से कमोडिटी एक्सचेंज स्थापित करना।
- कर्नाटक में पवन आधारित पावर जेनरेशन प्रोजेक्ट का शुभारंभ।
- पारादीप पोर्ट पर संयुक्त उद्यम के रूप में डीप ड्राट आयरन ओर की लोडिंग के लिए बर्थ विकसित करना।

एमएमटीसी लिमिटेड
MMTC LIMITED
भारत सरकार का उपक्रम
A GOVT. OF INDIA ENTERPRISE
touching lives, adding value

कार्यनिष्पादन पर एक नजर

₹ मिलियन में

31 मार्च को समाप्त वित्तीय वर्ष	2015	2014	2013
कुल बिक्री	**182415**	250746	284156
जिसमें शामिल है-			
निर्यात	**23007**	41270	29795
आयात	**145302**	187135	209544
घरेलू	**14106**	22340	44817
व्यापारिक लाभ	**2079**	3456	2997
अन्य स्रोतों से आय	**1949**	2328	3203
कर पश्चात लाभ	**479**	186	(706)
वर्ष की समाप्ति			
कुल परिसम्पत्तियां	**59509**	46970	66981
नेटवर्थ	**13592**	13419	13407
प्रति शेयर (रुपये)			
अर्जन	**0.48**	0.19	(0.71)
लाभांश	**0.25**	0.15	0.10
शेयर पूंजी के अनुपात में नेटवर्थ (गुना)	**13.59**	13.42	13.41
नियोजित पूंजी की तुलना में कर पश्चात लाभ (%)	**6.03**	2.37	(8.82)
नेटवर्थ की तुलना में कर पश्चात लाभ (%)	**3.52**	1.39	(5.27)
प्रति कर्मचारी बिक्री (मिलियन रुपये)	**126.77**	163.89	177.04

अध्यक्ष का वक्तव्य

प्रिय शेयरधारकों

एमएमटीसी लिमिटेड के निदेशक मंडल तथा अपनी ओर से आप सभी का आपकी कंपनी की 52वीं वार्षिक आम बैठक में स्वागत करते हुए मुझे हार्दिक प्रसन्नता है।

वर्ष 2014–15 के दौरान वैश्विक अर्थव्यवस्था विशेषकर भारत के प्रमुख व्यापारिक सहयोगियों द्वारा कई चुनौतियों का सामना करने के बावजूद आपकी कंपनी का कार्यनिष्पादन काफी स्थिर रहा। मांग में भारी गिरावट, कीमतों में अस्थिरता, भू–राजनैतिक तनाव, यूरोप के कुछ देशों में लगभग मंदी की स्थिति तथा एशिया के देशों की मुद्रा में अस्थिरता तथा अवमूल्यन इत्यादि के कारण कई बड़ी कंपनियों के कारोबार तथा लाभ पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। ग्रीस की खराब आर्थिक स्थिति ने यूरो क्षेत्र को नष्ट कर देने की संभावना ने भय उत्पन्न कर दिया है। चीन में आई मंदी से भी अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार बुरी तरह प्रभावित हुआ है। भारत के अधिकतर व्यापारिक पार्टनरों की अर्थव्यवस्था के गिरते रूझान ने भी कई व्यापारिक कंपनियों के कारोबार पर बुरा असर डाला है। तथापि, मजबूत आधार तथा सशक्त आर्थिक ढ़ांचे के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था वैश्विक मंदी को काफी हद तक सहन करने में सफल रही है। वास्तव में चीन में आई मंदी तथा विश्वव्यापी आए आर्थिक संकट ने भारतीय कंपनियों के लिए नए अवसर खोले हैं ।

वर्ष 2014–15 के दौरान भारत सरकार ने ''मेक इन इंडिया'' जैसे कई व्यवसायपरक कदम उठाए हैं जिनमें मूलभूत ढांचे के विकास, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, समावेशी विकास, कौशल विकास इत्यांदि पर पूरा ध्यान केन्द्रित किया गया है जो भारतीय अर्थव्यवस्था को विश्व की सशक्त अर्थव्यवस्थाओं में से एक सशक्त अर्थव्यवस्था बनाएंगे। भारतीय अर्थव्यवस्था में सुधार के संकेत नजर आने लगे हैं, जिससे यह संभावना बनती है कि भारत अगले कुछ वर्षों में विश्व के सबसे तेजी से विकसित होते बाजार में से एक होगा। सरकार द्वारा व्यवसाय के अनुकूल की गई पहलों से आपकी कंपनी को लाभ होने की संभावना है।

परफारमेंस

अनिश्चित व्यापारिक परिवेश के मध्य भी आपकी कंपनी ने 47.90 करोड़ रुपये का निवल लाभ अर्जित किया है जो पिछले वर्ष की तुलना में 157% अधिक है। कंपनी का व्यावसायिक कारोबार 18,241 करोड़ रुपये का रहा जिसमें 14,530 करोड़ रुपये का आयात, 2,301 करोड़ रुपये का निर्यात तथा 1,407 करोड़ रुपये का घरेलू व्यापार शामिल है। मोटे तौर पर व्यापार के विभिन्न घटकों का कारोबार मिनरल्स– 1,620 करोड़ रुपए, बहुमूल्य धातु– 5,142 करोड़ रुपये, एग्रो उत्पाद 299 करोड़ रुपए, मेटल्स 961 करोड़ रुपए, उर्वरक तथा केमिकल्स– 8,082 करोड़ रुपए, कोल व हाइड्रोकार्बन– 2,123 करोड़ रूपए रहा। कारोबार में गिरावट का कारण मुख्यतः कमोडिटीज का कम मूल्य तथा वर्तमान अकाउण्ट डेफिसिट पर नियंत्रण लगाने के कारण सरकार द्वारा लगाई पाबंदी के कारण एमएमटीसी द्वारा सोने का कम आयात करना है ।

अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार परिवेश में इन चुनौतियों के बावजूद भी कंपनी का निवल लाभ पिछले वर्ष की तुलना में दुगने से भी अधिक है। एमएमटीसी ने एक अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार की एक अग्रणीय कंपनी बने रहने के साथ–साथ अपने 'जीरो डेट' कंपनी की स्थिति को भी कायम रखा है ।

व्यवसाय में विविधीकरण की पहल

मुक्त बाजार परिवेश में नए अवसरों का लाभ उठाने के लिए, सार्वजनिक–प्राइवेट पार्टनरशिप मार्ग पर चलते हुए आपकी कंपनी ने कई संयुक्त उद्यमों को प्रोमोट

किया है जिससे कंपनी के भावी विकास में निरंतरता बनी रहेगी।

आपकी कंपनी द्वारा ओडिशा सरकार के साथ मिलकर संयुक्त रूप से प्रोमोट किए गए नीलाचल स्टील प्लांट (एनआईएनएल) के लिए आयरन ओर की माइनिंग के लिए लीज प्रदान की गई है जिसमें 110 मिलियन टन का रिजर्व होने का अनुमान है। इस लीज के लिए वैधानिक पर्यावरण क्लीयरेंस मिलने वाला है। एनआईएनएल ने अब स्टील बिलेट्स का भी उत्पादन करना आरंभ कर दिया है। वर्ष 2014–15 के दौरान एनआईएनएल की बिक्री का कारोबार 1315 करोड़ रुपये का था। स्टील सेक्टर में आई मंदी के कारण इसके कारोबार तथा लाभ पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। स्टील उत्पादन की सुविधाओं में स्थिरता आ जाने तथा आयरन ओर खनन आरंभ हो जाने से एनआईएनएल के कार्यनिष्पादन में व्यापाक सुधार आने की उम्मीद है।

एमएमटीसी पैंप इंडिया प्राईवेट लिमिटेड (एमपीआईपीएल) के नाम से स्विजरलैंड के मैसर्स पैंप के साथ लगाए गए संयुक्त् उद्यम की मैडालियन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट चांदी तथा सोने के मेडालियन बनाने के लिए एक उच्च स्तरीय रिफाइनरी है। वर्ष 2014–15 के दौरान, इसने अपनी परफारमेंस में और अधिक सुधार दर्शाया है। शेयरधारकों द्वारा एमपीआईपीएल में किया गया निवेश एमपीआईपीएल द्वारा उत्पादन शुरू होने से तीन वर्षों के भीतर ही वसूल हो गया है।

आपकी कंपनी, आईएल एंड एफएस के साथ मिलकर हल्दिया में इन्टरनेशनल कार्गो हब तथा कांडला में एक फ्री ट्रेड वेयर हाउसिंग जोन बना रही है जिसके लिए एमएमटीसी को क्रमशः 200 एकड़ तथा 75 एकड़ भूमि का आवंटन हो चुका है। कांडला एफटीडब्ल्यू जेड पर काम शुरू हो चुका है तथा इसके अगले वर्ष के मध्य तक बनकर तैयार हो जाने की उम्मीद है।

आपकी कंपनी द्वारा पर्यावरण के संरक्षण के लिए उठाए गए कदम के तहत वर्ष 2007 में काकीनाडा में 15 मेगावाट का विंड मिल प्रोजेक्ट लगाया गया था। इस प्रोजेक्ट में लगाई गई पूरी पूंजी इस वर्ष वसूल हो गई है। इस प्रोजेक्ट से निरंतर रिटर्न प्राप्त् होने के साथ–साथ यह कर्नाटक राज्य की ऊर्जा की आवश्यकता की कुछ मांग को भी पूरा करता है।

आपकी कंपनी ने एक फर्टिलाइजर कंपनी को रिगैसीफाइड लिक्विफाइड नैचुरल गैस की सप्लाई, जोर्डन की कंपनी के साथ फर्टिलाइजर के आयात तथा सप्लाई के लिए एमओयू पर हस्ताक्षर करने, सांची सिल्वरवेयर तथा ज्वेलरी इत्यादि खुद्रा बाजार पर पुनः ध्यान केंद्रित करने इत्यादि जैसे कई नए कारोबार शुरू किए हैं। इसके अतिरिक्त यूनियन कैबिनेट ने भी एमएमटीसी को साउथ कोरिया के साथ आयरन ओर निर्यात करने के लिए दीर्घकालिक कान्ट्रैक्ट करने की मंजूरी दे दी है।

कंपनी के व्यापार पोर्टफोलियो में और अधिक विविधता लाने तथा आयात–निर्यात में नए अवसरों को खोजने के उद्देश्यो से आपकी कंपनी ने इंजिनियरिंग गुड्स एण्ड ड्रग्स तथा फाइन कैमिकल्स के नाम से दो और नए प्रभाग बनाए हैं। इसके अतिरिक्त, आपकी कंपनी सामान्य व्यापार के क्षेत्र में नए उत्पाद तथा नए बाजारों की खोज के लिए एमएसएमई क्षेत्र से भी जुड़ी है।

सहायक कंपनी

वर्ष के दौरान आपकी कंपनी की शत प्रतिशत सब्सिडी वाली सहायक कंपनी एमएमटीसी ट्रांसनेशनल पीटीई. लिमिटेड(एमटीपीएल) सिंगापुर ने 0.13 मिलियन यूएस डालर के कर उपरांत लाभ के साथ 248 मिलियन यूएस डालर के व्यापार के लक्ष्य को प्राप्त किया है। 31 मार्च, 2015 को एमटीपीएल की नेट वर्थ 15.64 मिलियन यूएस डालर थी। नेट वर्थ में 15 गुणा वृद्धि के अतिरिक्त एमटीपीएल द्वारा एमएमटीसी को यूएस डालर 1 मिलियन के अंशदान के एवज में अभी तक 15.04 मिलियन यूएस डालर के लाभांश का भुगतान किया जा चुका है।

अफ्रीकी महाद्वीप में बाजार की व्यापक संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए तथा दक्षिणी अफ्रीका में भारत तथा दक्षिणी अफ्रीकी महाद्वीप देशों के मध्य् दो तरफा व्यापार बढ़ाने के उद्देश्य से आपकी कंपनी ने दक्षिणी अफ्रीका में एक संपर्क कार्यालय खोला है। वहां उपलब्ध व्यापार की व्यापक संभावनाओं को देखते हुए इस संपर्क कार्यालय को अब एमटीपीएल की तर्ज पर एक सहायक कंपनी में परिवर्तित किए जाने पर विचार किया जा रहा है।

मानव संसाधन विकास के लिए पहल

आपकी कंपनी इस बात से भली–भांति परिचित है कि हमारे देश की सबसे बड़ी कंपनी बनने की राह में कर्मचारी सबसे मूल्यवान निधि है। कंपनी में बड़े पैमाने पर हो रही कुशल कर्मचारियों की सेवा निवृत्ति से हुए नुकसान से उभरने के लिए भविष्य में उत्तरदायित्व संभालने के लिए नेतृत्व के अगले स्तर को विकसित किया जा रहा है। वरिष्ठ अधिकारियों को प्रबंधन संस्थानों में एडवांस्ड लीडरशिप ट्रेनिंग दिलाई गई है तथा कंपनी के सभी कर्मचारियों को कंपनी की विभिन्न गतिविधियों से संबंधित ट्रेनिंग देकर उनकी

कार्यकुशलता में निरंतर संवर्धन किया जा रहा है जिससे कि वे लगातार बदलते हुए व्यापारिक परिवेश की आवश्यकताओं के अनुरूप स्वयं को सक्षम बना सकें। कर्मचारियों को समय पर पदोन्नति देकर तथा उनकी जायज शिकायतों को दूर कर, मानवशक्ति को प्रोत्साहित करने के लिए भी कदम उठाए गए हैं। इससे कर्मचारियों में एक नई सदभावाना तथा विश्वास की अनुभूति पैदा हुई है। प्रबंधन तथा कर्मचारियों के बीच संवाद की संभावित दूरी को कम करने, व्यवस्था में पारदर्शिता के उद्देश्य से दिन प्रतिदिन बातचीत के लिए नियमित रूप से ओपन हाऊस मीटिंग बुलाई जाती है।

कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व तथा टिकाऊ विकास

आपकी कंपनी अपने सामाजिक उत्तरदायित्व का निर्वाह करते हुए समाज में एक महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। कंपनी अपने व्यापारिक निर्णय लेते समय उस समाज, जिसके मध्य कंपनी की गतिविधियां चलती हैं, पर पड़ने वाले दूरगामी प्रभावों को ध्यान में रखती है। सर्वांगीण तथा प्रतिभागिता के विकास पर विशेष बल दिया जाता है तथा आधारभूत ढांचे के विकास, शिक्षा, चिकित्सा तथा पर्यावरण बनाए रखने तथा प्राकृतिक आपदा के समय पुनर्वास की दिशा में कई कदम उठाए हैं। आपकी कंपनी ने 'स्वच्छ भारत' अभियान में सुलभ इन्टरनेशनल के साथ मिलकर सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण कर अपना सक्रिय योगदान दिया है। इसके अतिरिक्त, आपकी कंपनी ग्लोबल कम्पैक्ट नेटवर्क की भी सदस्यं है तथा इसकी सीएसआर/एसडी में उठाए गए कदम ग्लोबल कम्पैक्ट सिद्धांतों के अनुरूप है।

कारपोरेट गवर्नेंस

समर्थ कारपोरेट गवर्नेंस के सिद्धांतों को लागू करने की अपनी प्रतिबद्धता को और अधिक सुदृढ़ बनाने के प्रयास में, आपकी कंपनी ने भ्रष्ट गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए पारदर्शिता, निष्पक्षता, सार्वजनिक खरीद में प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सत्यनिष्ठ समझौता लागू किया है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए ही स्वतंत्र बाहय मॉनिटरों को भी नियुक्त किया गया है। लागू दिशा–निर्देशों के अनुसार, प्रशासनिक मंत्रालय तथा स्टॉक एक्सचेंज को नियमित रूप से त्रैमासिक अनुपालन रिपोर्ट भेजी जाती है। व्यापार जोखिम से बचाव के लिए आपकी कंपनी में एक जोखिम प्रबंधन नीति भी लागू है।

आपकी कंपनी ने कारपोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा अपनाई गई 'ग्रीन इनिशियेटिव' का पुर जोर समर्थन किया है तथा वार्षिक रिपोर्ट की इलैक्ट्रॉनिक डिलीवरी तथा शेयर होल्डरों के लिए ई–वोटिंग की सुविधा भी लागू की है।

भविष्य के लिए विजन

शेयरधारक, ग्राहक, आपूर्तिकर्ता, कर्मचारी तथा समाज की संतुष्टि से जुड़ी अपनी सभी गतिविधियों में उत्कृष्टता लाते हुए आपकी कंपनी का दक्षिण एशिया की बड़ी व्यापारिक कंपनियों में स्थान बनाने का लक्ष्य है। कारोबार तथा लाभ में बढ़ोतरी के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए हमारा फोकस अपने वर्तमान विशिष्टता के क्षेत्रों तथा नए व्यवसाय के विविधीकरण पर रहेगा। कर्मठ मानव संसाधन के सहयोग से आपकी कंपनी ग्राहकों को सर्वोत्तम सेवाएं प्रदान करते हुए भविष्य में कंपनी को सशक्त् एवं सुदृढ बनाने के अपने लक्ष्य की दिशा में आगे बढ़ने के लिए पूरी तरह से सक्षम है।

आभार

इस अवसर पर मैं निदेशक मंडल की ओर से कंपनी के सभी शेयरधारकों के प्रति आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने निदेशक मंडल तथा कंपनी के प्रबंधन में निरंतर अपना विश्वास बनाए रखा। मैं अपने सभी वेंडरों, ग्राहकों और व्यवसाय सहयोगियों, जिन्होंने कंपनी के विकास और वृद्धि में सहयोग दिया, को भी धन्यवाद देता हूं। अंत में, मैं सरकार विशेषकर वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, रेलवे, पोर्ट्स, एनएमडीसी, बैंकों तथा सभी अन्य स्टेकहोल्डर्स को उनके सहयोग तथा समर्थन के लिए धन्यवाद देता हूँ।

(वेद प्रकाश)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

29.09.2015

निदेशक मंडल

वेद प्रकाश
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
31.12.2014 से

सरकार द्वारा नामित निदेशक

मधुसूदन प्रसाद
24.02.15 तक

अनीता अग्निहोत्री
16.06.14 तक

बी पी पाण्डेय
16.06.14 से 06.08.15 तक

आर आर रश्मि
24.02.15 से 29.04.15 तक

ए के भल्ला
29.04.15 से

जे के दादू
06.08.15 से

कार्यरत निदेशक

राजीव जयदेव
निदेशक (कार्मिक)

एम जी गुप्ता
निदेशक (वित्त)

आनंद त्रिवेदी
निदेशक (विपणन)

पी के जैन
निदेशक (विपणन)

निदेशक मंडल

स्वतंत्र निदेशक

अनिल राजदान
12.07.14 तक

जी एस वेदी
13.07.14 तक

अरूण बालाकृष्णन
15.07.14 तक

अरविंद कालरा
01.04.13 से

राना सोम
17.04.13 से

एन बाला भास्कर
22.04.13 से

सुवास पानी
07.05.13 से

एस आर तायल
09.07.13 से

वरिष्ठ कार्यपालक

ए के गुप्ता
मुख्य सतर्कता अधिकारी

आशीष मजूमदार

विजय पाल

पी के दास

अश्वनी सोंधी

जे किशन

उमेश शर्मा

निदेशकों की रिपोर्ट

सदस्यगण,
एमएमटीसी लिमिटेड,
नई दिल्ली

देवियों एवं सज्जनों

निदेशक मंडल की ओर से आपकी कंपनी की 31 मार्च, 2015 को समाप्त वित्तीय वर्ष के कार्यनिष्पादन की 52वीं वार्षिक रिपोर्ट जिसमें अंकेक्षित लेखा विवरण तथा सांविधिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट शामिल है, प्रस्तुत करते हुए मुझे प्रसन्नता हो रही है।

कार्य निष्पादन परिणाम

आपकी कंपनी, जो कि भारत की मुख्य व्यापारिक कंपनियों में एक है ने गत वर्ष के 250,744.94 मिलियन रुपये के कुल कारोबार की तुलना में वर्ष 2014–15 के दौरान 182,415.04 मिलियन रुपये (46.20 मिलियन रूपये की सेवाओं की बिक्री सहित) का कुल कारोबार दर्ज किया है। इस कुल व्यापार में 23007.00 मिलियन रुपये का निर्यात, 145301.50 मिलियन रुपये का आयात तथा 14065.90 मिलियन रुपये का घरेलू व्यापार शामिल है। अन्य व्यापार आय में 427.78 मिलियन रूपये की राशि का योगदान शामिल है। आपकी कंपनी द्वारा अर्जित व्यापारिक लाभ गत वर्ष के 3455.79 मिलियन रुपये की तुलना में 2079.12 मिलियन रुपये रहा। पिछले वर्ष के 186.42 मिलियन रूपये के लाभ की तुलना में कंपनी ने चालू वित वर्ष में 479.10 मिलियन रूपये का कर पश्चात लाभ दर्ज किया है।

वर्ष 2014–15 के दौरान कंपनी के कार्यनिष्पादन की विशेषताएं निम्नानुसार हैं:–

(रुपये मिलियन में)

	2014-15	2013-14
उत्पादों की बिक्री	**182,374.40**	250,706.69
सेवाओं की बिक्री	**46.20**	39.62
अन्य व्यापार अर्जन	**427.78**	1,950.15
घटाएं : उत्पाद शुल्क	**5.56**	1.37
प्रचालन से प्राप्त कुल राजस्व	**182,842.82**	252,695.09
बिक्री की लागत	**180,763.70**	249,239.30

		(रूपए मिलियन में)
व्यापारिक लाभ	**2,079.12**	3,455.79
जोड़ें: लाभांश एवं अन्य आय	**252.05**	845.88
घटाएं: स्थापना एवं प्रशासनिक उपरी व्यय तथा असाधारण मदें आदि	**2,053.66**	2,597.39
घटाएं: बट्टे खाते में डाले गए ऋण/दावे	**299.96**	10.74
घटाएं: संदिग्ध ऋणों/दावों/अग्रिमों/निवेशों के लिए प्रावधान	**12.36**	12.74
ब्याज, मूल्यह्रास पूर्वावधि एवं करों से पूर्व लाभ	**(34.81)**	1,680.80
जोडें: अर्जित ब्याज (निवल)–(वित्तीय लागत घटाकर निवल अर्जित ब्याज)	**827.65**	707.59
मूल्यह्रास, पूर्वावधि व करों से पूर्व लाभ	**792.84**	2,388.39
घटाएं: मूल्यह्रास	**178.17**	124.22
घटाएं : पूर्वावधि खर्चे	**15.99**	15.17
असाधारण मदों तथा करों से पूर्व लाभ	**598.68**	2,249.00
घटाएं : असाधारण मदें	**-**	2,104.42
घटाएं: चालू करों के लिए प्रावधान	**136.99**	765.48
घटाएं: आस्थगित करों के लिए प्रावधान	**(17.41)**	(807.32)
कर पश्चात लाभ	**479.10**	186.42
जोड़ें: पूर्व वर्ष से आगे लाया गया शेष	**6,448.82**	6,444.49
शेष जिसे निदेशक मंडल ने निम्नानुसार नियोजित किया है:		
(I) प्रस्तावित लाभांश	**250.00**	150.00
(II) लाभांश कर	**50.89**	25.49
(III) सामान्य रिजर्व	**100.00**	9.40
(IV) मूल्य ह्रास का आरंभिक समायोजन	**4.97**	-
(V) स्थाई विकास रिजर्व	**-**	(2.11)
(VI) कारपोरेट सामाजिक दायित्व रिजर्व	**-**	(4.23)
(VI) अनुसंधान एवं विकास रिजर्व	**-**	3.54
आगे ले जाने के लिए छोड़ा गया शेष	**6,522.06**	6,448.82

आपकी कंपनी के विभिन्न व्यवसाय समूहों का कार्य निष्पादन प्रबंधन परिचर्चा तथा विश्लेषण रिपोर्ट में दर्शाया गया है जो संलग्न है और इस रिपोर्ट का एक अंग है।

इक्विटी शेयर पूंजी तथा लाभांश

निदेशक मंडल ने कंपनी की 1000 मिलियन रुपये की इक्विटी पूंजी पर कंपनी के लाभ से वर्ष 2014–15 के लिए 25 प्रतिशत की दर से लांभाश घोषित करने की सिफारिश की है।

रिजर्व

दिनांक 01 अप्रैल, 2014 को आपकी कंपनी के रिजर्व व अधिशेष में 12418.70 मिलियन रुपये की राशि उपलब्ध थी। कंपनी के निदेशकों ने निगम के लाभ से 25 प्रतिशत की दर से लाभांश के भुगतान का प्रस्ताव किया है। तदानुसार दिनांक 31 मार्च, 2015 को आपकी कंपनी के रिजर्व व अधिशेष में 12591.95 मिलियन रूपये उपलब्ध होंगे।

विदेशी मुद्रा अर्जन तथा बहिर्गमन

वर्ष 2014–15 के दौरान आपकी कंपनी के विदेशी मुद्रा अर्जन तथा बहिर्गमन का विवरण नीचे दिया जा रहा है:

	अर्जन		बहिर्गमन
	मिलियन रुपये में		मिलियन रुपये में
निर्यात	22,937.86	आयात	137,267.75
अन्य	58.99	ब्याज	2.60
		अन्य	814.86
कुल	22,996.85	कुल	138,085.21

सहायक कंपनी

आपकी कंपनी की, पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी – एमएमटीसी ट्रांसनेशनल पीटीई लिमिटेड, सिंगापुर (एमटीपीएल) को सिंगापुर कानून के तहत अक्तूबर, 1994 में 1 मिलियन अमेरिकी डालर की शेयर पूंजी के साथ निगमित किया गया था। गत वित्त वर्ष के 369.46 मिलियन अमरीकी डालर के कुल व्यापार की तुलना में वर्ष 2014–15 के दौरान एमटीपीएल ने 248.02 मिलियन अमेरिकी डालर का कारोबार किया है। वर्ष 2014–15 के दौरान एमटीपीएल ने 0.13 मिलियन अमेरिकी डालर का कर पश्चात लाभ अर्जित किया है । दिनांक 31.03.2014 को 15.51 मिलियन अमेरिकी डालर नेटवर्थ की तुलना में 31 मार्च, 2015 को एमटीपीएल का नेटवर्थ 15.64 मिलियन अमेरिकी डालर था।

सिंगापुर सरकार की संस्था इंटरनेशनल इंटरप्राइज, सिंगापुर द्वारा एमटीपीएल को वर्ष 2000 से 2013 तक

प्रतिष्ठित अवार्ड ''ग्लोबल ट्रेडर प्रोग्राम'' (जीटीपी) प्रदान किया गया।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129 के प्रावधानों के अनुसरण में एमटीपीएल के अंकेक्षित वित्तीय विवरण तथा निदेशकों की रिपोर्ट और लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट संलग्न है।

एमएमटीसी द्वारा प्रोन्नत प्रोजेक्ट – नीलाचल इस्पात निगम लिमिटेड(एनआईएनएल)

आपकी कंपनी ने उड़ीसा सरकार एवं अन्य के साथ मिलकर 1.1 मिलियन टन वार्षिक क्षमता वाला आयरन एंड स्टील प्लांट, 0.8 मिलियन टन कोक ओवेन तथा कैप्टिव पावर प्लांट की सह उत्पाद यूनिट का नीलाचल इस्पात निगम लिमिटेड(एनआईएनएल) प्रोजेक्ट स्थापित किया है। प्रोजेक्ट को आयरन ओर की आपूर्ति किए जाने के लिए अनुमानित 110 मिलियन टन रिजर्व आयरन ओर के खनन के लीज अधिकार प्राप्त हैं। बेसिक आक्सीजन फर्नेस, आक्सीजन संयंत्र तथा एसएमएस के साथ–साथ इस्पात उत्पादन के लिए प्रोजेक्ट के फेज–2 को मार्च 2013 में आरंभ कर दिया गया है तथा स्टील बिलेट्स का उत्पादन भी आरंभ हो चुका है। आर्थिक मंदी तथा विशेष कर स्टील क्षेत्र में आई मंदी के कारण वर्ष 2014–15 के दौरान एनआईएनएल ने 13156 मिलियन रुपये का कारोबार दर्ज किया जिसमें 2327 मिलियन रुपये की हानि दर्ज की। इस्पात उत्पादन के क्षेत्रों में आने वाली स्थिरता तथा चालू वित वर्ष के अंत तक आयरन ओर खनन के आरंभ हो जाने

के साथ एनआईएनएल के निष्पादन में महत्वपूर्ण सुधार होने की आशा है।

प्रोजेक्ट्स / संयुक्त उद्यम

मुक्त बाजार व्यवस्था में उभरते नये अवसरों का लाभ उठाने तथा नये व्यापार क्षेत्रों से जुड़ने के लिए आपकी कंपनी ने पूर्व वर्षों की तरह पब्लिक प्राइवेट साझेदारी के माध्यम से कुछ संयुक्त उद्यमों को प्रोन्नत किया है। उक्त संयुक्त उद्यमों की वर्तमान स्थिति का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार हैः–

(i) मैसर्स इंडियन कमोडिटी एक्सचेंज लिमिटेड की 100 करोड़ रूपये की कुल प्रदत्त पूंजी में एमएमटीसी की 26 प्रतिशत की भागीदारी है जिसने वर्ष 2013–14 के दौरान 89.84 मिलियन रूपए की कुल हानि की तुलना में वर्ष 2014–15 के दौरान 81.56 मिलियन रूपए की कुल हानि सूचित की है।

(ii) एमएमटीसी ने 'युनाइटेड स्टॉक एक्सचेंज आफ इंडिया के नाम एवं स्टाइल के अधीन करेंसी फयूचर्स एक्सचेंज की इक्विटी में 30 मिलियन रूपए का निवेश किया है। सेबी, सीसीआई तथा एक्सचेंज के शेयरधारकों के अनुमोदनानुसार उक्त संयुक्त उद्यम बीएसई के साथ विलय की प्रक्रिया में है। माननीय मुंबई उच्च न्यायालय ने युनाइटेड स्टॉक एक्सचेंज को बीएसई के साथ विलय का अनुमोदन प्रदान कर दिया है जो आरओसी में आदेश फाइल करने की तिथि से प्रभावी होगा।

(iii) एमएमटीसी पैम्प इंडिया प्राईवेट लिमिटेड के नाम से पैम्प स्विटजरलैंड के सहयोग से मेडालियन निर्माण इकाई के लिए बनाए गए संयुक्त उद्यम ने वर्ष 2014–15 के दौरान 220639.73 मिलियन रूपए का कुल व्यापार किया है तथा 1124.72 मिलियन रूपए का सकल लाभ प्राप्त करने के साथ साथ प्रदत्त पूंजी पर 70 प्रतिशत लाभांश भी घोषित किया है। वर्ष के दौरान एमएमटीसी पैम्प भारत की प्रथम एलबीएमए द्वारा मान्यता प्राप्त स्वर्ण व चांदी की रिफाइनरी बन गई है।

(iv) मेडालियन तथा आभूषण दोनों तैयार उत्पादों के प्रभावी विपणन के लिए भारत के विभिन्न शहरों में खुदरा स्टोर स्थापित करने के उद्देश्य से एमएमटीसी गीतांजली लिमिटेड के नाम एवं स्टाईल के अधीन एक प्रमुख भारतीय कंपनी के साथ संयुक्त उद्यम स्थापित किया है। एमएमटीसी गीतांजली लिमिटेड ने वर्ष के दौरान 111.96 मिलियन रूपए का कारोबार करने के संबंध में सूचित किया है तथा जिसमें वर्ष 2013–14 में 7.86 मिलियन रूपए की सकल हानि की तुलना में वर्ष 2014–15 के लिए 9.70 मिलियन रूपए की हानि सूचित की है।

(v) कर्नाटक राज्य के बैलारी–होस्पेट सेक्टर से निर्यात के लिए लौह अयस्क की अनुपलब्धता के कारण वर्ष 2014–15 के दौरान संयुक्त उद्यम मैसर्स सिकाल आयरन ओर टर्मिनल लिमिटेड (एसआईओटीएल) ने कोई प्रगति नहीं की है। लौह अयस्क के निर्यात की अपेक्षा कोयले के आयात की हैंडलिंग डिस्चार्ज की सुविधा में परिवर्तित करने के लिए कामराज पोर्ट लिमिटेड (केपीएल) के साथ यह संयुक्त उद्यम कंपनी बातचीत कर रही है ताकि तामिलनाडु के ताप–उर्जा संयंत्रों की बढ़ती मांग को पूरा किया जा सके। भूतल परिवहन मंत्रालय, भारत सरकार ने केपीएल के प्रस्ताव पर सहमति प्रदान कर दी है तथा सिकाल को मना करने के प्रथम अधिकार के साथ आपरेटर के चयन के लिए केपीएल ने पहले ही निविदा जारी कर दी है।

(vi) आपकी कंपनी के एक अन्य संयुक्त उद्यम, मैसर्स ब्लू वाटर आयरन ओर टर्मिनल प्राईवेट लिमिटेड का प्रचालन आरंभ नहीं हुआ। इस सयुक्त उद्यम कंपनी का समापन किया जा रहा है।

(vii) खनन, अन्वेषण तथा संबद्ध गतिविधियों के लिए मैसर्स टाटा स्टील लिमिटेड के साथ किए गए संयुक्त उद्यम, टीएम माईनिंग कंपनी लिमिटेड के प्रचालन आरंभ करने के लिए प्रमाणपत्र प्राप्त कर लिया है। क्रियाशील (आपरेशनालाईज) बनाने के लिए उचित परियोजनाओं की पहचान करने के प्रयास जारी हैं।

(viii) दो तरफा व्यापार को बढ़ाने के लिए विशेष आर्थिक क्षेत्र के समरूप हल्दिया में अंतर्राष्ट्रीय कार्गो हब तथा कांडला में फ्री ट्रेड एण्ड वेयरहाउसिंग जोन स्थापित करने के लिए आईएल एण्ड एफएस के सहयोग से आपकी कंपनी द्वारा प्रोन्नत किए गए एसपीबी को भूमि आबंटित की गई है। एमएमटीसी द्वारा आईएलएफसी आईडीसी फंड के साथ संयुक्त रूप से प्रोन्नत एसपीवी को कांडला एफटीडब्ल्यूजैड परियोजना के प्रथम चरण के विकास हेतु कांडला में 75 एकड़ भूमि आबंटित की गई है, वर्तमान में जिस पर कार्य चल रहा है। राज्य सरकार की नीति के अनुरूप एसईजेड अधिनियम के क्षेत्राधिकार के बाहर अंतर्राष्ट्रीय कार्गो हब की स्थापना के लिए हल्दिया में एसपीबी को 200 एकड़ भूमि आबंटित की गई है। हल्दिया परियोजना के लिए भूमि के वास्तविक स्वामित्व को सुरक्षित करने के लिए चार दीवारी के कुछ भाग का निर्माण करना शुरू किया गया है। हल्दिया परियोजना हेतु व्यापारिक योजना तथा वास्तुशिल्प मास्टर प्लान के लिए चयनित बोलीदाताओं को कार्य आदेश जारी किए गए हैं। कांडला में भी विकास कार्य प्रारंभ हो गया है।

(ix) आपकी कंपनी के प्रत्येक 600 केवीए के 25 विंड एनर्जी जनरेटर (डब्ल्यूईजीएस) के साथ 15 मेगावाट की विंडमिल परियोजना की स्थापना की है जिसका आरंभ मार्च 2007 में मैसर्स आरआरबी एनर्जी लिमिटेड के सहयोग से एमएमटीसी द्वारा किया गया। दिनांक 31 मार्च, 2015 तक इस परियोजना से 70 करोड़ रूपये की उर्जा की बिक्री की गई। 'वास्तविक रोकड़ प्राप्ति आधार' पर पूंजी का सम्पूर्ण प्रतिफल फरवरी 2015 में प्राप्त किया गया। इस परियोजना को कर्नाटक राज्य के स्वामित्व वाले उद्यम अर्थात हुबली इलेक्ट्रीसिटी सप्लाई कंपनी लिमिटेड (एचईएससीओएम) के नियंत्रणाधीन गजेन्द्र गढ़ सब–स्टेशन के 110/33 केवी ग्रिड के साथ इस परियोजना को जोड़ा गया है। गत 8 वर्षों से यह परियोजना सफलतापूर्वक चल रही है तथा कर्नाटक राज्य की उर्जा की मांग के कुछ भाग की पूर्ति करते हुए क्षेत्र के विकास में भागीदारी की है।

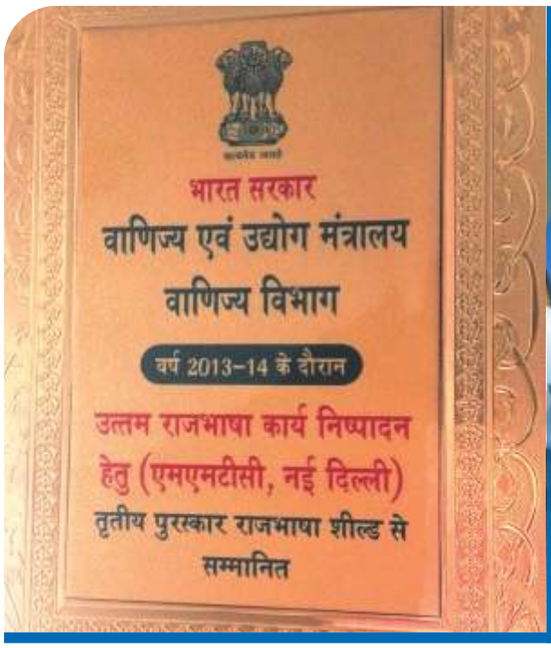

औद्योगिक संबंध तथा मानव संसाधन प्रबंधन

वर्ष के दौरान बिना किसी श्रम दिवस की हानि के आपकी कंपनी में औद्योगिक संबंध मैत्रीपूर्ण एवं सौहार्दपूर्ण बने रहे। कंपनी के लक्ष्यों तथा उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए यूनियनों/एसोशिएशनों के साथ नियमित रूप से बैठकें की गईं ताकि मानव संसाधन संबंधी मुद्दों को परस्पर सहमति के आधार पर हल किया जा सके।

दिनांक 31.03.2015 को कंपनी के कार्मिकों की कुल संख्या 1439 थी इसमें बोर्ड स्तर के कार्यकारी शामिल नहीं होने के अतिरिक्त, 542 अधिकारी तथा 897 कार्मिक शामिल थे। इस कर्मचारी संख्या में पूर्ववर्ती माइका ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड, जिसका बीआईएफआर के आदेश के अनुसार आपकी कंपनी में विलय हो गया था, के 8 अधिकारी, 112 स्टाफ/वर्कर शामिल हैं। कुल कर्मचारियों की मिश्रित संख्या में महिलाओं का प्रतिनिधित्व 20.92 प्रतिशत (301 महिला कर्मचारी) था तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग व शारीरिक रूप से विकलांगों का प्रतिनिधित्व क्रमशः 21.26 प्रतिशत(306 कार्मिक), 8.89 प्रतिशत (128 कार्मिक), 8.61 प्रतिशत(128 कार्मिक) तथा 2.29 प्रतिशत (33 कार्मिक) था। वर्ष के दौरान कैम्पस भर्ती तथा खुले विज्ञापन के माध्यम से 16 अधिकारियों की नियुक्ति की गई। भर्ती तथा पदोन्नति में एससी, एसटी, ओबीसी तथा पीडब्ल्यूडी के आरक्षण की नीति का पूर्णतया अनुपालन किया गया।

निरंतर बदलते व्यावसायिक परिदृश्य में कर्मचारियों की दक्षता में बढ़ोत्तरी/उन्नत करने हेतु वर्ष के दौरान 1057 कार्मिकों को कंपनी के विभिन्न कार्यकलापों के बारे में प्रशिक्षण दिया गया। यह प्रशिक्षण कंपनी के अपने अनुभवी विशेषज्ञों तथा बाहरी विख्यात संस्थानों/संगठनों द्वारा दिया गया। प्रशिक्षण के लिए प्रतिनियुक्त कर्मचारियों में 166 कर्मचारी अनुसूचित जाति, 79 कर्मचारी अनुसूचित जनजाति तथा 302 महिला कर्मचारी शामिल थे। जहां तक मानव दिवस का प्रश्न है वर्ष 2014–15 के दौरान कुल प्रशिक्षण अवधि 2070 मानव दिवस की रही।

वर्ष के दौरान एमएमटीसी तथा आईआईएम अहमदाबाद के बीच समझौता किया गया कि ''एडवांस लीडरशिप'' प्रोग्राम के लिए एमएमटीसी वर्ष में एक बार वरिष्ठ अधिकारियों को प्रतिनियुक्त करेगी। दिसंबर 2014 में एमएमटीसी के 35 वरिष्ठ अधिकारियों को एडवांस्ड लीडरशिप प्रशिक्षण के लिए आईआईएम अहमदाबाद में भेजा गया। इन 35 अधिकारियों में से अनुसूचित जाति के 7 तथा अनुसूचित जनजाति के 3 अधिकारी थे जो 28.57 प्रतिशत है।

राजभाषा कार्यान्वयन

आपकी कंपनी भारत सरकार की राजभाषा नीति का अनुपालन करने के लिए प्रतिबद्ध है। वर्ष 2014–15 में आपकी कंपनी ने गृह मंत्रालय, भारत सरकार के राजभाषा विभाग द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने और हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य् से अनवरत प्रयास किये हैं। इस उद्देश्य की पूर्ति तथा कंपनी के कर्मचारियों द्वारा राजभाषा के प्रयोग को बढ़ावा देने हेतु कारपोरेट कार्यालय तथा सभी क्षेत्रीय कार्यालयों में परिवीक्षाधीन वर्ष के दौरान हिंदी कार्यशालाओं, हिंदी

दिवस/सप्ताह/पखवाड़े का आयोजन किया गया।

वर्ष के दौरान संसदीय राजभाषा समिति ने कंपनी के क्षेत्रीय कार्यालय मुम्बई तथा बेंगलुरू का निरीक्षण किया। वर्ष के दौरान कंपनी को राजभाषा कार्यालय में किए गए उत्कृष्ट कार्यों के लिए वाणिज्य मंत्रालय द्वारा राजभाषा ट्राफी प्रदान की गई।

सतर्कता

मूल्य आधारित प्रथाओं के माध्यम से कंपनी की साख एवं भरोसे को निरंतर बनाए रखने तथा कंपनी का संचालन पेशेवर ढंग से करने हेतु इसकी स्थिति को मजबूत बनाने, विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धा तथा अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा वाला संगठन बनाए रखने की दिशा में आपकी कंपनी के सतर्कता ग्रुप ने निवारक सतर्कता पर विशेष बल दिया। आपकी कंपनी के सतर्कता प्रभाग के प्रयासों से वित्त व लेखों के व्यापक मैन्युअल के साथ–साथ एक मानकीकृत व्यापारिक मैन्युअल, कारपोरेट जोखिम प्रबंधन नीति आदि बनाई गई है तथा कार्यान्वयन हेतु इन्हें परिचालित किया गया है। परिवीक्षाधीन अवधि के दौरान सतर्कता प्रभाग ने 38 शिकायतों (गत वर्ष की 18 शिकायतों में 20 नई शिकायतें जुड़ गई हैं) का निपटान किया गया है तथा शेष 11 शिकायतों पर कार्यवाही की जा रही है। एमएमटीसी कर्मचारियों से कैलेंडर वर्ष 2014 के लिए प्राप्त वार्षिक सम्पत्ति रिटर्न की छंटनी की गई है।

परिवीक्षाधीन अवधि के दौरान आपकी कंपनी के सतर्कता प्रभाग ने एमएमटीसी के विभिन्न कार्यालयों के दिनांक 27.10.2014 से 01.11.2014 तक ''सतर्कता जागरूकता सप्ताह'' का आयोजन किया। इस सप्ताह का मूल विषय ''अच्छे सुशासन को प्रोन्नत करना – सतर्कता का सकारात्मक योगदान'' था।

वर्तमान ईआरपी माड्यूल में कमियों को दूर करने के लिए ईआरपी सिस्टम को अपग्रेड करने, विदेशी मुद्रा विनिमय के निर्धारण की रिकार्डिंग के लिए वित्त प्रमुख केबिन में आवाज रिकार्डिंग सिस्टम स्थापित करने, स्वर्ण/चांदी की सुपुर्दगी किए जाने वाले परिसर में वीडियो कैमरा लगाने, केवाईसी मानदण्डों को मजबूत बनाने तथा लेखा परीक्षा की बहु–स्तरीय प्रणाली आरंभ करने के प्रति कर्मचारियों को संग्रहित करने के लिए क्षेत्रीय आधार पर सतर्कता तथा गैर–सतर्कता अधिकारियों को प्रशिक्षण एवं उनकी दक्षता बढ़ाना सतर्कता विभाग द्वारा की जा रही नई पहल है।

जागरूकता प्रक्रिया

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 177 के प्रावधानों के अनुरूप आपकी कंपनी के निदेशक मण्डल ने निदेशकों की लेखा परीक्षा समिति के आदेशों के अनुपालन में ''जागरूकता की प्रक्रिया'' आरंभ की है। निदेशकों तथा कार्मिकों द्वारा अपने वास्तविक मामलों की सूचना देने के लिए लेखा परीक्षा समिति की इस जागरूकता की प्रणाली

को स्थापित किया गया है। दिनांक 14 अगस्त, 2014 के परिपत्र द्वारा इस योजना को अधिसूचित किया गया है। कार्मिकों/निदेशकों के किन्हीं मामलों पर लेखा परीक्षा समिति के अध्यक्ष द्वारा विचार किया जायेगा। परिवीक्षाधीन अवधि के दौरान ऐसी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

सत्यनिष्ठा समझौता

वर्ष के दौरान कंपनी में सत्यनिष्ठा समझौते को लागू किया गया जिससे कि बिडर्स के बीच पारदर्शिता/निष्पक्षता को बढ़ावा मिल सके और निगम द्वारा किए जा रहे व्यापार में भ्रष्टाचार की संभावनाओं को निरस्त किया जा सके। सत्यनिष्ठा समझौता केन्द्रीय सतर्कता आयोग द्वारा सार्वजनिक सरकारी खरीद में पारदर्शिता, निष्पक्षता तथा प्रतिस्पर्धा बनाए रखने के लिए किए गए उपायों की श्रृंखला का भाग है। श्री बिजय चटर्जी, आईएएस (सेवानिवृत) तथा श्री डीआरएस चौधरी, आईएएस (सेवानिवृत) को इंडिपेंडेंट एक्सटर्नल मोनीटर (आईईएम) के रूप में काम करने के लिए नियुक्त किया गया है।

कारपोरेट सामाजिक दायित्व एवं सतत विकास

एक उत्तरदायी संगठन के रूप में आपकी कंपनी सदैव ही अपने सामाजिक दायित्व का यथासंभव सर्वोत्तम रूप से निर्वाह करने के लिए प्रतिबद्ध रही है। वर्ष 2006–07 से कंपनी में समाज तथा पर्यावरण की भलाई के लिए कई कदम उठाए हैं। सीएसआर संबंधी मामलों को निपटाने के लिए आपकी कंपनी ने भारत सरकार के सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा जारी दिशा–निर्देशों तथा कंपनी अधिनियम 2013 के अनुरूप अपने कारपोरेट सामाजिक दायित्व नीति में बदलाव किए हैं। आपकी कंपनी का गत 3 वर्षों में औसत

सकल लाभ ऋणात्मक होने के कारण वर्ष 2014–15 के दौरान एमएमटीसी के लिए सीएसआर पहल करना विधिक रूप से आवश्यक नहीं था। वर्ष 2006 से एमएमटीसी द्वारा निरंतर सीएसआर कार्यकलापों में भाग लेने को ध्यान में रखते हुए निदेशक मंडल द्वारा यह निर्णय लिया गया कि वर्ष 2014–15 के दौरान सीएसआर कार्यकलापों के लिए 49 लाख रूपए का आबंटन स्वैच्छिक आधार पर किया जाए ताकि सामाजिक दायित्व के महत्व की निरंतरता बनी रहे।

आपकी कंपनी ग्लोबल कम्पैक्ट नेटवर्क इंडिया की भी सदस्य है तथा सीएसआर/एसडी गतिविधियों के अतिरिक्त ग्लोबल कम्पैक्ट प्रिंसिपल के अनुसार कदम उठाती है। प्रतिवर्ष कंपनी अपनी प्रगति (सीओपी) की रिपोर्ट यूएन ग्लोबल कम्पैक्ट को भी सौंपती है।

सीएसआर के लिए आबंटित राशि का उपयोग उत्तरी दिल्ली के हैदरपुर में दो सार्वजनिक शौचालय बनाने में किया गया। यह कार्य ''सुलभ इंटरनेशनल सोशल सर्विस आर्गेनाईजेशन'' के सहयोग से किया गया। इनके प्रचालन तथा रख–रखाव का कार्य सुलभ इंटरनेशनल को सौंपा गया है। इसके अतिरिक्त गंगा नदी को पुनः जीवित करने के लिए भारत सरकार द्वारा बनाए गए क्लीन गंगा फंड में भी थोड़ा योगदान किया गया है।

कंपनी अधिनियम 2013 के प्रावधानों के अनुरूप निर्धारित फार्मेट में सीएसआर कार्यकलापों पर रिपोर्ट संलग्न है जोकि वार्षिक रिपोर्ट का अंग है।

कारपोरेट गवर्नेंस

आपकी कंपनी निरंतर विकास तथा सर्वोत्तम कारपोरेट सुशासन (गवर्नेंस) की प्रथाओं को अपनाने तथा इनके प्रति समर्पण हेतु मजबूत आस्था रखती है। इसके लिए कंपनी अधिनियम 2013 में दिए गए मानकों तथा सेबी के दिशा–निर्देशों का अक्षरशः कार्यान्वयन किया जाता है। तथापि, सीपीएसईज के मामलों में भारत के माननीय

राष्ट्रपति द्वारा निदेशक मंडल के सभी निदेशकों की नियुक्ति किए जाने के कारण निगम के निदेशक मंडल में महिला निदेशक की नियुक्ति अभी नहीं की जा सकी है।

स्टॉक एक्सचेंजों के साथ हस्ताक्षरित सूचीकरण (लिस्टिंग) करार की धारा 49 में विनिर्दिष्टि कारपोरेट सुशासन से संबंधित अनुबंधों के अनुपालन के विषय में मैसर्स ब्लैक एंड कंपनी (सीपीसंख्या 11714) से प्राप्त प्रमाणपत्र के साथ कारपोरेट सुशासन पर अलग रिपोर्ट संलग्न है तथा इस रिपोर्ट का अंग है।

आचार संहिता

स्टॉक एक्सचेजों के साथ हुए सूचीकरण समझौते में निहित खंड 49(आई)(डी) के अनुसरण में बोर्ड के सदस्यों तथा वरिष्ठ प्रबंधन अधिकारियों के संबंध में एक विस्तृत बिजनेस आचार संहिता निर्धारित की गई है तथा इस संहिता को आपकी कंपनी की वेबसाइट पर दिया गया है। एक महाप्रबंधक (निलंबनाधीन) को छोड़कर बोर्ड के सभी सदस्यों तथा वरिष्ठ प्रबंधन अधिकारियों, जो दिनांक 31 मार्च, 2015 को कंपनी के नियमित रोल्स पर थे और जिन पर यह संहिता लागू होती है, ने 31 मार्च 2015 को समाप्त अवधि के लिए संहिता के अनुपालन के लिए वचनबद्धता प्रकट की है।

बिजनेस दायित्व रिपोर्ट

सेबी के दिशा निर्देशों तथा स्टॉक एक्सचेंजों के साथ हस्ता–क्षरित लिस्टिंग एग्रीमैंट की धारा 55 के प्रावधानों के अनुरूप बीएसई द्वारा उपलब्ध करवाई गई 100 प्रमुख कंपनियों की सूची के आधार पर आपकी कंपनी ने वर्ष 2014–15 की वार्षिक रिपोर्ट में शामिल करने के लिए बिजनेस दायित्व रिपोर्ट तैयार की है। निगम की कारपोरेट सोशल दायित्व तथा सतत विकास गतिविधियों से संबंधित पर्यावरण, सामाजिक तथा गवर्नेंस मापदंडों के आकलन हेतु सेबी द्वारा सुझाए गए फ्रेमवर्क तथा सिद्धांतों का अनुसरण किया गया है। आपकी कंपनी की बिजनेस दायित्व रिपोर्ट संलग्न है तथा यह वार्षिक रिपोर्ट का अंग है।

सार्वजनिक जमा योजना

दिनांक 1 अप्रैल, 2014 को कोई भी सार्वजनिक जमा राशि बकाया नहीं थी तथा कंपनी ने 31 मार्च, 2015 को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान कोई भी सार्वजनिक जमा राशि आमंत्रित/स्वीकार नहीं की।

स्वतंत्र निदेशकों की घोषणा

स्वतंत्र निदेशकों ने निदेशक मंडल के समक्ष अपने प्रकटन प्रस्तुत किए हैं कि वे कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 149(6) में यथानिर्दिष्ट उन सभी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं जो कंपनी अधिनियम 2013 तथा संबंधित नियमों के प्रावधानों के अंतर्गत उन्हें स्वतंत्र निदेशक के पद पर नियुक्त होने के योग्य बनाते हैं।

वार्षिक रिटर्न

कम्पनीज (प्रबंधन तथा प्रशासन) नियम 2014 के नियम 12 के साथ पठित अनुच्छेद 92 के प्रावधानों के अनुरूप वार्षिक रिपोर्ट का सारांश निर्धारित फार्म–एमजीटी–9 में वर्णित है तथा यह संलग्न है।

सांविधिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

वर्ष 2014–15 के लिए सांविधिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के साथ–साथ सांविधिक लेखा परीक्षकों की टिप्पणियों के प्रति प्रबंधतंत्र के उत्तर संलग्न है।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां

दिनांक 31.03.2014 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143(6)(बी) के अंतर्गत कंपनी के लेखों के बारे में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएंडएजी) ने ''निल'' टिप्णियां की हैं। इस संबंध में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएण्डएजी) का दिनांक 22 जुलाई, 2015 का पत्र संलग्न हैं।

सचिविक लेखा परीक्षा

कम्पनीज (प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति तथा पारिश्रमिक) नियम 2014 के उप नियम 9 के साथ पठित कम्पनीज अधिनियम 2013 के अनुच्छेद 204 के प्रावधानों के अनुरूप 31 मार्च, 2015 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए निगम की सचिविक लेखा परीक्षा करने के लिए आपकी कंपनी ने मैसर्स ब्लैक एंड कंपनी पेशेवर कंपनी सचिव, नई दिल्ली को नियुक्त किया है। सचिविक लेखा परीक्षक के अवलोकन पर प्रबंधतंत्र के उत्तर के साथ सचिविक लेखा परीक्षा रिपोर्ट (फार्म एमआर–3 में) संलग्न है।

कंपनीज एक्ट, 2013 की धारा 186 के तहत ऋणों, गारंटियों अथवा निवेशों का विवरण

कंपनीज एक्ट, 2013 की धारा 186 के प्रावधानों के तहत कवर होने वाले ऋणों, गारंटियों तथा निवेशों का विवरण क्रमशः नोट 7.5, 6.2 तथा 19 में दिया गया है। ये नोट वित्तीय विवरणों का हिस्सा हैं।

संबंधित पार्टी लेन–देन

संबंधित पार्टी के साथ कंपनी द्वारा किए गए सभी लेन–देन सामान्य व्यापार की श्रेणी के थे तथा इनको अलग नहीं किया जा सकता। वर्ष 2014–15 के दौरान किए गए लेन–देन के लिए लेखा परीक्षा समिति ने बहुप्रयोजन के लिए अनुमोदन किया। उक्त संबंधित पार्टी लेन–देन के लिए डाक मतों (पोस्टल बैलट) द्वारा निदेशक मंडल एवं शेयरधारकों का अनुमोदन प्राप्त किया गया। एएस–18 के अधीन आवश्यक समुचित प्रकटनों को वित्तीय विवरणों की टिप्पणी संख्या 20 की उप–टिप्पणी 25 में दर्शाया गया है।

संलग्न प्रपत्र एओसी–2 में विवरणों के लेन–देन उपलब्ध करवाए गए हैं।

संबंधित पार्टी लेन–देन पर निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित नीति को निगम की निम्नलिखित वेबसाईट पर अपलोड किया गया है :

http://mmtclimited.gov.in/files/.pdf/95_party_policy.pdf

जोखिम प्रबंधन नीति

आपकी कंपनी द्वारा किए गए व्यापार से संबंधित विभिन्न जोखिमों का ध्यान रखने के लिए निदेशकों की लेखा परीक्षा समिति द्वारा यथा संस्तुत जोखिम प्रबंधन नीति का निदेशक मंडल ने अनुमोदन किया। निगम द्वारा अपनाए गए जोखिम प्रबंधन को संलग्न प्रबंधन परिचर्चा तथा विश्लेषण रिपोर्ट के अंग के रूप में उपलब्ध करवाया गया है।

ऊर्जा संरक्षण

आपकी कंपनी के माइका ग्रुप का वर्ष 2014–15 के दौरान किसी भी प्रकार का परिचालन कार्य नहीं हुआ। कंपनी अधिनियम, 2014 के नियम 8(3) के अनुसरण में ऊर्जा संरक्षण का विवरण इस रिपोर्ट में संलग्न है।

कर्मचारियों के विवरण

कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 217(2ए) के साथ पठनीय कंपनी (कर्मचारी विवरण) नियम, 1975 समय–समय पर यथासंशोधित के अनुसरण में ऐसा कोई कर्मचारी नहीं था जिसे वर्ष 2014–15 के दौरान वर्ष में 60 लाख रुपये से अधिक अथवा 5 लाख रुपये प्रतिमाह की राशि पारिश्रमिक के रूप में प्राप्त हुई है।

निदेशकों के दायित्वों का विवरण

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(5) के प्रावधानों के अनुसरण में आपके निदेशकों का कथन है कि : –

क) वार्षिक लेखों को तैयार करते समय मान्य लेखा मानकों का पालन किया गया है और सामग्री निर्गम से संबंधित उचित विवरण प्रस्तुत किये गये हैं।

ख) निदेशकों ने उन लेखा नीतियों का चयन किया तथा उन्हें निरंतर अपनाया और ऐसे निर्णय व आकलन किए जो वित्त वर्ष के लिए कंपनी के कार्यकलापों तथा दिनांक 31.03.2015 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के लाभ व हानि की सत्य व सही स्थिति दर्शाने के लिए उचित एवं विवेकपूर्ण हैं।

ग) इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा हेतु तथा धोखाधड़ी व अन्य अनियमितताएं रोकने तथा उनका पता लगाने के संबंध में लेखों का समुचित रिकार्ड रखने के लिए निदेशकों ने उचित एवं पर्याप्त ध्यान दिया।

घ) निदेशकों ने वार्षिक लेखों को आन गोईंग कंसर्न के आधार पर तैयार किया है।

ड़) आपकी कंपनी के निदेशकों ने कंपनी द्वारा अपनाए जाने के लिए आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों को विनिर्धारित किया है तथा उक्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रर्याप्त हैं तथा इनका प्रभावी रूप से अनुपालन किया जा रहा है।

च) सभी लागू नियमों के प्रावधानों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए निदेशकों द्वारा समुचित सिस्टम बनाया गया है जो पर्याप्त है तथा प्रभावी रूप से कार्य कर रहा है।

कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध, तथा सुधार) अधिनियम, 2013 के अंतर्गत प्रकटन

कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध, तथा सुधार) अधिनियम, 2013 के अनुरूप निगम में यौन

उत्पीड़न के विरूद्ध नीति बनाई गई है। यौन उत्पीड़न के संबंध में प्राप्त शिकायतों के समाधान के लिए आंतरिक शिकायत समिति (आईसीसी) बनाई गई है। सभी कर्मचारी (स्थायी, संविदात्मक, अस्थायी, प्रशिक्षु) इस नीति के अधीन हैं।

प्रत्येक कैलेंडर वर्ष के दौरान यौन उत्पीड़न, प्राप्त शिकायतें तथा इनके निपटान का संक्षिप्त विवरण निम्न लिखित है:

प्राप्त शिकायतों की संख्या : शून्य

निपटाई गई शिकायतों की संख्या : शून्य

निदेशक मंडल

दिनांक 1 अप्रैल 2014 से निदेशक मंडल में निम्नलिखित परिवर्तन हुए:

- श्रीमती अनीता अग्निहोत्री, एएसएंडएफए, वाणिज्य विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने दिनांक 16 जून, 2014 को एमएमटीसी के निदेशक मंडल से अंशकालिक निदेशक का पद छोड़ा।
- श्री भगवती प्रसाद पांडेय एएसएंडएफए, वाणिज्य विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने दिनांक 16 जून, 2014 को एमएमटीसी के निदेशक मंडल में श्रीमती अनीता अग्निहोत्री के स्थान पर अंशकालिक निदेशक का पदभार ग्रहण किया।
- श्री अनिल राजदान ने दिनांक 12 जुलाई, 2014 को अंशकालिक गैर सरकारी (स्वतंत्र) निदेशक का पद छोड़ा।
- श्री जी एस वेदी ने दिनांक 13 जुलाई, 2014 को अंशकालिक गैर सरकारी (स्वतंत्र) निदेशक का पद छोड़ा।
- श्री अरूण बालाकृष्णन ने दिनांक 15 जुलाई, 2014 को अंशकालिक गैर सरकारी (स्वतंत्र) निदेशक का पद छोड़ा।
- वाणिज्य विभाग, वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय में श्री डी एस ढेसी द्वारा अपर सचिव का पद त्यागने के परिणामस्वरूप दिनांक 30.12.2014 को एमएमटीसी के अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक का पद छोड़ने पर श्री वेद प्रकाश, निदेशक (विपणन) ने दिनांक 31.12.2014 को एमएमटीसी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त पदभार ग्रहण किया।
- श्री आर आर रश्मि, अपर सचिव, वाणिज्य विभाग ने दिनांक 24.02.2015 को श्री मधुसूदन प्रसाद, विशेष सचिव, वाणिज्य विभाग के स्थान पर एमएमटीसी के निदेशक मंडल के अंशकालिक निदेशक का पदभार ग्रहण किया।
- श्री वेद प्रकाश ने दिनांक 19.03.2015 को एमएमटीसी लिमिटेड के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का पदभार ग्रहण किया।
- श्री ए के भल्ला, अपर सचिव, वाणिज्य विभाग ने दिनांक 29.04.2015 से श्री आर आर रश्मि के स्थान पर एमएमटीसी लिमिटेड के निदेशक मंडल में अंशकालिक निदेशक का पदभार ग्रहण किया।
- श्री भगवती प्रसाद पाण्डेय, एएसएण्डएफए, वाणिज्य विभाग ने दिनांक 06.08.2015 को एमएमटीसी के निदेशक मण्डल से अंशकालिक निदेशक का पद छोड़ा।

- श्री जे के दादू, अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार ने श्री भगवती प्रसाद पाण्डेय के स्थान पर दिनांक 06.08.2015 से एमएमटीसी लिमिटेड के निदेशक मण्डल में अंशकालिक निदेशक का पदभार ग्रहण किया।

निदेशक मंडल श्रीमती अनीता अग्निहोत्री, श्री अनिल राजदान, श्री जी. एस. वेदी और श्री अरूण बालाकृष्णन, श्री मधुसूदन प्रसाद, श्री डी एस ढेसी, श्री आर आर रश्मि तथा श्री भगवती प्रसाद पाण्डेय द्वारा प्रदान की गई प्रशंसनीय सेवाओं और योगदान के लिए आभार प्रकट करता है। निदेशक मंडल श्री ए के भल्ला तथा श्री जे के दादू का स्वागत करता है और विश्वास व्यक्त करता है कि कंपनी इनके बहुमूल्य तथा विविध अनुभवों से लाभान्वित होगी।

निदेशकों की क्रमवार सेवानिवृत्ति से संबंधित कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अनुच्छेद 87(4)(ए) के प्रावधान के अनुसार श्री एम जी गुप्ता, निदेशक (वित्त) तथा श्री पी.के. जैन, निदेशक (विपणन) वार्षिक आम सभा में सेवानिवृत्त होंगे और पात्र होने के कारण उन्होंने पुनर्नियुक्ति हेतु प्रस्ताव किया है।

आभार

आपके निदेशकगण सभी स्टेकहोल्डर्स, शेयरहोल्डर्स, वाणिज्य विभाग, सभी सरकारी एजेंसियों, आरबीआई और अन्य बैंकों, रेलवे, कस्टम्स, पोर्ट, एनएमडीसी, ग्राहकों, आपूर्तिकारों और अन्य व्यवसायी भागीदारों के प्रति उनके द्वारा वर्ष के दौरान दिए गए सर्वोत्तम समर्थन एवं सहयोग के लिए आभार प्रकट करते हैं। आपके निदेशकगण कंपनी के सभी कर्मचारियों के प्रभावी एवं कठिन परिश्रम तथा कंपनी की प्रगति में उनके द्वारा दिए गए सतत् सहयोग की भी सराहना करते हैं।

निदेशक मंडल के आदेश से

हस्ता
(वेद प्रकाश)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

दिनांक 13.8.2015

प्रबंधन चर्चा तथा विश्लेषण रिपोर्ट 2014-15

वैश्विक व्यापार और घटनाक्रम पर एक नजर

वर्ष 2014–15 के दौरान वैश्विक अर्थव्यवस्था विकास पथ पर वापसी के लिए प्रयासरत है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में सामान्यतः मंदी का रूझान रहा है। मांग एवं मूल्य में बड़ी गिरावट के प्रति अतिसंवेदी होने के कारण प्रमुख व्यापारिक कंपनियों के कुल व्यापार में ही बड़ी गिरावट नहीं हुई है अपितु उनकी लाभप्रदत्ता में भी बड़ी कमी हुई है। इस वृहत् आर्थिक (मैक्रो–इकॉनिमिक) परिदृश्य ने व्यापार को काफी प्रभावित किया है। ट्रेड के निर्धारण हो जाने के पश्चात भी क्रेता मूल्यों में कमी के लिए मोल–भाव कर रहे हैं। संविदाओं पर हस्ताक्षर किए जाने तथा वित्तीय दस्तावेज प्राप्त हो जाने के बाद भी विक्रेताओं/आपूर्तिकारों पर संविदात्मक मूल्य से भी नीचे मूल्यों में कमी करने के लिए दबाव डाला जा रहा है।

वैश्विक अर्थव्यवस्था में उथल–पुथल से विशेषकर विकसित बाजारों में मंदी के कारण भारत की अधिकतर समस्याएं बढ़ी हैं। यद्यपि, यूनान के साथ भारत का व्यापार बहुत ही कम मात्रा में है, फिर भी, यूरोपीय संघ के देशों, जो अब तक के सबसे बुरे आर्थिक दौर से गुजर रहे हैं, का संकट दो मोर्चों पर देश के निर्यात को गंभीर रूप से प्रभावित कर रहा है। प्रथम यूरो जोन में संभावित बिखराव की शंका से यूरो के मूल्य में बड़ी गिरावट आई है। इसके कारण भारत के निर्यात राजस्व में लगभग 18 प्रतिशत अंशदान करने वाले यूरोपीय ग्राहकों के लिए भारतीय निर्यात अधिक महंगे हो गये हैं। दूसरे हाल ही के महीनों में अमरीकी डालर की तुलना में यूरो में 25 प्रतिशत के मूल्यह्रास से अमरीका में भारतीय निर्यातकों को प्राप्त हो रहा मूल्य लाभ भी छिन गया है।

यूरोपीय संघ के संकट के परिणामस्वरूप भारतीय माल के आयात की क्षेत्रीय क्षमता में न केवल कमी आई है अपितु संयुक्त राज्य अमरीका जैसे अन्य प्रमुख व्यापारिक देशों में यूरोपीय संघ के उत्पादन सस्ते हो गए हैं। इस प्रकार यूरोपीय संघ के क्षेत्रों से सस्ते निर्यात के कारण भारतीय निर्यात राजस्व में अन्य 18 प्रतिशत का योगदान करने वाले अमरीकी बाजार में भारतीय निर्यातकों की मूल्य प्रतिस्पर्धात्मकता में भी गिरावट आई है। हमारे प्रमुख व्यापारिक प्रतिभागियों की अधिकतर अर्थव्यवस्था मंदी के दौर में हैं।

वर्ष 2014–15 के दौरान भारत के घटनाक्रम पर एक नजर

वित्त वर्ष 2014 के 6.9 प्रतिशत की तुलना में वित्त वर्ष 2015 में भारत की अर्थव्यवस्था में 7.3 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई। कृषि, वानिकी एवं मछली पकड़ने, खनन एवं खदान, लोक प्रशासन, रक्षा तथा अन्य सेवाओं को छोड़कर वित्त वर्ष 2015 में अर्थव्यवस्था के लगभग सभी

क्षेत्रों में सुधार हुआ है। भारत एक उभरता बाजार होने के साथ–साथ तेजी से विश्व की उभरती अर्थव्यवस्था है।

चालू वित्त वर्ष में भारत की विकास दर 8 प्रतिशत तक बढ़ने के साथ–साथ कम समय में ही अर्थव्यवस्था का 3 ट्रिलियन अमरीकी डालर का स्तर पार करने की आशा है। भारत की अर्थव्यवस्था, जो लगभग 2 ट्रिलियन अमरीकी डालर की है, ने वर्ष 2014–15 में 7.3% की विकास दर रिकार्ड की है। वर्तमान समय में एशिया में चीन तथा जापान के बाद भारत तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है।

वर्ष 2014–15 के दौरान देश से निर्यात किए गए माल का संचित मूल्य 310.5 बिलियन अमरीकी डालर (18,97,026 करोड़ रूपए) था जो वर्ष 2013–14 के 314.4 बिलियन अमरीकी डालर (19,05,011 करोड़ रूपए) की तुलना में 1.23 प्रतिशत कम था।

एमएमटीसी 2014–15 का सिंहावलोकन

वित्तीय समीक्षा

आपकी कंपनी ने गत वर्ष के 250,744.94 मिलियन रुपये के कुल व्यापार की तुलना में वर्ष 2014–15 में 182,415.04 मिलियन रुपये का व्यापार किया। इस कुल व्यापार में 23007.00 मिलियन रुपये के निर्यात, 145301.5 मिलियन रुपये के आयात तथा 14065.9 मिलियन रुपये का घरेलू व्यापार शामिल है। अन्य व्यापार संबंधित अर्जन का योगदान 427.78 मिलियन रुपये का है। आपकी कंपनी ने वर्ष 2013–14 के 3,455.79 मिलियन रुपये की तुलना में इस वर्ष 2079.12 मिलियन रुपये का व्यापारिक लाभ अर्जित किया है। कंपनी का सामान्य गतिविधियों से अर्जित कर पूर्व लाभ वर्ष 2013–14 के 144.58 मिलियन रूपये की तुलना मे इस वर्ष 598.68 मिलियन रुपये रहा। कंपनी ने पिछले वर्ष के 186.42 मिलियन रुपये के निवल लाभ की तुलना में आलोच्य वर्ष में 479.10 मिलियन रुपये का शुद्ध लाभ दर्ज किया है। अतः उपरोक्त असाधारण गतिविधि के उपरांत वित्त वर्ष 2014–15 के लिए प्रत्येक 1/– रुपये अंकित मूल्य के शेयर पर लाभ दिनांक 31.3.2015 को 0.48 रुपये आता है। कंपनी के वित्तीय संसाधनों के प्रबंधन से 827.65 मिलियन रुपये का सकल ब्याज अर्जन हुआ। वर्ष 2014–15 के दौरान कंपनी की कारपोरेट टैक्स देयता 154.00 मिलियन रुपये थी। एमएमटीसी निरंतर जीरो दीर्घावधि ऋण वाली कंपनी बनी हुई है।

निधियों के स्रोत तथा इनका उपयोग

दिनांक 31 मार्च 2015 को कंपनी की निधियों के स्रोत में 13591.95 मिलियन रूपये का शेयरहोल्डर्स फंड जिसमें 1000 मिलयन रूपये की इक्विटी शेयर पूंजी तथा नॉन करंट एवं करंट देयताएं क्रमश 2035.87 मिलियन रूपये तथा 43881.17 मिलियन रूपये शामिल हैं। इन निधियों का उपयोग अन्य के साथ–साथ दिनांक 31 मार्च 2015 को 8262.75 मिलियन रूपये नॉन करंट परिसंपत्तियों तथा 51246.24 मिलियन रूपये करंट परिसंपत्तियों में किया गया है।

आंतरिक नियंत्रण प्रक्रिया

एमएमटीसी में दैनिक मामलों का प्रबंधन विभिन्न प्रबंधकीय स्तरों पर सुपरिभाषित शक्तियों के प्रत्यायोजन के अनुसार किया जाता है। निदेशक मंडल द्वारा गठित संबंधित निदेशक समितियों जिनका विवरण संलग्न कारपोरेट गवर्नेंस की रिपोर्ट में दिया गया है, द्वारा प्रमुख मामलों पर सतर्कतापूर्ण निर्णय लेने के लिए विचार विमर्श किया जाता है।

एमएमटीसी की एक सुव्यवस्थित आंतरिक लेखा परीक्षा प्रणाली तथा प्रक्रिया है जो इसकी विभिन्न गतिविधियों के अनुरूप है। निगम का एक प्रभावी आंतरिक लेखा परीक्षा प्रभाग है जो पूरे वर्ष लेखा परीक्षा के लिए बाहरी लेखा परीक्षा करने वाली फर्मों के साथ मिलकर काम करता है। बुलियन लेन देन की समवर्ती लेखा परीक्षा, पूर्व वर्षों के बुलियन लेन देन हेतु विशेष लेखा परीक्षा आदि द्वारा आंतरिक लेखा परीक्षा को और अधिक सशक्त बनाने के लिए वर्ष के दौरान अनेक पहल की गईं। आंतरिक नियंत्रण को और सशक्त बनाने के लिए वर्ष के दौरान अनेक पहल आरंभ की गईं। आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों व्यापारिक प्रस्तावों पर जोखिम निर्धारण तथा विभिन्न व्यापार करने के लिए सिस्ट्रेमेटिक एसओपी का ध्यान रखने के लिए सुपरिभाषित आंतरिक नियंत्रण संहिता (मैन्युअल), कारपोरेट जोखिम प्रबंधन नीति तथा एमएमटीसी के निदेशक मण्डल द्वारा अनुमोदित विभिन्न व्यापारों के लिए व्यापार व आंतरिक नियंत्रण संहिता (मैन्युअल) बनाये गये हैं।

वित्तीय रिपोर्टों पर कंपनी के सांविधिक लेखा परीक्षकों तथा आंतरिक लेखा परीक्षकों की चिंताओं एवं टिप्पणियों की जानकारी प्राप्त करने के लिए निदेशकों की लेखा परीक्षा समिति उनके साथ नियमित रूप से बैठकें करती है। प्रबंधन द्वारा लेखा परीक्षा समिति के आदेशों का गंभीरता से कार्यान्वयन किया जाता है।

सहायक कंपनी

अक्टूबर 1994 में निगमित एमएमटीसी ट्रांसनेशनल पीटीई लिमिटेड, सिंगापुर (एमटीपीएल) आपकी कंपनी के पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी है जो कमोडिटी ट्रेडिंग करती है तथा इसने स्वयं को सिंगापुर की एक विश्वसनीय तथा प्रतिष्ठित कंपनी के रूप में स्थापित किया है तथापि,

एमटीपीएल ने गत वर्ष के 369.46 मिलियन अमरीकी डालर के कुल व्यापार की तुलना में वर्ष 2014–15 के दौरान 248.02 मिलियन रूपये अमरीकी डालर का कुल व्यापार किया है। वर्ष 2014–15 के दौरान एमटीपीएल द्वारा अर्जित कर पश्चात लाभ 0.13 मिलियन अमरीकी डालर था। एमटीपीएल की नेटवर्थ दिनांक 31.03.2014 को 15.51 मिलियन अमरीकी डालर की तुलना में दिनांक 31 मार्च, 2015 को 15.64 मिलियन अमरीकी डालर थी।

सिंगापुर सरकार की संस्था इंटरनेशनल एंटरप्राईज द्वारा एमटीपीएल को वर्ष 2010 से 2013 तक प्रतिष्ठित अवार्ड "ग्लोबल ट्रेडर प्रोग्राम (जीटीपी)" प्रदान किया गया।

वर्ष 2014–15 के लिए समूहवार बिजनेस समीक्षा

खनिज

आपकी कंपनी के खनिज समूह ने वर्ष 2014–15 के दौरान 16207.74 मिलियन रूपये के कुल व्यापार का योगदान किया है जिसमें 14422.0 मिलियन रूपये के निर्यात 257.04 मिलियन रूपये के आयात तथा 1528.7 मिलियन रूपये का घरेलू व्यापार शामिल है। इस समूह द्वारा किए गए निर्यात में 14,013.44 मिलियन रूपये मूल्य के लौह अयस्क, 341.35 मिलियन रूपये के क्रोम अयस्क/कंसंट्रेट तथा 67.20 मिलियन रूपये के मैगनीज अयस्क शामिल हैं। इस समूह के आयात में मैगनीज अयस्क का 257.04 मिलियन रूपये का आयात शामिल है।

लौह अयस्क के खनन तथा बेलारी हास्पेट सैक्टर से निर्यात पर प्रतिबंध, पूर्वी क्षेत्र से निर्यात के विनियमन निर्यात के लिए रेल भाड़े में वृद्धि जो अयस्क के घरेलू संचालन से वर्तमान में लगभग तीन गुना अधिक है, अयस्क की घरेलू मांग में वृद्धि तथा उच्चतर निर्यात ड्यूटी आदि जैसे घटनाक्रम ने आस्ट्रेलिया एवं ब्राजील जैसे अन्य अंतर्राष्ट्रीय आपूर्तिकर्त्ताओं की तुलना में वर्ष 2014–15 के दौरान भारतीय लौह अयस्क के निर्यात को प्रभावित किया है। इसके बावजूद राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कड़ी प्रतिस्पर्धा होते हुए भी आपकी कंपनी ने समीक्षाधीन वर्ष के दौरान खनिजों के प्रमुख निर्यातक का दर्जा बनाए रखा।

घरेलू इस्पात उत्पादन की क्षमता में वृद्धि के कारण भी निर्यात के लिये क्रोम अयस्क, क्रोम कंसंट्रेट्स तथा मैगनीज अयस्क की उपलब्धता में कमी आई है। क्रोम अयस्क तथा क्रोम कंसट्रेट्स का 30 प्रतिशत की एड वैलोरेम निर्यात ड्यूटी आरंभ करने के कारण वर्ष 2014–15 के दौरान इन मदों के निर्यात में और कमी आई है। इसके अतिरिक्त लौह अयस्क के कम अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों के कारण भी निर्यात में कमी आई है।

बहुमूल्य धातुएं, रत्न व आभूषण

भारतीय बुलियन व्यापार में आपकी कंपनी की स्थिति बाजार में अग्रणी है जो देश भर में फैले अपने विभिन्न केन्द्रों से कार्यकलाप में संलग्न है इसके साथ–साथ अपने स्थायी संबंध बनाए रखते हुए यह टिकाऊ उत्पाद सेवाएं देती है। बुलियन के मूल्यों के साथ–साथ अमरीकी डालर की भारतीय रूपये में विनिमय दरों में तीव्र उतार चढ़ावों के बावजूद वर्ष 2014–15 के दौरान आपकी कंपनी के बहुमूल्य धातु समूह का कुल व्यापार 51428.8 मिलियन रूपये का हुआ। समूह ने यह कारोबार अपने कार्यकलापों में विविधीकरण लाकर प्राप्त किया जिसमें 43342.5 मिलियन रूपये सोने तथा चांदी का आयात शामिल है। सरकारी प्रतिबंधों के बावजूद भी वर्ष 2014–15 के दौरान प्रभाग ने 1967.14 मिलियन रूपए का खुदरा बिजनेस टर्नओवर प्राप्त किया है। परिवीक्षाधीन वर्ष के दौरान एमएमटीसी ने रूस से कच्चे हीरों के आयात द्वारा हीरों के व्यापार पर पुनः अपना ध्यान केंद्रित किया है।

आपकी कंपनी का बहुमूल्य धातु समूह ग्राहक सेवा में निरंतर सुधार के लिए प्रयासरत है तथा वर्ष 2014–15 के दौरान भारत के स्वर्ण व्यापार में इसकी हिस्सेदारी 2 प्रतिशत है। बहुमूल्य धातु समूह आभूषण, मेडालियन तथा सिल्वरवेयर जैसे मूल्य संवर्धित उत्पादों की बिक्री में सुधार करने पर विशेष ध्यान दे रहा है।

कंपनी के संयुक्त उद्यम एमपीआईपीएल ने वर्ष 2012 में वाणिज्यिक उत्पादन आरंभ किया तथा वर्ष 2014–15 के दौरान 22,187 करोड़ रूपये का कुल व्यापार करने के साथ–साथ 1120 मिलियन रूपये का लाभ अर्जित किया। वर्ष 2014–15 के लिए इस संयुक्त उद्यम कंपनी ने 70 प्रतिशत का लाभांश घोषित किया है। मई 2014 में एमएमटीसी–पैम्प स्वर्ण तथा चाँदी के परिशोधन के लिए भारत का प्रथम एलबीएमए द्वारा मान्यता प्राप्त परिशोधक बना है। वर्ष 2014–15 के दौरान एमएमटीसी ने घरेलू बाजार में एमपीआईपीएल द्वारा उत्पादित स्वर्ण की छड़ों की बिक्री करते हुए 6120.7 मिलियन रूपए का कुल व्यापार किया है।

सरकार की नीति, बिक्री कर तथा डी वैट मामले, बाजार में

स्वर्ण की कमी, जीएसटी पर स्पष्टता का अभाव आदि हमारे लक्ष्य की प्राप्ति के अंतर्निहित कारक हैं। नवम्बर 2014 के अंत तक स्वर्ण आयात प्रतिबंधों को अकस्मात एवं अप्रत्याशित रूप से हटा देने पर भारतीय स्वर्ण बुलियन ग्राहकों (छोटे, मध्यम एवं बड़े ग्राहकों) की संख्या बढ़ाना, ग्राहकों के एक वर्ष के लिए एमओयू हस्ताक्षरित करना तथा उन ग्राहकों को जिनके साथ एमओयू किया गया है व्यहवहार में प्राथमिकता देना, प्रमुख बुलियन केन्द्रों पर ग्राहकों के साथ बैठकें आयोजित करना आदि शामिल हैं। बाजार में हिस्सेदारी को समेकित करने के लिए कई स्तरों पर प्रमुख बुलियन ग्राहकों को बनाए रखने के लिए कस्टमर डिलाईट पर केंद्रित रहना निगम की योजना है। वर्ष के दौरान आपकी कंपनी के बहुमूल्य धातु प्रभाग द्वारा पीएएन इंडिया आधार पर एमपीआईपीएल के 26 प्रतिशत उत्पादों के विपणन की योजना है।

एनसीआर में बहुत बड़ी प्रदर्शनी ''स्वर्णोत्सव'' को पुनः आरंभ करने तथा भारत में खुदरा ग्राहकों की सोच में "विश्वास, शुद्धता तथा गुणवत्ता'' के नारे के साथ पीएएन भारत स्तर पर खुदरा आभूषण उद्योग में एमएमटीसी ब्राण्ड बनाने के लिए समूह की खुदरा नीति बनाने की योजना भी है। सांची सिल्वरवेयर तथा स्वर्ण/चांदी मेडालियन के लिए कारपोरेट आर्डर पर भी बल दिया जा रहा है। सर्वोत्तम एवं फीडबैक द्वारा संपूर्ण भारत स्तर पर नई चिह्नित मदों के साथ नए सांची सिल्वरवेयर को पुनः प्रस्तुत करने की भी योजना है।

अर्थव्यस्था में सकारात्मक व्यापारिक रूझान के साथ चालू वर्ष में खुदरा आभूषणों में उछाल बढ़ सकता है। विशेषतः विवाह तथा त्यौहारों के दौरान स्वर्ण के प्रति मजबूत सांस्कृतिक संबंध तथा बढ़ते शहरीकरण के शक्तिशाली संयोजन के साथ–साथ आयात प्रतिबंधों को हटाया जाना भारत में स्वर्ण की मांग के लिए अच्छा शकुन है। विगत वर्ष की तुलना में निम्नतर स्वर्ण मूल्य पर स्वर्ण उत्पादकों के संतुष्ट होने तथा लागत दबाव से जूझने के कारण हाल के वर्षों में नई खनन परियोजनाओं में निवेश न करने से आपूर्ति स्थिर रहने की आशा है। अनेक औद्योगिक उपयोगों एवं अनुप्रयोगों में आभूषणों में चाँदी की आकर्षक सैटिंग के नए विचारों एवं भारत की जनसांख्यिकीय प्रोफाइल तथा ग्राहकों की उपलब्ध् प्रयोज्य आय के रूप में चाँदी के सिक्कों के नए डिजाईनों के कारण चाँदी का भविष्य उज्जवल दिखता है। बुलियन के क्षेत्र में निगम को मूल्य संवर्धित उत्पाद एवं सेवाओं की बिक्री की पहल करनी होगी।

भारत विश्व में हीरा प्रसंस्करण के लिए एक सबसे बड़े केंद्र के रूप में उभरकर आया है। विश्व में अपने प्रतिस्पर्धी स्थान को बनाए रखने के लिए और एसएमई को बल प्रदान करने के लिए कच्चे हीरों तक पहुंच बनाना नितांत आवश्यक है। भारत में हीरा प्रसंस्करण उद्योग की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एमएमटीसी प्रमुख आयातक बनने के लिए इस अवसर को प्रभावी बना सकता है। वैश्विक आर्थिक चिंताओं के कारण स्वर्ण तथा चाँदी के मूल्यों में निरंतर उतार–चढ़ाव रहा।

धातुएं तथा औद्योगिक कच्चा माल

वर्ष 2014–15 के दौरान एमएमटीसी के कुल व्यापार में धातु समूह का 9611.78 मिलियन रूपये का योगदान रहा। इस समूह के योगदान में एनआईएनएल एमएमटीसी द्वारा प्रोन्नत लौह व इस्पात संयंत्र द्वारा उत्पादित 6291.14 मिलियन रूपये के पिग आयरन का निर्यात, 1511.7 मिलियन रूपये की अलौह धातुओं एवं 49.5 मिलियन रूपये के औद्योगिक कच्चे माल का आयात तथा पिग आयरन, बिलेट्स तथा अन्य सहित 1759.42 मिलियन रूपये की घरेलू बिक्री शामिल है।

प्राइमरी जिंक इनगाट्स की आपूर्ति के लिए आपकी कंपनी के धातु समूह को एलएंडटी एवं आर्डिनेंस फैक्टरी से क्रमशः लगभग 62 करोड़ तथा 58 करोड़ रूपये के आर्डर प्राप्त हुए हैं। घरेलू विनिर्माताओं द्वारा अल्यूमिनियम, तांबा, सीसा, जिंक तथा एंटीमनी के उत्पादन में वृद्धि से आयातित एनएफएम का बाजार सिकुड़ा है। निम्नतर लागत के कारण अधिकांश ग्राहकों ने गौण/पुनचक्रित धातुओं को अपनाया है। भारत में अपने कार्यकलापों का विस्तार करने वाले विदेशी ट्रेडर्स (पुराने तथा नए दोनों) से एमएमटीसी कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना कर रही है। तृतीय तिमाही में आधारभूत अलौह धातुओं तथा गौण धातुओं के एलएमई मूल्यों में अकस्मात गिरावट द्वारा वार्षिक कुल व्यापार सीधे तौर पर प्रभावित हुआ है।

चीन तथा यूरोप में धीमे विकास, रूस में मंदी की

परिस्थितियों तथा ब्राजील एवं भारत में आर्थिक रिकवरी के प्रति चिंताओं के कारण दिसंबर 2014 तथा जनवरी 2015 के दौरान धातुओं के मूल्य अचानक ही गिर गए। अधिकतर धातुएं वर्ष 2014 तथा वर्ष 2013 के अपने अधिकतम मूल्यों से अब बड़ी छूट पर ट्रेड कर रही हैं। निकल तथा टिन के मूल्य विगत 12 महीनों में लगभग

क्रमशः 57 प्रतिशत तथा 37 प्रतिशत तक कम हो गए हैं। इसी अवधि में सीसे, तांबे, अल्युमिनियम तथा एंटीमनी के मूल्यों में भी 15–25 प्रतिशत तक की कमी हुई है।

मांग में कमी तथा कच्चे माल एव उर्जा की लागत में वृद्धि के कारण इस्पात उद्योग के साथ–साथ एमएमटीसी का समग्र लाभ मार्जिन कम हो गया है। निम्नतर अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों के परिणामस्वरूप निम्नतर निर्यात वसूली हुई जिनसे एमएमटीसी की लाभप्रदत्ता का मार्जिन और प्रभावित हुआ।

क्योंकि आपकी कंपनी का एनएफएम प्रभाग आयात करता है इसलिए घरेलू उद्योग का विकास हमारे उत्पादों की मांग को सीधे ही प्रभावित करता है। हमारे ग्राहक फैब्रिकेटेड धातुओं, मशीनरी तथा उपस्कर एवं आटोमोटिव क्षेत्र में हैं। अन्य एशियन बंदरगाहों के प्रीमियम स्तर भारतीय बंदरगाहों के प्रीमियम स्तरों को प्रभावित करते हैं। विदेशी बंदरगाहों पर प्रीमियम दरों में वृद्धि तथा स्थानीय उत्पादकों द्वारा मात्रा में छूट एमएमटीसी के लिए अलाभकारी है।

अलोह धातुओं के उपभोक्ता फैबरिकेटिड मेटल्स, मशीनरी तथा उपकरण तथा रक्षा तथा ओटोमैटिव सेक्टर्स हैं। भारत सरकार के ''मेक इन इंडिया'' कार्यक्रम से इन क्षेत्रों में उत्पादन बढ़ेगा जिससे अलौह धातुओं की मांग में बढ़ोतरी होगी।

आपकी कंपनी का अलौह धातु प्रभाग एशियाई देशों के साथ विभिन्न फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स के तहत अल्युमीनियम अलायज तथा जिंक अलायज जैसे धातु अलायज के व्यापार के लिए संभावनाएं तलाश रहा है। विदेशी सप्लायर के सहयोग से एमएमटीसी के गोदामों से अलौह धातुओं की बिक्री की संभावनाओं की भी तलाश की जा रही है। इस व्यवस्था से हम समय पर माल की डिलीवरी कर पाएंगे तथा हम अपने वर्तमान ग्राहकों को डाइनामिक प्राइसिंग का विकल्प दे सकेंगे जिससे हमें घरेलू उत्पादकों से प्रतिस्पर्धा करने में मदद मिलेगी।

वित्तीय वर्ष 2015–16 में अलौह धातुओं के देशी उत्पादकों से कड़ी स्पर्धा मिलने की उम्मीद है क्योंकि वे मात्रा के आधार पर डिस्काउंट देते हैं तथा डिलीवरी भी समय पर देते हैं। अपने वर्तमान ग्राहकों को डाइनामिक प्र

इसिंग आफ्शंस देने से हमें देशी उत्पादकों से स्पर्धा करने में मदद मिलेगी। प्रतिस्पर्धा के अन्य जो स्रोत हैं उनमें शामिल हैं सकेंडरी मेटल के उत्पादक तथा माइनर मेटल रिफाइनिंग सेग्मेंट के नए व्यवसायी।

आपकी कंपनी का स्टील ग्रुप टाटा स्टील, वीसा स्टील तथा लघु/मध्यम श्रेणी की अन्य स्टील यूनिट्स के साथ लंबी अवधि की व्यवस्था कर बिलट्स की बिक्री की संभावनाएं तलाश रहा है। इस प्रकार की व्यवस्था छोटी

तथा लंबी अवधि के कांट्रेक्ट अथवा एमओयू रूट के माध्यम से की जाएगी। इसके अलावा बंगलादेश, श्रीलंका, सिंगापुर/मलेशिया, नेपाल तथा केन्या को बिलट्स का निर्यात करने की संभावनाएं तलाशी जा रही हैं। एनआईएनएल प्लांट में उत्पादित होने वाली बिलट्स भारत में विभिन्न स्थानों पर स्थित लघु तथा मध्यम श्रेणी उद्यमों की विशिष्ट मांगों की पूर्ति हो सकेगी। इस प्रकार के कदमों से एमएमटीसी के व्यवसाय में वृद्धि होगी।

कृषि उत्पाद

वर्ष 2014–15 के दौरान आपकी कंपनी के कृषि उत्पाद समूह ने 2997.4 मिलियन रूपए का कुल व्यापार किया जिसमें 2293.92 मिलियन रूपए के निर्यात तथा 703.47 मिलियन रूपए के आयात शामिल हैं।

भारत सरकार द्वारा केन्द्रीय पूल से गेहूं का निर्यात रोक दिया गया है जिससे व्यापारिक अवसरों को हानि हुई है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गेहूं के मूल्य तेजी से कम हुए हैं तथा एमएसपी प्रचालनों एवं घरेलू मांग के कारण उच्चतर स्तर पर घरेलू मूल्य अपरिवर्तित रहने से भारतीय गेहूं का निर्यात अव्यवहारिक हो गया। राज्य के विभाजन तथा बैक–टू–बैक आधार पर दालों, चीनी, खाद्य तेल आदि का आयात तथा कार्गो के हाईपोथिकेशन के साथ पार–सागरीय आधार पर बिक्री रोक देने के कारण आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा खाद्य तेलों का आयात बंद कर दिया गया है जिसके परिणामस्वरूप कंपनी के कृषि उत्पाद प्रभाग का निष्पादन कम रहा है।

चीन, यूरोपीय संघ तथा अन्य देशों में आर्थिक मंदी के कारण कमोडिटी बाजार बुरी तरह प्रभावित हुआ है। कृषि मदों के लिए अंतर्राष्ट्रीय बाजार को अभी उबरना है तथा गेहूं, चावल, खाद्य तेल आदि जैसी प्रमुख मदों को भी अभी मंदी के रूझान से उबरना है, इस तथ्य पर विचार करते हुए कहा जा सकता है कि वर्ष 2015–16 के लिए कृषि मदों के लिए अवसर उत्साहजनक नहीं है। तथापि मूल्य संवर्धन तथा मूल्य संवर्धित उत्पादों के बढ़ते घरेलू बाजार की बड़ी संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए आपकी कंपनी द्वारा खाद्य तेल/दालों में मूल्य वर्धित उत्पादों का विकास करने पर विचार किया जा रहा है। निगम द्वारा उचित

संयुक्त उपक्रम साझीदार के साथ कृषि उत्पाद प्रसंस्करण इकाई स्थापित करने के लिए भी गंभीरता से विचार किया जा रहा है।

उर्वरक तथा रसायन

वित्त वर्ष 2014–15 के दौरान उर्वरक एवं रसायन समूह ने 80818.78 मिलियन रूपये का कुल कारोबार किया है। यूरिया, एमओपी, गंधक, तकनीकी ग्रेड का यूरिया, काम्पलेक्स उर्वरक और अमोनियम सल्फेट के व्यापार द्वारा कुल व्यापार किया गया तथा उत्पाद वर्ग (पोर्टफोलियो) में नए उत्पाद आरएलएनजी को भी शामिल किया गया है। बाजार को समझने के लिए छोटे स्तर पर तैयार उर्वरकों का घरेलू वितरण शुरू किया गया है।

वर्ष के दौरान भारत सरकार की ओर से लगभग 76313.1 मिलियन रूपये मूल्य के यूरिया का आयात किया गया। जहां एमओपी के आयात में 1757 मिलियन रूपए का योगदान था वहीं गंधक का आयात 230.91 मिलियन रूपए का था। औद्योगिक प्रयोग के लिए 1660 मिलियन रूपए के तकनीकी ग्रेड के यूरिया का आयात करके एमएमटीसी द्वारा लघु उद्योगों की सहायता के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं।

समूह की उत्पाद शृंखला में आरएलएनजी (री–गैसीफाईड लिक्विफाइड नेचुरल गैस) नया उत्पाद शामिल किया गया है। परिवीक्षाधीन अवधि के दौरान कुल

संविदाओं से 851.62 मिलियन रूपए का कुल कारोबार प्राप्त किया गया है।

भारत द्वारा उर्वरकों के आयात पर बल दिया जाता है। उर्वरकों का घरेलू उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं। देश के विभिन्न उर्वरकों का उत्पादन अमोनिया, रॉक–फास्फेट, फास्फोरिक एसिड, गैस आदि जैसे अनेक कच्चे माल की लागत एवं उपलब्धता पर आधारित है।

भारत में एमओपी की आवश्यकता की पूर्ति विदेश से आयात करके की जाती है। तथापि, कृषि क्षेत्र निरंतर मानसून तथा उर्वरकों के लिए आयात के सरकारी नीति पर आधारित रहता है। हॉल ही के वर्षों में भारत का उर्वरक उद्योग कठिन दौर से गुजर रहा है। घरेलू रूप से एमओपी तथा उपलब्ध अनुदान की तुलना में विभिन्न उर्वरकों के आयात मूल्य बहुत अधिक रहने से बड़े अंतर को देखते हुए परिवीक्षाधीन वर्ष उर्वरक उद्योग के लिए कठिन समय रहा है। इस अंतर के परिणामस्वरूप यूरिया के अतिरिक्त सभी उर्वरकों के मामले में मांग में काफी कमी आई।

उर्वरकों के घरेलू उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों के बावजूद भी भारत उर्वरकों के आयात पर निर्भर है।

वैश्विक मोर्चे पर आपूर्ति की ओर से उर्वरक उद्योग स्थिर दिखता है। भारतीय उर्वरक उद्योग सरकारी अनुदान तथा आयात वितरण एवं बिक्री के लिए समय–समय पर जारी दिशानिर्देशों पर आधारित है। केवल यूरिया ही आयात के लिए सारणीबद्ध (कैनेलाइज्ड) उत्पाद है जबकि अन्य सभी उर्वरक ओजीएल के अंतर्गत हैं। पोषक तत्व आधारित अनुदान योजना आरंभ किए जाने से अनुदान को स्थिर रखने के साथ–साथ बाजार की परिस्थितियों के आधार पर एमआरपी को परिवर्तनशील बनाया गया है। इसका उद्देश्य किसानों को उर्वरक खरीदने में समर्थ बनाना, भूमि में सभी उर्वरकों के अधिकतम पोषक तत्वों को मिलाना ताकि भूमि अधिक उपजाऊ बने तथा सरकार की अनुदान राशि में कमी करना है।

वर्ष 2015–16 के लिए भारत की संभावनाएं मानसून तथा सरकारी नीति पर निर्भर करेंगी। यद्यपि वैश्विक अर्थव्यवस्था निरंतर चुनौतियों का सामना कर रही है फिर भी ऐसा प्रतीत होता है कि यह रिकवरी पथ पर है। भारत सहित विश्वभर के देशों में खाद्यों की महंगाई देखी जा रही है। इसलिए विशेषकर विकसित देशों का ध्यान कृषि में उत्पादकता बढ़ाने पर होगा। तथापि, यूरिया, डीएपी तथा एमओपी की आपूर्ति के लिए नए आपूर्तिकारों के शामिल होने से सभी प्रमुख उर्वरकों की वैश्विक आपूर्ति स्थिति सुविधाजनक रहने की आशा है।

वर्तमान उत्पाद वर्ग में व्यापार की मात्रा को बढ़ाने तथा ट्रेडिंग के लिए नए उर्वरक उत्पादों की गंभीरता से खोज करने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। वर्ष 2015–16 के लिए लक्ष्य की प्राप्ति के लिए बनाई योजना में वर्तमान ग्राहकों को बनाए रखकर तथा नए ग्राहकों को जोड़ना, सरकारी खाते से यूरिया के अधिक आयात की संभावनाओं को खोजना, ग्राहक आधार बढ़ाकर टेक्नीकल ग्रेड यूरिया का आयात बढ़ाना, ट्रेड वाल्यूम में वृद्धि के लिए एनपीके पर ध्यान केंद्रित करना, एमएमटीसी के लिए आरएलएनजी को एक नियमित उत्पाद के रूप में विकसित करना, उर्वरक विनिर्माण के लिए कच्चे माल के आयात हेतु व्यापारिक अवसरों को खोजना तथा उर्वरकों के घरेलू वितरण में व्यापारिक अवसर तलाशना आदि शामिल हैं।

कोयला एवं हाईड्रोकार्बन

आपकी कम्पनी द्वारा किए गए कुल व्यापार में कोयला एवं हाईड्रोकार्बन प्रभाग ने 21229.98 मिलियन रुपए का योगदान किया है जिसमें 14614.4 मिलियन रुपए के स्टीम कोल तथा 4862.0 मिलियन रुपए के कोकिंग कोल का आयात शामिल है। कोल एवं हाईड्रोकार्बन समूह द्वारा किए गए 1753.6 मिलियन रुपए के कुल घरेलू व्यापार में कोकिंग कोल के 901.7 मिलियन रुपए, स्टीम कोल के 690.5 मिलियन रुपए, क्रूड टॉर के 119.0 मिलियन रुपए, 39.4 मिलियन रुपए के हाई कोकिंग कोल तथा पैट्रोलियम कोक के 2.9 मिलियन रुपए शामिल हैं।

बढ़ती ऊर्जा मांग के कारण अगले 3–4 वर्षों में आयातित स्टीम कोल की भारत में मांग जारी रहेगी। साथ ही, बंदरगाह क्षमता, पोत क्षमता आदि हमारी समस्याएं हैं। इन समस्याओं से निपटने के प्रयास किए जा रहे हैं। भारत विश्व में ऊर्जा का पांचवा सबसे बड़ा उपभोक्ता है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में आर्थिक मंदी के कारण कोयले की मांग में कमी आई है। विगत दो वर्षों से कोयले के निर्यातक देशों में उच्चता उत्पादन तथा निम्नतम माल लिए जाने के परिणामस्वरूप अंतर्राष्ट्रीय कोयले के मूल्य में कमी हो रही है। इसके अतिरिक्त, क्रूड आयल तथा वैकल्पिक ईंधन के मूल्यों में निरंतर गिरावट के कारण कोयले का भविष्य मंदी ग्रस्त है।

आपकी कम्पनी का कोल एवं हाईड्रोकार्बन समूह ऊर्जा क्षेत्र में 65–70 प्रतिशत स्टीम कोल की खपत करने वाले संभावित ग्राहकों के साथ सम्पर्क बनाएगा तथा स्पोंज आयात इकाईयों, सीमेंट संयंत्रों तथा उर्वरक संयंत्रों के साथ–साथ सीमेंट क्षेत्र, जो स्टीम कोल का लगभग 25–30 प्रतिशत उपयोग करता है, पर ध्यान केन्द्रित करेगा।

माइका

जैसा कि गत वर्षों की रिपोर्टों में पहले सूचित किया जा चुका है, विश्व स्तर पर परिवर्तित बाजार आवश्यकता तथा माइका प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी में हुए तकनीकी विकास के कारण माइका प्रभाग का कार्यकलाप वर्ष 2002–03 से बंद है। माइका प्रभाग के अभ्रक नगर, जिला कोडरमा, झारखंड में स्थित अप्रचलित प्लांट व मशीनरी को निपटाने हेतु उपाय किये जा रहे हैं।

अन्य

कंपनी के कुल व्यापार में अन्य उत्पादों का योगदान 79.9 मिलियन रुपये का है जिसमें कर्नाटक में मार्च 2007 में स्थापित किए गए 15 मैगावाट के विंड पावर फार्म में उत्पादित ऊर्जा की बिक्री से किए गए 79.9 मिलियन रुपये का घरेलू व्यापार शामिल है।

उपरोक्त वर्णित उत्पादों के अतिरिक्त, विभिन्न उत्पादों में एमएसएमई क्षेत्र को साथ लेकर कुछ व्यापारिक टर्नओवर प्राप्त करने के लिए आपकी कम्पनी के सामान्य व्यापार समूह द्वारा नए बाजारों तथा नए उत्पादों की खोज की जा रही है।

नई पहल

अपने व्यापार पोर्टफोलियों को बढ़ाने की दिशा में दो नए प्रभागों को बनाने का निर्णय किया गया है। यह इंजिनियरिंग उत्पाद तथा दवाएं, परिस्कृत रसायन एवं भेषजीय (फाइन कैमिकल्स एंड फार्मास्युटिकल्स) प्रभाग होंगे। इन दो नए ट्रेडिंग क्षेत्रों द्वारा निर्यात तथा आयात दोनों में अवसर उपलब्ध करवाने की आशा है। अफ्रीकी महाद्वीप में उभरते विविध व्यापारिक अवसरों से लाभ उठाने के लिए दक्षिण अफ्रीका में कार्यालय को अपग्रेड किया जा रहा है।

सचेतक वक्तव्य

प्रबंधतंत्र की चर्चा में वक्तव्य तथा विश्लेषण कंपनी के अनुमान, आशाएं, लागू नियमों एवं विनियमों के अंतर्गत 'फारवर्ड लुकिंग स्टेटमेंट' हो सकती है। वास्तविक परिणाम भौतिक रूप से अभिव्यक्त' अथवा उपलक्षित किए गए परिणामों से भिन्न' हो सकते हैं। निगम के कार्यकलापों में अंतर लाने वाले महत्वपूर्ण कारकों में मांग/आपूर्ति को प्रभावित करने वाली आर्थिक परिस्थितियां तथा निगम के व्यापार क्षेत्र में घरेलू एवं विदेशी बाजारों में मूल्यों के हालात, सरकारी विनियमों/नीतियों, कर कानूनों, अन्य सांविधिक तथा अन्य प्रासंगिक का कारकों में परिवर्तन आदि शामिल हैं।

निदेशक मण्डल की वार्षिक रिपोर्ट (2014-15) में शामिल करने के लिए कारपोरेट सामाजिक दायित्व पर वार्षिक रिपोर्ट

1. कंपनी की कारपोरेट सामाजिक दायित्व (सी.एस.आर.) नीति की एक संक्षिप्त रूपरेखा, जिसमें चलाई जाने वाली प्रस्तावित परियोजना या कार्यक्रम, सी.एस.आर. नीति एवं परियोजना या कार्यक्रम से संबंधित वेब–लिंक का एक संदर्भ शामिल हैं।

एमएमटीसी लि. ने निरंतर एक अच्छे कारपोरेट नागरिक की भूमिका निभाई है और आर्थिक, सामाजिक एवं पर्यावरण की दृष्टि से एक सतत तरीके से व्यापार संचालित कर कारपोरेट सामाजिक दायित्व के तौर तरीकों की दिशा में गहरी प्रतिबद्धता दर्शाई है।

सी.एस.आर. गतिविधियों के बारे में किसी अधिकारिक अनुदेश के बिना भी एमएमटीसी लि. ने काफी समय पहले सितंबर, 2006 में सी.एस.आर. को एक नीतिगत पहल के रूप में अपनाया था। यह पहल प्रभावी तौर पर 2007–08 में प्रारंभ की गई और सी.एस.आर. गतिविधियां चलाने के लिए पिछले साल के धारण–योग्य लाभ (रिटेनेबल प्रोफिट) की एक प्रतिशत राशि आवंटित की गई। शिक्षा, स्वास्थ्य–देखभाल, कला एवं संस्कृति को प्रोत्साहन और सामुदायिक गतिविधियां चलाने के अतिरिक्त प्राकृतिक आपदाओं के समय में राहत प्रदान करने पर जोर दिया गया।

वर्ष 2010 में सार्वजनिक उपक्रम विभाग (डी.पी.ई.) ने केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम (सी.पी.एस.ई.) द्वारा सी.एस.आर. को अपनाने के बारे में विस्तृत दिशा–निर्देश जारी किए थे। एमएमटीसी लि. ने इन दिशा–निर्देशों को अपनाया और अपनी सी.एस.आर. नीति का तदनुसार पुनर्निर्धारण किया। इसके बाद, नवंबर, 2011 और अप्रैल, 2013 में डी.पी.ई. के दिशा–निर्देश आए, जिन्हें एमएमटीसी ने यथोचित तरीके से अपनाया। कंपनी की सी.एस.आर. पहलें संयुक्त राष्ट्र सहस्राब्दी विकास लक्ष्यों के भी अनुरूप हैं।

एमएमटीसी लि. की सी.एस.आर. गतिविधियां एक अप्रैल, 2014 से कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के अनुसार आयोजित की जा रही हैं। एमएमटीसी लि. की सी.एस.आर. नीति को इस अधिनियम की धारा 135 और कारपोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा यथा–अधिसूचित सी.एस.आर. नियमों के अनुसार नए रूप में ढाला गया है। नई सी.एस.आर. नीति को एमएमटीसी लि. की वेबसाइट पर डाला गया है।

कंपनी अधिनियम के अनुरूप पिछले 3 वर्षों में कंपनी का औसत शुद्ध लाभ नकारात्मक रहा है, जिससे निधियों का आवंटन अनिवार्य नहीं था। इसके बावजूद, एमएमटीसी लि. द्वारा 2006 से निरंतर सी.एस.आर. पहलें चलाने के मद्देनजर निदेशक मंडल ने वर्ष 2014–15 के दौरान 49 लाख रु. आवंटित किए।

सी.एस.आर. के लिए आवंटित निधियों का उत्तरी दिल्ली की हैदरपुर नामक एक झुग्गी बस्ती में दो विशाल सार्वजनिक शौचालय के निर्माण के लिए मुख्य रूप से उपयोग किया गया, जहां 3,500 से भी अधिक परिवार रहते हैं। यह कार्य सुलभ इंटरनेशनल सोशल सर्विस ओर्गेनाइजेशन के सहयोग से किया गया।

इसके अतिरिक्त, गंगा नदी के पुनर्जीवन के लिए भारत सरकार द्वारा स्थापित क्लीन गंगा फंड में एक लघु योगदान दिया गया।

2. सी.एस.आर. समिति की संरचना

- श्री एस.आर. तायल, स्वतंत्र निदेशक अध्यक्ष के रूप में
- श्री राना सोम, स्वतंत्र निदेशक सदस्य के रूप में
- श्री वेद प्रकाश, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक सदस्य के रूप में
- श्री राजीव जयदेव, निदेशक (कार्मिक) सदस्य के रूप में
- श्री एम.जी. गुप्ता, निदेशक (वित्त) सदस्य के रूप में

3. पिछले तीन वित्त वर्षों में कंपनी का औसत शुद्ध लाभ

सी.एस.आर. बजट का पता लगाने के उद्देश्य से कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 198 के प्रावधानों के अनुसार औसत शुद्ध लाभ की गणना की गई। पिछले तीन वर्षों– 2011–12, 2012–13 और 2013–14 का शुद्ध लाभ क्रमशः 772.22 मिलियन रु., (1270.99 मिलियन रु.) और 462.21 मिलियन रु. था।

4. निर्धारित सी.एस.आर. व्यय (राशि का दो प्रतिशत, जैसाकि उपरोक्त मद–3 में है)

पिछले तीन वर्षों में कंपनी को कोई लाभ न होने के कारण औसत निवल लाभ रु(–)36.56 मिलियन रहा।

कंपनी अधिनियम के अनुरूप पिछले 3 वर्षों में कंपनी का औसत शुद्ध लाभ नकारात्मक रहा है, इसलिए आवंटन करना अनिवार्य नहीं था। फिर भी, कंपनी द्वारा 2006 से निरंतर सी.एस.आर. पहले चलाने के तथ्य को ध्यान में रख कर निदेशक मंडल ने वर्ष 2014–15 के दौरान सी.एस.आर. गतिविधियों को चलाने के लिए 49 लाख रु. का आवंटन किया।

5. वित्त वर्ष के दौरान सी.एस.आर. पर व्यय

(क.) वित्त वर्ष के लिए खर्च की जाने वाली राशिः

49 लाख रु. (स्वैच्छिक योगदान)

(ख.) खर्च न की गई राशि, यदि कोई हैः

0.16 लाख रु. (तथापि इस राशि को बाद में छत पर सौर संयंत्र लगाने की परियोजना की लागत में वृद्धि पर व्यय किया गया)

(ग.) वित्त वर्ष के दौरान व्यय की गई राशि का तरीका

विवरण संलग्न।

6. यदि कंपनी पिछले तीन वित्त वर्षों में औसत शुद्ध लाभ की दो प्रतिशत राशि या उसके किसी हिस्से का व्यय करने में विफल रहती है तो कंपनी अपनी निदेशक मंडल की रिपोर्ट में इस राशि का व्यय न करने का कारण बताएगी।

लागू नहीं

प्रमाणित किया जाता है कि सी.एस.आर. नीति का कार्यान्वयन एवं निगरानी कंपनी के सी.एस.आर के उद्देश्यों एवं नीति के अनुरूप हैं।

हस्ता./–
(वेद प्रकाश)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

हस्ता./–
(एस.आर. तायल)
सी.एस.आर. समिति के अध्यक्ष

निदेशक मंडल की रिपोर्ट के अंग के रूप में सी.एस.आर. गतिविधियों पर रिपोर्ट के साथ परिशिष्ट

वित्त वर्ष के दौरान व्यय के गई राशि के तरीके का विवरण नीचे दिया गया है।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
क्र.स	सी.एस.आर. की परियोजना या गतिविधि की पहचान की गई	वह क्षेत्र, जिसमें परियोजना शामिल होती है	परियोजना या कार्यक्रम (1) स्थानीय क्षेत्र या अन्य (2) राज्य या जिला स्पष्ट करें, जहां परियोजना या कार्यक्रम चलाए गए	राशि का परिव्यय (बजट) परियोजना–वार या कार्यक्रम–वार	परियोजना या कार्यक्रम विषय शीर्षः परियोजना या कार्यक्रमों पर प्रत्यक्ष व्यय	रिपोर्टिंग अवधि तक संचयी व्यय	व्यय की गई राशि : प्रत्यक्ष या कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से
1	उत्तरी दिल्ली की झुग्गी बस्ती हैदरपुर में दो सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण	रोकथामकारी स्वास्थ्य देखभाल एवं स्वच्छता	हैदरपुर, शालीमार बाग, नई दिल्ली	बजट : 46.25 लाख रू.	48.34 लाख रु.	48.34 लाख रु.	48.34 लाख रु.। कार्यान्वयन समिति : सुलभ इंटरनेशनल सोशल सर्विस ओर्गेनाइजेशन
2	क्लीन गंगा फंड	पर्यावरण संबंधी, पारिस्थितिकीय संतुलन, वनस्पति की रक्षा, जल की गुणवत्ता बनाए रखना सुनिश्चित करना		बजट : 0.5 लाख रू	0.5 लाख रू	0.5 लाख रू	0.5 लाख रू। कार्यान्वयन एजेंसी : राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन
	कुल			46.75 लाख रु.	48.84 लाख रु.	48.84 लाख रु.	48.84 लाख रु.

कारपोरेट गवर्नेंस पर रिपोर्ट

एमएमटीसी में कारपोरेट गवर्नेंस

एमएमटीसी पारदर्शिता के सर्वोच्च स्तर, विश्वास, सत्यता, निष्पादन अभिमुखता, जिम्मेदारी और जवाबदेही, व्यावसायिकता, सामाजिक दायित्व, नैतिक व्यापार आचरण और स्व–अनुशासन संहिता के प्रति संगठन की प्रतिबद्धता के अनुपालन के माध्यम से स्वस्थ कारपोरेट गवर्नेंस नियमों के सिद्धांत को प्रोन्नत तथा सशक्त करने के लिए पूर्णतः प्रतिबद्ध है ताकि स्टेकहोल्डरों जिसमें निवेशकों, निदेशकों, कर्मचारियों, आपूर्तिकर्ताओं, ग्राहकों अथवा व्यापक समुदाय का निरंतर मूल्यवर्धन होता रहे।

निदेशक मंडल

एमएमटीसी के निदेशक मंडल में कार्यकारी व गैर–कार्यकारी निदेशक शामिल हैं। इस रिपोर्ट को जारी किए जाने की तिथि को वर्तमान निदेशक मडंल में अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक, दो पूर्णकालिक निदेशक(विपणन), एक पूर्णकालिक निदेशक(कार्मिक), एक पूर्णकालिक निदेशक(वित्त), वाणिज्य विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा नामित दो अशंकालिक निदेशक तथा पांच गैर–सरकारी अंशकालिक(स्वतंत्र) निदेशक हैं। एमएमटीसी के समस्त निदेशकों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक तथा स्वतंत्र निदेशकों को छोड़कर शेष सभी निदेशक क्रमवार सेवानिवृत्त होते रहते हैं और प्रतिवर्ष कम से कम एक तिहाई सेवानिवृत होते हैं और यदि पात्र हों तो पुनः नियुक्ति पा सकते हैं।

अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक तथा कार्यकारी निदेशकों के मामले में निदेशक मंडल के सदस्य, निदेशक के पारिश्रमिक प्राप्त करने के अतिरिक्त कंपनी के साथ अथवा इसके प्रोमोटर्स व इसकी सहायक कंपनियों के साथ ऐसा कोई विशेष आर्थिक संबंध अथवा लेन–देन नहीं रखते हैं जो निदेशक मंडल के विचार से निदेशकों के निर्णय की स्वायत्तता को प्रभावित कर सके।

वर्ष 2014 –15 के दौरान निदेशक मंडल की संरचना निम्नानुसार थीः

क्र. सं.	निदेशक का नाम	कार्यकारी / गैर– कार्यकारी	धारित पद	31.03.2015 को अन्य निदेशक मंडलों में डायरेक्टरशिप की संख्या	बोर्ड समितियों की संख्या जिसके सदस्य / अध्यक्ष है* (31.03.2015)
1.	श्री डी.एस.ढेसी (30.12.2014 तक)	कार्यकारी	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	–	–
2.	श्री वेद प्रकाश	कार्यकारी	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (19.3.2015 से) सीएमडी इंचार्ज (31.12.2014 से 18.3.2015 तक) निदेशक (विपणन) 18.3.2015 तक	अध्यक्ष–3 निदेशक–1	सदस्य–1
3.	श्री पी.के. जैन	कार्यकारी	निदेशक (विपणन)	निदेशक–2	शून्य
4.	श्री राजीव जयदेव	कार्यकारी	निदेशक (कार्मिक)	निदेशक–1	शून्य
5.	श्री एम.जी. गुप्ता	कार्यकारी	निदेशक (वित्त)	निदेशक–4	सदस्य–1
6.	श्री आनंद त्रिवेदी	कार्यकारी	निदेशक (विपणन)	निदेशक– 5	शून्य
7.	सुश्री अनिता अग्निहोत्री (16.06.2014 तक)	गैर–कार्यकारी	सरकार द्वारा नामित निदेशक	शून्य	शून्य
8.	श्री बी.पी.पाण्डेय (16.06.2014 से)	गैर कार्यकारी	सरकार द्वारा नामित निदेशक	निदेशक–3	सदस्य–1
9.	श्री मधुसूदन प्रसाद (24.02.2015 तक)	गैर कार्यकारी	सरकार द्वारा नामित	शून्य	शून्य
10.	श्री रजनी रंजन रश्मि (24.02.2015 से 28.04.2015 तक)	गैर कार्यकारी	सरकार द्वारा नामित	अध्यक्ष–1 निदेशक–1	शून्य
11.	श्री अनिल राजदान (12.07.2014 तक)	गैर कार्यकारी	गैर सरकारी (स्वतंत्र निदेशक)	शून्य	शून्य
12.	श्री जी.एस. वेदी (13.07.2014 तक)	गैर कार्यकारी	गैर सरकारी (स्वतंत्र) निदेशक	शून्य	शून्य
13.	श्री अरूण बालाकृष्णन (15.07.2014 तक)	गैर–कार्यकारी	गैर सरकारी (स्वतंत्र) निदेशक	शून्य	शून्य
14.	श्री अरविंद कालरा	गैर–कार्यकारी	गैर सरकारी (स्वतंत्र) निदेशक	निदेशक–8	अध्यक्ष–2
15.	श्री राना सोम	गैर–कार्यकारी	गैर सरकारी (स्वतंत्र) निदेशक	निदेशक–8	शून्य
16.	श्री एन. बाला भास्कर	गैर–कार्यकारी	गैर सरकारी (स्वतंत्र) निदेशक	निदेशक–3	शून्य
17.	डॉ.सुभाष पाणि	गैर–कार्यकारी	गैर सरकारी (स्वतंत्र) निदेशक	शून्य	शून्य
18.	श्री स्कंद रंजन तायल	गैर–कार्यकारी	गैर सरकारी (स्वतंत्र) निदेशक	निदेशक–1	सदस्य–1

*केवल लेखा परीक्षा समिति और सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी के शेयरहोल्डर्स की शिकायत समिति पर विचार किया गया है।

निदेशक मंडल में परिवर्तन

दिनांक 1 अप्रैल, 2014 को आपकी कंपनी के निदेशक मंडल में निम्नलिखित परिवर्तन किए गए हैं :

- श्रीमती अनिता अग्निहोत्री एएस एंड एफए, वाणिज्य विभाग, वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय ने दिनांक 16 जून, 2014 से एमएमटीसी के निदेशक मण्डल का कार्यभार छोड़ा।
- श्री बी.पी. पांडेय, एएस एंड एफए, वाणिज्य विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने एमएमटीसी के निदेशक मंडल में श्रीमती अनिता अग्निहोत्री के स्थान पर दिनांक 16 जून, 2014 से पदभार ग्रहण किया।
- श्री अनिल राजदान ने अंशकालिक गैर–सरकारी (स्वतंत्र) निदेशक पद को दिनांक 12.07.2013 से त्याग दिया।
- श्री जी एस वेदी ने अंशकालिक गैर–सरकारी(स्वतंत्र) निदेशक पद को दिनांक 13.07.2014 को त्याग दिया।
- श्री अरूण बालाकृष्णन ने अंशकालिक, गैर–सरकारी (स्वतंत्र) निदेशक पद को दिनांक 15.07.2014 को त्याग दिया।
- श्री डी.एस. ढेसी, अपर सचिव, वाणिज्य विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय तथा सीएमडी, एमएमटीसी लिमिटेड ने दिनांक 30.12.2014 से एमएमटीसी के सीएमडी का प्रभार त्याग दिया।
- श्री वेदप्रकाश, निदेशक (मार्केटिंग) ने श्री डी.एस. ढेसी के स्थान पर दिनांक 31.12.2014 को सीएमडी, एमएमटीसी(सीएमडी–इंचार्ज) का अतिरिक्त कार्यभार ग्रहण किया।
- श्री मधुसूदन प्रसाद, विशेष सचिव, वाणिज्य विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने दिनांक 24 फरवरी, 2015 को एमएमटीसी बोर्ड के अंशकालीन निदेशक का कार्यभार छोड़ा।
- श्री रजनी रंजन रश्मि, अपर सचिव, वाणिज्य विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने श्री मधुसूदन के स्थान पर दिनांक 24 फरवरी, 2015 से एमएमटीसी बोर्ड के अंशकालीन निदेशक का प्रभार ग्रहण किया।
- श्री वेद प्रकाश ने दिनांक 19.03.2015 को अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का प्रभार ग्रहण किया।
- श्री रजनी रंजन रश्मि, अपर सचिव, वाणिज्य विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने दिनांक 29 अप्रैल, 2015 को एमएमटीसी बोर्ड के अंशकालीन निदेशक का कार्यभार छोड़ा।
- श्री अजय कुमार भल्ला, अपर सचिव, वाणिज्य विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने श्री रजनी रंजन रश्मि के स्थान पर दिनांक 29 अप्रैल, 2015 को एमएमटीसी बोर्ड के अंशकालीन निदेशक का प्रभार ग्रहण किया।
- श्री भगवती प्रसाद पाण्डेय, पूर्व एएस एंड एफए, वाणिज्य विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने दिनांक 06 अगस्त, 2015 को एमएमटीसी बोर्ड के अंशकालीन निदेशक का कार्यभार छोड़ा।
- श्री जे.के. दादू, एएस एंड एफए, वाणिज्य विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने श्री भगवती प्रसाद पाण्डेय के स्थान पर दिनांक 06 अगस्त, 2015 को एमएमटीसी बोर्ड के अंशकालीन निदेशक का प्रभार ग्रहण किया।

निदेशकों का पारिश्रमिक

एमएमटीसी भारत सरकार का एक उपक्रम है जिसके निदेशक मंडल के सभी सदस्यों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा उनके प्रशासनिक मंत्रालय, वाणिज्य विभाग, वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार के माध्यम से की जाती है जो अन्य बातों के साथ–साथ इन पूर्णकालिक निदेशकों के पारिश्रमिक, संबंधित नियुक्ति आदेश/वेतन निर्धारण आदेशों के अनुरूप निर्धारित करते हैं। एमएमटीसी के अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक तथा पूर्णकालिक निदेशकों को सामान्यतः भारत के राष्ट्रपति द्वारा 5 वर्ष के सेवाकाल या अधिवर्षिता आयु पूरी करने की तिथि तक अथवा सरकार के अगले आदेशों तक जो भी पहले हो, नियुक्त किये जाते हैं। भारत के राष्ट्रपति द्वारा इस प्रकार नियुक्त निदेशक किसी भी प्रकार की नोटिस अवधि/सेवरेंस फीस के पात्र नहीं होते हैं। निदेशक मंडल के फंक्शनल सदस्य लोक उद्यम विभाग, भारत सरकार द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार परफार्मेंस रिलेटिड वेतन पाने के पात्र हैं। नॉन–आफिशियल अंशकालिक स्वतंत्र निदेशक बोर्ड/बोर्ड द्वारा नियुक्त समितियों की बैठकों में भाग लेने के लिए प्रत्येक बैठक के हिसाब से रु.15,000/– की राशि सिटिंग फीस का भुगतान पाने के पात्र हैं। किसी भी गैर–कार्यकारी निदेशक का कंपनी के साथ किसी भी प्रकार का आर्थिक संबंध अथवा लेन–देन नहीं था।

वर्ष 2014–15 के दौरान प्रत्येक निदेशक को भुगतान किये गये/देय पारिश्रमिक का संक्षिप्त विवरण निम्नलिखित हैं

निदेशक का नाम	वेतन तथा लाभ (रू/लाख)	वर्ष 2014–15 के दौरान कार्य– निष्पादन से जुड़ा प्रोत्साहन (प्रावधान) (रू/लाख)	बोनस, स्टॉक विकल्प, पेंशन, सिवरेंस फीस	दिनांक 31.3.2015 को एमएमटीसी के धारित शेयरों की संख्या
कार्यकारी निदेशक				
श्री वेद प्रकाश	3244989	416916	शून्य	05
श्री राजीव जयदेव	2742335	407349	शून्य	शून्य
श्री एम जी गुप्ता	2875539	230761	शून्य	05
श्री आनंद त्रिवेदी	2918157	312160	शून्य	शून्य
श्री पी.के. जैन	3622016	शून्य	शून्य	शून्य
गैर–कार्यकारी पदेन निदेशक				
सुश्री अनीता अग्निहोत्री	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
श्री भगवती प्रसाद पाण्डेय	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
श्री मधुसूदन प्रसाद	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
श्री रजनी रंजन रश्मि	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
नॉन–आफिशिएल निदेशक				
श्री अनिल राजदान	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
श्री जी.एस. वेदी	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
श्री अरूण बालाकृष्णन	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
श्री अरविंद कालरा	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
श्री राणा सोम	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
श्री एन. बाला भास्कर	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
डा सुभाष पाणि	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
श्री स्कंद रंजन तायल	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

निदेशक मंडल की बैठकें

निदेशक मंडल की बैठकें सामान्यतः निगम के पंजीकृत कार्यालय में ही आयोजित की जाती हैं तथा उनके आयोजन की तिथि का निर्णय पर्याप्त समय रहते लिया जाता है। एमएमटीसी के निदेशक मंडल की बैठक प्रत्येक तिमाही में एक बार अवश्य आयोजित की जाती है। बोर्ड की बैठकों का संचालन निर्धारित कार्य–सूची के अनुसार होता है तथा बोर्ड का कोई भी सदस्य किसी भी मामले को विचारार्थ प्रस्तुत कर सकता है। सभी मुख्य मुद्दों से संबंधित, अन्य व्याख्यात्मक टिप्पणियों सहित विस्तृत कार्य–सूची दस्तावेज सदस्यों को पहले ही परिचालित कर दिए जाते हैं ताकि बोर्ड सूचनापरक तथा स्वतंत्र निर्णय ले सके।

वर्ष के दौरान, निदेशक मंडल की आठ बैठकें हुई, जो दिनांक 29.05.2014, 09.07.2014, 13.08.2014, 10.10.2014, 07.11.2014, 09.12.2014, 11.02.2015 तथा 11.03.2015 को आयोजित की गईं। निदेशक मंडल की इन बैठकों तथा 18 सितम्बर, 2014 को आयोजित गत वर्ष की वार्षिक आम बैठक से संबंधित निदेशकों की उपस्थिति का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

	निदेशक का नाम	उस अवधि में हुई बोर्ड की बैठकों की संख्या जिसके दौरान बोर्ड के निदेशक थे	बोर्ड की बैठकों की संख्या, जिनमें उपस्थित रहे	दिनांक 18.09.2014 को आयोजित गत वार्षिक आम सभा में उपस्थिति
(क)	**फंक्शनल निदेशक**			
	श्री डी.एस.ढेसी (30.12.2014 तक)	6	6	हां
	श्री वेद प्रकाश	8	7	हां
	श्री राजीव जयदेव	8	8	हां
	श्री एम.जी. गुप्ता	8	8	हां
	श्री आनंद त्रिवेदी	8	8	हां
	श्री पी.के.जैन	8	8	हां
(ख)	**अंशकालिक पदेन निदेशक (सरकार द्वारा नामित)**			
	श्रीमती अनिता अग्निहोत्री (16.06.2014 तक)	1	शून्य	एनआर
	श्री मधुसूदन प्रसाद (24.02.2015 तक)	7	5	नहीं
	श्री बी.पी. पाण्डेय (16.06.2014 से से 06.08.2015 तक)	7	2	नहीं
	श्री आर.आर. रश्मि (24.2.2015 से 28.04.2015 तक)	1	1	एनआर
(ग)	**गैर–सरकारी अंशकालिक(स्वतंत्र) निदेशक**			
	श्री अनिल राजदान (12.07.2014 तक)	2	2	एनआर
	श्री जी.एस. वेदी (13.07.2014 तक)	2	2	एनआर
	श्री अरूण बालाकृष्णन (15.07.2014 तक)	2	2	एनआर
	श्री अरविंद कालरा	8	8	हां
	श्री राना सोम	8	6	हां
	श्री एन बाला भास्कर	8	8	हां
	डा. सुभाष पाणि	8	5	नहीं
	श्री एस.आर. तायल	8	7	नहीं

*एनआर → आवश्यक नही था।

बोर्ड की समितियां

कंपनी के मामलों पर अधिक ध्यान केन्द्रित करने, अतिशीघ्र आधार पर विचार–विमर्श करने तथा निर्णय लेने के लिए निदेशक मंडल ने विभिन्न भूमिकाओं, दायित्वों तथा प्राधिकारों के साथ निम्नलिखित समितियों का गठन किया है:

1. निदेशकों की लेखा परीक्षा समिति
2. स्टेकहोल्डर्स संबंध समिति
3. शेयर ट्रांसफर समिति
4. नामांकन व पारिश्रमिक निदेशक समिति
5. कार्मिक नीतियों पर निदेशकों की समिति
6. सहायक कंपनियों, संयुक्त उद्यमों और एसोसिएट कंपनियों पर निदेशकों की समिति
7. सीएसआर तथा सतत् विकास पर निदेशकों की समिति
8. निदेशको की फंक्शनल मैनेजमेंट कमेटी
9. जोखिम प्रबंधन समिति

निदेशकों की लेखा–परीक्षा समिति

निदेशक मंडल द्वारा गठित वर्तमान लेखा परीक्षा समिति में दो गैर–सरकारी (स्वतंत्र) अंशकालिक निदेशक तथा एक अंशकालिक सरकार द्वारा नामित निदेशक हैं। वर्ष के दौरान आयोजित समिति की सभी बैठकों की अध्यक्षता गैर कार्यकारी स्वतंत्र निदेशक द्वारा की गई। कंपनी सचिव इस समिति के सचिव हैं। लेखापरीक्षा समिति द्वारा लेखा–परीक्षा

कार्यों का निरीक्षण, अति महत्वपूर्ण जॉच की पुनरीक्षा, लेखा मानकों के अनुपालन को सुनिश्चित करना तथा निदेशक मंडल के समक्ष प्रस्तुत करने से पूर्व वित्तीय विवरणों को स्वीकृति प्रदान करना इसके प्रमुख कार्य हैं। लेखा परीक्षा समिति की भूमिका, कार्यक्षेत्र तथा प्राधिकारों में कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत अपेक्षित प्रावधानों का अनुपालन तथा स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीकरण अनुबंध की शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करना भी शामिल है।

वर्ष 2014–15 में समिति की दस बैठकें आयोजित हुईं जिनका विवरण नीचे दिया जा रहा है:–

क्र. सं.	बैठक की तिथि	उपस्थित सदस्य	अध्यक्ष
1	29.05.2014	श्री अनिल राजदान श्री जी.एस. वेदी श्री एस आर तायल श्री अरविंद कालरा	श्री अनिल राजदान
2	9.06.2014	श्री अनिल राजदान श्री जी.एस. वेदी श्री एस आर तायल श्री अरविंद कालरा	श्री अनिल राजदान
3	13.08.2014	श्री बी पी पाण्डे श्री एस आर तायल श्री अरविंद कालरा	श्री अरविंद कालरा
4	07.11.2014	श्री बी पी पाण्डे श्री एस आर तायल श्री अरविंद कालरा	श्री अरविंद कालरा
5	11.02.2015	श्री बी पी पाण्डे श्री एस आर तायल श्री अरविंद कालरा	श्री अरविंद कालरा

लेखापरीक्षा समिति के विचार विमर्श में सहायता हेतु निगम के अन्य फंक्शनल निदेशक तथा सांविधिक लेखा परीक्षक भी उपरोक्त बैठकों में उपस्थित रहे।

उपरोक्त बैठकों के कार्यवृत्त बोर्ड के समक्ष नियमित रूप से सूचनार्थ प्रस्तुत किए गए।

स्टेकहोल्डर संबंध समिति

निदेशक मंडल द्वारा गठित स्टेकहोल्डर संबंध समिति में वर्ष 2014–15 के दौरान श्री अरविंद कालरा, अंशकालीन नॉन–आफिशिएल(स्वतंत्र) निदेशक इसके अध्यक्ष सीएमडी, एमएमटीसी तथा निदेशक (वित्त), एमएमटीसी इसके सदस्य थे। कंपनी सचिव इसके सचिव हैं। समिति शेयरधारकों/अन्य निवेशकों की शिकायतों के शीघ्र समाधान की निगरानी करती है। वर्ष के दौरान इस समिति की एक बैठक हुई। इस बैठक के मिनट्स निदेशक मंडल को सूचनार्थ प्रस्तुत किए गए।

शेयर ट्रांसफर समिति

वर्ष 2014–15 के दौरान निदेशक मंडल द्वारा गठित की गई शेयर ट्रांसफर समिति में एमएमटीसी के सभी फंक्शनल निदेशक इसके सदस्य थे। कंपनी सचिव इसके सचिव हैं। समिति ने फिजीकल शेयर ट्रांसफर,रिमैट्रलाइजेशन तथा डिमैट्रलाइजेशन इत्यादि के अनुरोधों पर शीघ्र विचार करके अपना अनुमोदन प्रदान करती है।

निदेशकों की नामांकन तथा पारिश्रमिक समिति

कंपनीज ऐक्ट, 2013 के प्रावधानों तथा स्टॉक एक्सचेंज के साथ किए गए लिस्टिंग एग्रीमेंट के अनुपालन में निदेशक मंडल द्वारा पहले गठित की गई निदेशकों की पारिश्रमिक समिति का नाम बदलकर अब 'निदेशकों की नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति' कर दिया गया है। श्री राना सोम, अंशकालीन नॉन–आफिशिएल(स्वतंत्र) निदेशक, श्री अरिवंद कालरा, अंशकालीन नॉन–आफिशिएल (स्वतंत्र) निदेशक

तथा श्री एसआर तायल, अंशकालीन नॉन–आफिशिएल (स्वतंत्र) निदेशक इस समिति के सदस्य हैं। ये सदस्य स्वयं ही समिति के चेयरमैन को चुनेंगे। इस समिति के कार्य एवं कर्तव्य तथा इसके अधिकारों को स्टॉक एक्सचेंजों के साथ हस्ताक्षरित लिस्टिंग एग्रीमेंट के क्लॉज 49 तथा डीपीई द्वारा दिनांक 26 नवंबर 2008 में जारी दिशानिर्देशों में विनिर्दिष्ट किया गया है। कंपनी सचिव इस समिति के सचिव हैं। वर्ष 2014–15 के दौरान निदेशकों की पारिश्रमिक समिति की एक बैठक हुई। इस बैठक के मिनट्स निदेशक मंडल को सूचनार्थ प्रस्तुत किए गए।

कार्मिक नीतियों पर निदेशकों की समिति

बोर्ड ने कार्मिक नीतियों की निदेशक समिति का गठन किया जिसमें श्री राना सोम, अंशकालीन नॉन ऑफिशियल (स्वतंत्र) निदेशक इसके अध्यक्ष हैं तथा श्री एन बाला भास्कर, अंशकालीन नॉन आफिशियल (स्वतंत्र) निदेशक तथा श्री एस आर तायल, अंशकालीन नॉन आफिशिएल (स्वतंत्र) निदेशक इसके सदस्य हैं। यह समिति सेवा नियमों तथा अन्य कार्मिक नीतियों में परिवर्तन/बनाने पर विचार करने तथा उनके अनुमोदन की सिफारिश निदेशक मंडल को करती है तथा एमएमटीसी कर्मचारी आचरण, अनुशासन तथा अपील नियम, 1975 समय–समय पर यथासंशोधित के तहत 'अपीलीय अथारिटी' के रूप में भी कार्य करती है। कंपनी सचिव इस समिति के सचिव हैं। वर्ष 2014–15 के दौरान इस समिति की चार बैठकें हुईं। इन बैठकों के मिनट्स निदेशक मंडल को सूचनार्थ प्रस्तुत किए गए।

सहायक कंपनियों, संयुक्त उद्यमों तथा एसोसिएट कंपनियों पर निदेशकों की समिति

निवेशों/विनिवेशों पर विचार करने तथा स्वीकृति का अनुपालन करने, मौलिक मानदंडों/चार्टर/समझौते और उनमें निदेशक मंडल द्वारा किसी परिवर्तन की स्वीकृति और कार्यशील प्रबंधन के साथ पुनरीक्षा करने तथा एमएमटीसी के निवेश के संबंध में रणनीतिक मामलों पर सलाह करने और परियोजनाओं के कार्यनिष्पादन/संयुक्त उद्यमों/एसोसिएट कंपनियों/विदेशी कार्यालयों/ एमएमटीसी की सहायक कंपनियों के लिए निदेशक मंडल ने एक ''सहायक कंपनियों, संयुक्त उद्यमों और एशोसिएट कंपनियों'' पर निदेशकों की समिति का गठन किया है।

वर्तमान में इस समिति में डॉ. सुभाष पाणि अंशकालिक गैर सरकारी(स्वतंत्र) निदेशक समिति के अध्यक्ष, श्री एन. बाला भास्कर अंशकालिक गैर–सरकारी(स्वतंत्र) निदेशक सदस्य हैं। कंपनी सचिव समिति के सचिव हैं। वर्ष 2014–15 के दौरान समिति की चार बैठकें आयोजित की गईं तथा इन बैठकों के कार्यवृत्त सूचनार्थ निदेशक मंडल के समक्ष प्रस्तुत किए गए।

सीएसआर एवं सतत् विकास पर निदेशकों की समिति

एमएमटीसी के निदेशक मंडल ने एसडी तथा सीएसआर समितियों का विलय करते हुए इसका पुनर्गठन किया तथा इसका नाम 'सीएसआर तथा सतत विकास पर निदेशक समिति' कर दिया। यह समिति सीएसआर तथा सतत विकास की गतिविधियों का कंपनीज एक्ट 2013 तथा डीपीई के इस संबंध में दिशानिर्देशों समय–समय पर यथा संशोधित के प्रावधानों का अनुमोदन तथा इनके कार्यान्वयन व निगरानी का काम करती है।

वर्तमान में इस समिति में श्री एस आर तायल, अंशकालिक गैर सरकारी (स्वतंत्र) निदेशक समिति के अध्यक्ष हैं तथा श्री राना सोम अंशकालिक गैर सरकारी (स्वतंत्र) निदेशक समिति के निदेशक, श्री वेद प्रकाश अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, श्री राजीव जयदेव, निदेशक(कार्मिक) तथा श्री एम जी गुप्ता, निदेशक(वित्त) इस समिति के सदस्य हैं। कंपनी सचिव समिति के सचिव हैं। वर्ष 2014–15 के दौरान इस समिति की एक बैठक आयोजित की गईं जिनके कार्यवृत्त सूचनार्थ निदेशक मंडल को प्रस्तुत किए गए।

निदेशकों की फंक्शनल मैनेजमेंट कमेटी

निदेशक मंडल द्वारा गठित निदेशकों की कमेटी में एमएमटीसी के अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक समिति के अध्यक्ष, सभी फंक्शनल निदेशक समिति के सदस्य तथा कंपनी सचिव समिति के सचिव के रूप में शामिल हैं। कम्पनी अधिनियम, 2013/अन्य विधिक प्रावधानों के अधीन विनिर्दिष्ट, निदेशक मंडल की बैठक में विचार एवं निर्णय लिए जाने वाले मामलों और/अन्य शेयरधारकों तथा अन्य विनिर्दिष्ट मामलों और बोर्ड द्वारा निर्णय अथवा विचारार्थ आरक्षित मामलों और एमएमटीसी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अनुच्छेद 99 के अधीन निदेशक मंडल द्वारा गठित किसी अन्य समिति द्वारा लिए जाने वाले निर्णय को छोड़कर समय–समय पर निदेशक मंडल द्वारा अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक को प्रदत्त शक्तियों के उपर सभी मामलों में निर्णय लेने के लिए शक्तियां प्रदान की गई हैं। वर्ष 2014–15 के दौरान समिति की उनचास बैठकें आयोजित की गईं। इन बैठकों के कार्यवृत्त निदेशक मंडल के सूचनार्थ प्रस्तुत किए गए।

निदेशकों की जोखिम प्रबंधन समिति

दिनांक 01.10.2014 से प्रभावी लिस्टिंग एग्रीमेंट के संशोधित क्लॉज 49 (VI) के प्रावधानों के अनुसार निदेशकों की

जोखिम प्रबंधन समिति में कंपनी के सभी फंक्शनल निदेशक इसके सदस्य हैं तथा अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक इस समिति के अध्यक्ष हैं जिसका गठन मार्च, 2015 में किया गया था। उक्त् समिति लिस्टिंग एग्रीमेंट तथा अन्य कानूनी प्रावधानों समय–समय पर यथासंशोधित के तहत निर्दिष्टि किए गए कार्य करेगी। कंपनी सचिव इस समिति के सचिव रहेंगे।

आम सभा बैठकें

कंपनी की आम सभा की बैठक, निगम के पंजीकृत कार्यालय से निकवर्ती स्थान पर आयोजित की जाती है। विगत तीन वित्तीय वर्षों के दौरान आयोजित ऐसी आम सभाओं के विवरण नीचे दिये गए हैं:–

बैठक का प्रकार	तारीख व समय	पारित विशेष संकल्प
49वीं वार्षिक आम बैठक	28.09.2012 12:00 बजे	—
50वीं वार्षिक आम बैठक	30.09.2013 11:30 बजे	—
51वीं वार्षिक आम बैठक	18.09.2014 11:30 बजे	एक

वर्ष 2014–15 के दौरान दिनांक 11 मार्च 2015 के नोटिस द्वारा एक पोस्टल बैलट शुरू किया गया तथा इसके परिणाम जिसमें दो विशेष संकल्प भी शामिल थे, को शेयरहोल्डर्स द्वारा पारित किया गया जिसकी घोषणा अध्यक्ष द्वारा दिनांक 27 अप्रैल, 2015 को की गई। इसके अलावा, कंपनी ने दिनांक 22 जुलाई, 2015 के नोटिस द्वारा एक अन्य पोस्टल बैलट जारी किया तथा इसके परिणामों की घोषणा दिनांक 09 सितंबर, 2015 को अध्यक्ष द्वारा की जाएगी। इस टाइम फ्रेम का अनुमोदन निदेशक मंडल द्वारा किया गया है।

प्रकटीकरण

क) निदेशक मण्डल के किसी भी सदस्य का कंपनी के साथ कोई आर्थिक संबंध अथवा लेन–देन नही है।

ख) विशेष रूप से संबंधित पक्षकारों के बीच कोई लेन देन नहीं हुआ है अर्थात कंपनी का अपने प्रोमोट्र्स, निदेशकों अथवा प्रबंधन, सहायक कंपनियों अथवा संबंधियों इत्यादि के साथ ऐसी कोई महत्वपूर्ण प्रकृति का लेन–देन नहीं हुआ है जिससे कंपनी के हित प्रभावित होने की शंका हो। ''संबंधित पक्ष लेन–देन'' के अन्य विवरण वार्षिक रिपोर्ट में लेखों के भाग के नोट में प्रकट किये गये हैं।

ग) लिस्टिंग एग्रीमेंट की धारा 41 के अधीन अपेक्षित विनिर्दिष्ट मामलों को कंपनी के सीईओ/सीएफओ ने बोर्ड के समक्ष सत्यापित कर दिया है।

घ) कंपनी ने इम्पलाइज स्टाक आप्शन स्कीम को नहीं अपनाया है।

ड) कंपनी ने ''व्हिसल ब्लोअर पालिसी'' तैयार की है जिसे एमएमटीसी की वेबसाइट पर प्रदर्शित किया गया है।

च) कंपनी के विरूद्ध पिछले तीन वर्षों के दौरान उल्लंघन का कोई मामला दर्ज नहीं हुआ है तथा विगत तीन वर्षों में पूंजी बाजार से संबंधित किसी भी मामले में स्टॉक एक्सचेंज अथवा सेबी अथवा किसी अन्य सांविधिक प्राधिकरण द्वारा कंपनी पर किसी प्रकार का अर्थ दण्ड नहीं लगाया गया।

सूचना के साधन

कंपनी के तिमाही, अर्ध–वार्षिक अनअंकेक्षित परिणामों को संबंधित अवधि की समाप्ति के 45 दिनों के भीतर और कम्पनी के वार्षिक अंकेक्षित परिणामों को 60 दिनों के भीतर घोषित किया जाता है, जिन्हें सामान्यतः प्रमुख राष्ट्रीय दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित किया जाता है तथा इन्हें कंपनी की वेबसाइट www.mmtclimited.gov.in पर अपलोड किया जाता है।

शेयरधारकों की सूचना

(क) वार्षिक आम बैठक

कंपनी की 52वीं वार्षिक आम बैठक दिनांक 29 सितम्बर, 2015 को 1130 बजे वेट लिफ्टिंग आडिटोरियम, स्पोर्ट्स अथार्टी आफ इंडिया, गेट नं. 19, जवाहर लाल नेहरू स्टेडियम, लोदी रोड, नई दिल्ली– 110003 में आयोजित की जायेगी।

(ख) वर्ष 2015–16 के लिए वित्तीय कैलेंडर

प्रथम तिमाही परिणाम(अनअंकेक्षित) दिनांक 14.08.2015 को अथवा इससे पहले घोषित किए जाएंगे।

द्वितीय तिमाही परिणाम(अनअंकेक्षित) दिनांक 14.11.2015 को अथवा इससे पहले घोषित किए जाएंगे।

तृतीय तिमाही परिणाम(अनअंकेक्षित) दिनांक 14.02.2016 को अथवा इससे पहले घोषित किए जाएंगे।

चतुर्थ तिमाही परिणाम(अंकेक्षित) तथा वर्ष 2015–16 के वार्षिक अंकेक्षित परिणाम दिनांक 30.05.2016 को या इससे पूर्व लिस्टिंग एग्रीमेंट के वर्तमान लागू प्रावधानों के अनुसार घोषित किए जाएंगे।

(ग) बुक क्लोजर की तिथियॉं

वार्षिक आम बैठक तथा अंतिम लाभांश की घोषणा के प्रयोजन हेतु दिनांक 19.09.2015 से 29.09.2015 (दोनों दिन शामिल हैं) तक शेयर अन्तरण पुस्तिकाओं तथा सदस्यों के रजिस्टर को बंद रखा जाएगा।

(घ) लाभांश भुगतान – विगत तीन वर्षों के दौरान प्रदत्त लाभांश का विवरण इस प्रकार है :–

वर्ष	2011-12	2012-2013	2013-2014
रेट	25%	10%	15%
दिनांक	25.10.2012	26.10.2013	16.10.2014

(ङ.) स्टॉक एक्सचेंजों पर सूचीबद्धता : कंपनी के शेयर बीएसई तथा एनएसई में सूचीबद्ध हैं। दिनांक 11 मार्च, 2015 को हुई अपनी बैठक में निदेशक मंडल द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार वर्ष के दौरान कंपनी ने सेबी के संबंधित दिशानिर्देशों के अनुसार दिल्ली, मद्रास तथा कोलकता के स्टॉक एक्सचेंजों से स्वयं को स्वैच्छिक आधार पर डिलिसिटंग कराने का आवेदन किया है।

(च) बाजार–मूल्य डाटा : वर्ष 2014–15 के दौरान मुंबई स्टाक एक्सचेंज पर उद्धृत/व्यापार किए गए एमएमटीसी के स्क्रिप का माहवार बाजार भाव आंकड़ा नीचे दिया जा रहा है:

माह	अधिकतम (रूपए)	न्यूनतम (रूपए)	माह	अधिकतम (रूपए)	न्यूनतम (रूपए)
बाम्बे स्टॉक एक्सचेंज			नेशनल स्टॉक एक्सचेंज		
अप्रैल 2014	65.60	52.60	अप्रैल 2014	65.50	52.45
मई 2014	102.35	53.30	मई 2014	102.40	53.20
जून 2014	106.80	90.10	जून 2014	106.75	90.00
जुलाई 2014	101.75	75.15	जुलाई 2014	101.80	75.20
अगस्त 2014	80.70	70.25	अगस्त 2014	80.70	70.05
सितंबर 2014	78.50	60.20	सितंबर 2014	78.45	59.80
अक्तूबर 2014	70.35	61.10	अक्तूबर 2014	70.30	61.05
नवंबर 2014	72.60	59.80	नवंबर 2014	72.65	59.90
दिसंबर 2014	63.25	51.00	दिसंबर 2014	63.25	49.00
जनवरी 2015	62.95	55.75	जनवरी 2015	63.80	55.75
फरवरी 2015	63.00	53.10	फरवरी 2015	63.10	53.75
मार्च 2015	60.00	46.05	मार्च 2015	60.00	46.00

(छ) रजिस्ट्रार तथा ट्रांसफर एजेंट(आरटीए) : कंपनी ने अपना आरटीए अर्थात मेसर्स एमसीएस लिमिटेड को बदल लिया है तथा कंपनी के निदेशक मंडल के अनुमोदन के अनुसार मेसर्स एमसीएस शेयर ट्रांसफर एजेंट लिमिटेड, एफ–65 ओखला औद्योगिक क्षेत्र, फेज–I, नई दिल्ली–110020 को दिनांक 01 अप्रैल, 2015 से डिमैटरियलाइज्ड तथा फिजिकल दोनों प्रकार के शेयरों के लिए अपना रजिस्ट्रार एवं शेयर ट्रांसफर एजेन्ट नियुक्त किया है।

(ज) शेयरों का डिमैटरियलाइजेशन : सीडीएसएल तथा एनएसडीएल द्वारा आईएसआईएन संख्या आईएनई 123 एफ01029 के साथ, एमएमटीसी लिमिटेड के शेयर डिमैटरियलाइज्ड रूप में व्यापार करने हेतु स्वीकृत सिक्यूरिटी के रूप में स्वीकार किए गए।

31 मार्च, 2015 को एमएमटीसी लिमिटेड के 100 करोड़ प्रत्येक 1 रुपये फेस वैल्यू वाले इक्विटी शेयरों में से 89,92,68,762 शेयर भारत के राष्ट्रपति के नाम पर हैं और 10,07,27,809 डिमैटरियलाइज्ड रूप में अन्य के पास हैं, और केवल 3,429 शेयर फिजिकल रूप में हैं।

(झ) शेयर अंतरण पद्धति : कंपनी के शेयरों का ट्रांसफर इनके प्रस्तुत किए जाने पर मानक अवधि के भीतर हो जाता है। डिमैटरियलाइज्ड रूप में उपलब्ध शेयरों का अन्तरण डिपाजिटरी प्रतिभागियों के माध्यम से एनएसडीएल/ सीडीएसएल द्वारा इलेक्ट्रोनिक फार्म

में प्रोसेस तथा अनुमोदित किया जाता है। दिनांक 31.03.2015 को शेयर अन्तरण का कोई भी मामला लम्बित नहीं था। शेयर अंतरण तथा निवेश संबंधी सभी मामले आरटीए कार्यालय अर्थात एमसीएस लिमिटेड द्वारा देखे तथा प्रोसेस किए जाते हैं। शेयरधारक अंतरण डीड तथा अन्य किसी दस्तावेजों को एमएमटीसी लिमिटेड के आरटीए कार्यालय में उपरोक्त पते पर जमा करा सकते हैं।

दिनांक 31.03.2015 को शेयर होल्डिंग का वितरण: स्टॉक एक्सचेंज के साथ हुए सूचीकरण अनुबंध के खंड 35 के अनुसरण में दिनांक 31.3.2015

शेयरहोल्डर की श्रेणी	शेयरहोल्डर्स की संख्या	शेयरों की संख्या	कुल शेयरों की संख्या का % में कुल शेयरहोल्डिंग
प्रोमोटर तथा प्रोमोटर ग्रुप की शेयरहोल्डिंग			
केंद्र सरकार	1	899268762	89.9268
पब्लिक शेयरहोल्डिंग			
म्युचुअल फंड्स/यूटीआई	2	184928	0.0185
वित्तीय संस्थान/बैंक	11	2974668	0.2975
विदेशी संस्थान निवेशक	5	1526258	0.1526
बीमा कंपनी	6	57382994	5.7383
गैर–संस्थान			
कारपोरेट बाडी	1310	8323391	0.8323
व्यक्तिगत होल्डर्स जिनकी शेयर पूंजी 1 लाख रूपए तक है	90389	29520620	2.9521
व्यक्तिगत होल्डर्स जिनकी शेयर पूंजी 1 लाख रूपए से अधिक है	1	106000	0.0106
ट्रस्ट तथा फाउंडेशन	2	1900	0.0002
नॉन रेजिडेंट व्यक्ति	763	710479	0.0710
कुल	92490	1000000000	100

टिप्पणी : कोई भी जीडीआर/एडीआर/वॉरन्ट/परिवर्तनीय दस्तावेज बकाया नहीं है।

(ट) शेयरधारकों/अन्य निवेशकों की शिकायतें :

शेयरधारक/अन्य निवेशक अपनी शिकायत श्री जी आनंदनारायणन, सहायक कम्पनी सचिव को ई–मेल आईडी ganarayanan@mmtclimited.gov.in पर भेज सकते हैं।

(ठ) पत्राचार का पता : बोर्ड सचिवालय एमएमटीसी लिमिटेड, कोर –1, स्कोप कॉम्पलेक्स, 7, इंस्टीट्यूश्नल एरिया, लोदी रोड, नई दिल्ली–110003. फोन संख्या : 011– 24361889/ फैक्स संख्या : 011–24360724 ई–मेल: ganarayanan@mmtclimited.gov.in

एमएमटीसी लिमिटेड
MMTC LIMITED
भारत सरकार का उपक्रम
A GOVT. OF INDIA ENTERPRISE
touching lives, adding value

ब्लैक एंड कंपनी

कंपनी सेक्रेटरीज

307 (तीसरी मंजिल), 79–श्याम लाल रोड, दरिया गंज, नई दिल्ली–110002 (भारत)
फोन : +91-11-43623703 Telefax: +91-11-23241223
E-mail: info@globizassociates.com

कारपोरेट गवर्नेंस का अनुपालन प्रमाण पत्र

सेवा में,
एमएमटीसी लिमिटेड के सदस्यगण

हमने 31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष के लिए एमएमटीसी लिमिटेड द्वारा स्टॉक एक्सचेंज के साथ हुए सूचीयन अनुबंध के खंड 49 में कारपोरेट गवर्नेंस से संबंधित शर्तों के अनुपालन संबंधी जांच की है।

कारपोरेट नियमन की शर्तों का अनुपालन करना प्रबंधतंत्र की जिम्मेदारी है। हमारी जांच कारपोरेट नियमन की शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कंपनी द्वारा अपनाई गई प्रक्रियाओं तथा उनके कार्यान्वयन तक सीमित थी। हमारी जांच न तो कंपनी के वित्तीय विवरणों का लेखा परीक्षण है और न ही किसी मत की अभिव्यक्ति है।

हमारे मत व जानकारी तथा हमें उपलब्धि कराए गए स्पष्टीकरणों तथा निदेशकों एवं प्रबंधतंत्र द्वारा दिए गए विवरणों के अनुसार हम प्रमाणित करते हैं कि निम्नलिखित शर्तों के अतिरिक्त कंपनी ने उपर्युक्त सूचीयन करार के अनुसार कारपोरेट नियमन की शर्तों का अनुपालन किया है।

क) जैसा कि धारा 49(II)(ए)(1) में अपेक्षित है कंपनी ने महिला निदेशक नियुक्त नहीं की है।

ख) निदेशक मंडल के संगठन में स्वतंत्र निदेशकों की संख्या के संबंध में अनुपालन नहीं किया गया है। जैसा कि धारा 49(II)(ए)(2) में निर्धारित है। आदर्श बोर्ड संरचना के लिए कंपनी को और दो स्वंतंत्र निदेशक नियुक्त करने होंगे।

ग) कंपनी ने धारा 49 (II)(ई)(2) के अंतर्गत वार्षिक आधार पर अपेक्षित आचार संहिता के अनुपालन के संबंध में सभी बोर्ड सदस्यों एवं वरिष्ठ प्रबंधतंत्र के कार्मिकों से अभिपुष्टि प्राप्त कर ली है। सिवाय एक अधिकारी (महाप्रबंधक) जो कि अभी सेवा से निलंबित हैं।

हम यह भी व्यक्त करते हैं कि उक्त अनुपालन न तो कंपनी की भावी व्यवहार्यता के रूप में आश्वासन है और न ही कंपनी द्वारा अपने कार्य संचालन में अपनाई गई कुशलता अथवा गतिशीलता का प्रमाण है।

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 06 अगस्त 2015

कृते ब्लैक एंड कंपनी
कंपनी सेक्रेटरीज

(सीएस अर्चना बंसल)
वरिष्ठ भागीदार
एम न.ए–17865
सीओपी न.–11714

व्यवसाय दायित्व रिपोर्ट
वित्त वर्ष 2014-15

हमारे विषय में

यह कंपनी भारत में निगमित और स्थापित हुई है। यह मिनी रत्न केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है जो वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के नियंत्रणाधीन है। कंपनी का पंजीकृत कार्यालय कोर–1 स्कोप कॉम्पलेक्स, इंस्टीट्यूशनल एरिया, लोदी रोड, नई दिल्ली–110003 भारत में स्थित है। भारत के प्रमुख शहरों एवं बंदरगाहों पर निगम के 11 क्षेत्रीय कार्यालयों के साथ–साथ पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी एमएमटीसी ट्रांसनेशनल प्राइवेट लिमिटेड (एमटीपीएल सिंगापुर) एवं दक्षिण अफ्रीका के जोहंसबर्ग में एक संपर्क कार्यालय भी है।

खनिजों का निर्यात और कीमती धातु, अलौह धातु, उर्वरक, कृषि उत्पाद, कोल व हाइड्रोकार्बन का आयात कंपनी के प्रमुख कार्यकलाप है।

कंपनी के व्यापारिक कार्यकलाप एशिया, यूरोप, अफ्रीका, मिडल ईस्ट, लैटिन अमेरिका और उत्तरी अमेरिका के देशों में फैले हुए हैं।

सार्वजनिक क्षेत्र का यह पहला उपक्रम है जिसे निर्यात में अपने लम्बे योगदान के लिए भारत सरकार द्वारा प्रदत्त 'फाईव स्टार एक्सपोर्ट हाउस का दर्जा दिया गया है।

मुक्त वातावरण में उभरते हुए अवसरों का लाभ उठाने के उदेद्श्य से एमएमटीसी ने प्राइवेट पार्टनरशिप के रूट को अपनाते हुए नीलाचल इस्पात निगम लिमिटेड, एमएमटीसी पैम्प , शुद्धि, सिकाल, फ्री ट्रेड वेयरहाउसिंग प्रा. लि. आदि जैसे विभिन्न संयुक्त उपक्रमों को प्रोन्नत किया है।

कारपोरेट मिशन

भारत की सबसे बड़ी व्यापारिक कंपनी एवं एशिया की एक प्रमुख व्यापारिक कंपनी के रूप में एमएमटीसी का लक्ष्य है कि अपने शेयरहोल्डरों, ग्राहकों, आपूर्तिकारों, कर्मचारियों और समाज की संपूर्ण संतुष्टि के साथ–साथ अपने सभी कार्यकलापों में उत्कृष्टता द्वारा टिकाउ एवं व्यवहार्य वृद्धि दर प्राप्त करते हुए अपनी स्थिति को और बेहतर बनाए।

कारपोरेट उद्देश्य

- विश्व स्तर पर व्याप्त व्यापारिक प्रतिस्पर्धा के वातावरण में कार्यशील रहते हुए, विशेषकर थोक व्यापार के क्षेत्र में विशिष्ट्ता प्राप्त कर स्वयं को एक अग्रणी अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक कंपनी के रूप में स्थापित करना तथा नियोजित पूंजी से समुचित लाभ उठाना।
- खनिजों, धातुओं तथा बहुमूल्य धातुओं जैसे उत्पादों के व्यवसाय में देश की एकमात्र विशालतम कंपनी के स्थान को बनाए रखना।
- व्यापार संबंधी संरचना के विकास को प्रोन्नत करना।
- मध्यम एवं लघु स्तर के उद्योगो को सहायक सेवाएं उपलब्ध करवाना।
- सभी श्रेणी के ग्राहकों को व्यावसायिकता व कुशलता के साथ उच्च गुणवत्ता की सेवाएं प्रदान करना।
- वाणिज्यिक विवादों के निपटान के लिए कंपनी के भीतर कारगर व्यवस्था स्थापित करना।
- उच्चतर उत्पादकता प्राप्त करने के लिए कर्मचारियों की कुशलता को बढ़ाना।

व्यापार दायित्व रिपोर्ट–वित्त वर्ष 2014–15

वर्ष 2012 में सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (सेबी) द्वारा आरंभ किए गए लिस्टिंग एग्रीमेंट के खंड 55 के अनुसार बाजार पूंजीकरण के संदर्भ में शीर्ष सौ सूचीबद्ध कंपनियों के लिए वार्षिक व्यापार दायित्व रिपोर्ट (बीआरआर) अनिवार्य कर दी गई है। यद्यपि इस वर्ष एमएमटीसी शीर्ष सौ कंपनियों की सूची में नहीं है फिर भी हम अपनी वार्षिक बीआरआर प्रकाशित कर रहे हैं।

खण्ड क : कंपनी के बारे में सूचना

1. कंपनी का कारपोरेट आईडेंटिटी नम्बर (सीआईएन)
   एल 51909डीएल1963जीओआई004033
2. कंपनी का नाम
   एमएमटीसी लिमिटेड
3. पंजीकृत पता
   कोर–1, स्कोप काम्पलेक्स
   7, इंस्टीटयूशनल एरिया, लोदी रोड
   नई दिल्ली–110003
4. वेबसाइट
   www.mmtclimited.com
5. ई मेल आईडी
   mmtc@mmtclimited.com
6. रिपोर्ट किया गया वित्त वर्ष
   2014–15

7. क्षेत्र जिसमें कंपनी कार्यरत है (औद्योगिक कार्यकलाप कोड वार)
ट्रेडिंग

8. तीन प्रमुख उत्पादों/सेवाओं की सूची जिनका कंपनी निर्माण करती है या उपलब्ध कराती है।

(i) बहुमूल्य धातुएं

(ii) उर्वरक

(iii) कोल एवं हाईड्रोकार्बन

9. ऐसे स्थानों की कुल संख्या जहां कंपनी द्वारा व्यापारिक गतिविधियां चलाई जाती हैं

(i) अंतर्राष्ट्रीय स्थानों की संख्या (प्रमुख 5 का विवरण दें)
1 सिंगापुर में एक सहायक कंपनी
1 जोहंसबर्ग में संपर्क कार्यालय

(ii) राष्ट्रीय स्थानों की संख्या
भारत में 11 क्षेत्रीय कार्यालय

10. निगम द्वारा जिन बाजारों में आपूर्ति की जाती है– स्थानीय/राज्य/राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय **एशिया, यूरोप, अफ्रीका, मध्य पूर्व, लेटिन अमेरिका तथा उत्तरी अमेरिका**

खण्डा खः कंपनी का वित्तीय विवरण

1.	प्रदत्तं पूंजी(आइएनआर)	**1000 मिलियन**
2.	कुल कारोबार(आईएनआर)	**182415.04 मिलियन**
3.	करोपरांत कुल लाभ 2014–15(आईएनआर)	**479.10 मिलियन**
4.	कारपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) पर कर पश्चात लाभ के प्रतिशत के रूप में कुल बजटीय व्यय (प्रतिशत)	कंपनी अधिनियम के अनुसार कंपनी का पिछले तीन वर्षो का औसत शुद्ध लाभ निगेटिव था अतः इसके लिए फंड्स नहीं आबंटित किए गए थे। फिर भी इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए कि कंपनी वर्ष 2006 से सीएसआर पर कार्य कर रही है इसलिए वर्ष 2014–15 के लिए निदेशक मंडल ने 49 लाख रूपये आबंटित किए हैं।
5.	उपर्युक्त 4 में से जिन कार्यकलापों पर खर्च किया गया उसकी सूची।	सीएसआर के लिए आबंटित फंड्स का प्रमुख हिस्साब उत्तरी दिल्लीं के हैदरपुर में स्थित जेजे कलस्टर में जहां पर 3500 से अधिक परिवार रहते हैं वहां पर दो विशाल पब्लिक टायलेट कॉम्पलैक्स बनाने में खर्च कर दिया जिसे "सुलभ इंटरनेशनल सोशल सर्विस आर्गेनाइजेशन" के सहयोग से बनाया गया है।इसके अतिरिक्त भारत सरकार द्वारा गंगा नदी के कायाकल्प के लिए स्थापित क्लीन गंगा फंड में योगदान दे दिया था।

खण्ड गः अन्य विवरण

1 **क्या कंपनी की कोई सहायक कंपनी/कंपनियां हैं?** जी हॉ, एमएमटीसी ट्रांसनेशनल पीटीई लिमिटेड, सिंगापुर (विदेश में सहायक कंपनी)

क्या सहायक कंपनी/कंपनियां मूल कंपनी की बीआर पहलों में भाग लेती हैं यदि हॉ तो ऐसी सहायक कंपनियों की संख्या इंगित करें।

कोई नहीं

2. **क्या कोई अन्य व्यक्ति (उदाहरणार्थ आपूर्तिकर्त्ता वितरक आदि) जिनके साथ कंपनी व्यापार करती है, कंपनी की बीआर पहलों में भाग लेते हैं यदि हॉ तो उक्त व्यक्तियों की प्रतिशतता को इंगित करें (30 प्रतिशत से कम, 30 से 60 प्रतिशत तक, 60 प्रतिशत से अधिक)**

कोई नहीं

खण्ड घः बी आर सूचना

1. बीआर के लिए उत्तरदायी निदेशक/निदेशकों का विवरण

ए. बीआर नीति/नीतियों के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी निदेशक/निदेशकों का विवरण

- डीआईएन संख्या – **03368001**
  नाम – **श्री राजीव जयदेव**
  पदनाम – **निदेशक(कार्मिक)**

बी) बीआर प्रमुख का विवरण

क्र.सं.	ब्यौरा	विवरण
1.	डीआईएन संख्या (यदि लागू है)	लागू नहीं
2.	नाम	वी के पाण्डेय
3.	पदनाम	मुख्य महाप्रबंधक (कार्मिक)
4.	टेलीफोन न.	011-24361256
5.	ई मेल आई डी	vkp@mmtclimited.com

2. सिद्धांतवार(एनबीजी) बीआर नीति/नीतियां (हॉ/नहीं में उत्तर दें)

सिद्धांत 1 – नीतिपरक, पारदर्शी एवं उत्तरदायित्वपूर्ण तरीके से बिजनेस संचालित किया जाना चाहिए।

सिद्धांत 2 – बिजनेस को ऐसी वस्तुएं एवं सेवाएं उपलब्ध करवानी चाहिए जो सुरक्षित होने के साथ साथ अपने जीवन चक्र के दौरान स्थाई बनी रहें।

सिद्धांत 3 – बिजनेस को सभी कर्मचारियों के कल्याण को प्रोन्नत करना चाहिए।

सिद्धांत 4 – बिजनेस को सभी स्टेकहोल्डर्स, विशेषकर पिछड़े कमजोर एवं अधिकारहीन आदि के हितों के प्रति संवेदनशील एवं जवाबदेह होना चाहिए।

सिद्धांत 5 – बिजनेस को मानव अधिकारों के प्रति संवेदनशील होना चाहिए एवं उन्हें प्रोन्नत करना चाहिए।

सिद्धांत 6 – बिजनेस को पर्यावरण का सम्मान, सुरक्षा एवं बचाने के लिए प्रयास करना चाहिए।

सिद्धांत 7 – जनता एवं नियामक नीतियों को प्रभावित करते समय बिजनेस को जिम्मेदार तरीके से कार्य करना होगा।

सिद्धांत 8 – बिजनेस को वृद्धि एवं समान विकास को प्रोन्नत करना चाहिए।

सिद्धांत 9 – बिजनेस को अपने ग्राहकों एवं उपभोक्ताओं के साथ एक जिम्मेदार रूप से व्यवहार करते हुए उन्हें सम्मान देना चाहिए।

क्र. सं.	प्रश्न	पी1	पी2	पी3	पी4	पी5	पी6	पी7	पी8	पी9
1.	क्या आपके पास.....के लिए नीति/नीतियां	हां	नहीं	हां	हां	हां	नहीं	नहीं	हां	नहीं
2.	क्या नीति संबंधित स्टेक होल्डरों से परामर्श करके बनाई गई	हां		हां	हां	हां			हां	
3.	क्या. नीति किसी राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों के अनुसार है यदि हां तो स्पष्ट करें	नहीं		नहीं	हां	हां			हां	
4.	क्या नीति बोर्ड द्वारा अनुमोदित की गई है यदि हां तो क्या यह एमडी/मालिक/सीईओ/उपयुक्त बोर्ड निदेशक द्वारा हस्ताक्षर की गई है।	हां		हां	हां	हां			हां	

क्र. सं.	प्रश्न	पी1	पी2	पी3	पी4	पी5	पी6	पी7	पी8	पी9
5.	क्या कंपनी में बोर्ड की विशिष्ट समिति/निदेशक/नीति के कार्यान्वयन पर नजर रखने वाले कर्मचारियों की निर्धारित समिति है?	हां		हां	हां	हां			हां	
6.	नीति को ऑनलाइन देखने के लिए क्या लिंक है	www. mmtclimited.gov.in; www.mmtclimited.com		www. mmtclimited.gov.in; www.mmtclimited.com						
7.	क्या नीति आंतरिक व बाह्य सभी स्टेक होल्डरों को विधिवत बताई गई है?	हां		हां	हां	हां			हां	
8.	क्या कंपनी में नीति/नीतियों को लागू करने के लिए इन हाउस स्ट्रक्चर है?	हां		हां	हां	हां			हां	
9.	क्या कंपनी में स्टेक होल्डरों की नीति/नीतियों से संबंधित शिकायत को दूर करने के लिए कोई शिकायत निवारण व्यवस्था है?	हां		हां	हां	हां			हां	
10.	क्या कंपनी ने इस नीति को सुचारू रूप से काम करने के लिए किसी आंतरिक अथवा स्वतंत्र एजेंसी द्वारा आडिट/मूल्यांकन करवाया है।	नहीं	नहीं			हां				

2ए. यदि क्र.सं. 1 के लिए किसी भी प्रिंसिपल का उत्तर नहीं है तो कृपया उल्लेख करें कि उत्तर क्यों नहीं है (कालम 2 विकल्पों तक टिक करें)

क्र. सं.	प्रश्न	पी1	पी2	पी3	पी4	पी5	पी6	पी7	पी8	पी9
1.	कंपनी ने सिद्धांतों को नहीं समझा है।									
2.	कंपनी ऐसी स्थिति में नहीं है जहां वह निर्धारित सिद्धांतों पर बनाई गई नीतियों को बनाकर लागू कर सकें।		✓				✓	✓		✓
3.	कंपनी के पास इस काम के लिए वित्तीय अथवा श्रम शक्ति के स्त्रोत उपलब्ध नहीं है।									
4.	ऐसा अगले छः महीनों में कर लेने की योजना है।									
5.	ऐसा अगले एक वर्ष में कर लेने की योजना है।									
6.	अन्य. कोई कारण (कृपया उल्लेख करें)									

3. बी आर से संबंधित गवर्नेंस

कृपया यह बताएं कि निदेशक मंडल, बोर्ड समिति या मुख्य कार्यकारी अधिकारी किस अंतराल पर कंपनी की बीआर परफारमेंस का जायजा लेते हैं। 3 मास की अवधि में, 3–6 मास की अवधि में, वार्षिक रूप से, 1 वर्ष से अधिक की अवधि में।

एमएमटीसी का बोर्ड नियमित रूप से प्रत्येक तिमाही

को बैठक करता है। बोर्ड की बैठकों में स्ट्रक्चर एजेंडा पर चर्चा होती है। सभी बड़े मामलों के लिए अन्य व्याख्यात्मक टिप्पणियों के साथ एजेंडा का विस्तार से उल्लेख करते हुए कागजात पहले से ही जारी कर दिए जाते हैं जिससे कि बोर्ड मामले पर समुचित तथा स्वतंत्र निर्णय ले सके।

कंपनी के मामलों पर शीघ्र विचारार्थ तथा सही दिशा में निर्णय लेने के लिए बोर्ड ने विशेष भूमिका, दायित्व तथा शक्तियों से निहित विभिन्न समितियों का गठन किया है। शीर्ष प्रबंधन प्रत्येक तिमाही में होने वाली बैठक में संगठन की पुनरीक्षा करता है। वर्ष 2014–15 के दौरान एमएमटीसी के प्रबंधतंत्र ने निम्नलिखित पर विचार विमर्श एवं पुनरीक्षा की।

- कारपोरेट योजना/एमओसी एण्ड आई के साथ मसौदा एमओयू
- एचआर से संबंधित मामले
- संयुक्त उद्यमों में निवेश
- बजट
- शेयर के मूल्य तथा एमएमटीसी का शेयरधारिता पेटर्न
- वित्तीय विवरणों/परिणामों को मंजूरी
- सीएसआर/एसडी गतिविधियों का कार्यान्वयन
- वर्ष 2013–14 के लिए वार्षिक रिपोर्ट/बीआरआर

क्याव कंपनी बीआर अथवा सस्टेनबिलिटी रिपोर्ट प्रकाशित करती है। इस रिपोर्ट का अवलोकन करने के लिए कौन सा हाइपर लिंक उपलब्ध है। यह रिपोर्ट कितने अंतराल पर प्रकाशित की जाती है।

सेबी के आदेश (मैनडेट) के अनुसार मार्किट कैपिटल के आधार पर 100 शीर्ष कंपनियों को बीआरआर तैयार करनी होती है। वर्ष 2012–13 के लिए एमएमटीसी ने अपनी पहली बीआरआर तैयार की थी। बीआरआर वार्षिक रिपोर्ट का भाग होती है तथा इसे आफिशियल वेबसाइट www.mmtclimited.gov.in पर देखा जा सकता है।

यद्यपि इस वर्ष एमएमटीसी शीर्ष 100 की सूची में नहीं है फिर भी अपनी वार्षिक रिपोर्ट के भाग के रूप में एमएमटीसी वर्ष 2012–13 के दौरान प्रकाशित की गई बीआर, इस बार भी प्रकाशित कर रही है।

संगठन यूनाइटेड नेशनल ग्लोबल कॉम्पैक्ट नेटवर्क का सदस्य है तथा नियमित रूप से वार्षिक आधार पर कम्यूनिकेशन आन प्रोग्रेस (सीओपी) जारी करता है। यह यूएनजीसी की वेबसाइट पर हमारे सभी स्टेक होल्डरों के लिए उपलब्ध है।

खण्ड ई – सिद्धांत वार निष्पादन सिद्धांत 1 – व्यापार नैतिकता, पारदर्शिता तथा जवाबदेही की नीतियों पर आधारित हो।

1. क्या नैतिकता, रिश्वत तथा भ्रष्टाचार से संबंधी नीति केवल कंपनी पर ही लागू रहती है।

जी हां। कंपनी का नैतिक आचार विभिन्न नीति पहलों में परिलक्षित होता है। यद्यपि कर्मचारियों के आचार, अनुशासन व अपील नियमों के अधीन संगठन के सभी स्तर के कर्मचारी आते हैं तथापि एमएमटीसी के वरिष्ठ प्रबंधन (बोर्ड स्तर के अधिकारियों सहित) के लिए निदेशक मंडल एवं वरिष्ठ प्रबंधन हेतु आचार एवं नैतिक संहिता के रूप में अलग पैक्ट "व्हिसलब्लोअर नीति तथा सिटीजन चार्टर जैसी नीतियां भी हैं।

क्या यह ग्रुप/संयुक्त उद्यम/सप्लायरों/ठेकेदारों/एनजीओ/अन्य पर भी लागू होता है।

जी हां, इंटिग्रेटी पैक्ट, सिटीजन चार्टर, सप्लायरों, ठेकेदारों आदि पर भी लागू होता है जबकि कोड ऑफ कंडक्ट तथा विसल ब्लोंअर नीतियां केवल कंपनी के कर्मचारियों के लिए है।

2. पिछले वित्त वर्ष में स्टेक होल्डरों की कितनी शिकायतें प्राप्त हुई तथा उनका कितने संतोषजनक रूप से निपटान प्रबंधतंत्र द्वारा किया गया। यदि कुछ है तो उसका 50 शब्दों में ब्यौरा दें।

14 स्टेकहोल्डेरों से शिकायत प्राप्त हुई थी जिनमें से 11 का संतोषजनक समाधान कर दिया है। एक शिकायत जाली नाम से पाई गई थी।

प्रिंसिपल 2 – व्यापार ऐसा माल तथा सेवाएं प्रदान करे जो कि सुरक्षित तथा अपने जीवन चक्र में टिकाउ हो।

लागू नहीं। एमएमटीसी केवल ट्रेडिंग कारोबार में है तथा उत्पादन में सीधे रूप से लिप्त नहीं है। तथापि एमएमटीसी जिन उत्पादों में ट्रेड करती है उनकी श्रेष्ठ गुणवत्ता सुनिश्चित करती है।

प्रिंसिपल 3 – व्यापार कर्मचारियों के कल्याण को उन्नत करने वाला हो।

1. कृपया कुल कर्मचारियों की संख्या बताएं

दिनांक 31.3.2015 को कुल कर्मचारी संख्या 1439 (निदेशक मंडल के अधिकारियों को छोड़कर) है।

2. **कृपया अस्थाई/ठेके पर/कैजुअल आधार पर रखे गए कर्मचारियों की संख्या बताएं।**

विभिन्न एजेंसियों/सोसाइटियों से कुल 227 कर्मचारी ठेके पर रखे गए हैं।

3. **कृपया स्थाई महिला कर्मचारियों की संख्या बताएं।**

दिनांक 31.03.2014 को कुल स्थाई महिला कर्मचारियों की संख्या 301 है।

4. **कृपया विकलांग स्थाई कर्मचारियों की संख्या बताएं।**

विकलांग स्थाई कर्मचारियों की संख्या–33 है।

5. **क्या आपके संगठन में प्रबंधतंत्र द्वारा मान्यता प्राप्त कोई कर्मचारी संघ है।**

जी हां

6. **इस मान्यता प्राप्त कर्मचारी संघ में स्थाई कर्मचारियों की सदस्यता का क्या प्रतिशत है?**

100 प्रतिशत

7. **कृपया बाल मजदूरी, जबरन मजदूरी, अनैच्छिक मजदूरी, यौन उत्पीड़न से जुड़े पिछले वित्त वर्ष में प्राप्त शिकायतें तथा इस वित्त वर्ष में लम्बित शिकायतों की संख्या का उल्लेख करें।**

क्र. सं.	श्रेणी	वित्तीय वर्ष में प्राप्त शिकायतों की संख्या	वित्तीय वर्ष के अंत में लम्बित शिकायतों की संख्या
1.	बाल मजदूरी/जबरन मजदूरी/अनैच्छिक मजदूरी	0	0
2.	यौन उत्पीड़न	0	0
3.	भेदभावपूर्ण रोजगार	0	0

8. **पिछले वर्ष में आपके निम्नलिखित कर्मचारियों के कितने प्रतिशत कर्मचारियों को सुरक्षा व कार्यकुशलता को बढ़ाने का प्रशिक्षण दिया गया।**

- स्थाई कर्मचारी 1439 में से 1057 अर्थात 73.45 प्रतिशत
- स्थाई महिला कर्मचारी – 1057 में से 302 अर्थात 28.57 प्रतिशत
- विकलांग कर्मचारी – 1057 में से 28 अर्थात 2.65 प्रतिशत

प्रिंसिपल 4 – व्यापार में सभी स्टेकहोल्डर्स के हितों का, विशेषकर उनका जो कि सुविधाहीन, असुरक्षित तथा अधिकारहीन हैं, का सम्मान करते हुए जवाबदेह होना चाहिए।

1. **क्या कंपनी ने अपने आंतरिक तथा बाह्य स्टेकहोल्डरों को मैप कर लिया है? हां/नहीं**

जी हां, अपनी विद्यमानता के वर्षों में संगठन ने स्टेकहोल्डरों के विभिन्न ग्रुपों की पहचान की है तथा संपर्क बनाया है– इनमें कर्मचारी, शेयरधारक जैसे आंतरिक हैं तथा बाह्य ग्राहक, समुदाय आदि जैसे बाह्य स्टेकहोल्डर्स शामिल हैं।

2. **उपरोक्त में से क्या कंपनी ने सुविधाहीन असुरक्षित तथा अधिकारहीन स्टेकहोल्डरों की पहचान की है?**

जी हां। संगठन ने समुदाय के असुरक्षित तथा अधिकारहीन स्टेकहोल्डरों की पहचान की है तथा सीएसआर गतिविधियों द्वारा इनसे संपर्क बनाया है।

3. **क्या कंपनी द्वारा सुविधाहीन, असुरक्षित तथा अधिकारहीन स्टेकहोल्डरों के साथ संपर्क बनाने के लिए कोई विशेष कदम उठाए हैं? यदि हां तो इसका पचास या अधिक शब्दों में ब्यौरा दें।**

अपने कार्यालयों से संबंधित समुदायों के कल्याण के लिए कार्य करना एमएमटीसी के कार्यकलापों का प्राकृतिक तत्व है। सुविधाहीन, असुरक्षित तथा अधिकारहीन स्टेकहोल्डरों के लिए उपयुक्त सफाई

तथा हाइजीन सुविधायें सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सीएसआर के लिए आबंटित फंडस के प्रमुख हिस्से से हमने हैदरपुर के जेजे कलस्टर में 3500 पारिवारिक इकाइयों के लिए ''सुलभ इंटरनेशनल सोशल सर्विस ओर्गेनाइजेशन'' के सहयोग से दो विशाल 12 सीटर पब्लिक शौचालय कॉम्प्लैक्सों का निर्माण किया है।

प्रिसिंपल 5.व्यापार में मानव अधिकारों का सम्मान तथा इन्हें प्रोन्नत किया जाना चाहिए।

1. **क्या कंपनी की मानव अधिकार नीति केवल कंपनी तक ही सीमित है या इसमें ग्रुप/संयुक्त उद्यम/आपूर्तिकर्ता/ठेकेदार/एनजीओ/अन्य भी शामिल हैं?**

एक सरकारी कंपनी होने के कारण एमएमटीसी भारत के संविधान जिसमें सभी नागरिकों के लिए न्याय, स्वतंत्रता, समानता तथा भाईचारे का संकल्प है तथा जिसमें विश्वव्यापी मूल मानवाधिकार घोषणा में निदेशित मानव अधिकार महत्ता भी शामिल है, के प्रति निष्ठावान है। एमएमटीसी अपने कार्यस्थलों पर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत मानव अधिकारों का सम्मान कर उनकी सुरक्षा के सहयोग के लिए प्रतिबद्ध है। यद्यपि निगम के कार्मिक प्रबंधन मैन्युअल अथवा मानवाधिकार नीति में मानवाधिकारों पर कोई विशेष व्यवस्था नहीं है, फिर भी मैन्युअल कर्मचारियों के लिए मूलभूत मानवाधिकारों की सुविधा सुनिश्चित करता है। एमएमटीसी में कर्मचारियों की शिकायतों के निवारण के लिए ''सहायता'' के नाम से तीन स्तरीय शिकायत निवारण व्यवस्था है। एमएमटीसी की प्रबंधन व्यवस्था में स्वास्थ्य, सुरक्षा, निवास तथा शिक्षा के लिए प्रावधान है। इन सभी को सर्वांगीण रूप से सुनिश्चित करने के लिए एमएमटीसी में पूरी व्यवस्था है।

2. **पिछले वित्त वर्ष में कितने स्टेकहोल्डरों से शिकायतें प्राप्त हुईं तथा इनमें प्रबंधतंत्र द्वारा कितने प्रतिशत का संतोषजनक निवारण किया गया?**

वित्तीय वर्ष में ऐसी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

प्रिंसिपल 6 : व्यापार में पर्यावरण का सम्मान, संरक्षण तथा इसके पुनः स्थापित किए जाने के प्रयास किए जाने चाहिए।

क्योंकि संगठन में निर्माण संबंधी गतिविधियां नहीं हैं अतः यह प्रिंसिपल लागू नहीं होता।

1. **क्या नियम 6 से संबंधित नीति केवल कंपनी में ही लागू होती है या फिर यह ग्रुप/संयुक्त उद्यम/आपूर्तिकर्ता/ठेकेदार/एनजीओज/अन्य पर भी लागू है?**

संगठन में पर्यावरण पर कोई लिखित नीति नहीं है। तथापि यूएन ग्लोबल काम्पैक्ट का सदस्य होने के नाते हम पर्यावरणीय रूप से जवाबदेह तरीके से काम करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

2. **क्या कंपनी में जलवायु, बदलाव तथा ग्लोबल वार्मिंग जैसी पर्यावरण की समस्याओं से निपटने के लिए कोई नीति/उपाय शुरू किए गए हैं? हां/नहीं। यदि उत्तर हां है तो कृपया वैब–पेज का हाइपरलिंक बताएं।**

एमएमटीसी माइनिंग क्षेत्र में वृक्षारोपण द्वारा, जनजाति क्षेत्रों में विकास करके तथा बंदरगाह सुविधाओं द्वारा मूलभूत ढांचे में विकास करके पर्यावरण को बचाने के लिए प्रतिबद्ध है। संगठन कम्युनिकेशन आन प्रोग्रेस (सीओपी) के माध्यम से इस दिशा में किए गए विभिन्न प्रयासों की यूएन ग्लोबल कॉम्पैक्ट को नियमित रिपोर्ट देता है।

3. **क्या कंपनी संभावी पर्यावरण जोखिमों को पहचान कर उनका मूल्यांकन करती है? हां/नहीं**

यद्यपि संगठन सीधे किसी विनिर्माण से नहीं जुडा है, तथापि यह पर्यावरण के प्रति जवाबदेह तरीके से काम करता है। एमएमटीसी लोक उद्यम विभाग, भारत सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों का अनुपालन करती है। जिसके अनुसार पर्यावरणीय पहलुओं से संबंधित परियोजनाओं की पहचान किए जाने के साथ–साथ उनका कार्यान्वयन भी किया जाता है।

4. **क्या कंपनी में क्लीन डेवलपमेंट मेकेनिज्म से संबंधित कोई प्रोजेक्ट है। यदि हां तो पचास या अधिक शब्दों में उसका विवरण दें? यदि उत्तर हां है तो यह भी बताएं कि क्या कोई पर्यावरण अनुपालन रिपोर्ट फाइल की गई है?**

जी नहीं ।

5. **क्या कंपनी ने स्वच्छ तकनीकी ऊर्जा एफीशेंसी, रिन्यूऐबल ऊर्जा आदि पर कोई कदम उठाया है? हां/नहीं यदि हां तो वेब–पेज आदि का हाइपरलिंक बताएं।**

एमएमटीसी पूरे संगठन में उर्जा संरक्षण के लिए पुराने

बिजली के उपकरणों को उर्जा कुशल स्टार रेटेड उपकरणों से बदल रही है।

एमएमटीसी ने अपने झंडेवालान में स्थित क्षेत्रीय कार्यालय की छत पर 50 केडब्लयूपी का सोलर पावर प्लांट स्थापित किया है।

इसे आफिशियल वेबसाइट (http://mmtclimited.gov.in/files/MMTC CSR.pdf) पर दिखा रखा है।

6. **क्या कंपनी द्वारा रिपोर्ट के इस वित्तीय वर्ष में उत्पन्न उत्सर्जन/वेस्टेज इत्यादि सीपीसीबी/एसपीसीबी द्वारा दी गई निर्धारित सीमाओं के भीतर रहे हैं?**

लागू नहीं।

7. **वित्तीय वर्ष के अंत में सीपीसीबी/एसपीसीबी से प्राप्त ऐसे कारण बताओ/वैधानिक नोटिसों की संख्या जो लंबित है(संतोषजनक उत्तर नहीं दिए गए)**

लागू नहीं।

प्रिसिंपल 7 : व्यापार यदि पब्लिक तथा नियामक नीति को प्रभावित करता है तो एक जिम्मेदार तरीके से करें ।

1. क्या आपकी कंपनी किसी ट्रेड तथा चैम्बर अथवा एसोसिएशन की सदस्य है? यदि हां, तो कृपया उन मुख्य संघों का उल्लेख करें जिनसे आपके व्यापार का संबंध है

   क. सीआईआई

   ख. फिओ(एफआईईओ)

   ग. फिक्की

   घ. एसोचैम

2. **क्या आपने जनकल्याण को प्रोत्साहित करने के लिए उपरोक्त संघों के माध्यम से वकालत/प्रचार किया है? हां/नहीं; यदि हां तो मुख्य क्षेत्रों का उल्लेख करें (ड्राप बॉक्सः शासन व प्रशासन, आर्थिक सुधार, विस्तृत विकास नीतियां, ऊर्जा सुरक्षा, जल, खाद्य सुरक्षा, दीर्घकालिक व्यापार नीति, अन्य)।**

   संगठन ने उपरोक्त संघों के माध्यम से जन कल्याण से संबंधित मानक के लिए वकालत/प्रचार नहीं किया है।

प्रिसिंपल 8 : व्यापार में विस्तृत वृद्धि तथा यथार्थ बढावा दिया जाना चाहिए

1. **क्या कंपनी के प्रिसिंपल 8 से संबंधित नीतियों के अनुसरण में कार्यक्रमों/पहल/प्रोजेक्ट का उल्लेख किया है? यदि हां तो उसका विवरण दें।**

   संगठन वस्तु उत्पादन का कार्य नहीं करता, अतः वह पर्यावरण तथा समाज जहां यह अपने कार्य प्रचालित करता है वहां कोई सीधा नकारात्मक प्रभाव नहीं डालता तथापि संगठन में सीएसआर नीति लागू है। एमएमटीसी ने कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 135, कारपोरेट अफेयर्स मंत्रालय के सीएसआर नियम, सार्वजनिक उपक्रम विभाग, भारत सरकार द्वारा जारी दिशा–निर्देशों को भी अपनाया है। एमएमटीसी में अपनी कमाई के एक भाग को समाज के उत्थान के लिए सीएसआर गतिविधियों पर खर्च करने की एक संरक्षित प्रक्रिया उपलब्ध है। वर्ष 2012–13 के दौरान कोई लाभ न होने के कारण सीएसआर/एसडी परियोजनाओं के लिए कोई फंड निर्धारित नहीं किए गए। एमएमटीसी द्वारा वर्ष 2014–15 के दौरान आबंटित फंड्स को पूर्ण रूप से स्वच्छ भारत एवं स्लम्स/ में रह रहे लोगों के लिए सही सफाई व्यवस्था मुहैया कराने पर खर्च किया गया है।

2. **क्या कार्यक्रम/प्रोजेक्टस/इन हाउस टीम/अपनी संस्था/बाहरी एनजीओ/सरकारी स्ट्रक्चर/अन्य किसी संगठन द्वारा चलाए जाते हैं?**

   एमएमटीसी में सीएसआर तथा सस्टेनेबिलिटी के लिए बोर्ड स्तर की समिति है जिसमें स्वतंत्र निदेशक तथा कार्यकारी निदेशक के साथ–साथ सहायक कंपनी सचिव सदस्य सचिव हैं। सीएसआर प्रभाग विभिन्न सीएसआर प्रस्तावों की पूरी जांच करता है। फिर ऐसे प्रस्तावों को जो एमओयू में निर्धारित प्रावधानों तथा एमएमटीसी की सीएसआर/एसडी नीतियों में आते हैं को अपनी टिप्पणी के साथ सीएसआर के वार्षिक कार्यान्वयन समिति को भेज देता है। इस प्रकार भेजे गए प्रस्तावों पर सीएसआर समिति विचार करके स्वीकृत प्रस्तावों को अनुमोदन के लिए बोर्ड को भेज देती है। बोर्ड द्वारा अनुमोदित इस प्रकार के प्रोजेक्ट्स के कार्यान्वयन की स्थिति को त्रैमासिक आधार पर सूचनार्थ प्रस्तुत किया जाता है।

   प्रस्ताव के कार्यान्वयन के भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को सीधी अथवा किसी

निजी/सार्वजनिक भागीदार के साथ मिलकर प्रोजेक्ट पर नजर रखते हुए काम करने का निर्देश दिया जाता है। प्रत्येक प्रोजेक्ट के लिए एक नोडल अधिकारी को नियुक्त किया जाता है जिसका कार्य यह होता है कि वह प्रोजेक्ट के समय पर पूरा होने के लिए निगरानी रखे तथा प्रोजेक्ट के पूरा होने के बारे में कारपोरेट कार्यालय को अवगत कराए। प्रोजेक्ट पूरा हो जाने के पश्चात इसका एक स्वतंत्र एजेंसी द्वारा मूल्यांकन किया जाता है।

3. **क्या आपने अपनी पहल का कोई प्रभावी मूल्यांकन किया है?**

एमएमटीसी द्वारा चलाई जा रही सीएसआर गतिविधियों के ''सामाजिक प्रभाव'' का मूल्यांकन एक स्वतंत्र एजेंसी द्वारा इसके प्रभावी मूल्यांकन के लिए भी किया जाता है।

4. **सामुदायिक विकास प्रोजेक्ट्स में आपकी कंपनी का क्या प्रत्यक्ष अंशदान है? भारतीय रुपयों में राशि तथा किए गए प्रोजेक्ट्स का ब्यौरा।**

एमएमटीसी ने वर्ष 2014–15 के दौरान सीएसआर गतिविधियां चलाने के लिए 49 लाख रुपए आबंटित किए हैं।

सीएसआर के लिए आबंटित फंडस को हैदरपुर के जेजे कलस्टर में 3500 पारिवारिक इकाइयों के लिए दो विशाल 12 सीटर पब्लिक शौचालय कॉम्प्लेक्सों का निर्माण करने के लिए प्रयोग किया गया है। इनके निर्माण का कार्य ''सुलभ इंटरनेशनल सोशल सर्विस ओर्गेनाइजेशन'' द्वारा किया गया है।

इसके अतिरिक्त भारत सरकार द्वारा गंगा नदी के कायाकल्प के लिए स्थापित क्लींन गंगा फंड में भी योगदान किया गया था।

5. **क्या आपने यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए हैं कि इस सामुदायिक विकास की पहल को समुदाय द्वारा सफलतापूर्वक स्वीकार किया गया है? कृपया पचास या अधिक शब्दों में उल्लेख करें।**

एमएमटीसी द्वारा कार्यान्वित प्रोजेक्टों को पेशेवर एजेंसी के असेसमेंट सर्वे द्वारा चुना जाता है।

प्रिसिंपल 9–व्यापार में ग्राहकों तथा आपूर्तिकर्ताओं से संपर्क तथा महत्व को जिम्मेवारी के साथ समझना चाहिए।

1. **वित्तीय वर्ष के अंत तक कितने प्रतिशत ग्राहकों की शिकायतें/उपभोगताओं के मामले लम्बित हैं।**

रिपोर्ट की गई अवधि में उक्त प्रकृति की कोई भी शिकायत प्राप्त नहीं हुई थी।

2. **स्थानीय कानूनों के अनुसार दी जाने वाली वैधानिक सूचना के अतिरिक्त भी क्या कंपनी अपने उत्पाद के लेबल पर उत्पाद से संबंधी सूचना छापती है? हां/नहीं/लागू नहीं/टिप्पणियां (अतिरिक्त सूचना)।**

सांची ब्रांड नाम से एमएमटीसी सिल्वर मेडालियन तथा सिल्वरवेयर की खुदरा (रिटेल) बिक्री करती है। इन वस्तुओं की पैकेजिंग पर संबंधित उत्पाद सूचना दी गई होती है। इसके अतिरिक्त इन वस्तुओं पर बार कोडिंग भी हैं।

3. **क्या कंपनी के विरूद्ध किसी स्टेकहोल्डर ने अनुचित व्यापारिक गतिविधि, गैर–जिम्मेदाराना विज्ञापन तथा/अथवा गैर प्रतिस्पर्धी व्यवहार के लिए पिछले पांच वर्षों में कोई शिकायत की है तथा जो इस वर्ष में भी लम्बित है? यदि हां तो पचास या अधिक शब्दों में उत्तर दें।**

कोई नहीं

4. क्या आपकी कम्पनी द्वारा कोई उपभोक्ता सर्वे/उपभोक्ता संतुष्टि रूझान किया जाता है?

जी नहीं।

31 मार्च, 2015 को समाप्त वित्तीय वर्ष की रिटर्न का सारांश

कंपनी अधिनियम 2013, की धारा 92(3) तथा कंपनी
(प्रबंधन तथा प्रशासन) नियमावली, 2014 के नियम 12 (1) के अनुसरण में,

I. पंजीकरण तथा अन्यं विवरणः

i) सीआईएन : एल51909डीएल1963जीओआई004033

ii) रजिस्ट्रेशन दिनांक : 26 सितंबर, 1963

iii)) कंपनी का नाम : एमएमटीसी लिमिटेड

iv) कंपनी की श्रेणी/उप–श्रेणी : सरकारी कंपनी

v) पंजीकृत कार्यालय का पता तथा संपर्क करने का विवरण
कोर–1, स्कोप कॉम्पलैक्स, 7 इंस्टीट्यूशनल एरिया, लोदी रोड, नई दिल्ली–110003
फोन–01124362200
ई–मेल – mmtc@mmtclimited.gov.in

vi) क्या कंपनी सूचीबद्ध है :– हां

vii) रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट का नाम, पता और संपर्क विवरण यदि कोई हो
एमसीएस शेयर ट्रांसफर एजेंट लिमिटेड
एफ–65, ओखला इंडस्ट्रीयल एरिया
फेज–1, नई दिल्ली–110020

II कंपनी की मुख्य व्यावसायिक गतिविधियां

कंपनी के टर्नओवर में 10 प्रतिशत या उससे अधिक का योगदान करने वाली व्यवसायिक गतिविधियों का विवरण :–

क्र. सं.	मुख्य उत्पादों/सेवाओं का नाम तथा प्रकार	उत्पाद/सेवा का एनआईसी कोड	कंपनी के कुल टर्नओवर में प्रतिशतता
1	सोना	3831, 3835	20.46
2	यूरिया	3012	42.76

III. होल्डिंग, सहायक कंपनी तथा एसोशिएट कंपनियों का विवरण

क्र. सं.	कंपनी का नाम तथा पता	सीआईएन/जीएलएन	होल्डिंग/सहायक कंपनी/एसोशिएट	शेयरों का प्रतिशत	लागू धारा
1	एमएमटीसी ट्रांसनेशनल पीटीई लि., सिंगापुर	199407265एम	डब्ल्यूओएस	100	2(87)
2	नीलाचल इस्पात निगम लिमिटेड	यू27109ओआर1982जीओआई001050	एसोशिएट	49.78	2(6)
3	देवोना थर्मल पॉवर और इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड	यू40300डीएल2007पीएलसी168654	एसोशिएट	26	2(6)
4	फ्री ट्रेड वेयरहाऊसिंग प्राईवेट लिमिटेड	यू63023डीएल2005पीटीसी134299	एसोशिएट	26	2(6)
5	एमएमटीसी पैम्प इंडिया प्राईवेट लिमिटेड	यू27310एचआर2008पीटीसी042218	एसोशिएट	26	2(6)
6	सिकाल आयरन ओर टर्मिनल लिमिटेड	यू13100टीएन2006पीएलसी061022	एसोशिएट	26	2(6)
7	एमएमटीसी गीतांजली लिमिटेड	यू74999एमएच2008पीएलसी187891	एसोशिएट	26	2(6)
8	टीएम माईनिंग कंपनी लिमिटेड	यू13100डब्ल्यूबी2010पीएलसी156401	एसोशिएट	26	2(6)
9	इंडियन कमोडिटी एक्सचेंज लिमिटेड	यू67120डीएल2008पीएलसी182140	एसोशिएट	26	2(6)
10	ब्लू वाटर आयरन ओर टर्मिनल प्रा. लिमिटेड	यू74999डीएल2008पीटीसी225071	एसोशिएट	–	2(6)

IV. शेयरधारिता पैटर्न (कुल इक्विटी के प्रतिशत के रूप में इक्विटी शेयर पूंजी का ब्रेकअप)

(i) श्रेणीवार शेयरधारिता

		वर्ष के आरंभ में धारण शेयरों की संख्या			वर्ष के अंत में धारण शेयरों की संख्या			वर्ष के दौरान हुए परिवर्तन का प्रतिशत
श्रेणी कोड	शेयरधारक की श्रेणी	डीमेट	फिजिकल	कुल शेयरों का प्रतिशत	डीमेट	फिजिकल	कुल शेयरों का प्रतिशत	
क	**प्रमोटर्स**							
1.	**इंडियन**							
(i)	व्यक्तिगत/एचयूएफ							
(ii)	केन्द्र सरकार	900000000		90	899268762		89.9269	0.0812
(iii)	राज्य सरकार(रों)							
(iv)	निकाय कारपोरेशन							
(v)	बैंकर्स/एफआई							
(vi)	अन्य कोई							
	उप–जोड(क)(1):–	900000000		90	899268762		89.9269	0.0812
2.	**विदेश**							
ए)	एनआरआई–व्यक्तिगत							
बी)	अन्य–व्यक्तिगत							
सी)	निकाय कारपोरेशन							
डी)	बैंकर्स/एफआई							
ई)	अन्य कोई							
	उप–जोड (क)(2):-	900000000		90	899268762		89.9269	0.0812
	प्रमोटरों की कुल शेयरधारिता (क) = (क)(1)+(क)(2)	900000000			899268762		89.9269	0.0812
ख.	**पब्लिक शोयरधारिता**							
1.	**संस्थान**							
ए)	म्युचुअल फंडस	179700		0.02	184928		.0185	2.9093
बी)	बैंकर्स/एफआई	16604250		1.66	2974668		.2975	82.0849
सी)	केन्द्र सरकार							
डी)	राज्य सरकार(रों)							
ई)	वेंचर कैपिटल फंडस							
एफ)	इनश्योरेंस कंपनियां	55715680		5.57	57382994		5.7383	2.9925
जी)	एफआईआईएस	41000		0.00	1526258		.1526	3622.5805
एच)	फोरन वेंचर कैपिटल							
आई)	अन्य फंडस (उल्लेख करें)							
	उप–जोड (बी)(1)	72540630		7.25	62068848		6.2069	14.4357
2.	**नॉन–इंस्टीट्यूशनल**							
ए)	**बोडीज कारपोरेट**							
i)	भारतीय	7281969		0.73	8323391		.8323	
ii)	ओवरसीज							
बी)	व्यक्ति विशेष							

i)	एक लाख रुपये तक की राशि के शेयर रखने वाले शेयरहोल्डर्स	38171933	2121	1.93	29517191	3429	2.9521	
ii)	एक लाख रुपये से ज्यादा की राशि के शेयर रखने वाले शेयरहोल्डर्स	406774		0.04	106000		.0106	
सी)	अन्य (उल्लेख करें)							
i)	ट्रस्ट तथा फाउंडेशन	7567		0.00	1900		.0002	
ii)	नॉन–रेजिडेंट व्यक्तिगत	427122		0.04	710479		.0710	
	उप–जोड (ख)(2):–	27457249	2121	2.75	38658961	3429	3.8662	
	कुल पब्लिक शेयरहोल्डिंग (बी)=(बी)(1)+(बी)(2)	99997879	2121	10	100727809	3429	10.0731	
सी.	जीडीआर तथा एडीआर के कस्टोडियन के शेयर							
	कुल योग (क+ख+ग)	999997879	2121	100.00	999996571	3429	100.00	

(ii) प्रोमोटर्स की शेयरधारिता

क्र. सं.	शेयरहोल्डर का नाम	वर्ष के आरंभ में शेयरधारिता			वर्ष के अंत में शेयरधारिता			
		शेयरों की संख्या	कंपनी के शेयरों का कुल प्रतिशत	कुल शेयरों के प्लैजड तथा इनक्युमर्ड शेयरों का प्रतिशत	शेयरों की संख्या	कंपनी के शेयरों का कुल प्रतिशत	कुल शेयरों के प्लैजड तथा इनक्युमर्ड शेयरों का प्रतिशत	वर्ष के दौरान शेयरधारिता प्रतिशतता में बदलाव
1	केन्द्र सरकार	900000000	90	शून्य	899268762	89.9269	शून्य	0.0008
	कुल	900000000	90	शून्य	899268762	89.9269	शून्य	0.0008

(iii) प्रमोटरों की शेयरधारिता में बदलाव (अगर बदलाव नहीं हुआ है तो उल्लेख करें)

क्र. सं.		वर्ष के आरंभ में शेयरधारिता		वर्ष के दौरान संचयी शेयरधारिता	
		शेयरों की संख्या	कंपनी के शेयरों का कुल प्रतिशत	शेयरों की संख्या	कंपनी के शेयरों का कुल प्रतिशत
	वर्ष के आरंभ में	900000000	90	899268762	89.9269
	वर्ष के दौरान प्रमोटर्स की शेयरहोल्डिंग में हुई वृद्धि/कमी का तारीखवार विवरण दें जिसमें वृद्धि/कमी के कारणों का उल्लेख करें (उदाहरणतः एलोटमेन्ट/ट्रांसफर/बोनस/स्वेट इक्विटी इत्यादि)	सीसीईए तथा विनिवेश विभाग के आदेशानुसार पात्र कर्मचारियों को ऑफर के माध्यम से 01 जून, 2014 को शेयर्स की सेल आफॅर की गई जिसके कारण प्रमोटर्स शेयरहोल्डिंग में कमी आई	0.0007		
	वर्ष के अंत में	899268762	89.9269		

(iv) शीर्ष दस शेयरहोल्डर्स की शेयरहोल्डिंग पैटर्न (निदेशकों, प्रमोटर्स तथा जीडीआरस तथा एडीआरएस होल्डर्स को छोडकर

क्र. सं.	शीर्ष दस शेयरहोल्डर्स	शेयरहोल्डिंग		दिनांक	शेयरहोल्डिंग में वृद्धि / कमी	कारण	वर्ष के दौरान संचयी शेयरहोल्डिंग (01.04.14 से 31.03.15 तक)	
		वर्ष के आरंभ (01.04.14) / वर्ष के अंत में (31.03.15) को शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का प्रतिशत				शेयर्स	कंपनी के कुल शेयरों का प्रतिशत
1	भारतीय जीवन बीमा निगम	48119732	4.8120	01/04/2014				
		48119732	4.8120	31/03/2015	शून्य			
2	यूनाईटेड इण्डिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	3235160	0.3235	01/04/2014				
				13/06/2014	172731	खरीद	3407891	0.3408
				20/06/2014	660500	खरीद	4068391	0.4068
				30/06/2014	675000	खरीद	4743391	0.4743
				04/07/2014	230000	खरीद	4973391	0.4973
				11/07/2014	373700	खरीद	5347091	0.5347
				18/07/2014	134089	खरीद	5481180	0.5481
		5481180	0.5481	31/03/2015				
3	जनरल इंश्योरेंस कारपोरेशन ऑफ इण्डिया	2368885	0.2369	01/04/2014				
				06/06/2014	-50000	बिक्री	2318885	0.2319
				13/06/2014	-318885	बिक्री	2000000	0.2000
		2000000	0.2000	31/03/2015				
4	डीबी इन्टरनेशनल (एशिया) लिमिटेड	0	0.0000	01/04/2014				
				30/05/2014	500000	खरीद	500000	0.0500
				13/06/2014	1000000	खरीद	1500000	0.1500
				12/12/2014	-95000	बिक्री	1405000	0.1405
		1405000	0.1405	31/03/2015				
5	दि न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	1141631	0.1142	01/04/2014				
		1141631	0.1142	31/03/2015	शून्य			
6	बैंक ऑफ इण्डिया	1914024	0.1914	01/04/2014				
				06/06/2014	-624562	बिक्री	1289462	0.1289
				13/06/2014	-70000	बिक्री	1219462	0.1219
				11/07/2014	-222401	बिक्री	997061	0.0997
7	बैंक ऑफ बडौदा	997061	0.0997	31/03/2015				
		1143810	0.1144	01/04/2014				
				04/07/2014	-243810	बिक्री	900000	0.0900
				18/07/2014	-50000	बिक्री	850000	0.0850
				25/07/2014	-65000	बिक्री	785000	0.0785
				08/08/2014	-185000	बिक्री	600000	0.0600
		600000	0.0600	31/03/2015				

8	इलाहाबाद बैंक	8196700	0.8197	01/04/2014				
				11/04/2014	-472920	बिक्री	7723780	0.7724
				18/04/2014	-956924	बिक्री	6766856	0.6767
				25/04/2014	-180000	बिक्री	6586856	0.6587
				16/05/2014	-280513	बिक्री	6306343	0.6306
				23/05/2014	-2444188	बिक्री	3862155	0.3862
				30/05/2014	-608100	बिक्री	3254055	0.3254
				06/06/2014	-552300	बिक्री	2701755	0.2702
				13/06/2014	-366000	बिक्री	2335755	0.2336
				20/06/2014	-730000	बिक्री	1605755	0.1606
				30/06/2014	-476500	बिक्री	1129255	0.1129
				04/07/2014	-88718	बिक्री	1040537	0.1041
				11/07/2014	-135000	बिक्री	905537	0.0906
				18/07/2014	-10000	बिक्री	895537	0.0896
				22/08/2014	-40000	बिक्री	855537	0.0856
				05/09/2014	-113054	बिक्री	742483	0.0742
				12/09/2014	-96000	बिक्री	646483	0.0646
				19/09/2014	-1000	बिक्री	645483	0.0645
				30/09/2014	-17193	बिक्री	628290	0.0628
				31/10/2014	-30000	बिक्री	598290	0.0598
				07/11/2014	-45000	बिक्री	553290	0.0553
		553290	0.0553	31/03/2015				
9	नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	660000	0.0660	01/04/2014				
				13/06/2014	-100000	बिक्री	560000	0.0560
				25/07/2014	-109821	बिक्री	450179	0.0450
		450179	0.0450	31/03/2015				
10	पंजाब एंड सिंध बैंक	1000000	0.1000	01/04/2014				
				06/06/2014	-20000	बिक्री	980000	0.0980
				13/06/2014	-205500	बिक्री	774500	0.0775
				30/06/2014	-160546	बिक्री	613954	0.0614
				04/07/2014	-127314	बिक्री	486640	0.0487
				11/07/2014	-110000	बिक्री	376640	0.0377
		376640	0.0377	31/03/2015				
11	पंजाब नेशनल बैंक	1311619	0.1312	01/04/2014				
				25/04/2014	-737895	बिक्री	573724	0.0574
				02/05/2014	-10004	बिक्री	563720	0.0564
				16/05/2014	-250000	बिक्री	313720	0.0314
				23/05/2014	-313720	बिक्री	0	0.0000
		0	0.0000	31/03/2015				
12	आईडीबीआई बैंक लिमिटेड	853501	0.0854	01/04/2014				
				11/04/2014	-853501	बिक्री	0	0.0000
		0	0.0000	31/03/2015				

(v) निदेशकों तथा प्रबंधतंत्र के प्रमुख कार्मिकों की शेयरहोल्डिंग

निदेशक का नाम	शेयरहोल्डिंग		दिनांक	शेयरहोल्डिंग में वृद्धि/कमी	कारण	वर्ष के दौरान संचयी शेयरहोल्डिंग (01.04.14 से 31.03.15 तक)	
	वर्ष के आरंभ (01.04.14) में शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का प्रतिशत				शेयर्स	कंपनी के कुल शेयरों का प्रतिशत
श्री वेद प्रकाश, सीएमडी	10	0.0000	10.6.2014	1000	ओएफएस के अंतर्गत खरीद	1010	0.0001
श्री राजीव जयदेव निदेशक (का.)	शून्य	0.0000	10.6.2014	3100	ओएफएस के अंतर्गत खरीद	3100	0.0003
			08.07.2014	-1000	बिक्री	2100	0.0002
			24.02.2015	-300	बिक्री	1800	0.0001
			27.02.2015	-300	बिक्री	1500	0.0001
श्री एम.जी. गुप्ता निदेशक (वित्त)	5	0.0000	10.06.2014	3500	ओएफएस के अंतर्गत खरीद	3505	0.0003
			30.06.2014	-1000	बिक्री	2505	0.0002
			29.09.2014	-300	बिक्री	2205	0.0002
			01.10.2014	-300	बिक्री	1905	0.0002
			13.10.2014	-300	बिक्री	1605	0.0001
			17.10.2014	-300	बिक्री	1305	0.0001
			20.01.2015	-300	बिक्री	1005	0.0001
श्री आनंद त्रिवेदी निदेशक (विपणन)	शून्य	0.0000	10.06.2014	3508	ओएफएस के अंतर्गत खरीद	3508	0.0003
			11.06.2014	-190	बिक्री	3318	0.0003
			12.06.2014	-105	बिक्री	3213	0.0003
			13.06.2014	-100	बिक्री	3113	0.0003
			03.07.2014	-100	बिक्री	3013	0.0003
			22.07.2014	-200	बिक्री	2813	0.0002
			06.08.2014	-100	बिक्री	2713	0.0002
			21.08.2014	-100	बिक्री	2613	0.0002
			25.08.2014	-213	बिक्री	2400	0.0002
			26.08.2014	-200	बिक्री	2200	0.0002
			27.08.2014	-200	बिक्री	2000	0.0002
			28.08.2014	-250	बिक्री	1750	0.0001
			01.09.2014	-250	बिक्री	1500	0.0001
			02.09.2014	-250	बिक्री	1250	0.0001
			03.09.2014	-250	बिक्री	1000	0.0001
श्री पी.के. जैन निदेशक (विपणन)	शून्य		10.06.2014	3508	ओएफएस के अंतर्गत खरीद	3508	0.0003

V. ऋणग्रस्तता

बकाया/अर्जित परन्तु भुगतान के लिए देय नहीं ब्याज सहित कंपनी की ऋणग्रस्तता

	डिपोजिट छोड़कर सुरक्षित ऋण	असुरक्षित ऋण	डिपोजिट	कुल ऋणग्रस्तता
वित्तिय वर्ष के आरंभ में ऋणग्रस्तता				
i) मूल राशि	1760.77	2368.68		4129.45
ii) देय परन्तु भुगतान न किया गया ब्याज				1.47
iii) भुगतान के लिए शेष ब्याज				33.99
कुल (i+ii+iii)	1760.77	2368.68		4164.91
वित्तीय वर्ष के दौरान ऋणग्रस्तता में परिवर्तन				
• वृद्धि				
• कमी	143.50	1119.46		1290.22
कुल परिवर्तन	143.50	1119.46		1290.22
वित्तिय वर्ष के अंत में ऋणग्रस्तता				
i) मूल राशि	1617.27	1249.22		2866.49
ii) देय परन्तु भुगतान न किया गया ब्याज				3.28
iii) भुगतान के लिए शेष ब्याज				4.92
कुल (i+ii+iii)	1617.27	1249.22		2874.69

VI. निदेशकों तथा प्रमुख प्रबंधन कार्मिकों का पारिश्रमिक

क. प्रबंध निदेशक फुल टाईम निदेशक और/अथवा प्रबंधक का पारिश्रमिक

क्र. सं.	पारिश्रमिक का विवरण	प्रबंध निदेशक/पूर्ण कालिक निदेशक/प्रबंधक का नाम					कुल राशि
		श्री एम जी गुप्ता, निदेशक (वित्त) और सीएफओ	श्री पी के जैन, निदेशक (विपणन)	श्री आनंद त्रिवेदी, निदेशक (विपणन)	श्री राजीव जयदेव, निदेशक (का.)	श्री वेद प्रकाश, सीएमडी	
1.	कुल वेतन (क) आयकर अधिनियम 1961 की धारा 17(1) के प्रावधानों के अनुसार वेतन	23,01,482	30,27,157	23,00,654	21,14,265	26,05,886	1,23,49,444
	(ख) आयकर अधिनियम 1961 की धारा 17(2) के अंतर्गत परक्यूजिट का मूल्य	4,78,044	4,62,846	7,02,877	9,03,406	5,07,090	30,54,263
	(ग) आयकर अधिनियम की धारा 17(3) के अंतर्गत वेतन के बदले में लाभ	3,26,774	1,32,013	2,26,786	1,32,013	5,48,929	13,66,515
2.	स्टॉक विकल्प	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

3.	**स्वैट इक्विटी**	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
4.	**कमीशन–लाभ का प्रतिशत के रूप में– अन्य, उल्लेख करें.....**	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
5.	**अन्य, कृपया उल्लेख करें कुल (क) अधिनियम के अनुसार सीलिंग**	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

ख. दूसरे निदेशकों का पारिश्रमिक

क्र. सं.	मानदेय का विवरण	निदेशकों के नाम								कुल राशि
		जीएस वेदी	अरविन्द कालरा	सुभाष पाणि	एसआर तायल	अनिल राजदान	राणा सोम	बाला भास्कर	अरूण बालाकृष्णन	
3.	स्वतंत्र निदेशक ● बोर्ड/समिति की बैठकों में भाग लेने का शुल्क ● कमीशन ● अन्य, कृपया उल्लेख करें	75000	210000	135000	195000	75000	195000	240000	45000	11,55,000
	कुल (1)	75000	210000	135000	195000	75000	195000	240000	45000	11,55,000
4.	अन्य)–गैर कार्यकारी निदेशक ● बोर्ड की बैठकों में भाग लेने के लिए शुल्क ● कमीशन ● अन्य, कृपया उल्लेख करें	———शून्य———								
	कुल (2)									
	कुल (बी)=(1+2)	75000	210000	135000	195000	75000	195000	240000	45000	11,55,000
	कुल प्रबंधन पारिश्रमिक									
	अधिनियम के अनुसार कुल सीलिंग									

ग. प्रबंध निदेशक/प्रबंधक/पूर्णकालिक निदेशक के अलावा प्रमुख प्रबंधन कार्मिकों का पारिश्रमिक : शून्य

क्र. सं.	पारिश्रमिक का विवरण	प्रमुख प्रंबधन कार्मिक			
		सीईओ	कंपनी सचिव	सीएफओ	कुल
1.	कुल वेतन (क) आयकर अधिनियम 1961 की धारा 17(1) के प्रावधानों के अनुसार वेतन (ख) आयकर अधिनियम 1961 की धारा 17(2) के अंतर्गत परक्यूजिट का मूल्य (ग) आयकर अधिनियम की धारा 17(3) के अंतर्गत वेतन के बदले में लाभ				

2.	स्टाक विकल्प				
3.	स्वैट इक्विटी				
4.	कमीशन –लाभ का प्रतिशत –अन्य, उल्लेख करें				
5.	अन्य, कृपया उल्लेख करें कुल				

VII. जुर्माना / दण्ड / अपराध संग्रहः निल

प्रकार	कंपनीज एक्ट की धारा	संक्षिप्त ब्यौरा	पैनल्टी / सजा / लगाई गई कम्पाउंडिंग का विवरण	अथारिटी (आरडी / एनसीएलटी / कोर्ट)	की गई अपील, यदि कोई हो (विवरण दें)
क. कंपनी					
पैनल्टी					
सजा					
कम्पाउंडिंग					
ख. निदेशक					
पैनल्टी					
सजा					
कम्पाउंडिंग					
ग. दूसरे अधिकारियों का डिफाल्ट					
पैनल्टी					
सजा					
कम्पाउंडिंग					

ब्लैक एंड कंपनी
कंपनी सेक्रेटरीज

सेक्रेट्रियल आडिट रिपोर्ट
31 मार्च, 2015 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए
(कंपनीज ऐक्ट 2013 की धारा 2014(1) तथा कंपनीज नियमावली, 2014
(अपाइंटमेंट एंड रेमुनरेशन आफ मैनेजिरियल पर्सनल) के नियम संख्या 9 के अनुसरण में)

सदस्य
एमएमटीसी लिमिटेड
कोर–1, स्कोप काम्पलैक्स
7, इंस्टिट्यूशनल एरिया
लोधी रोड
नई दिल्ली–110 003

हमने एमएमटीसी लिमिटेड (जिसे इसके बाद कंपनी कहा गया है) द्वारा अच्छी कारपोरेट प्रथाओं के मान्य सांविधिक प्रावधानों के अनुपालन की सेक्रेट्रियल ऑडिट इस ढंग से की है कि कारपोरेट आचरण सांविधिक अनुपालन का मूल्यांकन करने का सही आधार मिल सके तथा हम उसके बारे में अपना मत प्रकट कर सकें।

कंपनी की पुस्तकों, कागजातों, मिनट्स बुक्स, फार्म तथा फाइल की गई रिटर्न, कंपनी द्वारा रखे गए अन्य रिकार्ड, कंपनी, इसके अधिकारियों, एजेंटों तथा अथोराइज्ड प्रतिनिधियों द्वारा आडिट के दौरान उपलब्ध कराई गई अन्य सूचनाओं के आधार पर हम रिपोर्ट करते हैं कि हमारे विचार में कंपनी ने आडिट अवधि, जिसमें 31 मार्च, 2015 को समाप्त वित्तीय वर्ष कवर होता है, के दौरान नीचे दिए गए सांविधिक प्रावधानों का अनुपालन किया है। साथ ही कंपनी में वर्तमान में उचित बोर्ड प्रक्रियाएं तथा अनुपालन तंत्र है जिसकी सीमा तथा विस्तार नीचे दिया जा रहा है:

हमने 31 मार्च, 2015 को समाप्त वित्तीय वर्ष की अवधि की बुक्स, प्रपत्र मिनट्स बुक्स, फार्म तथा फाइल की गई रिटर्न तथा कंपनी द्वारा रखे गए अन्य रिकार्ड की निम्नलिखित लागू कानूनों के प्रावधानों के अनुसार जांच की है जिसका विवरण अनुलग्नक 'ए' में दिया गया है :

(i) दि कंपनीज ऐक्ट, 2013(दि ऐक्ट) तथा इसके अधीन बनाए गए नियम ;

(ii) दि सिक्युरिटीज कांट्रैक्टस (रेगुलेशन) ऐक्ट, 1956 ('एससीआर') तथा इसके अधीन बनाए गए नियम;

(iii) दि डिपॉजिटरीज ऐक्ट, 1956 तथा इसके अधीन बनाए गए विनियम तथा नियम;

GLOBIZ™
towards corporate excellence

H.O.: 307 (3RD FLOOR), 79-SHYAM LAL ROAD
DARYA GANJ, NEW DELHI - 110002 (INDIA)
TEL. :+91-11-43623703
TELEFAX : +91-11-23241223
E-mail: info@globizassociates.com

B.O.: Office No. 1, F.F., 80/84,
DADISETH AGIYANI LANE, NEAR CHIRA BAZAR,
MUMBAI - 400002.
Tel. : 09322420337
E-mail : cs.ablakhotia@gmail.com

B.O.: 3FCS - 08 (3RD FLOOR),
ANSAL PLAZA, VAISHALI,
DELHI NCR - 201010 (INDIA)
TEL.: +91-120-4217703
E-mail: globizassociates@gmail.com

* KASHIPUR * KANPUR * GOA * CHENNAI * KOLKATA * LONDON
www.globizassociates.com

(iv) सिक्युरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड आफ इंडिया ऐक्ट , 1992 ('सेबी ऐक्ट) के तहत बनाए गए निम्नलिखित विनियम तथा दिशानिर्देश :

ए) दि सिक्युरिटीज एंड एक्स्चेंज बोर्ड आफ इंडिया(सब्सटेंशिएल एक्विजिशन आफ शेयर्स एंड टेकओवर्स) रेगुलेशंस, 1992;

बी) दि सिक्युरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड आफ इंडिया (प्रोहिबिशन आफ इनसाइडर ट्रेडिंग) रेगुलेशंस, 1992;

सी) दि सिक्युरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड आफ इंडिया (डिलिस्टिंग आफ इक्विटी शेयर्स) रेगुलेशंस, 1992;

(v) हमें उपलब्ध कराए गए दस्तावेजों / सूचनाओं पर आधारित कंपनी पर विशेषकर लागू अन्य कानून:

ए) चैप्टर आफ फाइनेंस ऐक्ट, 1994 (सर्विस टैक्स)

बी) कस्टम्स ऐक्ट, 1962

सी) इनकम टेक्स ऐक्ट, 1961 एंड इन्डायरेक्ट टैक्स लॉज

डी) इंडियन कांट्रेक्ट ऐक्ट, 1872

ई) इंडियन स्टांप ऐक्ट, 1999

एफ) लिमिटेशन ऐक्ट, 1963

जी) निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ऐक्ट, 1981

एच) रजिस्ट्रेशन ऐक्ट, 1908

आई)सेल आफ गुड्स ऐक्ट, 1930

जे) सेक्सुअल हरासमेंट आफ विमेन एट वर्कप्लेस(प्रिवेंशन, प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल) ऐक्ट, 2013

के) ट्रांसफर आफ प्रापर्टी ऐक्ट, 1882

एल) ट्रेडमार्क ऐक्ट, 1999

एम) वीकली होलीडे ऐक्ट, 1942

एन) लेबर लाज(जैसा लागू हो)

ओ) आफिसिएल लैंग्वेजज ऐक्ट

हमने निम्नलिखित लागू क्लाजेज के अनुपालन की भी जांच की है:

i. कंपनी द्वारा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) तथा बाम्बे स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) के साथ किए गए लिस्टिंग एग्रीमेंट

*कंपनी ने दिल्ली, कोलकता तथा चेन्नै स्टॉक एक्सचेंज में डिलिस्टिंग के लिए आवेदन किया है।

ii. केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमों(सीपीएसईज) के लिए कारपोरेट गवर्नेंस के लिए दिशानिर्देश

iii. केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमों(सीपीएसईज) के लिए कारपोरेट सामाजिक दायित्व तथा निरंतर विकास के लिए दिशानिर्देश

तथापि, निम्नलिखित अधिनियमों, नियम, विनियम, दिशानिर्देश, मानक अथवा करार(रों) / करार(रों) जिन्हें निर्धारित प्रोफार्मा

में रिपोर्ट करना होता है वे आडिट अवधि में कंपनी में लागू नहीं होते हैं।

i. फोरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट ऐक्ट, 1999 तथा नियम व विनियम के तहत फोरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एंड एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स; (चूंकि आडिट वर्ष के दौरान इस संबंध में कोई कार्य / कार्रवाई नहीं हुई)

ii. दि सिक्युरिटीज एंड एक्सिचेंज बोर्ड आफ इंडिया एक्टक, 1992('सेबी एक्ट') के अंतर्गत निम्नलिखित विनियम एवं दिशानिर्देश निर्धारित किए गए हैं :

ए) दि सिक्युरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड आफ इंडिया (इश्यू आफ कैपिटल एंड डिस्कलोजर रिक्वायरमेंट्स) रेगुलेशंस, 1992;(चूंकि आडिट वर्ष के दौरान इस संबंध में कोइ कार्य / कार्रवाई नहीं हुई)

बी) दि सिक्युरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड आफ इंडिया (इम्प्लाइज स्टॉक आप्शन स्कीम एंड इम्प्लाइज स्टॉक परचेज स्कीम) दिशानिर्देश, 1999; (चूंकि आडिट वर्ष के दौरान इस संबंध में कोई कार्य / कार्रवाई नहीं हुई)

सी) दि सिक्युरिटीज एंड एक्स चेंज बोर्ड आफ इंडिया (इश्यू एंड लिस्टिंग ऑफ डेट सिक्युरिटीज) रेगुलेशंस, 2008 ;(चूंकि आडिट वर्ष के दौरान इस संबंध में कोई कार्य / कार्रवाई नहीं हुई)

डी) दि सिक्युरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड आफ इंडिया (रजिस्ट्रार्स टु एन इश्यू एंड शेयर ट्रांसफर एजेंटस), रेगुलेंशंस, 1993 कंपनीज एक्ट तथा ग्राहक के साथ डिलींग; (आडिट अवधि के दौरान कंपनी पर लागू नहीं होता) तथा

ई) दि सिक्युरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड आफ इंडिया (बायबैक आफ सिक्युरिटीज) रेगुलेशंस, 1998; (आडिट अवधि के दौरान कंपनी पर लागू नहीं होता)

iii. दि इंस्टीटयूट आफ कंपनी सेक्रेट्रीज आफ इंडिया द्वारा जारी सेक्रेट्रीयल मानक (01 जुलाई 2015 से अधिसूचित किया गया)

जैसाकि उपर उल्लेख किया गया है समीक्षाधीन अवधि के दौरान कंपनी ने ऐक्ट, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों, मानकों इत्यादि के प्रावधानों का अनुपालन किया सिवाय उन टिप्पणियों के जिनका उल्लेख इस रिपोर्ट के साथ संलग्न अनुलग्नक 'बी' में किया गया है।

हम यह भी रिपोर्ट करते हैं कि

कंपनी के निदेशक मंडल का गठन विधिवत रूप से किया गया है सिवाय अनुलग्नक 'बी' में दिए गए विवरण जिसमें कार्यकारी निदेशकों, गैर–कार्यकारी निदेशकों तथा स्वतंत्र निदेशकों के उपयुक्त संतुलन के। समीक्षाधीन अवधि के दौरान निदेशक मंडल की संरचना में परिवर्तन अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन में किया गया।

बोर्ड की बैठकों के आयोजन की सूचना सभी निदेशकों को पर्याप्त समय रहते हुए दी जाती है, एजेंडा तथा एजेंडा संबंधी विस्तृत नोट्स कम से कम 7 दिन पूर्व भेजे गए। बैठक में अर्थपूर्ण भागीदारी के लिए बैठक से पूर्व एजेंडा आइटमों से संबंधी अतिरिक्त सूचना व स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए एक सिस्टम बनाया गया है।

बहुमत के आधार पर निर्णय लिए जाते हैं तथा असहमति रखने वाले सदस्यों के विचार मिनट्स में रिकार्ड एवं दर्ज किए जाते हैं।

हम यह भी रिपोर्ट करते हैं कि लागू कानूनों, नियमों, विनियमों तथा दिशानिर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए निगरानी हेतु कंपनी के आकार व परिचालन को ध्यान में रखते हुए पर्याप्त सिस्टम्स तथा प्रोसेस उपलब्ध है।

हम यह भी रिपोर्ट करते हैं कि ऑडिट अवधि के दौरान ऐसी कोई भी घटनाएं/कार्रवाईयां नहीं हुईं जिनका ऊपर दिए गए कानूनों, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों, मानक इत्यादि के अनुसरण में कंपनी के कार्यकलापों पर कोई विशेष दबाव/प्रभाव पड़ा हो।

कृते ब्लैक एंड कंपनी

Archana

...1. पार्टनर
एम.नं.–ए17865
कोप नं.11714

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 08.08.2015

टिप्पणी : इस रिपोर्ट को सम संख्या के अनुलग्नक 'ए', अनुलग्नक 'बी' तथा अनुलग्नक 'सी' के साथ पढ़ा जाए जो इसकी रिपोर्ट के साथ संलग्न है तथा इसका एक अभिन्न अंग है।

GLOBIZ™ towards corporate excellence

'अनुलग्नक क'

हमारी सम–दिनांक रिपोर्ट की अनुलग्नक के साथ पढा जाए जिसमें उल्लेख है कि :–

जांच दिए गए दस्तावेजों की सूची

1. एसोसिएशन का मेमोरेंडम तथा एसोसिएशन के अर्टिकल्स
2. विगत तीन वित्तीय वर्षों की वार्षिक रिपोर्ट
3. पिछली आम सभा का वार्षिक रिटर्न
4. वित्तीय वर्ष 2014–15 के लिए डिटेल्ड ट्रायल बैलेंस
5. वित्तीय वर्ष 2014–15 के तिमाही वित्तीय परिणाम
6. लिस्टिंग एग्रीमेंट में उल्लिखित कारपोरेट गवर्नेन्स पर तिमाही अनुपालन रिपोर्ट
7. केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (सीपीएसई) के लिए निर्धारित दिशा निर्देशों के प्रावधान में कारपोरेट गवर्नेन्स के अनुपालन पर तिमाही रिपोर्ट
8. आंतरिक लेखा परीक्षा रिपोर्ट
9. स्टॉक एक्चेंज में फाइल की गई शेयर होल्डिंग पैटर्न की प्रति के साथ शेयर होल्डरों / शेयर होल्डिंग पैटर्न की सूची
10. वित्तीय वर्ष 2014–15 के दौरान केएमपीएस तथा वरिष्ठ प्रबंधन कर्मचारियों को दिए गए नियुक्ति पत्र
11. वित्तीय वर्ष 2014–15 के दौरान हुए परिवर्तनों के साथ संगठन का चार्ट
12. वित्तीय वर्ष 2014–15 के दौरान हुए प्रोजेक्ट स्थल / शाखा कार्यालय / फैक्ट्री / कार्य
13. निदेशक / स्वतन्त्र निदेशक, आचार संहिता, सतर्कता तंत्र, संबंधित पार्टी लेन देन, विसलब्लोवर, निदेशकों / वरिष्ठ अधिकारियों का नामांकन व पारिश्रमिक के संबंध में बोर्ड / समिति द्वारा अनुमोदित नीतिगत दस्तावेज
14. विभिन्न पंजीकरण / लाइसेंस / अनुमोदनों की प्रति
15. निम्नलिखित की नियुक्ति के संबंध में दस्तावेज
    - सांविधिक लेखा परीक्षक
    - आन्तरिक लेखा परीक्षक तथा
    - कर लेखा परीक्षक
16. स्टैच्युरी रजिस्टर तथा
    - कंपनी नियम 2014 की धारा 189 तथा नियम 16 (निदेशक मण्डल की बैठकें तथा शक्तियां) के तहत निदेशकों को दी गई शक्तियां

BMK & CO. Company Secretaries

- कंपनी नियम 2014 की धारा 187 तथा नियम 14 (निदेशक मण्डल की बैठकें तथा शक्तियां) के तहत कंपनी के नाम से न किए गए निवेश का रजिस्टर
- धारा 186 लागू होने की परिधि में आने वाले अंतर कारपोरेशन निवेश/ऋण/ गारंटी/सिक्युरिटीज का रजिस्टर
- कंपनी नियम 2014 की धारा 170 तथा नियम 17 (निदेशकों की नियुक्ति तथा योग्यता) के तहत निदेशकों, मुख्य प्रबंधन अधिकारी तथा उनकी शेयर होल्डिंग का रजिस्टर
- कंपनी नियम 2014 की धारा 85 नियम 10 (प्रभारों का पंजीकरण) के तहत प्रभारों का रजिस्टर
- कंपनी नियम 2014 की धारा 88 नियम 03 (प्रबंधन एवं प्रशासन) के तहत सदस्य सूची का रजिस्टर
- कंपनी नियम 2014 की धारा 88 नियम 4 (प्रबंधक एवं प्रशासन) के तहत डिबेंचर धारकों की सूची का रजिस्टर
- कंपनी नियम 2014 की धारा 88 नियम 7 (प्रबंधन एवं प्रशासन) के तहत विदेशी सदस्य, डिबेंचर धारकों तथा सैक्युरिटी धारकों का रजिस्टर

17. रजिस्टर 118 के तहत सामान्य बैठकों, बोर्ड की बैठकों तथा समिति की बैठकों की कार्यवृत्त पुस्तिका तथा उपस्थिति रजिस्टर
18. इन्स्ट्रूमेंट्स सैटिस्फाइंग चार्ज की प्रतियां
19. वर्ष 2014–15 के दौरान कंपनी रजिस्ट्रार को रसीद/फीस के भुगतान के चालान सहित भेजे गए सभी ई–फार्मों तथा रिटर्न की प्रति
20. बैठक की सूचना के संबंध में दिए गए नोटिसों के साक्ष्य
21. एजेण्डा पेपर
22. बोर्ड द्वारा पारित रेजुलेश्नों के सर्कुलरों की प्रति
23. सदस्यों का रजिस्टर बंद करने संबंधी अखबार में छपे नोटिस की कटिंग
24. वार्षिक आम सभा/विशेष आम सभा तथा स्पष्टीकरण विवरण वार्षिक आम बैठक/विशेष बैठक की सार्वजनिक सूचनाओं से संबंधित समाचार पत्र कटिंग
25. सामान्य आम सभा/विशेष सभा की सूचना का डिस्पैच रजिस्टर
26. आम सभा, बैलेट पेपर, स्क्रूटिनाइजर रिपोर्ट की प्रोक्सी
27. अन्य शेयर धारक कंपनी/कंपनियों, जो कि शेयर धारक हैं तथा जिनसे कंपनी में उनके प्राधिकृत प्रतिनिधियों के बारे में संकल्प प्राप्त हुए हैं, से प्राप्त संकल्प

GLOBIZ™ towards corporate excellence

28. धारा 184 के तहत वित्तीय वर्ष 2014–15 में निदेशक मण्डल की पहली बैठक तथा वित्तीय वर्ष के दौरान पूर्व घोषित प्रकटन यदि कुछ हो तो, के एमबीपी–1 फार्म की प्रति
29. धारा 188 के तहत, यदि कोई है तो, कार्यालय तथा लाभ केन्द्र के विशेष संकल्प तथा करारों की प्रति
30. लाभांश के भुगतान के संबंधित दस्तावेज
31. भुगतान न किए गए लाभांश को खाते में स्थानान्तरित लाभांश से संबंधित दस्तावेज
32. प्रबंधकीय व्यक्ति की नियुक्ति से संबंधित केन्द्रीय सरकार के पत्र के प्रति (वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय के माध्यम से)
33. आडिट अवधि के दौरान हुए चुनाव के लिए पोस्टल बैलेट से संबंधित दस्तावेज
34. ई–वोटिंग को सुलभ बनाने के लिए एजेंसी के साथ करार
35. सदस्यों / डिपोजिटरों / डिबैंचर धारकों को वार्षिक रिपोर्ट, नोटिस भेजने के लिए कूरियर या डाक एजेंसी के साथ हुआ करार
36. कंपनी की ओर से उनके द्वारा विभिन्न मामले हैंडल किए जाने के लिए आरटीए के साथ करार तथा आरटीए की रिपोर्ट
37. पोस्टल बैलेट, चुनाव तथा ई–बोटिंग पर स्क्रूटिनाइजर की रिपोर्ट
38. रोटेशन सारणी के अनुसार निदेशकों की सेवानिवृत्ति
39. उस स्टॉक एक्सचेंज से प्राप्त पत्रों की तथा भेजे गए पत्रों की प्रति जहां कम्पनी की सिक्यूरिटी लिस्ट की गई है
40. सेबी के (सबस्टैनशियल एक्यूजिशन ऑफ शेयर एण्ड टेक ओवर) अधिनियम 1997 के तहत कंपनी द्वारा प्राप्त सभी प्रकटनों की प्रति
41. सेबी के (सबस्टैंशियल एक्यूजिशन ऑफ शेयर एण्ड टेक ओवर) अधिनियम 1997 के तहत सेबी को भेजे गए रिटर्न की प्रतियां
42. लिस्टिंग करार की धारा 35 के तहत स्टॉक एक्सचेंज को भेजे गए शेयर होल्डिंग पैटर्न की प्रति
43. सेबी (प्रोहिबिशन ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग) अधिनियम 1992 के संबंध में कंपनी के इनसाइडर ट्रेडिंग के अनुसार से संबंधित पत्राचार
44. कंपनी द्वारा वर्ष 2014–15 के दौरान निष्पादित कान्ट्रेक्टों की, संशोधन / परिवर्तनों सहित, सूची
45. डिपोजिटरीज एक्ट, 1996 के तहत अनुपालन रिपोर्ट तथा अधिनियम के अन्तर्गत बनाए गए नियम
46. सेबी अधिनियम, 1992, जैसा लागू है, तथा निम्नलिखित विनियम तथा दिशा निर्देशों के तहत अनुपालन का रिकार्ड
    (क) भारतीय सिक्यूरिटीज तथा एक्सचेंज बोर्ड (सबस्टैंशियल एक्यूजिशन ऑफ शेयर्स एण्ड टेक ओवर्स) अधिनियम, 2011

BMK & CO. Company Secretaries

(ख) भारतीय सिक्यूरिटीज बोर्ड (प्रोहिबिशन ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग) 1992

(ग) भारतीय सिक्यूरिटीज बोर्ड (डिलिस्टिंग ऑफ इक्विटी शेयर) अधिनियम 2009

कृते ब्लैक एण्ड कं

अर्चना बंसल
प्रबंधक पार्टनर
एम ओ नं. ए17865
सीओपी नं. 11714

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 08.08.2015

'अनुलग्नक ख'

हमारी सम दिनांक रिपोर्ट को इस पत्र के साथ पढा जाए जिसमें सैक्रेट्रियल आडिट के दौरान ध्यान में आई बातों का उल्लेख है कि:

1. कंपनी द्वारा कंपनी सचिव की नियुक्ति नहीं की गई है जो कि कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 203 तथा स्टॉक एक्सचेंज के साथ लिस्टिंग करार की क्लॉज 47 (क), दोनों का पालन न किया जाना है।

2. कंपनी में किसी महिला निदेशक की नियुक्ति नहीं है जो कि कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 149 तथा स्टॉक एक्सचेंज के साथ लिस्टिंग करार की क्लॉज 49, दोनों का, पालन न किया जाना है।

3. केन्द्रीय सार्वजनिक उपक्रमों की कारपोरेट गवर्नेंस की आवश्यकताओं के अनुसार तथा कंपनी के लिस्टिंग एग्रीमेंट के अनुसार निदेशक मंडल को अधिक सशक्त बनाने के लिए दो और स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किए जाने चाहिए थे।

4. करार/द्विपक्षीय हस्ताक्षरित दस्तावेज के अभाव में निवेश की समयावधि सहित शर्तें/कंपनी द्वारा नीलाचल के पक्ष में ली गई/दी गई गारंटी का मूल्यांकन नहीं किया गया है। इसके अलावा बनाया रजिस्टर भी, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 186 में किए गए प्रावधानों के अनुसार, अपेक्षित जानकारी उपलब्ध कराने में असमर्थ है।

5. कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 144 के प्रावधानों में कंपनी के सांविधिक लेखा परीक्षकों ने अन्य सेवाएं जिनके लिए बोर्ड की स्वीकृति ली गई थी/ली जानी आवश्यक थी तथा जिसका अनुपालन रिपोर्ट के वर्ष के दौरान सुनिश्चित नहीं किया गया था, का निष्पादन किया है।

कृते ब्लैक एण्ड कं

अर्चना बंसल
प्रबंधक पार्टनर
एम ओ नं. ए17865
सीओपी नं. 11714

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 08.08.2015

GLOBIZ™
towards corporate excellence

'अनुलग्नक ग'

हमारी सम दिनांक की रिपोर्ट को इन पत्र के साथ पढा जाए:

1. सेक्रेट्रीयल रिकॉर्ड के रख–रखाव की जिम्मेदारी कंपनी प्रबंधन की है। हमारी जिम्मेदारी यह है कि हम अपने लेखा परीक्षण के आधार पर इन सेक्रेट्रीयल रिकार्ड पर अपना मत जाहिर करें।
2. हमने सेक्रेट्रीयल रिकार्ड के सही–सही होने के औचित्य में अपनाई गई प्रक्रिया तथा परम्परा का अनुसरण किया है। सेक्रेट्रीयल रिकार्ड में सही–सही उल्लेख ही परिलक्षित हो, इसके लिए हमने टैस्ट के आधार पर जांच की है। हमारा विश्वास है कि हमारे द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया तथा परम्परा हमारे मत के औचित्य का आधार है।
3. हमने कंपनी के वित्तीय रिकार्ड तथा लेखा बहियों के सही–सही तथा उचित रूप में होने की जांच नहीं की है।
4. जहां कही भी आवश्कता पड़ी है, हमने घटनाओं के लिए कंपनी के नियम कानून तथा विनियम के अनुसरण के बारे में प्रबंधन के रिप्रेजेंटेशन को भी लिया है।
5. कारपोरेट तथा अन्य लागू नियम, कानून, विनियम, स्टैंडर्ड के प्रावधानों को सुनिश्चित करना प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी जांच टेस्ट के आधार पर किए गए परीक्षण तक सीमित है।
6. सेक्रेट्रीयल आडिट रिपोर्ट न तो कंपनी की भावी व्यवहारिकता की पुष्टि में है और न ही यह इस बात की पुष्टि करती है कि प्रबंधन ने कम्पनी का व्यवसाय तथा कार्यकलाप को सुचारू तथा प्रभावशाली ढंग से चलाया है।

कृते ब्लैक एण्ड कं

अर्चना बंसल
प्रबंधक पार्टनर
एम ओ नं. ए17865
सीओपी नं. 11714

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 08.08.2015

वित्त वर्ष 2014–15 के लिए सचिविक लेखा परीक्षकों की टिप्पणियों पर प्रबंधतंत्र का उत्तर

लेखा परीक्षकों की टिप्पणियां	प्रबंधतंत्र का उत्तर
(i) निगम ने कंपनी सचिव की नियुक्ति नहीं की है जो कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 203 तथा स्टॉक एक्सचेंज के साथ किए गए लिस्टिंग करार की धारा 47(ए) दोनों का उल्लंघन है।	(i) सूचित किया जा रहा है कि कंपनी सचिव के रिक्त पद को भरने के लिए विज्ञापन दिया गया था परन्तु उपयुक्त उम्मीदवार उपलब्ध नहीं होने के कारण पद के लिए भर्ती नहीं की जा सकी। उप महा प्रबंधक स्तर पर कंपनी सचिव पद पर भर्ती के लिए शीघ्र ही विज्ञापन दिया जाएगा।
(ii) निगम ने महिला निदेशक की नियुक्ति नहीं की है जो कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 149 तथा स्टॉक एक्सचेंज के साथ किए गए लिस्टिंग करार की धारा 49 दोनों का उल्लंघन है ।	(ii) तथा (iii) के लिए एमएमटीसी भारत सरकार का पीएसयू है। एमएमटीसी के निदेशक मंडल में निदेशकों की नियुक्ति प्रशासनिक मंत्रालय अर्थात वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार के माध्यम से भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। निदेशक मंडल में न्यूनतम एक महिला निदेशक की नियुक्ति अनिवार्य आवश्यकता के संबंध में वाणिज्य विभाग, एमओसी एंड आई के साथ निगम ने मामला उठाया है। वाणिज्य विभाग से यह जानकारी प्राप्त हुई है कि प्रक्रिया पहले से चल रही है तथा यह आशा की जाती है कि रिक्त पदों के लिए स्वतंत्र निदेशकों सहित महिला निदेशक की नियुक्ति सक्षम प्राधिकारी की अनुमति से कभी भी की जा सकती है।
(iii) केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सीबीएसईएस) तथा लिस्टिंग करार हेतु कारपोरेट गवर्नेंस के लिए दिशा–निर्देशों की आवश्यकतानुसार निगम को दो और स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति की आवश्यकता है ताकि यथानिर्दिष्ट उत्कृष्ट बोर्ड स्ट्रकक्चर बन सके ।	
(iv) करार/द्विपक्षीय हस्ताक्षरित दस्तावेजों के अभाव में नीलाचल इस्पात निगम लिमिटेड में किए गए निवेश/दी गई गारंटियों की शर्तों व अनुबंधों सहित अवधि सुनिश्चित नहीं की गई है। इसके पश्चात बनाए गए रजिस्टर कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 186 के प्रावधानों के अनुरूप आवश्यक सूचनाएं उपलब्ध नहीं करवा रहे हैं।	(iv) ऋण के संबंध में एमएमटीसी तथा एनआईएलएल के बीच कोई औपचारिक करार नहीं किया गया है। तथापि, एनआईएनएल को लागू वार्षिक ब्याज दर की सूचना दी जाती है तथा एमएमटीसी द्वारा अनुमोदित कार्यशील पूंजी के अनुसार एनआईएनएल कारपोरेट गारंटी देता है। हमने शेयर होल्डर्स करार किया है जहां एक मैनेजिंग प्रवर्तक होने के कारण एमएमटीसी के दायितवों में एनआईएनएल संयंत्र को सुचारू रूप से चलाना भी शामिल है।

(iv) निगम के सांविधिक लेखा परीक्षकों ने कुछ अन्य कार्यों को भी निष्पादित किया है जिसके लिए कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 144 के प्रावधानों के अनुरूप निदेशक मण्डल की अनुमति प्राप्त करनी आवश्यक थी परन्तु रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान इसका अनुपालन सुनिश्चित नहीं किया गया।	(iv) सांविधिक लेखा परीक्षकों को लेखा परीक्षा के साथ–साथ कर आडिट, तिमाही समीक्षा, सावधि जमाओं बैंक गारंटियों तथा कारपोरेट सुशासन गवर्नेंस प्रमाणपत्र आदि जैसे अन्य सांविधिक अनुपालनों का कार्य भी सौंपा गया है। निदेशकों की लेखा परीक्षा समिति का स्पष्ट आदेश है कि सांविधि जमाओं तथा बैंक गारंटियों के सत्यापन का प्रमाण आवश्यक रूप से सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा करवाया जाए। चूंकि कोई सचिविक लेखा परीक्षक नहीं था इसलिए विगत में कारपोरेट सुशासन का प्रमाण भी सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा किया जाता था। इस वर्ष हमने सचिविक लेखा परीक्षकों से प्रमाणपत्र प्राप्त किया है।

फॉर्म नंबर–ए.ओ.सी.–2

अधिनियम की धारा 134 की उप–धारा (3) के खंड (एच.) और कंपनी (लेखे) नियम 2014 के नियम 8(2) के अनुसार कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 188 की उप–धारा (1) में उल्लिखित संबंधित पार्टियों के साथ कंपनी द्वारा किए गए ठेकों/व्यवस्थाओं के विवरण के खुलासे का फॉर्म, जिसमें उसके बाद के तीसरे नियम (तीसरे परंतुक के तहत) के अंतर्गत दो पार्टियों द्वारा अपने–अपने हित के लिए किए गए स्वतंत्र एवं असंबंधित लेन–देन (आर्म्स लेन्थ ट्रांजेक्शंस) भी शामिल हैं

1. आर्म्स लेन्थ के आधार पर नहीं किए गए करार या व्यवस्थाएं या लेन–देन

संबंधित पार्टी का नाम	एमएमटीसी पैम्प इंडिया प्रा. लि.	एमएमटीसी गीतांजलि लि.	नीलाचल इस्पात निगम लि.	एमएमटीसी ट्रांसनेशनल प्रा. लि., सिंगापुर
(क.) संबंध का स्वरूप	संयुक्त उपक्रम	संयुक्त उपक्रम	संयुक्त उपक्रम	पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी
(ख.) ठेकों/व्यवस्थाओं/लेन–देन का स्वरूप	पैम्प एस.ए. के साथ संयुक्त उपक्रम में एमएमटीसी की 26 प्रतिशत तक की इक्विटी की भागीदारी।	गीतांजलि जेम्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ संयुक्त उपक्रम में एमएमटीसी की 26 प्रतिशत तक की इक्विटी की भागीदारी।	मैसर्स आई.पी.आई.सी.ओ.एल. के जरिए एक मैनेजिंग प्रोमोटर के रूप में एमएमटीसी की 49.78 प्रतिशत तक की इक्विटी की भागीदारी के बारे में एमएमटीसी और ओड़ीशा सरकार के बीच शेयरधारकों का करार। साथ ही, तैयार माल की बिक्री/खरीद के बारे में एमएमटीसी और एन.आई.एन.एल. के बीच सहमति के जरिए 22.6.2012 को करार पर हस्ताक्षर किए गए और उसे 11.2.2014 को संशोधित किया गया।	एम.टी.पी.एल. सिंगापुर ने एमएमटीसी के साथ लॉट–वार/लदान–वार बिक्री/खरीद का करार किया, जिसमें एम.टी.पी.एल. विक्रेता है और एमएमटीसी क्रेता है। इसी प्रकार, अन्य बोलीदाताओं के साथ एमटीपीएल वैश्विक निविदाओं में भी भाग लेती है, जिसमें एमएमटीसी के एक डब्ल्यू.ओ.एस. होने के नाते उसे ई.एम.डी., परफोर्मेंस बॉन्ड गारंटी देने और के.वाई.सी. नियमों से छूट–प्राप्त है, जबकि अन्य बोलीदाताओं के मामले में ये लागू हैं।
(ग.) ठेकों/व्यवस्थाओं/लेन–देन की अवधि	(1.) दोनों पार्टियों ने 22 अक्टूबर, 2008 को एस.एच.ए. करार किया। (2.)रिफाइंड 1 किग्रा./100 ग्राम के बार के विपणन के लिए एम.पी.आई.पी.एल. के साथ 20 मार्च, 2013 को तीन वर्ष की वैधता का एम.ओ. यू. (सहमति ज्ञापन) किया गया। (3.) एम.एम.आई.पी.एल. के साथ 22 जून, 2015 को एम.पी.आई.पी.एल.	दोनों पार्टियों ने 17 जनवरी, 2009 को एस.एच.ए. करार किया।	चालू आधार पर, जब तक बिक्री और खरीद की मांग बनी रहती है।	चालू आधार पर, जब तक बिक्री और खरीद की मांग बनी रहती है।

संबंधित पार्टी का नाम	एमएमटीसी पैम्प इंडिया प्रा. लि.	एमएमटीसी गीतांजलि लि.	नीलाचल इस्पात निगम लि.	एमएमटीसी ट्रांसनेशनल प्रा. लि., सिंगापुर
	के कुल उत्पादन के 26 प्रतिशत हिस्से के विपणन का एक वर्ष की वैधता वाला सहमति ज्ञापन (एम.ओ.यू.) किया गया। इसने क्रम संख्या 2 के एम.ओ.यू. का स्थान लिया।			
(घ.) ठेकों या व्यवस्थाओं या लेन–देन की मुख्य शर्तें, जिनमें मूल्य शामिल है, यदि कोई है	एस.एच.ए. के बारे में मुख्य बातें हैं : (1.) जे.वी.जी. बहुमूल्य धातु के उत्पादों के आधुनिकतम मैन्यूफैक्चरिंग संयंत्र की डिजाइन बनाने, निर्माण, प्रचालन एवं व्यापार का कार्य करेगी। (2.) एमएमटीसी और पैम्प मिल कर अपने सामर्थ्य का स्वर्ण, चांदी को रिफाइन करने, स्वर्ण एवं चांदी के सिक्कों एवं अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार मान्य संबंद्ध वस्तुओं तथा गौण–उत्पादों के निर्माण, खरीद एवं बिक्री के लिए उपयोग करेगी। (3.) एमएमटीसी उत्पादों के विपणन, बिक्री एवं वितरण में एम.पी.आई.पी.एल. की सहायता करेगी। हाल ही में एम.पी.आई.पी.एल. के साथ हस्तातक्षरित सहमति ज्ञापन की मुख्य बातें हैं :	(1.) एमएमटीसी सिल्वरलाइन, स्वर्ण/चांदी के मेडेलियन की पूरी रेंज और 50 प्रतिशत सादे स्वर्ण आभूषणों की एम जी.पी.एल. को आपूर्ति करेगी। यह आपूर्ति एम.जी.पी.एल. द्वारा उपयुक्त प्रतिभूति देने पर की जाएगी। यदि प्रस्तावित सादे स्वर्ण आभूषण एम.जी.पी.एल. की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं करते हैं तो एम.जी.पी.एल., एमएमटीसी को एम.जी.पी.एल. द्वारा खरीदी गई पूरी मात्रा के 2 प्रतिशत मूल्य की क्षतिपूर्ति करेगी। एम.जी पी.एल. कुल प्राप्ति (प्रोक्योरमेंट) की 26 प्रतिशत से लेकर 4 प्रतिशत तक की उपरोक्त आपूर्ति की वस्तुओं को खरीदेगी। (2.) जी.जी.एल., एम.जी.पी.एल द्वारा चाही गई 50 प्रतिशत सादे स्वर्ण आभूषणों और 100 प्रतिशत हीरों की आपूर्ति करेगी।	मैसर्स आई.पी.आई.सी.ओ.एल. के जरिए एमएमटीसी और ओड़ीशा सरकार के शेयरधारकों के बीच हुए समझौते में कहा गया है कि एमएमटीसी पारस्परिक रूप से सहमत शर्तों पर संयंत्र को कच्चे सामग्रियों और उपभोज्य वस्तुओं की आपूर्ति, घरेलू बिक्री करेगी और एमएमटीसी और एन.आई.एन.एल. के बीच पारस्परिक रूप से सहमत शर्तों पर एमएमटीसी द्वारा जे.वी. कंपनी के उत्पादों के निर्यात की व्यवस्था का काम किया जाएगा। एमएमटीसी और एन. आई.एन.एल. के बीच 22.6.2012 को सहमति के जरिए तैयार माल की ब्रिक्री/खरीद के समझौते पर हस्ताक्षर किए गए और 11.2.2014 को संसोधन किया गया।	एम.टी.पी.एल. सिंगापुर अत्यंत प्रतिस्पर्धात्मक दरों पर सिंगापुर में निधियों को जुटाती है क्योंकि विदेशी आपूर्तिकारों को भुगतान की दृष्टि से भारत की तुलना में उस देश की बेहतर रेटिंग है और तदनुरूप एमएमटीसी के साथ लॉट–वार/लदान–वार बिक्री/खरीद का समझौता करती है, जिसमें एम. टी.पी.एल. विक्रेता होती है और एमएमटीसी क्रेता होती है। इसी प्रकार, एम.टी.पी.एल. अन्य बोलीदाताओं के साथ नियमित रूप से वैश्विक निविदाओं में भाग लेती है, जिसमें एमएमटीसी के एक डब्ल्यू.ओ.एस. होने के नाते उसे ई.एम.डी., परफोर्मेंस बॉन्ड गारंटी देने और के.वाई.सी. नियमों से छूट–प्राप्त है, जबकि अन्य बोलीदाताओं के मामले में ये लागू हैं।
	(1.) एमएमटीसी समय–समय पर भारत भर में स्थित एम.पी.आई.पी.एल. के विभिन्न स्थानों से बुलियन के स्टॉक्स (995 शुद्धता वाले किलोग्राम के स्वर्ण			

संबंधित पार्टी का नाम	एमएमटीसी पैम्प इंडिया प्रा. लि.	एमएमटीसी गीतांजलि लि.	नीलाचल इस्पात निगम लि.	एमएमटीसी ट्रांसनेशनल प्रा. लि., सिंगापुर
	बार या 999 शुद्धता वाले 100 ग्राम के स्वर्ण बार और 0.999 फाइन शुद्धता वाले चांदी के बार) को प्रत्येक स्थान के लिए एम.पी.आई.पी.एल. द्वारा यथा–निर्धारित प्रीमियम पर खरीदने का इरादा इंगित कर सकती है।			
	(2.) एमएमटीसी के कारपोरेट कार्यालय के सी.बी.ओ. के विधिवत प्राधिकृत कार्मिक एम.पी.आई.पी. एल. के मूल्य निर्धारण डेस्क के साथ सभी बुलियन का मूल्य निर्धारित करेगें। न्यूनतम निर्धारण लॉट स्वर्ण बार के लिए 5 किग्रा. और चांदी बार के लिए 500 किग्रा. का होगा।			
(च.) इस प्रकार के ठेकों या व्यवस्थाओं या लेन–देन करने का औचित्य	(1.) मार्जिन और टॉपलाइन में सुधार लाना	(1.) अखिल भारतीय आधार पर रिटेल बिक्री प्रचालनों के विस्तार द्वारा बुलिनय सेक्टर में रिटेल बूम का लाभ उठा कर बुलियन प्रचालन के मार्जिन में सुधार लाना (2.) एमएम.टी.सी. स्वर्ण आभूषणों की बिक्री को प्रोत्साहन देने के लिए नियमित रूप से स्वर्ण प्रदर्शनियों के मेले आयोजित कर रही थी। इसलिए, यह महसूस किया गया कि विस्तार के लिए रिटेल में महत्वपूर्ण विशेषज्ञता आवश्यक है।	जैसा कि ऊपर उल्लिखित है।	जैसा कि ऊपर उल्लिखित है।
	(2.) घरेलू बाजार में बुलियन बार के वैकल्पिक आपूर्ति स्रोत (एल.बी.एम.ए. प्रत्यायित रिफाइनरी, जिससे हमारी गुणवत्ता संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति हो) विशेष रूप से तब उपयोगी होते हैं, जब सरकारी नीतियों के कारण आयात से बाजार में आपूर्ति प्रतिबंधित हो जाती है।			
	(3.) विशेषकर हमारे झंडेवालान टकसाल की मशीनरी में खराबी के मद्देनजर उच्च गुणवत्तायुक्त उत्पाद			

संबंधित पार्टी का नाम	एमएमटीसी पैम्प इंडिया प्रा. लि.	एमएमटीसी गीतांजलि लि.	नीलाचल इस्पात निगम लि.	एमएमटीसी ट्रांसनेशनल प्रा. लि., सिंगापुर
	प्रदान कर रिटेल बूम का लाभ उठाने के वास्ते स्वर्ण एवं चांदी के मेडेलियन को रिफाइन करने और ढालने के लिए			
(छ.) निदेशक मंडल द्वारा स्वीकृति की तारीख	9 दिसंबर, 2014 11 फरवरी, 2015	9 दिसंबर, 2014 11 फरवरी, 2015	11 फरवरी, 2015	
(ज.) अग्रिम के रूप में भुगतान, यदि कोई है	कोई नहीं	कोई नहीं	कोई नहीं	कोई नहीं
(झ.) सामान्य बैठक में पारित प्रस्ताव की तारीख, जैसा कि धारा 188 के तीसरे नियम के अंतर्गत आवश्यक है	इस बारे में शेयरधारकों द्वारा डाक मतपत्र के जरिए विशेष प्रस्ताव पारित किए गए और अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक द्वारा 27.04.2015 को इसके परिणामों की घोषणा की गई।			
2. आर्म्स लेन्थ आधार पर ठेकों या व्यवस्था या लेन–देन का विवरण : **..... शून्य .....**				

निदेशकों की रिपोर्ट का अनुलग्नक

उर्जा संरक्षणः उर्जा तथा ईंधन की खपत

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 134(3) के अंतर्गत कंपनी नियम (निदेशक मंडल की रिपोर्ट में विवरणों का प्रस्तुतीकरण) 1988 के अनुसरण में दिनांक 31.03.2015 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए उर्जा संरक्षण के संबंध में विवरणों के प्रकटन की तालिका :

क्र. सं.			चालू वर्ष (2014-15)	पिछला वर्ष (2013-14)
1.	बिजली	खरीद (किलोवाट आवर) (वार्षिक न्यूनतम गारंटी पर) कुल लागत (लाख रूपये में) औसत दर (रूपये/किलोवाट आवर)	3,09,012 16.69 5.40	3,09,012 16.69 5.40
2.	कोयला	मात्रा (मी टन) कुल लागत (लाख रूपये में) औसत दर (रूपये प्रति मी टन)	- - -	- - -
3.	डीजल तेल	खरीद (लीटर) कुल लागत (लाख रूपये में) औसत दर (रूपये प्रति लीटर)	- - -	- - -
4.	एलडीओ	खरीद (लीटर) कुल लागत (लाख रूपये में) औसत दर (रूपये प्रति लीटर)	- - -	- - -

<u>गोपनीय</u>

संख्या / No. PDCA-I/ND/CHQ/29-2/MMTC/2015-16/225

भारतीय लेखा तथा लेखापरीक्षा विभाग,
कार्यालय प्रधान निदेशक वाणिज्यिक लेखापरीक्षा
एवं पदेन सदस्य, लेखापरीक्षा बोर्ड–1
INDIAN AUDIT & ACCOUNTS DEPARTMENT,
OFFICE OF THE PRINCIPAL DIRECTOR OF COMMERCIAL
AUDIT & EX-OFFICIO MEMBER, AUDIT BOARD-1

सेवा में,

दिनाँक/Dated 22.07.2015

अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक,
एम.एम.टी.सी. लिमिटेड,
कोर- 1, स्कोप कॉम्पलैक्स, 7, इंस्टीटयूशनल एरिया,
लोधी रोड, नई दिल्ली - 110 003

विषय : **31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष हेतु एम.एम.टी.सी. लिमिटेड के वार्षिक लेखों पर कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 143(6)(b) के अन्तर्गत तथा Consolidated Financial Statements पर कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 143(6)(b) एवं 129(4) के अन्तर्गत भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां**

महोदय,

मैं इस पत्र के साथ 31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष के लिए एम.एम.टी.सी. लिमिटेड के वार्षिक लेखों पर कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 143(6)(b) के अन्तर्गत तथा Consolidated Financial Statements पर कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 143(6)(b) एव 129(4) के अन्तर्गत भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की **'शून्य टिप्पणिया'** अग्रेषित करता हूं। इन शून्य टिप्पणियों को कम्पनी की वार्षिक रिपोर्ट में प्रकाशित किया जाए और कम्पनी की महासभा में उसी समय व उसी प्रकार रखा जाए जिस प्रकार वैधानिक लेखा परीक्षकों की लेखा परीक्षा रिपोर्ट रखी जाती है।

भवदीय,

संलग्न : शून्य टिप्पणियां

22/7/2015

(विमलेन्द्र पटवर्धन)
प्रधान निदेशक

तृतीय तल, ए-स्कन्ध, इन्द्रप्रस्थ भवन, इन्द्रप्रस्थ एस्टेट, नई दिल्ली—110002
3rd Floor, A-Wing, Indraprastha Bhawan, New Delhi-110002.
दूरभाष/Tele. : 011-23378473, फैक्स/Fax : 011-23378432
e-mail : mabnewdelhi1@cag.gov.in

31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के लिए एमएमटीसी लिमिटेड के समेकित वित्तीय विवरणों पर कंपनीज अधिनियम 2013 की धारा 143(6) (बी) जिसके साथ धारा 129 (4) पठनीय है के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां।

कंपनीज अधिनियम 2013 के अंतर्गत निर्धारित रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के अनुसार 31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के लिए एमएमटीसी लिमिटेड के वित्तीय विवरण को तैयार करना कंपनी के प्रबंधतंत्र का दायित्व है। अधिनियम की धारा 139(5) जिसके साथ धारा 129(4) पठनीय है के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त विधिक आडिटर इन वित्तीय विवरणों पर अधिनियम की धारा 143 जिसके साथ धारा 129(4) पठनीय है के तहत अपना मत व्यक्त करने के लिए उत्तरदायी हैं। स्वतंत्र लेखा परीक्षा अधिनियम की धारा143 (10) के तहत निर्धारित लेखा परीक्षा के मानकों के अनुरूप होनी चाहिए। उन्होंने अपना यह कार्य पूरा किया है जिसका उल्लेख उन्होंने अपनी आडिट रिपोर्ट दिनांक 21 मई, 2105 में किया है।

मैंने भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की ओर से 31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के लिए एमएमटीसी लिमिटेड के समेकित वित्तीय विवरणों की अधिनियम की धारा 143 (6) (ए) जिसके साथ धारा 129(4) पठनीय है के तहत सप्लीमेंटरी आडिट किया है। हमने एमएमटीसी लिमिटेड के वित्तीय विवरणों की सप्लीमेंटरी आडिट की है परंतु इसकी सहायक कंपनियों, एसोसिएट कंपनियों तथा संयुक्त रूप से नियंत्रित उद्यमों जिनको इस तारीख को समाप्त अवधि के लिए संलग्न सूची में शामिल किया गया है, के वित्तीय विवरणों की सप्लीमेंटरी आडिट नहीं की है। यह सप्लींमेंटरी आडिट विधिक आडिटर के वर्किंग पेपर देखे बगैर स्वतंत्र रूप से की है। हमारी सप्लीमेंटरी आडिट विधिक आडिटर द्वारा पूछे गए बिंदुओं तथा कंपनी के कार्मिकों तथा कुछ लेखा रिकार्ड की चुनिंदा जांच तक सीमित है।

मैं अपने आडिट के आधार पर कहता हूं कि मेरी जानकारी में ऐसी कोई बात नहीं आई है जिसका यहां अथवा विधिक आडिटर्स की सप्लीमेंट रिपोर्ट में उल्लेख करना आवश्यक हो।

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 22 जुलाई, 2015

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक
की ओर से

22/7/2015

(विमलेन्द्र पटवर्धन)
प्रमुख वाणिज्यिक लेखापरीक्षा निदेशक
एवं पदेन सदस्य, आडिट बोर्ड–I,
नई दिल्ली

31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के लिए एमएमटीसी लिमिटेड के वित्तीय विवरणों पर कंपनीज अधिनियम, 2013 की धारा 143(6)(बी) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां।

कंपनीज अधिनियम 2013 के अंतर्गत निर्धारित रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के अनुसार 31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के लिए एमएमटीसी लिमिटेड के वित्तीय विवरण को तैयार करना कंपनी के प्रबंधतंत्र का दायित्व है। अधिनियम की धारा 139 (5) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त विधिक आडिटर इन वित्तीय विवरणों पर अधिनियम की धारा 143 के तहत अपना मत व्यक्त करने के लिए उत्तेरदायी हैं। स्वतंत्र लेखा परीक्षा अधिनियम की धारा 143(10) के तहत निर्धारित लेखा परीक्षा के मानकों के अनुरूप होनी चाहिए। उन्होंने अपना यह कार्य अपनी आडिट रिपोर्ट दिनांक 21 मई, 2105 में किया है।

मैंने, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की ओर से 31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के लिए एमएमटीसी लिमिटेड के वित्तीय विवरणों की अधिनियम की धारा 143(ए) के तहत सप्लीमेंटरी आडिट किया है। यह सप्लीमेंटरी आडिट विधिक आडिटर के वर्किंग पेपर देखे बगैर स्वतंत्र रूप से की है। हमारी सप्लीमेंटरी आडिट विधिक आडिटर द्वारा पूछे गए बिंदुओं तथा कंपनी के कार्मिकों तथा कुछ लेखा रिकार्ड की चुनिंदा जांच तक सीमित है। मैं अपने आडिट के आधार पर कहता हूं कि मेरी जानकारी में ऐसी कोई बात नहीं आई है जिसका यहां अथवा विधिक आडिटर्स की सप्लीमेंट रिपोर्ट में उल्लेख करना आवश्यक हो।

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 22 जुलाई, 2015

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक
की ओर से

22/7/2015

(विमलेन्द्र पटवर्धन)
प्रमुख वाणिज्यिक लेखापरीक्षा निदेशक
एवं पदेन सदस्य, आडिट बोर्ड–I,
नई दिल्ली

अनुलग्नक

सहायक कंपनी का नाम
एमएमटीसी ट्रांसनेशनल पीटीई लि.
एसोसिएट्स का नाम
नीलाचल इस्पात निगम लिमिटेड
देवोना थर्मल पावर एवं इन्फ्रास्ट्रक्चर लि. '
संयुक्त उद्यमों के नाम
फ्री ट्रेड वेयरहाउसिंग प्रा.लि.
एमएमटीसी पैम्प इंडिया प्रा. लि.
सिकॉल आयरन ओर टर्मिनल लि.
एमएमटीसी गीतांजलि लि.
टीएम माईनिंग कंपनी लि.
इंडियन कमोडिटी एक्सचेंज लि.

*2014–15 का वित्तीय विवरण प्राप्त नहीं होने के कारण इसका समेकन नहीं किया गया है।

एमएमटीसी लिमिटेड
MMTC LIMITED
भारत सरकार का उपक्रम
A GOVT. OF INDIA ENTERPRISE
touching lives, adding value

दशक पर एक नजर

(₹ मिलियन में)

31 मार्च को समाप्त वर्ष के लिए	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006
हमारी देनदारियां										
शेयर पूंजी	**1000**	1000	1000	1000	1000	500	500	500	500	500
रिजर्व	**12592**	12419	12408	13214	12797	12371	10734	9800	8321	7833
	13592	13419	13408	14214	13797	12871	11234	10300	8821	8333
ऋण	**2866**	4129	14783	34299	60835	51648	43052	31984	11298	5071
अन्य दीर्घकालीन देयताएं	**265**	99	191	45	-	-	-	-	-	-
दीर्घकालीन प्रावधान	**1771**	1825	1702	1374	-	-	-	-	-	-
	18494	19472	30084	49932	74632	64519	54286	42284	20119	13404
हमारी परिसंपत्तियां										
स्थाई परिसंपत्तियां	**2060**	2120	2107	2052	2107	2099	2075	2067	2045	773
घटाएं : मूल्यह्रास	**1482**	1302	1186	1079	993	874	757	654	519	453
निवल स्थाई परिसंपत्तियां	**578**	818	921	973	1114	1225	1318	1413	1526	320
निवेश	**4457**	4457	4697	4673	2831	2729	2316	2550	2550	2210
विविध खर्चे (बट्टे खाते में नहीं डाले गए)	**-**	-	-	-	-	-	58	22	15	45
दीर्घकालीन ऋण व अग्रिम	**941**	768	1130	1095	-	-	-	-	-	-
अन्य गैर–चालू परिसंपत्तियां	**8**	15	17	23	-	-	-	-	-	-
कार्यरत पूंजी	**10231**	11153	21865	42453	70352	60339	50291	38042	15667	10411
आस्थगित कर परिसंपत्तियां	**2279**	2261	1454	715	335	226	303	257	361	418
	18494	19472	30084	49932	74632	64519	54286	42284	20119	13404
हमारी आय										
बिक्री	**182415**	250745	284156	659291	688545	451242	368207	264234	233016	163624
निर्यात	**23007**	41270	29795	20454	36934	32227	45759	39114	34131	29254
आयात	**145302**	187135	209544	610417	633008	399691	306951	204499	186074	117858
घरेलू	**14106**	22340	44817	28420	18603	19324	15497	20621	12811	16512
अर्जित ब्याज	**998**	1378	2796	6458	4750	5742	7824	2106	1202	1213
अन्य आय	**680**	2795	2210	4770	2369	2294	2498	1314	902	749
	184093	254918	289162	670519	695664	459278	378529	267654	235120	165586
हमारे खर्चे										
विक्रय लागत	**180764**	249239	282985	660483	687260	449463	366966	260732	230964	161716
स्थापना खर्चे	**1918**	1895	2029	1843	1838	1684	1653	1184	883	706
प्रशासनिक खर्चे	**507**	471	482	521	554	461	385	375	327	302
वित्त लागत (प्रदत्त ब्याज शामिल)	**170**	670	2195	5764	3719	4126	6659	1350	711	818
मूल्यह्रास और परिशोधन	**178**	124	120	120	125	133	126	127	80	42
बट्टे खाते में डाले गए विविध खर्चे	**-**	-	-	-	-	58	18	13	33	41
बट्टे खाते में डाले गए/वापिस लिए गए ऋण/दावे/परिसंपत्तियां	**300**	11	1	3	1	3	143	231	98	191
संदिग्ध ऋणों के लिए तथा निवेश/स्थाई परिसंपत्तियों में ह्रास हेतु प्रावधान	**12**	13	63	133	229	19	406	373	95	67
असाधारण मदें	**0**	2104	2444	1002	-	-	-	-	-	-
अपवादिक मदें*	**(372)**	231	127	(1)	-	-	-	-	-	-
	183477	254758	290446	669868	693726	455947	376356	264385	233191	163883

(₹ मिलियन में)

31 मार्च को समाप्त वर्ष के लिए	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006
हमारी बचत										
वर्ष का लाभ	**616**	160	(1,284)	651	1938	3331	2173	3269	1929	1703
कराधान के लिए प्रावधान	**120**	(42)	(572)	53	701	1168	772	1241	625	596
कर पश्चात् लाभ (पूर्वावधि समायोजन से पूर्व)	**496**	202	(712)	598	1237	2163	1401	2028	1304	1107
पूर्वावधि समायोजन	**16**	16	(6)	(109)	21	-	(1)	23	36	24
उपयोग हेतु उपलब्ध लाभ	**480**	186	(706)	707	1216	2163	1402	2005	1268	1083
लाभांश	**250**	150	100	250	250	450	400	450	250	250
लाभांश पर कर	**51**	25	-	41	41	75	68	76	39	35
सतत विकास	**-**	-	2	-	-	-	-	-	-	-
कारपोरेट सामाजिक दायित्व	**-**	-	4	-	-	-	-	-	-	-
रिटेंड अर्जन	**179**	11	(812)	416	925	1638	934	1479	979	798
सकल लाभ	**2079**	3456	2997	2766	3300	3176	3209	4298	2497	2218
कर पूर्व लाभ	**600**	144	(1,278)	760	1917	3331	2174	3246	1893	1679
कर पश्चात लाभ	**480**	186	(706)	707	1216	2163	1402	2005	1268	1083
नेटवर्थ	**13592**	13418	13407	14213	13797	12871	11176	10278	8806	8288
नियोजित पूंजी	**7943**	7842	8003	9127	8645	9725	8557	7471	5895	10731
कार्यरत पूंजी	**10231**	11153	21865	42453	70352	60339	50291	38042	15667	10411
अनुपात										
बिक्री के अनुपात में ओवरहैडस %	**1.33**	0.94	0.88	0.36	0.35	0.48	0.55	0.59	0.52	0.62
बिक्री के अनुपात में स्टॉक %	**1.75**	1.23	3.13	1.40	0.94	4.73	1.57	2.09	0.76	1.52
बिक्री के अनुपात में व्यापार लाभ %	**1.14**	1.38	1.05	0.42	0.48	0.70	0.87	1.63	1.07	1.36
बिक्री के अनुपात में कर पूर्व लाभ %	**0.33**	0.06	(0.45)	0.12	0.28	0.74	0.59	1.23	0.81	1.03
बिक्री के अनुपात में कर पश्चात लाभ %	**0.26**	0.07	(0.25)	0.11	0.18	0.48	0.38	0.76	0.54	0.66
बिक्री के अनुपात में देनदार %	**16.64**	6.92	7.83	4.20	3.69	3.44	5.18	5.47	4.80	4.51
बिक्री के अनुपात में कार्यरत पूंजी %	**5.61**	4.45	7.69	6.44	10.22	13.37	13.66	14.40	6.72	6.36
कार्यरत पूंजी के अनुपात में बिक्री (गुणा)	**17.83**	22.48	13.00	15.53	9.79	7.48	7.32	6.95	14.87	15.72
नियोजित पूजी से वर्ष के लिए लाभ का %	**7.76**	2.04	(16.04)	7.13	22.42	34.25	25.39	43.76	32.72	15.87
नियोजित पूजी से कर पश्चात लाभ %	**6.04**	2.37	(8.82)	7.75	14.07	22.24	16.38	26.84	21.51	10.09
नेटवर्थ की तुलना में वर्ष के लिए लाभ %	**4.53**	1.19	(9.58)	4.58	14.05	25.88	19.44	31.81	21.91	20.55
नेटवर्थ की तुलना में कर पश्चात लाभ %	**3.53**	1.39	(5.27)	4.97	8.81	16.81	12.54	19.51	14.40	13.07
कार्मिकों की संख्या	**1439**	1530	1605	1673	1767	1838	1882	1953	1997	2031
प्रति कार्मिक बिक्री	**126.77**	163.89	177.04	394.08	389.67	245.51	195.65	135.30	116.68	80.56

*वर्ष 2015 के लिए असाधारण मदों से बट्टे खाते में डाली गई इन्वेंट्रीज में शुद्ध वसूली योग्य लागत शामिल नहीं है।

निधियों के स्रोत एवं उपयोग

(₹ मिलियन में)

	2014-15	2013-14	2012-13
स्रोत			
आंतरिक अर्जन			
कर पश्चात् लाभ	**479**	186	(706)
आस्थगित कर समायोजन	**(17)**	(807)	(739)
मूल्यह्रास	**1482**	1303	1186
प्रावधान	**7223**	8262	5898
इक्विटी	**1000**	1000	1000
रिजर्व	**12113**	12233	13113
बाह्य अर्जन			
बैकिंग	**2866**	4129	14783
चालू देयताएं	**40020**	26308	35698
अन्य देयताएं	**2623**	2185	2181
कुल स्त्रोत	**67789**	54799	72414
उपयोग			
स्थायी परिसंपत्तियां	**2060**	2120	2107
निवेश	**4746**	5306	4895
व्यापार ऋण	**34318**	21675	26596
वस्तु सूची	**3194**	3084	8888
ऋण व अग्रिम	**19571**	16433	14613
नकद व बैंक शेष	**1638**	4727	14600
आस्थगित कर	**2262**	1454	715
कुल उपयोग	**67789**	54799	72414

वित्तीय स्थिति में परिवर्तनों का विवरण

(₹ मिलियन में)

	2014-15		2013-14		2012-13	
निधियों के स्त्रोत						
आंतरिक अर्जन						
कर पश्चात लाभ	**479**		186		(706)	
मूल्यह्रास	**178**	**657**	124	310	120	(586)
आस्थगित कर समायोजन		**2262**		1454		715
ऋण						
ऋण निधि		**(1,263)**		(10,653)		(19,516)
कुल स्त्रोत		**1,656**		(8,889)		(19,387)
निधियों का अनुप्रयोग						
स्थायी परिसंपत्तियां		**(55)**		26		69
निवेश		**(560)**		169		174
आस्थगित कर परिसंपत्तियां		**2,279**		2261		1,454
अंतिम लाभांश		**250**		150		100
लाभांश कर		**51**		25		-
इनवेंट्री		**110**		(5,805)		(356)
विविध देनदार		**13,003**		(4,903)		(5,471)
ऋण व अग्रिम		**3,296**		(304)		(17,507)
रोकड़ व बैंक शेष		**(3,089)**		(9,874)		(13,931)
देयताएं		**(13,878)**		9481		15,484
प्रावधान		**249**		(115)		597
निधियों का कुल अनुप्रयोग		**1,656**		(8,889)		(19,387)

एमएमटीसी लिमिटेड
MMTC LIMITED
भारत सरकार का उपक्रम
A GOVT. OF INDIA ENTERPRISE
touching lives, adding value

मूल्यवर्धन विवरण

(₹ मिलियन में)

	2014-15		2013-14		2012-13	
		%		%		%
वर्धित मूल्य						
बिक्री तथा अन्य व्यापारिक अर्जन	182843		252752		286333	
जोड़ें : अन्य आय	958		967		462	
	183801		253719		286795	
घटाएं: प्रयुक्त सामग्री व सेवाओं की लागत	170702		229115		268238	
कुल मूल्यवर्धन	**13099**		**24604**		**18557**	
मूल्य वितरण						
प्रचालन खर्चे	9,924	75.77	20,185	82.04	15,131	81.54
नियोजन लागत	1,918	14.64	1,895	7.70	2,029	10.93
प्रशासनिक लागत	1,280	9.77	609	2.48	648	3.49
प्रावधान	12	0.09	254	1.03	63	0.34
मूल्यह्रास	178	1.36	124	0.50	118	0.64
ब्याज (निवल)	(812)	(6.20)	(711)	(2.89)	(598)	(3.22)
असाधारण मदें	-	-	2,104	8.55	2,444	13.17
आय कर	120	0.91	(42)	(0.17)	(572)	(3.08)
लाभांश						
-प्रस्तावित लाभांश	250	1.91	150	0.61	100	0.66
-लाभांश पर कर	51	0.39	25	0.10	-	-
रिजर्व एवं अधिशेष से अंतरित	-	-	-	-	(100)	(0.66)
रिटेंड अर्जन	178	1.36	11	0.04	(706)	(3.81)
कुल मूल्य वितरण	**13,099**	**100.00**	**24,604**	**100.00**	**18,557**	**100.00**
विश्लेषण						
कर्मचारियों की संख्या	**1,439**		**1530**		**1605**	
प्रति कर्मचारी मूल्य वर्धन ('000 रु.)	9,103		16,081		11,562	
नेट वर्थ	13,591		13,418		13,407	
नेट वर्थ के प्रति रुपये में मूल्य वर्धन	0.96		1.83		1.38	

वस्तुवार निष्पादन

(₹ मिलियन में)

31 मार्च को समाप्त वर्ष	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006
निर्यात										
लौह अयस्क	**14013**	16703	9885	3049	19390	19244	27536	26554	19012	21584
मैंगनीज अयस्क/ऑक्साइड	**67**	144	225	343	575	1019	1064	441	409	469
क्रोम अयस्क/कंसन्ट्रेट	**341**	3526	3781	6160	8076	6269	8274	6904	7964	3191
पिग आयरन	**6291**	10992	2893	9404	8136	4891	5988	5090	5446	3458
स्लैग		18							1	1
उर्वरक		2348	1533	1489	737	805			257	
कृषि उत्पाद	**2294**	7539	11478		20		2411	61	753	
रॉ–वुल				9						
हीरे/रत्न/आभूषण							434		289	291
मर्चेंटिंग ट्रेड							50	64		
स्टील/एचआर स्टील कॉयल्स										101
अन्य : (सुनामी कारें)										159
कुल निर्यात	**23007**	**41270**	**29795**	**20454**	**36934**	**32228**	**45757**	**39114**	**34131**	**29254**
आयात										
धातुएं/आईआरएम										
कॉपर/कॉपर कैथोड्स			101	1334	1240	1549	4688	3678	2691	3104
जिंक	**561**	616	837	1379	1205	1494	896	1287	1617	955
लैड	**31**	19	47	36	117	90	304	246	750	384
टिन	**195**	390	423	671	1013	522	1047	703	651	373
निकल	**725**	754	567	1393	3304	1042	501	922	1216	561
अल्यूमिनियम						11		16	172	228
एंटीमनी मेटल	**50**	67	58		26	8	5	24	10	52
स्टील/स्टील स्क्रैप/एचआर कॉयल				478	1080	1585	1065	1350	1331	274
अन्य			108	583	282	334	282	148	41	145
अनुयोग	**1561**	**1846**	**2142**	**5875**	**8267**	**6635**	**8788**	**8374**	**8479**	**6076**

वस्तुवार निष्पादन

(₹ मिलियन में)

31 मार्च को समाप्त वर्ष	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006
उर्वरक :										
सल्फर	**231**	230	233	219	142	220	1566	1488	140	160
यूरिया	**77973**	35969	11704	48927	14534	14084	30259	37907	14223	5867
डीएपी				1445		574			6346	5904
एमओपी	**1757**	1276	5599	5279	3937	9302	7916	1647	1621	1692
अन्य						4	7			
अनुयोग	**79961**	**37475**	**17537**	**55870**	**18613**	**24184**	**39748**	**41042**	**22330**	**13623**
डायमंड / गोल्ड / एम्राल्ड	**43343**	84116	131374	504607	501935	316029	212891	122071	135041	76928
कृषि उत्पाद	**704**	12139	13777	11843	14922	14638	16695	16160	3581	2726
हाइड्रोकार्बन	**19476**	51508	44688	32196	89229	38203	27364	16481	16296	18087
अन्य	**257**	51	27	27	43	1	1466	371	347	418
कुल आयात	**145302**	**187135**	**209545**	**610417**	**633008**	**399690**	**306952**	**204499**	**186074**	**117858**
घरेलू										
कॉपर / जिंक / ब्रास / अल्यूमिनियम					18	1195		1633	2142	1492
पिग आयरन / स्लैग / स्टील	**1761**	2335	9805	8273	4180	6352	2791	2738	2806	4381
उर्वरक	**858**	49	78	87	45	40	68	56	45	41
कृषि उत्पाद		5018	16041	8459	1294	1245	1042	1621	1610	1180
रत्न व आभूषण / चांदी	**8121**	7614	5379	6821	4918	5274	4118	7921	2369	1990
हाइड्रोकार्बन	**1762**	4456	11659	3475	5870	1753	4023	5255	3318	6893
अन्य	**1611**	2868	1855	1305	2278	3465	3455	1397	521	535
कुल घरेलू कारोबार	**14112**	**22340**	**44817**	**28420**	**18603**	**19324**	**15497**	**20621**	**12811**	**16512**
कुल कारोबार	**182420**	**250745**	**284156**	**659291**	**688545**	**451242**	**368207**	**264234**	**233016**	**163624**

देशवार निर्यात

(₹ मिलियन में)

31 मार्च को समाप्त वर्ष	2015	2014	2013
अफ्रीका			
साउथ अफ्रीका	**1858**	-	-
इथोपिया	**-**	2647	1367
सोमालिया	**-**	-	417
	1858	2647	1,784
एशिया			
बांग्ला देश	**818**	2223	1393
चीन	**744**	3085	3899
जापान	**11361**	14252	9148
कोरिया	**2979**	5886	6630
मलेशिया	**-**	3623	841
नेपाल	**-**	2366	1533
पाकिस्तान	**67**	**-**	**-**
इंडोनेशिया	**1476**	1002	2372
फिलिपीन्स	**-**	426	-
सिंगापुर	**-**	-	43
ताईवान	**-**	2264	-
थाईलैंड	**3694**	3122	2087
वियतनाम	**-**	314	-
	21139	38563	27945
पश्चिम यूरोप			
स्पेन	**10**	60	66
	10	60	66
कुल निर्यात	**23007**	**41270**	**29795**

देशवार आयात

(₹ मिलियन में)

31 मार्च को समाप्त वर्ष	2015	2014	2013
अफ्रीका			
सूडान गणराज्य	**-**	-	53
दक्षिण अफ्रीका	**6,744**	9,967	89,479
	6,744	**9,967**	**89,532**
एशिया			
चीन	**72,366**	23,855	73,853
इंडोनेशिया	**10,279**	36,385	327,455
कोरिया	**670**		-
मलेशिया	**119**	2,394	1,444
हांगकांग	**-**	437	-
रूस	**676**	533	425
सिंगापुर	**733**	152	121,810
	84,843	**63,756**	**524,988**
पूर्वी यूरोप			
कजाकिस्तान	**-**	192	4,373
बेलारूस	**517**	-	55,387
युक्रेन	**-**	-	692
	517	**192**	**60,451**
मध्य पूर्व			
दुबई	**-**	367	4,435
ईरान	**3,919**	11,332	44,555
कुवैत	**-**	124	-
संयुक्त अरब अमीरात	**1,633**	4,064	106,494
	5,782	**15,887**	**155,483**

(₹ मिलियन में)

31 मार्च को समाप्त वर्ष	2015	2014	2013
उत्तरी अमेरिका			
कनाडा	**-**	-	164
संयुक्त राज्य अमेरिका	**-**	1,256	2,314
	-	**1,256**	**2,478**
ओशिनिया			
आस्ट्रेलिया	**12,328**	8,616	135,220
	12,328	**8,616**	**135,220**
पश्चिम यूरोप			
लक्समबर्ग	**85**	-	-
स्वीडन	**32**	16	301
स्विटजरलैंड	**10,926**	16,154	109,286
नार्वे	**44**	395	448
यू के	**14,769**	44,824	902,222
	25,856	61,389	1,012,258
कुल आयात	**136,070**	**161,063**	**1,980,411**

राजकोष में अंशदान

(₹ मिलियन में)

	2014-15	2013-14	2012-13
केन्द्र सरकार को			
निर्यात शुल्क	**9**	-	55
आयात शुल्क	**3,917**	8,558	6,569
उत्पाद शुल्क	**6**	1	0
सेवा कर	**36**	18	45
केन्द्रीय बिक्री कर	**337**	885	525
आय कर (लाभांश पर कर सहित)	**579**	188	216
लाभांश	**135**	90	248
योग	**5,019**	**9,740**	**7,658**
रेलवे तथा बंदरगाहों को			
रेल भाड़ा	**4,299**	4,782	3,711
रेलवे/बंदरगाहों को प्लाट किराया	**5**	7	1
बंदरगाह प्रभार	**53**	53	24
योग	**4,357**	**4,842**	**3,737**
राज्य सरकार को			
स्थानीय बिक्री कर/वैट	**560**	2,566	2,296
अन्य कर/शुल्क	**12**	105	37
व्यावसायिक कर	**2**	1	1
योग	**574**	2,672	2,334
कुल योग	**9,950**	17,254	13,728

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

एमएमटीसी सदस्यगण

स्टेंडअलोन वित्तीय विवरणों पर रिपोर्ट

एमएमटीसी लिमिटेड (कंपनी) के संलग्न एकल (स्टेंड अलोन) वित्तीय विवरणों जिसमें हमने 31 मार्च 2015 को तुलन–पत्र तथा लाभ व हानि विवरण, उसी तिथि को समाप्त वर्ष के रोकड़ प्रवाह विवरण शामिल हैं तथा महत्वपूर्ण लेखा नीतियों व अन्य विवरणात्मक सूचनाओं जिनमें अहमदाबाद, भुवनेश्वर, मुम्बई, गोवा, बैंगलुरू, हैदराबाद, चेन्नै, विजाग, कोलकाता (माइका प्रभाग, अभ्रक नगर सहित) जयपुर, दिल्ली क्षेत्रीय कार्यालय, कारपोरेट कार्यालय माइका प्रभाग स्थित निगम की शाखाओं की शाखा लेखा परीक्षकों द्वारा उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए रिटर्न समाहित है, की हमने लेखा परीक्षा की है।

एकल वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधतंत्र का दायित्व

कंपनी के (लेखा) नियम 2014 के नियम 7 के साथ पठनीय अधिनियम की धारा 133 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट लेखा मानकों सहित निगम की वित्तीय स्थिति, वित्तीय निष्पादन तथा रोकड़ प्रवाह के सही एवं वास्तविक रूप को दर्शाने वाले इन स्टेंडअलोन वित्तीय विवरणों को बनाने के संबंध में कंपनी अधिनियम 2013 (अधिनियम) की धारा 134(5) में वर्णित मामलों के लिए निगम का निदेशक मण्डल उत्तरदायी होगा धोखों अथवा चूक के कारण अशुद्ध वर्णन से मुक्त सही एवं वास्तविक वित्तीय विवरणों को बनाने तथा प्रस्तुतीकरण के प्रासंगिक लेखा रिकार्डों की परिशुद्धता तथा सम्पूर्णता की सुनिश्चितता के लिए प्रभावी रूप से प्रचालित पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के डिजाईन तथा कार्यान्वयन एवं रखरखाव के साथ साथ उचित एवं बिक्री निर्णय एवं अनुमान बनाना, समुचित लेखा नीतियों का चयन एवं कार्यान्वयन, धोखे तथा अन्य अनियमतताओं की पहचान एवं बचाव के लिए तथा निगम की परिसंत्तियों की सुरक्षा के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप पर्याप्त लेखा नीतियों का रख रखाव भी इस दायित्व में शामिल है।

लेखा परीक्षकों का दायित्व

अपनी लेखा परीक्षा के आधार पर इन एकल वित्तीय विवरणों पर राय देना हमारा दायित्व है।

अधिनियम के प्रावधानों तथा इसके अधीन बनाए गए नियमों के अंतर्गत लेखा परीक्षा रिपोर्ट में शामिल किए जाने के लिए आवश्यक लेखा एवं लेखा परीक्षा मानकों तथा मामलों का हमने संज्ञान लिया है।

अधिनियम की धारा 143(10) के अंतर्गत विनिर्दिष्ट लेखा परीक्षा मानकों के अनुरूप हमने लेखा परीक्षा की है । इन मानकों के लिए यह आवश्यक है कि हम नीतिपरक आवश्यकताओं का अनुपालन करें तथा यह आश्वासन प्राप्त करने के लिए योजना बनाएं तथा इसका निष्पाादन करें कि वित्तीय विवरणो में कोई अशुद्ध वर्णन नहीं है।

आडिट की मुख्य भूमिका वित्तीय विवरणों में राशि तथा प्रकटन के बारे में आडिट साक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए विभिन्नि प्रकियाओं का पालन करना है। धोखे अथवा गलती से वित्तीय विवरणों के जोखिम के मूल्यांकन के साथ साथ चयनित प्रक्रियाएं लेखा परीक्षकों के निर्णय पर आधारित होती हैं। इन जोखिमों का मूल्यांकन करते समय लेखा परीक्षक आंतरिक वित्तीय निर्णयों पर विचार करते हैं जो कंपनी के वित्तीय विवरण बनाने के लिए प्रासंगिक हैं तथा जो उन परिस्थितियों में उचित आडिट प्रणालियां डिजाईन करने के लिए सही व वास्तविक रूप प्रस्तुत करती हैं प्रयुक्त लेखा नीतियों की उपयुक्तता का मूल्यांकन तथा कंपनी के निदेशकों द्वारा बनाए गए एकाउंटिंग अनुमानों की तर्कसंगतता के साथ साथ वित्तीय विवरणों के समग्र प्रस्तुतीकरण का आकलन करना भी लेखा परीक्षा में शामिल है।

हमें विश्वास है कि हमारे द्वारा प्राप्त किए गए आडिट साक्ष्य पर्याप्त तथा उपयुक्त हैं जो एकल वित्तीय विवरणों पर हमारी लेखा परीक्षा राय को आधार प्रदान करते हैं।

राय

हमारी राय, सूचना तथा हमें उपलब्ध करवाए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार उपरोक्त एकल वित्तीय विवरण अधिनियम द्वारा अपेक्षित सूचनाएं इस रूप में देती हैं जो आवश्यक हैं तथा भारत में सामान्यातः स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुरूप दिनांक 31 मार्च, 2015 को कंपनी के मामलों, इसके लाभ तथा उसी तिथि को समाप्त वर्ष के रोकड़ प्रवाह का सही तथा वास्तविक रूप दर्शाती हैं।

मामले पर बल

क) नीलाचल इस्पात निगम लिमिटेड (एनआईएनएल) एवं संबद्ध कंपनी को दिए गए भारतीय रूपए 8669.90 मिलियन (गत वर्ष 6490.00 मि.रू.) के असुरक्षित लघु अवधि ऋण के संबंद्ध में एकल वित्तीय विवरण के नोट संख्या 9(i) तथा 21 की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है ।

ख) अगस्त 2012 से राज्य सरकार के लिए भारत में आयातित खाद्य तेल के प्रति प्रतिपूर्ति के कारण भारत सरकार से वसूली के लिए निर्धारित भारतीय रूपए 3732.90 मि.रु. की राशि के विषय में एकल वित्तीय विवरण के नोट संख्या 7.5 की ओर हम ध्यान आकृष्ट करते हैं।

ग) विविध देनदारों/वसूली योग्य दावों/ऋण एवं अग्रिमों/विविध लेनदारों/अन्य देयताओं के अंतर्गत शेष जिनकी कई मामलों में पुष्टि नहीं की गई है तथा उक्त पुष्टि प्राप्त होने पर किए जाने वाले आवश्यक पुर्नर्मिलान / समायोजन, यदि कोई हो तो, का निर्धारण नहीं किया जा सकता।

घ) साफ्टवेयर में समस्या के कारण आरएमएस साफ्टवेयर सांची मदों की सही सूची नहीं दिखा रहा है।

ङ) जी आर–1 फार्म के समय विस्तार न करने/वेवर/बट्टे खाते में डालने के मामलों में देयताओं, यदि कोई हो तो, का प्रावधान न किए जाने के संबंध में एकल वित्तीयय विवरणों के नोट संख्या 22 की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

इस मामले में हमारी राय में परिवंर्तन नहीं किया गया है।

अन्य मामले

निगम के एकल वित्तीय विवरणों में शामिल दस शाखाओं के वित्तीय विवरणों/सूचनाओं की हमने लेखा परीक्षा नहीं की है। इनके वित्तीय विवरणों/वित्तीय सूचनाओं के अनुसार दिनांक 31 मार्च, 2015 को 30922.02 मिलियन आईएनआर की कुल परिसंपतियां तथा उसी तिथि को समाप्त वर्ष के लिए 105580.13 आईएनआर के कुल राजस्व दर्शाए गए हैं जिन्हें एकल वित्तीय विवरणों में लिया गया है। इन शाखाओं के वित्तीय विवरणों/सूचनाओं की लेखा परीक्षा शाखा के लेखा परीक्षकों द्वारा की गई है जिनकी रिपोर्ट हमें उपलब्ध करवाई गई है। इन शाखाओं के संबंध में शामिल राशियां एवं प्रकटन के प्रति राय उक्त शाखा लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर ही आधारित हैं ।

इस मामले में हमारी राय में परिवंर्तन नहीं किया गया है।

अन्य विधिक तथा नियामक आवश्यकताएं

1. अधिनियम की धारा 143 की उप धारा (11) के अनुरूप भारत की केन्द्रं सरकार द्वारा जारी कम्पनीज (लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट) आदेश, 2015 ("आदेश") में यथा आवश्यक है, निगम के कारपोरेट कार्यालय तथा शाखा लेखा परीक्षकों की लेखा परीक्षा रिपोर्ट के आधार पर आदेश के पैराग्राफ 3 तथा 4, जहां तक लागू है, में विनिर्दिष्ट मामलों पर अनुलग्नक 'क' में हम एक विवरण प्रस्तुत कर रहे हैं।

2. अधिनियम की धारा 143(3) में जैसा आवश्यक है, हम सूचित करते हैं कि :–

क) हमने सभी सूचनाएं तथा स्पष्टीकरण मांगे तथा प्राप्त किए हैं जो हमारे ज्ञान एवं विश्वास में हमारी लेखा परीक्षा के उद्देश्य से आवश्यक थे।

ख) बहियों तथा उचित रिटर्नस की हमारी जांच से स्प्ष्ट होता है कि निगम द्वारा विधिक रूप से आवश्यक उचित खाता बहियां बनाई गई हैं जिन शाखाओं का हमने दौरा नहीं किया है वहां से हमारी लेखा परीक्षा के लिए आवश्यक बहियां तथा उचित रिटर्न प्राप्त कर ली गई हैं।

ग) शाखा लेखा परीक्षकों द्वारा अधिनियम की धारा 143(8) के अंतर्गत निगम के शाखा कार्यालयों के खाते की लेखा परीक्षा रिपोर्ट हमें भेजी गई है तथा इस रिपोर्ट के बनाने में हमने इनका समुचित संव्यवहार किया है।

घ) इस रिपोर्ट में दिए गए तुलन पत्र, लाभ व हानि विवरण तथा रोकड़ प्रवाह विवरण शाखा कार्यालयों, जहां

हमने दौरा नहीं किया है, से प्राप्त खाता बहियों तथा रिटर्नस के अनुसार हैं।

ङ) हमारी राय में, उपरोक्त वित्तीय विवरण अधिनियम की धारा 133, कंपनीज (खाते) नियम 2014 के नियम 7 के साथ पठनीय, के अंतर्गत विनिर्दिष्ट लेखा मानकों का अनुपालन करते हैं ।

च) 31 मार्च, 2015 को निदेशकों से प्राप्त लिखित प्रतिवेदन के आधार पर निदेशक मण्डल द्वारा रिकार्ड में लिया गया कि अधिनियम की धारा 164(2) के अनुरूप निदेशक के रूप में नियुक्त होने के लिए दिनांक 31 मार्च, 2015 को कोई भी निदेशक अयोग्य नहीं था।

छ) कम्पनी के (लेखा परीक्षा तथा लेखा परीक्षक) नियम 2014 के नियम 11 के अनुरूप लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में हमारी राय तथा हमारी सूचना एवं हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार :–

i. निगम ने अपने वित्तीय विवरणों में अपनी वित्तीय स्थिति पर लंबित मुकदमों के प्रभाव का प्रकटन किया है – एकल वित्तीय विवरण के नोट 19 का संदर्भ देखें ।

ii. डेरीवेटिव संविदा जिनके लिए कोई वास्तविक प्रत्याशा योग्य (फोरमिएबल) हानि थी के सहित निगम की कोई दीर्घावधि संविदा नहीं है।

iii. निगम द्वारा निवेशक शिक्षा तथा सुरक्षा निधि में अंतरित करने के लिए आवश्यक कोई राशि नहीं थी।

3. अधिनियम की धारा 143(5) के अंतर्गत 23 मार्च, 2015 को जारी उप–आदेशों द्वारा भारत के सी एण्ड एजी द्वारा यथा आवश्यक है, संलग्न अनुलग्नक 'ख' में हम अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर रहे हैं ।

जैन कपिला एसोसिएट्स
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
(फर्म पंजीकरण संख्या 000287 एन)

स्थान : नई दिल्ली
तिथि : मई 21, 2015

डी के कपिला
भागीदार
एम संख्या : 016905

अनुलग्नक–क

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

(समतिथि को हमारी रिपोर्ट के ''अन्य विधिक एवं नियामक आवश्यकताओं'' के खण्ड के अंतर्गत पैराग्राफ 1 के संदर्भ में)

i) स्थायी परिसंपत्तियों के संबंध में :–

क) एमएमटीसी लिमिटेड द्वारा मात्रात्मक विवरणों तथा स्थायी परिसम्पत्तियों की स्थिति सहित सम्पूर्ण विवरण देते हुए उचित रिकाडर्स बनाए हैं।

ख) सत्यापन के नियमित प्रोग्राम जिसके अंतर्गत हमारी राय में पर्याप्त अंतराल पर सभी स्थायी परिसंपत्तियों के वास्तविक सत्यापन किए जाते हैं, के अनुरूप प्रबंधतंत्र द्वारा वर्ष के दौरान स्थायी परिसंपतियों का वास्तविक सत्यापन किया गया था।

ii) इंवैंट्रीज के सबंध में :–

क) जैसा हमें स्पष्ट किया गया कि प्रबंधतंत्र द्वारा वर्ष के दौरान इन्वैंट्रीज का वास्तविक सत्यापन किया गया था।

ख) हमारी राय तथा हमें दी गई सूचनाओं एवं स्पष्टीकरणों के अनुसार प्रबंधतंत्र द्वारा इन्वेंट्रीज के वास्तविक सत्यापन के लिए अपनाई गई प्रक्रियाओं को एमएमटीसी लिमिटेड के आकार तथा इसकी व्यापारिक प्रकृति के अनुरूप मजबूत करने की आवश्यकता है।

ग) हमारी राय तथा हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरणों के अनुसार कंपनी ने अपनी इन्वेंट्रीज के उचित रिकार्ड बनाये हैं तथा वास्तविक सत्यापन पर भौतिक भिन्नता पाई गई है ।

iii) कंपनी ने कंपनीज अधिनियम, 2013 की धारा 189 के अंतर्गत रखे गए रजिस्टर के अनुसार एक कंपनी को असुरक्षित ऋण की स्वीकृति प्रदान कर दी है।

iv) हमारी राय तथा हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरणों के अनुसार मूल धन तथा ब्याज की प्राप्तियां नियमित नहीं हैं ।

v) हमारी राय तथा हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरणों के अनुसार विलंबित राशि 0.1 मिलियन रूपये से अधिक की है। कंपनी ने इस राशि की वसूली के लिए उचित कदम उठाए हैं।

vi) हमारी राय तथा हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरणों के अनुसार इन्वैंट्री तथा स्थायी परिसंपत्तियों की खरीद तथा माल एवं सेवाओं की बिक्री के लिए निगम के आकार एवं इसकी व्यापारिक प्रकृति के अनुरूप पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण सिस्टम है। घरेलू बुलियन सौदों सहित निगम द्वारा की जा रही माल, इंवैंट्रीज तथा स्टॉक की खरीद एवं बिक्री के संबंध में इसे उस तरीके से और मजबूत बनाया जाए जिससे ईआरपी सिस्टम अर्थात सौदे की वास्तविक तिथि को अद्यतन बनाने में देरी से बचा जा सके। इसी प्रकार बीजक को मैनुअल रूप से बनाने से भी बचा जाए।

इसके अतिरिक्त पूर्व वर्णित क्षेत्रों के साथ साथ निम्नलिखित क्षेत्रों में भी आंतरिक नियंत्रण प्रणाली को मजबूत बनाने की आवश्यतकता है :–

क) ईआरपी तथा अन्य एकल इन्वैंट्री सिस्टम (आरएमएस) के बीच निगम द्वारा ट्रेड किए गए माल (विशेषकर बुलियन/खुदरा ट्रेड) का आवधिक मात्रात्मक मिलान।

ख) चूंकि यह देखा गया था कि कुछ भूल–चूक के कारण देनदारों/वसूली योग्य राशि/हानियों के प्रति निगम को बहुत अधिक प्रावधान करने पडे थे इसलिए जब भी आवश्यक समझा जाए, व्यापार की बदलती आवश्यकताओं को देखते हुए जोखिम निर्धारण तथा जोखिम प्रबंधन की निरंतर समीक्षा/मजबूत/पुनर्निर्माण किया जाये।

ग) वैट रिटर्न के अनुसार बिक्री, खरीद, इनपुटस/आउटपुट्स की तुलना में वित्तीय रिकार्डों के अनुसार बिक्री एवं खरीद इनपुटस/आउटपुट्स वैट के संबंध में आवधिक मिलान किया जाये। वैट रिटर्न के अनुसार इनपुट/आउटपुट वैट

vii) हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरणों के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी आदेशों तथा धारा 73 से 76 के प्रावधानों अथवा कंपनी अधिनियम के किन्हीं अन्य प्रासंगिक प्रावधानों के अंतर्गत निगम ने कोई जमा राशि स्वीकार नहीं की है।

viii) कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 148 की उप धारा (1) के अंतर्गत भारत सरकार ने लागत रिकार्ड का रख रखाव निर्धारित नहीं किया है।

ix) सांविधिक देय राशियों के संबंध में हमें दी गई सूचनाओं तथा स्पष्टीकरणों के अनुसार :–

क) समुचित प्राधिकरणों को भविष्य निधि निवेशक शिक्षा तथा सुरक्षा निधि कर्मचारी राज्य बीमा, आयकर, बिक्री कर, संपत्ति कर, सीमा शुल्क, आबकारी शुल्क, मूल्य संवर्धन कर, चुंगी तथा निगम पर लागू अन्य वास्तविक अविवादित सांविधिक देयों को निगम ने नियमित रूप से जमा किया है।

ख) दिनांक 31 मार्च, 2015 को देय तिथि से छः माह से अधिक की अवधि के लिए भविष्य निधि, निवेशक शिक्षा तथा सुरक्षा निधि, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, आयकर, बिक्री कर, संपत्ति कर, सेवा कर, सीमाशुल्क आबकारी शुल्क, चुंगी तथा अन्य वास्तविक सांविधिक देयों की अविवादित बकाया राशि देय नहीं थी।

ग) किसी विवाद के कारण यदि आय कर अथवा बिक्री कर अथवा संपत्ति कर अथवा सेवाकर अथवा सीमाशुल्क अथवा आबकारी शुल्क, मूल्य संवर्धन कर अथवा चुंगी के देयों का भुगतान नहीं किया गया है तो इसकी राशि तथा फोरम जहां से लम्बित है को उद्धृत किया जायेगा।

कंपनी के रिकार्ड के अनुसार विवादों के कारण जमा न किए गए आयकर, बिक्री कर, सीमा शुल्क, आबकारी शुल्क तथा चुंगी निम्नलिखित हैं :–

चैन्ने क्षेत्रीय कार्यालय

संविधि का नाम	देय राशि की प्रकृति	राशि (रुपए में)	अवधि	विवाद जिस फोरम में विचाराधीन है
टीएनजीएसटी अधिनियम	बिक्री कर पेनल्टी व ब्याज	8,63,114	1998-99	मद्रास उच्च न्यायालय
टीएनजीएसटी अधिनियम	बिक्री कर पेनल्टी व ब्याज	4,43,416	2000-01	बिक्री कर अपील ट्रिब्यूनल
टीएनजीएसटी अधिनियम	बिक्री कर पेनल्टी व ब्याज	11,52,785	1999-2000	मद्रास उच्च न्यायालय
टीएनजीएसटी अधिनियम	बिक्री कर पेनल्टी व ब्याज	1,78,566	2001-02	सहायक आयुक्त (कमी.टैक्स) चैन्ने
टीएन एवं वैट अधिनियम	वैट तथा दण्ड	3,55,08,765	2008-09	वाणिज्यिक कर अपील के संयुक्तायुक्त, चैन्ने

मुम्बई क्षेत्रीय कार्यालय

संविधि का नाम	देय राशि की प्रकृति	राशि (रुपए में)	अवधि	विवाद जिस फोरम में विचाराधीन है
बीएसटी अधिनियम	बिक्री कर	3,08,644	1986-87	संयुक्त आयुक्त बिक्री कर
बीएसटी अधिनियम	बिक्री कर	14,96,06,778	1989-90	संयुक्त आयुक्त बिक्री कर
बीएसटी अधिनियम	बिक्री कर	23,30,46,478	1990-91	संयुक्त आयुक्त बिक्री कर
बीएसटी अधिनियम	बिक्री कर	28,98,738	1991-92	संयुक्त आयुक्त बिक्री कर
बीएसटी अधिनियम	बिक्री कर	45,03,961	2001-02	संयुक्त आयुक्त बिक्री कर
बीएसटी अधिनियम	बिक्री कर	1,42,13,373	2008-09	संयुक्त आयुक्त बिक्री कर
बीएसटी अधिनियम	बिक्री कर	51,81,978	2008-09	संयुक्त आयुक्त बिक्री कर

हैदराबाद क्षेत्रीय कार्यालय

संविधि का नाम	देय राशि की प्रकृति	राशि (रुपए में)	अवधि	विवाद जिस फोरम में विचाराधीन है
एपीजीएसटी	बिक्री कर	1,49,770	1989-90	एसटीएटी
एपीजीएसटी	बिक्री कर	29,61,551	1990-91	एसटीएटी, विजाग
एपीजीएसटी	बिक्री कर	24,02,576	1991-92	एसटीएटी, विजाग
एपीजीएसटी	बिक्री कर	13,96,269	1992-93	एसटीएटी, विजाग
एपीजीएसटी	बिक्री कर	17,62,687	1992-93	एसटीएटी, विजाग
एपीजीएसटी	बिक्री कर	6,30,615	1993-94	एसटीएटी, विजाग
सीएसटी	केंद्रीय बिक्री कर	4,41,446	1993-94	एडीसी(सीटी)
सीएसटी	केंद्रीय बिक्री कर	2,04,481	1994-95	एसी (एलटीयू)
सीएसटी	केंद्रीय बिक्री कर	5,97,266	1995-96	एडीसी(सीटी)
एपीजीएसटी	बिक्री कर	38,03,875	1995-96	एसटीएटी, विजाग
एपीजीएसटी	बिक्री कर	28,80,309	1995-96	एसटीएटी, विजाग
सीएसटी	केंद्रीय बिक्री कर	21,34,306	1996-97	एसटीएटी, विजाग
एपीजीएसटी	बिक्री कर	58,43,100	1997-98	एसटीएटी, विजाग
सीएसटी	केंद्रीय बिक्री कर	6,35,504	1997-98	एडीसी(सीटी)
एपीजीएसटी	बिक्री कर	55,65,147	1998-99	एसटीएटी, विजाग
एपीजीएसटी	बिक्री कर	39,04,454	1999-2000	एसटीएटी, विजाग
एपीजीएसटी	बिक्री कर	2,52,926	2000-2001	एसटीएटी, विजाग
एपीजीएसटी	बिक्री कर	2,12,176	2001-02	एसी (एलटीयू)
एपीजीएसटी	बिक्री कर	68,901	2002-03	एसी (एलटीयू)
एपीजीएसटी	बिक्री कर	34,856	2003-04	एसी (एलटीयू)
एपीजीएसटी	बिक्री कर	1,26,000	2004-05	एसी (एलटीयू)
वैट	वैट	6,76,058	2006-07	एसटीएटी
वैट	वैट	71,000	2007-08	एसी (एलटीयू)
वैट	वैट	5,00,000	2008-09	एसटीएटी, विजाग
वैट	वैट	11,90,100	2008-09	एसटीएटी, विजाग
केंद्रीय उत्पाद व सीमा शुल्क	सीमा शुल्क	24,10,79,065	2008-09	आयुक्त सीमा एवं उत्पाद शुल्क

भुवनेश्वर क्षेत्रीय कार्यालय

संविधि का नाम	देय राशि की प्रकृति	राशि (रुपए में)	अवधि	विवाद जिस फोरम में विचाराधीन है
उड़ीसा बिक्री कर	ब्याज दंड	26,50,388	1978-79	उड़ीसा उच्च न्यायालय
उड़ीसा बिक्री कर	उड़ीसा बिक्री कर	34,00,919	1978-79	उड़ीसा उच्च न्यायालय
उड़ीसा बिक्री कर	उड़ीसा बिक्री कर	1,70,046	1978-79	उड़ीसा उच्च न्यायालय
उड़ीसा बिक्री कर	ब्याज दंड	6,53,452	1979-80	उड़ीसा उच्च न्यायालय
उड़ीसा बिक्री कर	केन्द्रीय बिक्री कर	34,83,020	1982-83	उड़ीसा उच्च न्यायालय
उड़ीसा बिक्री कर	ब्याज	3,57,42,030	1978-79	उड़ीसा उच्च न्यायालय
उड़ीसा बिक्री कर	डीईपीबी	14,98,22,308	2006-09	अपर आयुक्त बिक्री कर उड़ीसा
उड़ीसा बिक्री कर	डीईपीबी	5,08,43,080	2010-12	अपर आयुक्त बिक्री कर उड़ीसा
ओवीएटी	2009-10 & 2010-11	14,28,18,841	2013-14	अपर आयुक्त बिक्री कर उड़ीसा
सीएसटी (उड़ीसा)	2009-10 & 2010-11	58,07,05,822	2013-14	अपर आयुक्त बिक्री कर उड़ीसा
ईटी (उड़ीसा)	2009-10 & 2010-11	52,63,10,091	2013-14	अपर आयुक्त बिक्री कर उड़ीसा
केन्द्रीय उत्पाद एक्ट	सेवा कर	4,17,04,374	2003-05	सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क व सेवा कर अपीलीय ट्रिब्युनल
केन्द्रीय उत्पाद एक्ट	सेवा कर	15,55,24,520	2003-07	सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क व सेवा कर अपीलीय ट्रिब्युनल
केन्द्रीय उत्पाद एक्ट	सेवा कर	3,55,84,190	2007-08	सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क व सेवा कर अपीलीय ट्रिब्युनल
केन्द्रीय उत्पाद एक्ट	सेवा कर	7,60,64,279	2008-10	सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क व सेवा कर अपीलीय ट्रिब्युनल
केन्द्रीय उत्पाद एक्ट	सेवा कर	3,75,81,878	2010-11	आयुक्त, सीमा, उत्पाद व सेवा कर भुवनेश्वर
केन्द्रीय उत्पाद एक्ट	सेवा कर	3,59,43,529	2011-12	आयुक्त, सीमा, उत्पाद व सेवा कर भुवनेश्वर
केन्द्रीय उत्पाद एक्ट	सेवा कर	28,49,57,172	2009-12	आयुक्त, सीमा, उत्पाद व सेवा कर भुवनेश्वर
केन्द्रीय उत्पाद एक्ट	सेवा कर	65,20,157	2009-11	आयुक्त, सीमा, उत्पाद व सेवा कर भुवनेश्वर
केन्द्रीय उत्पाद एक्ट	सेवा कर	31,27,912	2012-13	आयुक्त, सीमा, उत्पाद व सेवा कर भुवनेश्वर
केन्द्रीय उत्पाद एक्ट	सेवा कर	3,44,69,468	2012-13	आयुक्त, सीमा, उत्पाद व सेवा कर भुवनेश्वर

जयपुर क्षेत्रीय कार्यालय

संविधि का नाम	देय राशि की प्रकृति	राशि (रुपए में)	अवधि	विवाद जिस फोरम में विचाराधीन है
आरएसटी अधिनियम	बिक्री कर	1,49,46,540/-	2003-04	राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर– विरोधस्वरूप 35,49,446/– रूपए जमा किए गए। बिक्री कर विभाग ने डीसी (अपील) के आदेश के विरूद्ध कर बोर्ड में अपील की है
आरएसटी अधिनियम	बिक्री कर	26,07,605/-	1999-00	राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर– आरएसटी अधिनियम की धारा 84 के अंतर्गत 4767 मी.टन डीएपी के मांग के प्रति कर बोर्ड में लंबित है।
राज वैट अधिनियम	वैट	3,26,47,269/-	2010-11	बिक्रीकर विभाग की अपील के विरूद्ध राजस्थान कर बोर्ड ने एमएमटीसी लिमिटेड के पक्ष में निर्णय लिया।
सीएसटी अधिनियम	सीएसटी	59,92,494/-	2010-11	बिक्रीकर विभाग की अपील के विरूद्ध राजस्थान कर बोर्ड ने एमएमटीसी लिमिटेड के पक्ष में निर्णय लिया।
आरएसटी अधिनियम	वैट	18,01,941/-	2010-11	बिक्री कर विभाग को आवश्यक दस्तावेज जमा करवाए गए हैं। एओ के पास संशोधन लम्बित है।
एसटी	टर्न ओवर कर	5,32,992/-	2003-04	उच्च न्यायालय कर बोर्ड आर्डर के प्रति उच्च न्यायालय में बिक्री कर विभाग ने अपील फाइल की है।

विरोधस्वरूप कुल 35,49,446/– रूपए जमा किए गए।

विज़ाग क्षेत्रीय कार्यालय

संविधि का नाम	देय राशि की प्रकृति	राशि (रुपए में)	अवधि	विवाद जिस फोरम में विचाराधीन है
एपीजीएसटी अधिनियम	बिक्री कर	18,56,325	1968-69	एसटीएटी, हैदराबाद
एपीजीएसटी अधिनियम	बिक्री कर	26,39,647	1981-82	एडीसी, विज़ाग
एपीजीएसटी अधिनियम	बिक्री कर	6,88,552	1982-83	एडीसी, विज़ाग
एपीजीएसटी अधिनियम	बिक्री कर	17,66,784	1983-84	एडीसी, विज़ाग
एपीजीएसटी अधिनियम	बिक्री कर	30,00,436	1984-85	एडीसी, विज़ाग
एपीजीएसटी अधिनियम	बिक्री कर	25,05,806	1985-86	एसटीएटी, विजाग
एपीजीएसटी अधिनियम	बिक्री कर	2,70,83,841	1986-87	एसटीएटी, विजाग
एपीजीएसटी अधिनियम	बिक्री कर	36,45,076	1987-88	एडीसी
एपीजीएसटी अधिनियम	बिक्री कर	19,34,139	1991-92	एसी एलटीयू
एपीजीएसटी अधिनियम	बिक्री कर	4,79,000	1989-90	एसटीएटी
सीएसटी	बिक्री कर	8,41,695	1994-95	एसी एलटीयू
सीएसटी	बिक्री कर	48,62,340	1995-96	एसटीएटी, हैदराबाद
सीएसटी	बिक्री कर	33,58,889	1996-97	एसटीएटी, हैदराबाद
एपीजीएसटी अधिनियम	बिक्री कर	25,27,960	1997-98	एसटीएटी, हैदराबाद
सीएसटी	बिक्री कर	104,614	2007-08	एडीसी
केंद्रीय उत्पाद व सीमा कर	सेवा कर	12,65,26,554	2003 -06	एसटीएटी, बंगलौर

कोलकाता क्षेत्रीय कार्यालय

संविधि का नाम	देय राशि की प्रकृति	राशि (रुपए में)	अवधि	विवाद जिस फोरम में विचाराधीन है
सीएसटी अधिनियम 1956	केंद्रीय बिक्री कर	11,30,858	2005-06	अपीलीय बोर्ड
सीएसटी अधिनियम 1956	केंद्रीय बिक्री कर	77,60,971	2006-07	डीसी अपील

कारपोरेट कार्यालय

संविधि का नाम	देय राशि की प्रकृति	राशि (रुपए में)	एवाई	विवाद जिस फोरम में विचाराधीन है
आयकर अधिनियम	आय कर	5,61,821	1993-94	एओ
आयकर अधिनियम	आय कर	54,81,338	1996-97	सीआईटी(ए)/आईटीएटी
आयकर अधिनियम	आय कर	1,02,93,042	1993-94	एओ
आयकर अधिनियम	आय कर	2,60,66,476	1999-00	आईटीएटी
आयकर अधिनियम	आय कर	1,84,63,021	2000-01	आईटीएटी
आयकर अधिनियम	आय कर	1,17,65,008	2001-02	सीआईटी(ए)/आईटीएटी/हाई कोर्ट
आयकर अधिनियम	आय कर	73,04,915	2002-03	आईटीएटी
आयकर अधिनियम	आय कर	11,16,907	2003-04	एओ
आयकर अधिनियम	आय कर	4,19,85,746	2004-05	आईटीएटी
आयकर अधिनियम	आय कर	6,94,85,393	2005-06	एओ
आयकर अधिनियम	आय कर	73,50,191	2007-08	सीआईटी(ए)/आईटीएटी
आयकर अधिनियम	आय कर	2,79,66,209	2008-09	एओ
आयकर अधिनियम	आय कर	10,64,92,947	2009-10	सीआईटी(ए)
आयकर अधिनियम	आय कर	3,93,72,128	2010-11	सीआईटी(ए)
आयकर अधिनियम	आय कर	10,17,50,890	2011-12	सीआईटी(ए)

आयकर मामलों के संबंध में जमा की गई राशि = 3,73705142/–

दिल्ली क्षेत्रीय कार्यालय

संविधि का नाम	देय राशि की प्रकृति	राशि (रुपए में)	अवधि जिस से राशि संबंधित है	विवाद जिस फोरम में विचाराधीन है
दिल्ली वैट	सीएसटी/एलएसटी/ ब्याज/ जुर्माना (स्वर्ण संस्मारक मेडालियन)	3745290	2002-03	आयुक्त डीवैट
दिल्ली वैट	एलएसटी	1165303	1984-85	डीसी अपील
दिल्ली वैट	एलएसटी/सीएसटी	65732207	1986-87	अपर आयुक्त
दिल्ली वैट	एलएसटी/सीएसटी	43186549	1987-88	अपर आयुक्त
दिल्ली वैट	एलएसटी/सीएसटी	40296672	1988-89	अपर आयुक्त
दिल्ली वैट	एलएसटी	6187340	1989-90	अपर आयुक्त

संविधि का नाम	देय राशि की प्रकृति	राशि (रुपए में)	अवधि जिस से राशि संबंधित है	विवाद जिस फोरम में विचाराधीन है
दिल्ली वैट	एलएसटी	2223198	1990-91	अपर आयुक्त
यूपी वैट	एलएसटी/सीएसटी	617588	1990-91	मुरादाबाद, इलाहाबाद उच्च न्यायालय
यूपी वैट	एलएसटी	470578	1991-92	मुरादाबाद, इलाहाबाद उच्च न्यायालय
यूपी वैट	एलएसटी	264037	1992-93	मुरादाबाद, इलाहाबाद उच्च न्यायालय
यूपी वैट	एलएसटी	195000	1994-95	बिक्री कर अधिकारी, मुरादाबाद
यूपी वैट	एलएसटी	185100	1993-94	मुरादाबाद, इलाहाबाद उच्च न्यायालय
यूपी वैट	एलएसटी	1635160	1987-88	कानपुर, जॉइन्ट कमिशनर
यूपी वैट	वैट	921383	1993-94	कमिशनर यूपी वैट
यूपी वैट	वैट	1223616	1996-97	कमिशनर यूपी वैट
यूपी वैट	वैट +फार्म 3 बी (स्वर्ण) व फार्म 3सी1 के (मेंथा ऑयल) जमा न करने के लिए ब्याज	249828	2007-08	कमिशनर यूपी वैट
हरियाणा वैट	एलएसटी	424587	1992-93	फरीदाबाद, पंजाब तथा हरियाणा उच्च न्यायालय, चंडीगढ
मध्य प्रदेश वैट	एलएसटी	150004	1999-00	बिक्री कर अधिकारी इंदौर
मध्य प्रदेश वैट	एलएसटी	4730692	1998-99	निर्धारण अधिकारी इंदौर
सीमा शुल्क व केन्द्रीय उत्पाद	सीमा शुल्क तथा एसोसिएट्स द्वारा लिए गए स्वर्णाभूषण का निर्यात न करने पर ब्याज	27267919	1999-2000	माननीय उच्चतम न्यायालय के निदेशानुसार माननीय दिल्ली उच्च न्यायलय के समक्ष लंबित
सीमा शुल्क व केन्द्रीय उत्पाद	सीमा शुल्क	20000000	2006-07	उपायुक्त सीमा शुल्क
सीमा शुल्क व केन्द्रीय उत्पाद	सीमा शुल्क	15050000	2007-08	उपायुक्त सीमा शुल्क
सीमा शुल्क व केन्द्रीय उत्पाद	सीमा शुल्क	6180000	2008-09	उपायुक्त सीमा शुल्क
सीमा शुल्क व केन्द्रीय उत्पाद	सीमा शुल्क	6180000	2009-10	उपायुक्त सीमा शुल्क
सीमा शुल्क व केन्द्रीय उत्पाद	एक्साईज डयूटी/ ब्याज/दण्ड	1820878	2010-11	केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त
सीमा शुल्क व केन्द्रीय उत्पाद	एक्साईज डयूटी/ ब्याज/दण्ड	191353780	2011-12	केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त

विवाद से संबंधित जमा कराई गई राशि 84.83 लाख रुपए

(घ) हमें दी गई सूचना/स्पष्टीकरणों के अनुसार कंपनी अधिनियम 1956 के प्रासंगिक प्रावधानों के अनुरूप निवेशक शिक्षा तथा सुरक्षा निधि में कोई राशि अंतरित करनी आवश्यनक नहीं थी।

x. 31 मार्च 2015 को निगम के वित्तीय विवरणों में कोई संचित हानियां नहीं दर्शाई गई हैं। हमारी लेखा परीक्षा में कवर किए गए वित्तीय वर्ष तथा इससे तुरंत पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान निगम को कोई रोकड़ हानि नहीं हुई है ।

xi. हमारी राय में तथा हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टी करणों के अनुसार वित्तीय संस्थानों, बैंकों तथा डिबेंचर होल्डरों को देय राशि के पुनर्भुगतान में निगम ने कोई चूक नहीं की है।

xii. हमें दी गई सूचनाओं/स्पष्टीकरणों के अनुसार बैंकों तथा वित्तीय संस्थानों से अन्य द्वारा लिए गए ऋण के प्रति निगम ने ऐसी कोई गारंटी नहीं दी है जो निगम के लिए हानिकारक हो।

xiii. हमारी राय में तथा हमें दी गई सूचनाओं एवं स्पष्टीकरणों के अनुसार वर्ष के दौरान निगम ने कोई अवधिक (टर्म) ऋण नहीं लिया है ।

xiv. भारत के सामान्यतः स्वीकृत लेखा परीक्षा की प्रेक्टिस तथा हमें दी गई सूचना तथा स्पष्टीकरण के अनुरूप निगम की बहियों तथा रिकार्ड की हमारी जांच में वर्ष के दौरान निगम पर/द्वारा कोई धोखेबाजी नहीं पाई गई है।

जैन कपिला एसोसिएटस
चार्टर्ड एकाउंटेंटस
(फर्म पंजीकरण संख्या 000287एन)

स्थान : नई दिल्ली
तिथि : मई 21, 2015

डी के कपिला
भागीदार
एम संख्या 016905

अनुलग्नक–ख

वित्त वर्ष 2014–15 के लिए कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143(5) के अंतर्गत सी एण्ड ए जी द्वारा जारी निर्देशों पर रिपोर्ट

(एमएमटीसी लिमिटेड के स्टेंडअलोन वित्तीय विवरणों पर
लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के पैरा में यथा संदर्भित)

क्र. सं.	विवरण	प्रत्युत्तर
1	विनिवेश के लिए यदि निगम का चयन किया गया है तो प्रणाली एवं निवेश प्रक्रिया की वर्तमान स्थिति सहित परिसम्पत्तियों (मूर्त परिसंपत्तियों तथा भूमि शामिल करके) तथा देयताओं (प्रतिबद्ध एवं सामान्य रिजर्व सहित) के मूल्यांकन के संबंध में सम्पूर्ण स्थिति रिपोर्ट की जांच की जाये।	प्रबंधतंत्र के द्वारा हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार वर्ष के दौरान विनिवेश प्रक्रिया के लिए एमएमटीसी के चयन से संबंधित कोई भी कम्यूनिकेशन विनिवेश विभाग से प्राप्त नहीं हुआ है।
2	कृपया सूचित करें कि ऋण/लोन/ ब्याज आदि के अधित्याग/बट्टे खाते में डालने के क्याद कोई मामले हैं। यदि हां तो इसके कारण तथा शामिल राशि क्या थी ?	कुल 299.96 आईएनआर के बट्टे खाते/दावे आदि थे जिन्हें लाभ व हानि खाते में डेबिट किया गया है (नोट 15 ख देखें)। इसके अतिरिक्त क्षेत्रीय कार्यालय चेन्नै के शाखा लेखा परीक्षक ने सूचित किया है कि निगम की सहायक कंपनी मैसर्स एमटीपीएल के अंतिम खातों के मिलान के परिणामस्वरूप राजस्व में 5.14 मिलियन आईएनआर प्रभारित किए गए हैं।
3	तृतीय पार्टियों के पास रखी इन्वेंट्रीज तथा सरकार अथवा अन्य प्राधिकरणों से प्राप्त उपहार के रूप में परिसंपत्तियों का क्या उचित रिकार्ड बनाया गया है ।	हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार निगम ने तृतीय पक्ष के पास रखी गई इन्वैंट्रीज का उचित रिकार्ड बनाया गया है। वर्ष के दौरान सरकार अथवा अन्य प्राधिकरणों से उपहार के रूप में कोई परिसम्पत्तियां प्राप्त नही की गई हैं।
4	लंबित होने के कारण तथा सभी विधिक मामलों (विदेशी तथा स्थानीय) पर व्ययों की मानीटरिंग के लिए विद्यमान प्रणाली/प्रभावकता सहित लम्बित विधिक/मध्यस्थता के मामलों के समयवार विश्लेषण पर आवश्क रूप से रिपोर्ट दी जाए।	जैसा कि हमें सूचित किया गया है कि लम्बित विधिक/मध्यस्थता मामलों के विवरण संलग्न हैं (अनुलग्नक–बी1)। दिल्ली क्षेत्रीय कार्यालय तथा कारपोरेट कार्यालय के अतिरिक्त् शाखाओं के संबंध में यह संबंधित शाखा लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर आधारित है। जैसा कि हमें सूचित किया गया है कि निगम का एक विधि विभाग है जो विधिक व्ययों के साथ साथ लम्बित मामलों की गहन मानीटरिंग करता है।

अनुलग्नक बी1

1) हमारे द्वारा लेखा परीक्षा की गई शाखाएं

दिनांक 31.03.2015 को लंबित विधिक/मध्यस्थता मामलों के विवरण की सूची

क्र. सं.	शाखाएं	लम्बित रहने की अवधि	एमएमटीसी द्वारा फाइल किए गए		एमएमटीसी के विरूद्ध फाइल किए गए	
			संख्या	शामिल राशि (मिलियन में)	संख्या	शामिल राशि (मिलियन में)
1.	कारपोरेट कार्यालय	3 वर्ष तक	6	36.13	3	(45.70 रूपये के प्रति दावे)
		3 से 5 वर्ष	9	1300.30 (506.10 रूपये के प्रति दावे)	5	10180.90 (190.40 रूपये के प्रति दावे)
		5 वर्ष से अधिक	48	4735.40 (524.30 रूपये के प्रति दावे)	34	193.70 (25.00 रूपये के प्रति दावे)
2.	दिल्ली क्षेत्रीय कार्यालय	3 वर्ष तक	8	48.80	1	15.56
		3 से 5 वर्ष	2	30.76	1	-
		5 वर्ष से अधिक	83	400.45	1	44.34
3	माइका प्रभाग	5 वर्ष से अधिक	-	-	4	-

2) हमारे द्वारा लेखा परीक्षा न की गई शाखाओं के बारे में शाखा लेखा परीक्षकों से प्राप्त अलग अलग रिपोर्ट के आधार पर सूचनाएं संकलित की गई हैं।

दिनांक 31.03.2015 को लंबित विधिक/मध्यस्थता मामलों के विवरण की सूची

क्र. सं.	शाखाएं	लम्बित रहने की अवधि	एमएमटीसी द्वारा फाइल किए गए		एमएमटीसी के विरूद्ध फाइल किए गए	
			संख्या	शामिल राशि (मिलियन में)	संख्या	शामिल राशि (मिलियन में)
1	चैन्ने		27	2197.44	9	8.78
2	अहमदाबाद	3 वर्ष तक	1	-	-	-
		3 से 5 वर्ष	-	-	-	-
		5 वर्ष से अधिक	8	449.37	9	1709.62
3	विजाग	1–2 वर्ष	1	2.10	-	-
		2–3 वर्ष	2	249.50	2	-
		5 वर्ष से अधिक	3	28.93	12	1149.37
4	मुम्बई	0–1 वर्ष	1	6.98	2	-
		1–5 वर्ष	7	5.00	2	-
			1	अमरीकी डालर 0.54		-
		5–10 वर्ष	2	0.00	4	3.72
		10 वर्ष से अधिक	33	129.06	13	150.18
			2	अमरीकी डालर 0.22	-	-
		मध्यस्थता मामले	7	150.89	-	-
5	हैदराबाद	3 वर्ष तक	21	4473.00	4	0.72
		3 से 5 वर्ष	1	7.32	-	-
		5 वर्ष से अधिक	1	14.37	1	0.15

टिप्पणी : जयपुर, कोलकाता, भुवनेश्वर, बेंगलुरू तथा गोवा शाखा कार्यालयों से संबंधित लेखा परीक्षकों की रिपोर्टस की सूचना हमें प्राप्त नहीं हुई है।

वर्ष 2014–15 के लिए स्टेंडअलोन वित्तीय विवरणों पर लेखा परीक्षा रिपोर्ट में लेखा परीक्षकों की टिप्पणियों पर प्रबंध–तंत्र का उत्तर

	लेखा परीक्षकों की टिप्पणियां	प्रबंधतंत्र का उत्तर
1.	**मामले का महत्वत**	
क.	नीलाचल इस्पात निगम लिमिटेड/एनआईएनएल एसोसिएट कंपनी को दी गई 8669.90 मिलियन रुपये (गत वर्ष 6490.00 मिलियन) की असुरक्षित लघु अवधि ऋण सुविधा के संबंध में स्टेंडअलोन वित्तीय विवरणों के नोट 9(i) तथा 21 की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है। एनआईएनएल को पिछले तीन वर्षों से लगातार हानि हो रही है तथा विश्लेषकों की रिपोर्ट के अनुसार इसमें जान डालने के लिए बहुत बड़ी मात्रा में निधि/पूंजी/नए आवधिक ऋण उगाहने की आवश्यकता है।	1. चरण–1 के लिए एमओईएफ, नई दिल्ली से पर्यावरणीय अनुमति प्रतिक्षित है तथा एनआईएनएल की लौह अयस्क खानों का प्रचालन कार्य वर्ष 2016 की दूसरी तिमाही में आरंभ होने की आशा है । लौह अयस्क खदान का प्रचालन कार्य प्रारंभ हो जाने पर एनआईएनएल को आवश्यक कच्चा माल अर्थात औह अयस्क की खरीद के प्रति बहुत अधिक राशि की बचत होगी जिससे उत्पादन लागत कम हो जाएगी। 2. कच्चे माल की कम लागत तथा स्टील मेल्टिंग शाप के स्थायीकरण द्वारा स्टील बिलेट्स, टीएमटी रि–चार्ज आदि जैसे मूल्य संवर्धित उत्पादों से नेट विक्री वसूली द्वारा एनआईएनएल के लाभ में वृद्धि होने की आशा है। 3. दिनांक 15.12.2014 के आरबीआई परिपत्र के अनुसार आरबीआई की 5/25 रि–फाइनेंसिंग स्कीम के अनुपालन में मुख्य बैंकर के रूप में एसबीआई, वित्तीय परामर्शदाता के रूप में एसबीआई कैब तथा तकनीकी आर्थिक व्यवहार्यता (टीईवी) परामर्शदाता के रूप में मीकान के सहयोग से एनआईएनएल के वर्तमान आवधिक ऋण की रि–फाइनेंसिंग को अंतिम रूप देने का भी एमएमटीसी तथा एनआईएनएल प्रयास कर रहे हैं। उपरोक्त के अनुसार हम विविध प्रकार के प्रयास कर रहे हैं जिससे उम्मीद है की एनआईएनएल लाभजनक हो जाएगा।
ख.	हम स्टेंडअलोन वित्तीय विवरण के नोट 7.5 की ओर ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं जिसके अनुसार अगस्त 2012 से राज्य सरकारों के लिए भारत में आयातित खाद्य तेल के प्रति भारत सरकार से 3732.90 मिलियन रुपये की देय अनुदान राशि की वसूली की जानी है।	भारत सरकार द्वारा अनुदान के प्रति 373.29 करोड़ रूपए की राशि दी जानी है जिसमें से 177 करोड़ रूपये का एपीएससीएससीएल को भुगतान किया जाना है। हमारे वैध दावे को सरकार ने अस्वीकार नहीं किया है। बजटीय प्रावधानों की कमी के कारण खाद्य विभाग द्वारा इस राशि का निपटान नहीं किया गया है। वाणिज्य विभाग के सचिव स्तर के माध्यम से खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण सचिव के समक्ष मामला उठाया गया था। माननीय मंत्री को निवेदन किया गया है कि वह माननीय वित्त मंत्री की मध्यस्थता के संबंध में बात करें।
ग.	हम स्टेंडअलोन वित्तीय विवरण के नोट 41 की ओर ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं जिसके अनुसार विविध देनदारों/वसूली योग्य दावे/ऋण एवं अग्रिम/विविध लेनदारों/अन्य देयताओं के विभिन्न मामलों के अंतर्गत	एमएमटीसी के खातों में बकाया शेष की पुष्टि जानने हेतु संबंधित पार्टियों को पत्र जारी किए गए थे। पत्र में यह भी बताया गया था कि यदि अपेक्षित तिथि के भीतर कोई पुष्टि प्राप्त नहीं होती है तो किताबों में बकाया राशि को पुष्ट माना

	लेखा परीक्षकों की टिप्पणियां	प्रबंधतंत्र का उत्तर
	शेष की पुष्टि नहीं की गई है तथा उक्त पुष्टि के पश्चात अगर कोई आवश्यक मिलान/समायोजन है तो उसको सुनिश्चित नहीं किया जा सकता।	जायेगा। तथापि, पार्टियों द्वारा सामान्यतः विशेष पुष्टि नहीं की जाती है। क्षेत्रीय कार्यालय ने किसी भी प्रतिकूल टिप्पणी की सूचना नहीं दी है।
घ.	साफ्टवेयर में समस्या के कारण आरएमएस साफ्टवेयर सांची मदों की सही इन्वैंट्री प्रदर्शित नहीं कर रहा।	लेखा परीक्षकों द्वारा आरएमएस में विभिन्न समस्याओं को सूचित किए जाने को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया कि सम्पूर्ण भारत में सभी खुदरा बिक्री को रोक दिया जाए तथा उपलब्ध वास्तविक इन्वैंट्री के अनुसार सांची सिल्वरवेयर, स्वर्ण व चांदी के मेडालियन आदि का वास्तविक सत्यापन किया जाए। तदनुसार 20 फरवरी, 2015 से सभी खुदरा बिक्री बंद कर दी गई। सिस्टम्स प्रभाग को भी थर्ड पार्टी द्वारा आरएमएस का लेखा परीक्षा कराने के निदेश दिए गए हैं। सिस्टम्स लेखा परीक्षकों द्वारा बताई गई आठ समस्यासओं को ठीक करने के बाद इसके अनुपालन की सिस्टम्स लेखा परीक्षकों द्वारा जांच की गई। आरएमएस को पुनः आरंभ किया गया तथा वास्तविक आधार पर सत्यापित इन्वैंट्री का सिस्टम में अद्यतन किया गया। बड़ी इन्वैंट्री होने के कारण डीआरओ के मुख्य स्टोर की अपलोडिंग का कार्य प्रगति पर है।
ङ.	जीआर–1 फार्मों की समयावधि में विस्तार/हटाया जाना(वेवर)/बट्टे खाते में डालने के मामले में किसी प्रकार की देयता के प्रावधान न किए जाने के संबंध में स्टेंडअलोन वित्तीय विवरण के नोट 22 की और ध्यान आकृष्ट किया जाता है।	यह वर्ष 1991–92 से लम्बित जीआर से संबंधित है अगर इस पर कोई देयता होगी तो मांग किए जाने पर प्रावधान करने के साथ–साथ निगम द्वारा इसका निपटान किया जाएगा। वर्तमान में इसके प्रति किसी प्रकार की देयता अनिश्चय है।
	स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट का अनुलग्नक	
	मुख्य लेखा परीक्षा रिपोर्ट के अनुलग्नक का पैरा vi घरेलू बुलियन लेन–देन सहित निगम द्वारा माल के किए गए क्रय तथा विक्रय, इन्वेंट्रीज एवं स्टॉक के संबंध में इसे और मजबूत बनाने की आवश्यकता है ताकि ईआरपी सिस्टम की तुलना में लेन–देन की वास्तविक तिथि को अद्यतन करने में देरी से बचा जा सके तथा इसी प्रकार इनवायस को दस्तीय रूप से बनाने से भी बचा जा सके। इसके अतिरिक्त पहले वर्णित क्षेत्रों के साथ साथ निम्नलिखित क्षेत्रों में भी आंतरिक नियंत्रण प्रणाली को सशक्त बनाने की आवश्यकता है।	बुलियन लेन–देन में किसी प्रकार के दस्ती बीजक/चालान नहीं बनाए जा रहे हैं, यह सुनिश्चित करने के लिए उपाय किए गए हैं। जहां तक कि एमपीआईपीएल के बुलियन लेन देन भी ईआरपी (लाजिस्टिक माडयूल) द्वारा किए जा रहे हैं। तथापि, ईआरपी लाईन में किसी प्रकार की तकनीकी समस्या अथवा नियंत्रण से बाहर किसी अप्रत्यशित परिस्थिति में क्षेत्रीय कार्यालय के सिस्टम प्रमुख की सहमति से क्षेत्रीय प्रमुख तथा क्षेत्रीय कार्यालय के वित्त प्रमुख द्वारा निदेशक(पीएमडी) तथा निदेशक (वित्त) का विशेष अनुमोदन प्राप्त) करना होगा।
क)	ईआरपी तथा अन्य स्टेंडअलोन इन्वैंट्री सिस्टम (आरएमएस) के बीच निगम द्वारा ट्रेड किए गए माल (विशेषकर बुलियन/खुदरा ट्रेड) की मात्रा का आवधिक मिलान करना होगा।	दिल्ली क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा दस्तीय स्टॉक का रिकार्ड बनाया गया है। स्टाक का प्रतिमाह मिलान किया जाता है।

	लेखा परीक्षकों की टिप्पणियां	प्रबंधतंत्र का उत्तर
ख)	व्यापार की बदलती आवश्यकताओं के अनुसार जब भी आवश्यक हो जोखिम मूल्यांकन एवं जोखिम प्रबंधन की लगातार समीक्षा/सुदृढ़ बनाने/पुर्ननिर्माण करने की ओर उचित कदम उठाए जाएं, क्योंकि ये पाया गया है कि किसी भी प्रकार की भूल–चूक के कारण कंपनी को देनदारों/वसूली योग्य/नुकसान के लिए बहुत ज्यादा प्रावधान करना पड़ता है।	बदलते व्यापारिक परिदृश्य एवं आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए वित्त वर्ष 2014–15 में एमएमटीसी ने पहले ही जोखिम प्रबंधन नीति आरंभ की है तथा इसका कार्यान्वयन किया है। बोर्ड स्तर पर तथा बोर्ड स्तर से नीचे (कारपोरेट कार्यालय में तथा सभी क्षेत्रीय कार्यालयों में) के स्तर तक समिति का गठन करते हुए निगम में जोखिम प्रबंधन को और भी सशक्त बनाया गया है। व्यावसायिक चार्टर्ड एकाउटेंट्स फर्मों द्वारा समवर्ती एवं विशेष लेखा परीक्षा आरंभ करते हुए आंतरिक लेखा परीक्षा विभाग की भूमिका एवं कार्यों को विस्तारित किया गया है। आंतरिक लेखा परीक्षा व्यापार तथा लेखों पर निगम की विभिन्न संहिताओं में परिभाषित मानकों के अंदर ही सभी व्यापारिक प्रक्रियाओं को पूरा किया गया है। कंपनी की वैबसाइट पर इन संहिताओं का अवलोकन किया जा सकता है। किसी भी व्यापारिक प्रस्ताव पर विचार विमर्श करते समय संबंधित बिजनेस प्रभाग से अपेक्षा की जाती है कि वह निदेशकों की कार्यशील समिति (एफएमसीओडी) को शपथ पत्र देगा कि "सभी जोखिमों का प्रकटन किया गया है और कुछ भी नहीं छुपाया गया"।
ग)	विक्रय तथा क्रय, इनपुट/आउटपुट वित्तीय रिकार्डों के अनुसार वैट की तुलना में क्रय, इनपुट/आउटपुट वैट रिटर्न के अनुसार वैट का आवधिक मिलान।	वर्ष के दौरान पुनः अनुदेश जारी किए गए कि वैट तथा सीएसटी रिटर्न के साथ वित्तीय रिकार्डों का मिलान किया जाए तथा आंतरिक लेखा परीक्षकों को आदेश दिए गए कि वे समय समय पर इसकी जांच करें तथा अनुपालन सुनिश्चित करें। वित्त वर्ष 2014–15 के दौरान एक शाखा लेखा परीक्षक के अतिरिक्त2 अन्य सभी लेखा परीक्षकों से कोई प्रतिकूल टिप्पणी प्राप्त नहीं हुई है।

एम एम टी सी
लि मि टे ड
MMTC
LIMITED
भारत सरकार का उपक्रम
A GOVT. OF INDIA ENTERPRISE
touching lives, adding value

52nd Annual Report 2014-2015

31 मार्च 2015 को समाप्त वित्तीय वर्ष के

वित्तीय विवरण

31.03.2015 को समाप्त वर्ष के लिए तुलन पत्र

(₹ मिलियन में)

	अनुसूची सं.	31-03-2015 को		31-03-2014 को	
इक्विटी व देयताएं					
शेयर धारकों की निधियां	3				
शेयर पूंजी	3.1	**1,000.00**		1,000.00	
रिजर्व एवं अधिशेष	3.2	**12,591.95**	**13,591.95**	12,418.70	13,418.70
गैर चालू देयताएं	4				
अन्य दीर्घावधि देयताएं	4.1	**264.64**		99.47	
दीर्घावधि प्रावधान	4.2	**1,771.23**	**2,035.87**	1,824.95	1,924.42
चालू देयताएं	5				
अल्प अवधि ऋण	5.1	**2,866.49**		4,129.45	
भुगतान योग्य व्यापार	5.2	**31,643.82**		14,574.82	
अन्य चालू देयताएं	5.3	**8,376.02**		11,732.62	
अल्प अवधि प्रावधान	5.4	**994.84**	**43,881.17**	1,190.10	31,626.99
योग :			**59,508.99**		**46,970.11**
परिसंपत्तियां					
गैर चालू परिसंपत्तियां	6				
अचल परिसंपत्तियां	6.1				
मूर्त परिसंपत्तियां	6.1.1	**576.76**		750.49	
अमूर्त परिसंपत्तियां	6.1.2	**1.47**		1.81	
पूंजीगत कार्य प्रगति पर	6.1.3	**0.05**		65.43	
गैर चालू निवेश	6.2	**4,456.57**		4,456.57	
आस्थगित कर परिसंपत्तियां(निवल)	6.3	**2,278.97**		2,261.56	
दीर्घावधि ऋण व अग्रिम	6.4	**940.61**		768.12	
अन्य गैर चालू परिसंपत्तियां	6.5	**8.32**	**8,262.75**	**14.60**	**8,318.58**
चालू परिसंपत्तियां	7				
वर्तमान निवेश	7.1	**-**		560.00	
इन्वैंट्रीज	7.2	**3,194.04**		3,083.62	
प्राप्य व्यापार	7.3	**30,350.75**		17,341.17	
रोकड़ व बैंक शेष	7.4	**1,637.74**		4,726.70	
अल्पावधि ऋण व अग्रिम	7.5	**12,878.89**		6,871.23	
अन्य चालू परिसंपत्तियां	7.6	**3,184.82**	**51,246.24**	6,068.81	38,651.53
योग:			**59,508.99**		**46,970.11**
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां	2				
संलग्न टिप्पणियां वित्तीय विवरण का अभिन्न अंग है।					

हमारी समदिनांकित संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते जैन कपिला एसोशिएट्स
(चार्टर्ड एकाउंटेंट्स)
एफ आर सं 000287 एन

(सीए डी के कपिला)
पार्टनर
एम नं॰ 016905

कृते निदेशक मंडल की ओर से

(जी आनंदनारायणन)
सहायक कंपनी सचिव

(विजय पाल)
मुख्य महाप्रबंधक (वि. व ले.)

(एम जी गुप्ता)
निदेशक (वित्त)
डी आई एन 02200405

(राजीव जयदेव)
निदेशक
डीआईएन 3368001

(वेद प्रकाश)
अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक
डीआईएन 029886284

दिनांक : 21.05.2015
स्थान : नई दिल्ली

31 मार्च, 2015 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए लाभ व हानि लेखा

(₹ मिलियन में)

	अनुसूची सं.	31-03-2015 को समाप्त वर्ष		31-03-2014 को समाप्त वर्ष	
आय					
प्रचालनों से राजस्व	8	**182,842.82**		252,695.09	
अन्य आय	9	**1,249.91**	**184,092.73**	2,223.39	254,918.48
कुल राजस्व			**184,092.73**		**254,918.48**
व्यय					
उपभोग की गई सामग्री की लागत	10	**1,222.05**		1,613.10	
स्टॉक इन ट्रेड का क्रय	11	**169,760.55**		221,713.84	
तैयार माल, प्रगतिशील कार्य तथा स्टाक इन ट्रेड की इन्वेंट्रीज में परिवर्तन	12	**(284.22)**		5,727.38	
कार्मिक लाभों पर व्यय	13	**1,918.27**		1,894.97	
वित्त लागत	14	**170.21**		669.92	
मूल्यह्रास तथा परिशोधन व्यय		**178.17**		124.22	
अन्य व्यय	15	**10,759.57**	**183,724.60**	20,695.49	252,438.91
कुल व्यय			**183,724.60**		**252,438.91**
विशिष्ट व असाधारण मदें व कर पूर्व लाभ			**368.13**		**2,479.57**
विशिष्ट मदें	16		**(230.55)**		230.56
असाधारण मदें व कर पूर्व लाभ			**598.68**		**2,249.01**
असाधारण मदें	17		**-**		2,104.42
कर पूर्व लाभ			**598.68**		**144.58**
कर व्ययः					
- चालू कर					
कराधान के लिए प्रावधान		**154.00**		752.24	
पूर्व वर्षो में		**(17.01)**		13.24	
- आस्थगित कर		**(17.41)**	**119.58**	(807.32)	(41.84)
अवधि के लिए लाभ			**479.10**		**186.42**
1 रुपये के अंकित मूल्य पर प्रत्येक इक्विटी शेयर से आय		**असाधारण मदों से पूर्व (निवल कर)**	**असाधारण मदों के बाद (निवल कर)**	**असाधारण मदों से पूर्व (निवल कर)**	**असाधारण मदों के बाद (निवल कर)**
मूल (₹ में)		**0.48**	**0.48**	**1.58**	**0.19**
डाइल्यूटिड (₹ में)		**0.48**	**0.48**	**1.58**	**0.19**
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां	2				
संलग्न टिप्पणियां वित्तीय विवरण का अभिन्न अंग हैं।					

हमारी समदिनांकित संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते जैन कपिला एसोशिएट्स
(चार्टर्ड एकाउंटेंट्स)
एफ आर सं 000287 एन

(सीए डी के कपिला)
पार्टनर
एम नं॰ 016905

कृते निदेशक मंडल की ओर से

(जी आनंदनारायणन)
सहायक कंपनी सचिव

(राजीव जयदेव)
निदेशक
डीआईएन 3368001

(विजय पाल)
मुख्य महाप्रबंधक (वि. व ले.)

(वेद प्रकाश)
अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक
डीआईएन 029886284

(एम जी गुप्ता)
निदेशक (वित्त)
डी आई एन 02200405

दिनांक : 21.05.2015
स्थान : नई दिल्ली

31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष के लिए नकद प्रवाह विवरण

(₹ मिलियन में)

	31-03-2015 को समाप्त वर्ष		31-03-2014 को समाप्त वर्ष	
क. प्रचालन गतिविधियों से रोकड़ प्रवाह		**598.68**		2,249.00
कर व असाधरण मदों से पूर्व लाभ समायोजन के लिए :				
असाधारण मदें	**-**		(2,104.42)	
इंवेंट्रीज के मूल्यांकन पर हानि	**141.14**		76.53	
मूल्यह्रास व परिशोधन व्यय	**178.17**		124.22	
निवल विदेशी मुद्रा (लाभ)/हानि	**38.46**		1,020.54	
मूर्त परिसंपत्तियों की बिक्री पर (लाभ)/हानि	**(0.32)**		(0.71)	
ब्याज आय	**(982.06)**		(1,380.72)	
लाभांश आय	**(71.74)**		(32.64)	
वित लागत	**170.20**		670.00	
बट्टे खाते में डाले गये ऋण/दावे	**299.96**		10.74	
बट्टे खाते में डाली गई पूंजी डब्ल्यूआईपी	**65.79**		-	
संदिग्ध ऋणों/कर्जों व अग्रिमों के लिए प्रावधान	**12.36**		12.74	
निवेश के मूल्य में ह्रास	**-**		241.10	
प्रावधान जिसकी अब आवश्यकता नहीं	**(698.30)**		(103.45)	
रिटन बैक देयताएं	**(87.37)**		(572.12)	
डीडब्ल्यूए जोखिम के लिए प्रावधान	**0.67**	**(933.05)**	1.19	(2,036.99)
		(334.37)		212.01
परिसंपत्तियों व देयताओं में परिवर्तन				
इन्वेंट्रीज	**(251.55)**		5,728.09	
व्यापार प्राप्ति योग्य	**(12,620.86)**		5,008.47	
ऋण व अग्रिम	**(6,538.89)**		4,359.12	
अन्य चालू व गैर चालू परिसंपत्तियां	**2,890.27**		(4,329.49)	
भुगतान योग्य व्यापार	**17,115.18**		(12,603.54)	
अन्य देयताएं	**(3,191.41)**		2,646.73	
प्रावधान	**246.03**	**(2,351.24)**	69.35	878.72
		(2,685.61)		1,090.72
प्रदत्त कर		**(399.34)**		(524.23)
प्रचालन गतिविधियों से निवल रोकड़ प्रवाह		**(3,084.95)**		566.50
ख. निवेश गतिविधियों से रोकड़ प्रवाह				
अचल परिसंपत्तियों की खरीद	**(9.56)**		(20.71)	
अचल परिसंपत्तियों की विक्री	**0.40**		0.79	
निवेशों की खरीद	-		(0.31)	
प्राप्त किया गया ब्याज	**982.06**		1,380.72	
प्राप्त किया गया लाभांश	**71.74**	**1,044.64**	32.64	1,393.13
निवेश गतिविधियों से निवल रोकड़ प्रवाह		**1,044.64**		1,393.13
ग. वित पोषण गतिविधियों से रोकड़ प्रवाह				
लिये गये उधार	**(1,262.96)**		(10,653.47)	
वित्त लागत	**(170.20)**		(670.00)	
प्रदत्त लाभांश (कर सहित)	**(175.49)**	**(1,608.65)**	(100.00)	(11,423.47)
वित्तीय कार्यकलापों से निवल रोकड़ प्रवाह		**(1,608.65)**		(11,423.47)
रोकड़ व रोकड़ समतुल्य में शुद्ध वृद्धि/(कमी)		**(3,648.96)**		(9,463.85)
रोकड़ तथा रोकड़ के समतुल्य का आरम्भिक शेष		**5,286.70**		14,750.54
रोकड़ तथा रोकड़ के समतुल्य का अंतिम शेष		**1,637.74**		5,286.70

टिप्पणी

1. **जहां भी आवश्यक समझा गया, पूर्व वर्ष के आंकड़ों को पुनः समूहित किया गया है।**
2. **शाखा कार्यालयों से प्राप्त सूचना के आधार पर कुछ अर्जित/आस्थगित राशि के लिए समायोजन एवं जमा कारपोरेट कार्यालय में किया गया।**
3. **रोकड़ एवं रोकड़ समतुल्य में बैंकों के पास रोकड़ एवं बैंक शेष एवं जमा तथा तीन माह से कम अवधि की परिपक्वता वाले अल्पावधि निवेश शामिल हैं।**

	की समाप्ति पर	
	2014-15	**2013-14**
ए. रोकड़ व रोकड़ समतुल्य		
(क) उपलब्ध चैक व ड्राफ्ट	**0.99**	0.80
(ख) उपलब्ध रोकड़	**0.02**	0.06
(ग) बैंकों में उपलब्ध शेष		
- चालू खाते में	**44.35**	53.62
- कैश क्रेडिट खाते में (डेबिट शेष)	**1,005.19**	18.55
- 3 माह तक की मूल परिपक्वता वाले आवधिक जमा	**221.80**	3,201.32
- 3 माह से कम अवधि तक की परिपक्वता वाले अल्प–अवधि जमा	**-**	560.00
बी. अन्य बैंकों में अन्य शेष		
- मार्जिन राशि/लीयन के रूप में	**-**	3.00
- 3 माह से अधिक एवं 12 माह तक की मूल परिपक्वता वाले आवधिक जमा	**365.26**	1,449.22
- 12 माह से अधिक की मूल परिपक्वता वाले आवधिक जमा	**0.13**	0.13
योग	**1,637.74**	5,286.70

हमारी समदिनांकित संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते जैन कपिला एसोशिएट्स
(चार्टर्ड एकाउंटेंट्स)
एफ आर सं 000287 एन

(सीए डी के कपिला)
पार्टनर
एम नं॰ 016905

दिनांक : 21.05.2015
स्थान : नई दिल्ली

कृते निदेशक मंडल की ओर से

(जी आनंदनारायणन)
सहायक कंपनी सचिव

(राजीव जयदेव)
निदेशक
डीआईएन 3368001

(विजय पाल)
मुख्य महाप्रबंधक (वि. व ले.)

(वेद प्रकाश)
अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक
डीआईएन 029886284

(एम जी गुप्ता)
निदेशक (वित्त)
डी आई एन 02200405

31.03.2015 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों की लेखा नीतियां

ये टिप्पणियां वित्तीय विवरणों का अभिन्न अंग है तथा इन्हें संलग्न वित्तीय विवरणों के साथ पढ़ा जाए।

1. सामान्य सूचना

कंपनी भारत में स्थापित सार्वजनिक क्षेत्र की मिनी रत्न कंपनी है जो वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार के नियंत्राणाधीन है। कंपनी का पंजीकृत कार्यालय कोर–1, स्कोप काम्पलेक्स, 7 इंस्टीट्यूशनल एरिया, लोदी रोड, नई दिल्ली – 110003 भारत में स्थित है। कंपनी के अंतर्गत 11 क्षेत्रीय कार्यालय भारत के विभिन्न क्षेत्रों में स्थित हैं तथा इसकी एक पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी एमएमटीसी ट्रांसनेशनल पीटीई लिमिटेड (एमटीपीएल) सिंगापुर में स्थित है।

कंपनी की प्रमुख गतिविधियां खनिजों का निर्यात तथा बहुमूल्य धातुओं, अलौह धातुओं, उर्वरकों, कृषि उत्पादों, कोयला तथा हाईड्रोकार्बन इत्यादि का आयात करना है।

कंपनी की व्यापारिक गतिविधियां एशिया, यूरोप, अफ्रीका, मध्यपूर्व, लेटिन अमेरिका तथा उत्तरी अमेरिका के विभिन्न देशों तक फैली हैं।

2. महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

2.1 वित्तीय विवरण को तैयार करने के आधार

वित्तीय विवरणों को ऐतिहासिक लागत परंपरा तथा कंपनीज (लेखा मानक) नियम 2006, कंपनीज(लेखा) नियमावली 2014 के लेखा मानकों के परिवर्ती प्रावधानों एवं कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों द्वारा अधिसूचित आवश्यक लेखा मानकों के अनुरूप आन गोईंग कंसर्न के रूप में बनाया गया है।

2.2 क्रय तथा विक्रय

क. विक्रेताओं/क्रेताओं के साथ किए गए संविदा/करार के निष्पादन होने अथवा सरकार से आबंटन पत्र प्राप्त होने पर क्रय तथा विक्रय को लेखों में लिया जाता है।

जहां उक्त संविदा/करार/आबंटन का आंशिक रूप से निष्पादन हुआ है तो आंशिक रूप से किए गए निष्पादन को ही क्रय/विक्रय के रूप में लेखों में लिया जाता है।

ख. विशेष मदों के मामले में जिनका आयात निगम द्वारा सरणीकृत(कैनेलाइज्ड।) है, उन्हें भारत सरकार द्वारा जारी प्राधिकृत पत्र के अंतर्गत 'सरकारी खाते में' आयात किया गया है एवं क्रय/विक्रय को कंपनी के नाम से बुक किया गया है।

ग. डिपोजिट के तहत प्राप्त सोना/चांदी

(i) एक नामित एजेंसी के रूप में कंपनी द्वारा संचालित एग्ज़िम नीति की योजना के अनुसार, निर्यातकों को विक्रय के लिए आउटराइट क्रय आधार पर, जमा स्टॉक से लिया गया सोना/चांदी क्रय में सम्मिलित है।

(ii) वर्ष के दौरान घरेलू बिक्री के लिए सोने की खरीद को लेखों में शामिल करते समय सोने/चांदी को डिपोजिट से लिया गया तथा अपूर्तिकर्त्ताओं के साथ हुए मूल्य निर्धारण के अनुसार हिसाब में लिया गया है। वर्ष के अंत में कंपनी के पास डिपोजिट के तहत गोल्ड/सिल्वर के रूप में उपलब्ध स्टॉक को वर्तमान स्टॉक के रूप में हिसाब में लिया जाता है जिसे अनबिल्ड खरीद टाइटिल दिया जाता है और उसे वर्तमान देयताएं मानते हुए अनबिल्ड खरीद के लिए देय राशि दर्शाया जाता है। ऐसा करते समय वर्ष के अंत में प्रचलित बुलियन के मूल्यों को आधार माना जाता है। तथापि डिपाजिट में शेष पर भुगतान की गई कस्टम ड्यूटी को पूर्व प्रदत्त व्यय के रूप में दर्शाया जाता है।

(iii) ऋण आधार पर निकाले गए स्वर्ण/चांदी को पार्टियों को दिए गए ऋण के रूप में तथा इसे ऋण व अग्रिम खाते में दर्शाया गया है। विदेशी आपूर्तिकर्त्ताओं से प्राप्त स्टॉक के लिए समानुरूप देयता को विविध क्रेडिटर्स के अन्तर्गत दर्शाया गया है। ऋण/विविध क्रेडिटर्स का समायोजन क्रय तथा विक्रय बुक करने के समय किया जाता है।

(iv) रिप्लेनिशमेंट आधार के मामले में मार्जिन राशि अदा करते हुए निर्यातक द्वारा बुक किये गये सोना/चांदी के लिए विदेशी आपूर्तिकारों के साथ मूल्य का निर्धारण करके खरीद बुक की जाती है तथापि निर्यात पूरा हो जाने के बाद माल की वास्तविक डिलीवरी होने पर सेल को बुक किया जाता है।

घ. दस्तावेजों के टाइटल के हस्तांतरण द्वारा आयात के दौरान बिक्री अर्थात माल के भारत की कस्टम सीमा लांघने से पहले क्रेता के पक्ष में माल के टाईटल के दस्तावेजों के हस्तांतरण पर पार सागरीय(हाई सीज़) बिक्री को लेखों में लिया जाता है।

ड. नेशनल स्पॉट एक्सचेंज जैसे कमोडिटी एक्सचेंज जहां माल की वास्तविक डिलीवरी की जाती है, के

माध्यम से किए गए व्यापार को क्रय/विक्रय को बुक किया जाता है।

च. लौह अयस्क/मैंगनीज अयस्क के निर्यात के संबंध में गंतव्य भार व विश्लेषण परिणामों के आधार पर अंतिम विक्रय मूल्य निर्धारित किया जाता है जहां ऐसे परिणाम प्रतीक्षित हैं, अनंतिम विक्रय मूल्य पर औसतन आधार 1 प्रतिशत की दर पर डीडब्ल्यूए जोखिम के लिए प्रावधान किया गया है। एफओबीटी आपूर्ति की स्थिति में, जहां खरीद मूल्य पर डीडब्ल्यूए जोखिम, आपूर्तिकर्ता के खाते में है, विक्रय एवं क्रय मूल्य के बीच के अंतर के लिए 1 प्रतिशत की दर से प्रावधान किया गया है।

छ) निपटान के मामले लंबित होने की स्थिति में जैसे अर्जित/डिस्पैच/देय डैमरेज इत्यादि कतिपय व्यय/लाभ/हानि को अनंतिम आधार पर खाते में लिया जाता है।

2.3 राजस्व पहचान

(क) आईसीएआई द्वारा जारी एएस–9 के प्रावधानों के अनुरूप कुछ मदों की वसूली क्योंकि अनिश्चित है अतः वास्तविक वसूली पर लेखों में शामिल की जाने वाली निम्नलिखित मदों के अतिरिक्त संग्रहण (अक्रूअल) आधार पर राजस्वम की पहचान की जाती है।

i. टारगेट प्लस योजना, आरईपी/एडवांस लाइसेंस, सर्विस टैक्स रिफंड इत्यादि के अंतर्गत टैक्स, ड्यूटी क्रेडिट का अथॉराईजेशन।

ii. निष्पादन के लिए लंबित डिक्रियां/विवादित देय तथा उन पर ब्याज, यदि कोई हो तो,

iii. प्राप्त की जाने वाली विलम्बित राशि पर ब्याज जिसकी प्राप्ति अनिश्चित है।

iv. आपूर्तिकर्ताओं/अंडरराइटर्स पर निर्धारित की गई क्षति/सर्वेक्षण में पाई गई कमी के कारण कस्टम ड्यूटी की वापसी, तथा आयकर/बिक्री–कर/वैट एवम् इन पर ब्याज की वापसी।

ख. बीमा कम्पनी द्वारा स्वीकृत होने पर बीमा दावों को लेखों में लिया जाता है।

ग. लाभ व हानि लेखों में दावों की पहचान अक्रूअल आधार पर की जाती है जिसमें सरकार की ओर से सब्सिडी के रूप में प्राप्त होने वाली ऐसी राशियां, नकद प्रोत्साहन, हानि की प्रतिपूर्ति शामिल है जिनके प्राप्त होने में कोई संदेह नहीं है। चिन्हित दावे जो बाद में संदिग्ध हो गए हैं उनके लिए लाभ व हानि खाते में प्रावधान किया गया है।

2.4 पूर्व प्रदत्त व्यय

प्रत्येक मामले में 10,000/– रुपए के पूर्व प्रदत्त भुगतान खर्चों को राजस्व खाते में दर्शाया जाता है। सरकारी विभागों, सांविधिक निगमों, विद्युत बोर्डों तथा स्थानीय निकायों में 5000/– रुपए की जमा राशि को भी राजस्व खाते में दर्शाया जाता है।

2.5 अचल परिसंपत्तियॉं

(क) सभी स्थिर परिसंपत्तियों को ऐतिहासिक मूल्य में से संचित मूल्यह्रास तथा मूल्य में किसी प्रकार की कमी को घटाकर दर्शाया जाता है।

(ख) सरकारी/अर्ध सरकारी प्राधिकरणों के स्वामित्व वाली भूमि में निर्माण/विकास कार्य पर कंपनी द्वारा किये गये खर्च को 'भूमि पर बनाई गई अचल परिसंपत्तियां और न तो अचल परिसंपत्तियां और न ही भूमि कंपनी की है के शीर्ष में कैपिटलाईज किया जाता है।

2.6 मूल्यह्रास

निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित उपयोगी जीवन काल पर स्ट्रेट लाइन पद्धति के अनुसार मूल्यह्रास का प्रावधान किया जाता है जो कि कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II में दिए गए प्रावधानों के समान है। वर्ष के दौरान अधिग्रहीत/बेची गई परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास, परिसंपत्ति के अधिग्रहण करने से निपटान करने तक के माह तक किया जाता है। अमूर्त परिसंपत्तियों तथा लीजहोल्ड परिसंपत्तियों का परिशोधन भी मूल्यह्रास में शामिल है। सभी परिसंपत्तियों के शेष मूल्य को 1 रूपया लिया गया है। परिसंपत्तियों का उपयोगी जीवन काल निम्नलिखित है:

परिसंपत्तियों का नाम	निगम द्वारा अपनाया गया उपयोगी जीवन काल	अनुसूची II में दिया गया उपयोगी जीवन काल
ए. सामान्य परिसंपत्तिया		
फर्नीचर एवं फिटिंग्स	10	10
कार्यालय उपस्कर	5	5
वाहन		
स्कूटर	10	10
कार	8	8
कम्प्यूटर्स		
सर्वर व नेटवर्क	6	6
एंड यूजर्स डिवाइस	3	3
पट्टे की भूमि	लीज एग्रीमेंट के अनुसार	
वैगन रैक्स	करार/वेगन निवेश योजना के अनुसार	

पंखों के अतिरिक्त लगा हुआ इलैक्ट्रोनिक सामान	10	10
जल आपूर्ति एवं मलवहन तथा निकासी	5	5
सड़कें		
कारपेटिड सड़कें–आरसीसी	10	10
कारपेटिड सड़कें–आरसीसी के अतिरिक्त	5	5
नान कारपेटिड सड़कें	3	3
कल्वर्टस	30	30
बिल्डिंग		
आरसीसी	60	60
आरसीसी के अतिरिक्त	30	30
आवासीय फ्लैट (बने हुए)		
आरसीसी	60	60
आरसीसी के अतिरिक्त	30	30
अस्थायी ढांचे एवं लकडी के पार्टिशन	3	3
भंडारगृह/गोदाम	30	30
बी. निर्माण इकाइयों की परिसंपत्तियां		
फैक्टरी बिल्डिंग	30	30
पंखों के अतिरिक्ति लगा हुआ इलैक्ट्रोनिक सामान	10	10
जल आपूर्ति एवं मलवहन तथा निकासी	5	5
प्लांट एवं मशीनरी		
एकल शिफ्ट	15	15
दो शिफ्ट	10	10
तीन शिफ्ट	7.5	7.5
प्लाटि एवं मशीनरी– अनवरत (विंड मिल)	22	22
सी. भूमि पर बनाई गई अचल परिसंपत्तियां और न तो अचल परिसंपत्तियां और न ही भूमि कंपनी की है।	5	-
डी. अमूर्त परिसंपत्तियां		
कम्प्यूटर साफ्टवेयर	5	परिसंपत्तियों के उपयोगी जीवनकाल से अधिक (एएस 26 के अनुसार)

ई. कैलकुलेटर्स, दीवारघड़ी, रसोईघर के बर्तन तथा अन्य उपभोज्य वस्तुओं जैसे छोटे मूल्य की कुछ मदों जिनका उपयोगी जीवन काल सीमित होता है, को उनके खरीद वर्ष में ही राजस्व में प्रभारित किया जाता है। इसी प्रकार मोबाईल हैंडसैटस को इनके क्रय वर्ष में ही राजस्व में प्रभारित किया जाता है क्योंकि अधिकारियों द्वारा अपने नाम से खरीदे गए मोबाईल हैंडसेटों, जिन्हें निगम को नहीं लौटाया जाता, की कीमत की प्रतिपूर्ति उनकी पात्रता के अनुरूप की जाती है।

एफ. अनुसूची–2 के प्रभावी होने की तिथि से, अनुसूची –2 के अनुसार परिसंपत्ति के शेष उपयोगी जीवन काल पर परिसंपत्ति की कैरिंग राशि में मूल्य ह्रास किया जाता है। जब भी किसी परिसंपत्ति का शेष उपयोगी जीवन काल शून्य होता है तो रेसीडयूल मूल्य को रखने के पश्चात रिटेंड अर्जन के आरंभिक शेष में कैरिंग राशि की पहचान की जाती है।

2.7 निवेश

ए. मूल्य में स्थाई मूल्यह्रास के लिए प्रावधान घटाकर, लागत पर दीर्घावधि निवेश का मूल्यांकन किया जाता है।

बी. निम्नतर लागत व उचित मूल्य पर चालू निवेश का मूल्यांकन किया जाता है।

2.8 विदेशी मुद्रा लेन–देन

i. अपरिवर्तनीय भारतीय मुद्रा के मामले में रुपया भुगतान देशों के साथ लेन–देन को विदेशी विनिमय में लेन–देन माना जाता है।

ii. विदेशी मुद्रा आर्थिक मदों(लम्बित ऋणों अथवा जहॉ वसूली अनिश्चित है को छोड़कर) को इंस्टीट्यूट आफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी एएस–11 में विनिर्दिष्ट अंतिम दरों का प्रयोग करते हुए बदला जाता है। लेन देन की तिथि की विनिमय दर का प्रयोग करते हुए गैर मौद्रिक मदों की सूचना दी जाती है। विनिमय के लाभ/हानि के अंतर को लाभ व हानि खाते में दिखाया जाता है।

iii. अचल परिसंपत्तियों के अधिग्रहण के संबंध में विदेशी मुद्रा में देयता को इंस्टीट्यूट आफ चार्टर्ड एकाऊंटैंटस आफ इंडिया द्वारा जारी एएस–11 में विनिर्दिष्ट अंतिम दर से बदला जाता है। विनिमय के अंतर को लाभ व हानि खाते में दर्शाया जाता है।

iv. फारवर्ड एक्सवचेंज संविदा के मामले में प्रीमियम/डिस्कोउंट तथा हानि/लाभ की पहचान निम्नलिखित तरीके से की गई है:–

ए. वर्तमान लेन देन के विरूद्ध फारवर्ड एक्सावेंज अनुबंध के संबंद्ध में, अनुबंध की अवधि के उपर प्रीमियम/डिस्काउंट आनुपातिक रूप से माने जाते हैं। अंतिम दर अथवा निपटान की तिथि की दर, यदि लेन देन का निपटान वर्ष के दौरान किया गया है

तथा (ii) फारवर्ड अनुबंध के आरंभ होने की तिथि के पश्चात अथवा अंतिम सूचित तिथि की विनिमय दरों के बीच विनिमय दर के अंतर के कारण हुई हानि लाभ को वर्ष के लाभ व हानि खाते में दर्शाया जाता है।

बी. पक्की वचनबद्धताओं एवं अधिक संभावना वाले पूर्वानुमानित लेन देन से संबंधित फारवर्ड संविदाओं के संबंध में विनिमय अंतर के कारण हानि को सूचित अवधि, जिसमें विनिमय दर में परिवर्तन हुआ है, के लाभ व हानि खाते में दर्शाया जाता है। उक्त संविदाओं के नवीकरण अथवा निरस्तीकरण के कारण होने वाले किसी लाभ अथवा हानि की पहचान उस अवधि की आय अथवा व्यय के रूप में की जाती है।

V. भारत से बाहर सहायक कंपनी में निवेश को अधिग्रहण की तिथि पर प्रचलित विनिमय दर पर परिवर्तित किया जाता है।

2.9 खण्डवार रिपोर्टिंग

प्रमुख खण्डः प्रबंधतंत्र द्वारा निगम के निष्पादन का आकलन करते हुए तथा निम्नलिखित व्यापार खंडों/उत्पाद खंडों के विभिन्न निष्पादन सूचकों के विश्लेषण के आधार पर संसाधनों का आबंटन किया जाता हैः–

i. बहुमूल्य धातुएं

ii. धातुएं

iii. खनिज

iv. कोयला एवं हाइड्रोकार्बन

v. कृषि उत्पाद

vi. उर्वरक

vii. सामान्य व्यापार/अन्य

निगम के संगठनात्मक ढांचे के साथ–साथ इन खंडों के विभिन्न जोखिमों तथा लाभों को ध्यान में रखते हुए एएस–17 'खंड रिपोर्टिंग' के अनुरूप उपरोक्त व्यापार खंडों की पहचान की जाती है।

गौण खंडः निगम के ग्राहकों की भौगोलिक स्थिति के आधार पर गौण खंडों की पहचान की जाती है अर्थात

i. भारत से बाहर

ii. भारत के अंदर(भारत के आंतरिक ग्राहकों को हाईसीज बिक्री सहित)

2.10 कर्मचारियों को लाभ

i. ग्रेच्युटी, छुट्टी नकदीकरण/उपयोग करना, सेवानिवृत्ति पश्चात् चिकित्सा लाभ तथा दीर्घ सेवा लाभ जैसे सर्विस अवार्ड, अनुकंपा ग्रेच्युटी तथा कर्मचारी लाभ योजना का प्रावधान इंस्टीट्यूट आफ चार्टर्ड एकाऊंटेंटस द्वारा जारी एएस 15(संशोधित) के अनुसार बीमांकक के मूल्यांकन के आधार पर किया जाता है।

ii. सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्साय लाभों का प्रावधान परिभाषित अंशदान के आधार पर किया जाता है।

iii. भविष्य निधि अंशदान, अक्रूअल आधार पर भविष्य निधि ट्रस्ट में जमा किए जाते हैं।

iv. स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति पर उपदान व नोटिस वेतन का भुगतान उसी वर्ष के राजस्व में प्रभारित होता है।

2.11 स्टॉक का वास्तविक सत्यापन

i. स्टॉक का प्रत्यक्ष सत्यापन वर्ष में एक बार किया जाता है और शेष स्टॉक का निर्धारण वर्ष के अंत तक आवश्यक समायोजन के बाद किया जाता है। वास्ताविक रूप से सत्यापित स्टॉक को अंतिम शेष के रूप में मान लिया जाता है तथा कमी/अधिकता पर उचित रूप से कार्रवाई की जाती है।

ii. कुछ मामलों में जहां स्टॉक हैंडलिंग एजेंट/एसडब्ल्यूसी/सीडब्ल्यूसी/प्राइवेट पार्टियों के पास पड़ा है, उन एजेंसियों द्वारा दिए गए प्रमाण–पत्र के आधार पर स्टॉक को मान लिया जाता है।

2.12 स्टॉक का मूल्यांकन

मार्गस्थ माल सहित इन्वैंट्रीज का मूल्यांकन 31 मार्च को वसूली योग्य मूल्य अथवा लागत के निम्नतर मूल्य पर किया जाता है। बैक–टू–बैक लेन–देन के संबंध में, लागत व लाभ मार्जिन के आधार पर निवल वसूली योग्य मूल्य निश्चित किया जाता है। मूल्यांकन की विधि निम्नानुसार हैः–

क) निर्यात

i. निर्यात स्टॉक का मूल्य–निर्धारण उस स्थान तक जहा स्टॉक पड़ा है, किए गए समस्त खर्चों को शामिल करने के बाद किया जाता है। इसी प्रकार वसूली योग्य मूल्य का निर्धारण बाजार–मूल्य से उन खर्चों को घटाकर किया जाता है, जो खर्च माल को उस स्थान तक पहुंचाने में होगा जिस स्थान पर उसे बेचा जाता है।

ii. खनिज अयस्कों में निर्यात अनुबंध के अनुसार खनिज अयस्कों का वसूली योग्य मूल्य एफई/एमएन की निम्नतम मात्रा के आधार पर निर्धारित किया जाता है तथा इसकी तुलना अयस्क के भारित औसत एफई/एमएन मात्रा/भारित औसत नमी मात्रा के भारित औसत मूल्य से की जाती है। लौह अयस्क का भूमिगत स्टॉक इन्वैंट्री में शामिल नहीं है, अतः इसका मूल्यांकन नहीं किया गया।

(ख) आयात

i. आयातित वस्तुओं के स्टॉक का मूल्य–निर्धारण वार्षिक क्षेत्रीय भारित औसत लागत की गणना करके किया जाता है सिवाय अलौह धातुओं के जहां शेष स्टॉक की भारित औसत लागत की गणना जहां माल रखा गया है वहां तक किए गए सभी व्ययों को शामिल करके किया जाता है। तथापि जहां स्टॉक विशेषतया रखने योग्य है वहां तक किये गये सभी व्ययों को शामिल करके माल की वास्तविक लागत की गणना की जाती है।

ii. पुनः पूर्ति (रिप्लेनिशमेंट) विकल्प के तहत निर्यातकों द्वारा बुक किये गये माल के तहत विदेशी आपूर्तिकारों से खरीदा गया सोना/चांदी जिसकी सुपुर्दगी वर्ष के अंत तक नहीं की गयी है कंपनी के स्टॉक के रूप में दर्शाए जाते हैं और लागत पर मूल्यांकित किये जाते हैं।

(ग) घरेलू

i. सोने चांदी के मेडालियन तथा चांदी के सामान का मूल्य वार्षिक आधार पर माल की स्थानीय भारित लागत तथा प्रारंभिक स्टॉक की लागत पर तय किया जाता है। लागत में विनिर्माण/ फेब्रीकेशन प्रभार, अपव्यय तथा अन्य प्रत्यक्ष लागत सम्मिलित है।

ii. तराशे और पॉलिश किये पत्थर तथा स्वर्णाभूषण (तैयार/अर्धतैयार) के संबंध में जहां स्टॉक विशेष रूप से पहचान योग्य है, उस स्थान तक जहां माल रखा है वहां तक समस्त व्ययों सहित माल की वास्तविक लागत की गणना की जाती है। वेस्टेज एवं अन्य सीधे निर्माण खर्च लागत में शमिल हैं।

iii. पैकिंग सामाग्री का मूल्यांकन 31 मार्च को निम्नतर लागत पर अथवा प्राप्ति योग्य मूल्य पर किया जाता है।

iv. ऋण/फैब्रीकेशन पर स्टॉकः फेब्रीकेटरों के पास रखे स्टाक को समायोजन तक कंपनी का स्टॉक माना जाता है।

2.13 पूर्व अवधि समायोजन

चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी एएस–5 (अवधि के लिए शुद्ध लाभ व हानि, पूर्व अवधि मदों तथा लेखा नीतियों में परिवर्तन) के प्रावधानों के अनुसार '' पूर्व अवधि समायोजन खाते'' के अंतर्गत पूर्व वर्ष संबंधी व्यय/आय दर्शाए जाते हैं।

2.14 ऋण लागत

(i) व्यापार के सामान्य व्यवहार में किसी अवधि में किए गए व्ययों को उस अवधि के ऋण लागत व्यय के रूप में जाना जाता है।

(ii) मान्य परिसंपत्तियों के अधिग्रहण, निर्माण पर आरोपित ऋण लागत को इन परिसंपत्तियों के अभीष्ट प्रयोग के लिए तैयार होने की तिथि तक की लागत के एक भाग के रूप में कैपिटलाईज किया जाता है। अन्य सभी ऋण लागतों की पहचान, जिस वर्ष में व्यय किये गए हैं उस वर्ष के व्ययों के रूप में की जाती है।

2.15 आस्थगित कर

आस्थगित कर को युक्ति–युक्त समय अंतराल, कर योग्य आय तथा लेखा आय जो कि एक अवधि में उत्पन्न हुई हो तथा जिनको एक अथवा अधिक परवर्ती अवधियों में रिवर्सल किया जा सके, के आधार पर मान्यता प्रदान की जाती है। आस्थगित कर का निर्धारण परिसंपत्तियों और देयताओं को तुलन–पत्र की तिथि से लागू होने वाले कर की दरों और कर–कानूनों के आधार पर किया जाता है।

2.16 परिसंपत्तियों की क्षति

जब परिसंपत्तियों की कैरिंग लागत इसके वसूली योग्य मूल्य से अधिक हो जाती है तो परिसंपत्ति को क्षतिग्रस्त माना जाता है तथा इस क्षति की हानि को जिस वर्ष इसके क्षतिग्रस्त होने की पहचान होती है उस वर्ष के लाभ व हानि खाते में प्रभारित किया जाता है। यदि वसूली योग्य राशि के अनुमान में किसी प्रकार का परिवर्तन होता है तो पूर्व लेखा अवधियों में पहचानी गई क्षति की हानि को प्रतिवर्तित(रिवर्स) कर दिया जाता है।

2.17. प्रावधान, आकस्मिक देयताएं तथा आकस्मिक परिसंपत्तियॉ

(I) प्रावधान

(ए) संदिग्ध ऋणों/अग्रिमों/दावों के लिए प्रावधान

संदिग्ध ऋणों/अग्रिमों/दावों के लिए प्रावधान वहां रखा जाता है जहां अपनी देय राशि की किसी भी अवधि के लिए वसूली अनिश्चित हो। विगत तीन वर्षों से अधिक बकाया राशियों के लिए (सरकारी देय राशि को छोड़कर) पूर्ण प्रावधान किया जाता है, जब तक कि यह राशि वसूली योग्य मानी जाती है। यह निश्चित हो जाने पर की वसूली नहीं की जा सकती तब ऋण/अग्रिम/दावे राईट आफ किए जाते हैं।

(बी) अन्यः

(i) प्रावधान तब मान्य है जब

(ए) कोई पूर्व की घटना के परिणामस्वरूप कंपनी पर कोई वर्तमान बाध्यता हो ।

(बी) बाध्यताओं के निपटान में संसाधनों का संभावित आउटफ्लो होने की उम्मीद हो

(सी) तथा इस बाध्यता की राशि का विश्वसनीय आंकलन किया जा सकता हो।

(ii) किसी एक प्रावधान के समायोजन के लिए आवश्यक व्यय की प्रतिपूर्ति की पहचान संविदा प्रावधान के अनुसार की जाती है अथवा जब यह वास्तव में सुनिश्चित हो जाए कि प्रतिपूर्ति प्राप्त की जायेगी, उस स्थिति में की जाती है।

(iii) प्रत्येक तुलन–पत्र की तिथि को प्रावधानों की समीक्षा की जाती है ।

(II) आकस्मिक देयताएं व आकस्मिक परिसंपत्तियां

i. आकस्मिक देयताओं की पहचान नहीं की जाती है परन्तु इन्हें लेखों की टिप्पणियों में दर्शाया जाता हैं। आकस्मिक देयताओं पर ब्याज यदि कोई हो तो, को सामान्यतः लेखों की टिप्पणियों में नहीं दर्शाया जाता क्योंकि इसका निर्धारण नहीं किया जा सकता।

ii. आकस्मिक परिसंपत्तिंयों की पहचान न तो वित्तीय विवरणों में दी जाती है अथवा न ही इन्हें दर्शाया जाता है।

2.18. परियोजना कार्यान्वयन/निर्माण अवधि के दौरान व्ययों की स्थिति

निर्माण के दौरान व्ययों को पूर्व–प्रचालन व्ययों में शामिल किया जाता है तथा निर्माण/प्रस्थापन पूरा हो जाने पर संबंधित स्थायी परिसंपत्तियों में दिखाया जाता है।

2.19 प्रचालन पट्टे

उन परिसंपत्तियों के पट्टों में जहां पर स्वामित्व के दायित्व और लाभ के महत्वपूर्ण हिस्से को पट्टाकर्त्ता अपने पास रखता है उसका वर्गीकरण परिचालन पट्टों के रूप में किया जाता है। परिचालन पट्टों (पट्टाकर्त्ता से प्राप्त किसी भी प्रोत्साहन का निवल) के अंतर्गत किए गए भुगतान को पट्टे की अवधि के दौरान आय विवरणिका में स्ट्रेट लाइन आधार पर लिया जाता है।

आकस्मिक किरायों की पहचान जिस समय पट्टा समाप्त होता है उसी वित्तीय वर्ष की आय विवरणिका में व्यय के रूप में की जाती है। पट्टे की अवधि समाप्ति से पहले ही जब परिचालन पट्टे को निरस्त किया जाता है तो दण्ड स्वरूप पट्टाकर्त्ता को जो भुगतान करना अपेक्षित होता है, उसे जिस समय पट्टा समाप्त होता है उसे उसी वित्तीय वर्ष के खर्च में दर्शाया जाता है।

2.20 वित्तीय विवरण भारतीय रुपये में दिए गए हैं तथा जब तक अन्यथा न कहा गया हो सभी मूल्यों को नजदीकी मिलियन में लिया गया है।

दिनांक 31.03.2015 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां

3. शेयरधारकों की निधि

3.1 शेयर पूंजी तथा रिपोर्टिंग अवधि के आरंभ तथा समाप्ति पर बकाया शेयरों की संख्या का समायोजन

(₹ मिलियन में)

	31-03-2015		31-03-2014	
	संख्या	राशि	संख्या	राशि
क. अधिकृत				
प्रत्येक 1/– रुपये समतुल्य के इक्विटी शेयर	**1,000,000,000**	**1,000.00**	1,000,000,000	1,000.00
ख. निर्गमित, अभिदत्त एवं पूर्णतः प्रदत्त				
आरंभिक शेष	**1,000,000,000**	**1,000.00**	1,000,000,000	1,000.00
जमा				
घटाएं: कटौती				
अंतिम शेष	**1,000,000,000**	**1,000.00**	**1,000,000,000**	**1,000.00**

वर्ष 2010–11 के दौरान, निगम के 5,00,00,000 शेयरों जोकि प्रत्येक 10/–रुपए मूल्य का था को 1/– रुपये प्रत्येक के मूल्य पर 500,000,000 शेयरों में विभाजित किया गया तथा सामान्य अधिशेष रिजर्व से 500 मिलियन रुपए का पूंजीकरण करते हुए 1:1 अनुपात में बोनस शेयर जारी किए गए।

निगम के एक ही वर्ग के शेयर हैं जिसमें प्रत्येक 1/–रुपए के मूल्य का सामान्य शेयर शामिल है। निगम के संगम अनुच्छेद तथा लागू कानूनों के अनुसार निगम के सामान्य शेयर धारकों को निगम की आम बैठकों की सूचना तथा वोट देने के अधिकार, निगम के समापन होने पर किन्हीं अधिशेष परिसंपत्तियों को प्राप्त करने के अधिकार प्रदान करते हैं। साथ ही, साधारण शेयरों पर घोषित लाभांश प्राप्त करने की पात्रता भी उपलब्ध करवाते हैं।

निगम की कोई होल्डिंग कंपनी नहीं है।

प्रवर्तकों के अतिरिक्त किसी भी शेयरधारक के पास निगम के 5 प्रतिशत से अधिक शेयर नहीं हैं। प्रवर्तकों, अर्थात् भारत के राष्ट्रपति की शेयरधारिता दिनांक 31.03.2015 को 899,268,762 शेयर(गत वर्ष 900,000,000 शेयर) की थी जो 89.93 प्रतिशत (गत वर्ष 90.00 प्रतिशत) है।

3.2 रिजर्व एवं अधिशेष

(₹ मिलियन में)

	31-03-2015		31-03-2014	
रिजर्व				
रिजर्व पूंजी – आरंभिक शेष	**0.69**		0.69	
जोड़ें : अधिशेष से अंतरित	**-**		-	
अंतिम शेष		**0.69**		0.69
सामान्य रिजर्व–आरंभिक शेष	**5,965.53**		5,956.13	
जोड़ें : अधिशेष से अंतरित	**100.00**		9.40	
	6,065.53		5,965.53	
घटायें : कटौती	**-**		-	
अंतिम शेष		**6,065.53**		5,965.53
दीर्घकालिक विकास रिजर्व				
- आरंभिक शेष	**-**		2.11	
जोड़ें : अधिशेष से अंतरित	**-**		-	
	-		2.11	
घटाएं : कटौती	**-**		2.11	
अंतिम शेष		**-**		-
कारपोरेट सामाजिक दायित्वी रिजर्व				
- आरंभिक शेष	**0.13**		4.36	
जोड़े : अधिशेष से अंतरित	**-**		-	
	0.13		4.36	
घटाएं : कटौती	**-**		4.23	
अंतिम शेष		**0.13**		0.13
अन्वेषण एवं विकास अधिशेष				
- आरंभिक शेष	**3.54**		**-**	
जोड़े – अधिशेष से अंतरित	**-**		3.54	
	3.54		3.54	
घटाएं : कटौती	**-**		**-**	
अंतिम शेष		**3.54**		3.54
योग (ए)		**6,069.89**		**5,969.89**
अधिशेष				
अधिशेष – आरंभिक शेष	**6,448.82**		6,444.49	
जोड़ें : लाभ व हानि विवरण से अंतरित करने के पश्चात निवल लाभ	**479.10**		186.42	
जोड़ें : कारपोरेट सामाजिक दायित्व रिजर्व	**-**		4.23	
जोडें : टिकाउ विकास रिजर्व	**-**		2.11	
जोडें : मूल्य ह्रास का आरंभिक समायोजन	**(4.97)**		**-**	
विनियोग के लिए उपलब्ध राशि	**6,922.95**		6,637.25	
विनियोग:				
अंतिम लाभांश	**250.00**		150.00	
लाभांश कर	**50.89**		25.49	
सामान्य रिजर्व	**100.00**		9.40	
अन्वेषण एवं विकास रिजर्व	**-**		3.54	
योग (ख)		**6,522.06**		**6,448.82**
कुल योग (क)+(ख)		**12,591.95**		**12,418.70**

(क) वर्ष 2014–15 के दौरान 1/– रुपए मूल्य के प्रत्येक इक्विटी शेयर पर 0.25 रुपए(गत वर्ष 0.15 रूपये) की दर पर अंतिम लाभांश देने का प्रस्ताव है जिसकी कुल राशि 250 मिलियन रूपये (गत वर्ष 150 मिलियन रूपये) है।

(ख) कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची II में विनिर्दिष्ट उपयोगी जीवन काल के अनुरूप दिनांक 1 अप्रैल 2014 से निगम ने स्थायी परिसंपत्तियों के संबंध में मूल्यह्रास दरों में संशोधन किया है। तदनुसार अनुसूची–II के परिवर्ती प्रावधानों के अनुसार निगम ने 4.97 मिलियन रूपये (गत वर्ष शून्य मिलियन रूपये) राजस्व को प्रभारित किए हैं।

4. गैर चालू देयताएं

4.1 अन्य दीर्घावधि देयताएं

(₹ मिलियन में)

	31-03-2015		31-03-2014	
व्यापारिक देय				
-एमएसएमईज के अतिरिक्त	**119.87**		12.52	
-एमएसएमईज	**-**	**119.87**	-	12.52
अन्य				
-बिक्री कर/सीएसटी/सीमा शुल्क	**68.62**		6.02	
-अन्य	**76.15**	**144.77**	80.93	86.95
अन्य		**264.64**		**99.47**

4.2 दीर्घावधि प्रावधान

(₹ मिलियन में)

	31-03-2015		31-03-2014	
कर्मचारी लाभों के लिए प्रावधान				
i. छुट्टी नकदीकरण		**247.92**		238.93
ii. सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा लाभ (क+ख)		**1,226.26**		1,297.34
ओपन समूह (क)	**723.48**			
क्लोज्ड समूह (ख)	**502.78**			
iii. अर्धवेतन अवकाश		**198.44**		189.51
iv. सेवा अवार्ड		**47.70**		47.68
v. अनुकम्पा ग्रेच्युटी		**1.86**		1.97
vi. कर्मचारी परिवार लाभ योजना		**49.05**		49.52
योग		**1,771.23**		**1,824.95**

5. चालू देयताएं

5.1 लघु अवधि ऋण

(₹ मिलियन में)

	31-03-2015		31-03-2014	
बैंकों से मांग होने पर पुनर्भुगतान योग्य ऋण				
(i) सुरक्षित (इन्वेंट्रीज, ट्रेड प्राप्तियां तथा वर्तमान एवं भविष्य की अन्य चालू परिसंपत्तियों के हाईपोथिकेशन के प्रति)	**1,617.27**		1,760.77	
(ii) असुरक्षित	**1,249.22**	**2,866.49**	2,368.68	4,129.45
योग		**2,866.49**		**4,129.45**

किसी भी निदेशक अथवा अन्य व्यक्तियों द्वारा ऋणों की गारंटी नहीं दी गई है।

बैंकों से कैश क्रेडिट/पैकिंग क्रेडिट खाते/अन्य के अंतर्गत ऋण लिए गए हैं तथा एक वर्ष के अंदर पुनर्भुगतान योग्य हैं।

कंपनी ने किसी भी ऋण तथा इस पर ब्याज के पुनर्भुगतान में चूक नहीं की है।

5.2 व्यापारिक देय

(₹ मिलियन में)

	31-03-2015		31-03-2014	
क. विविध लेनदार				
i. एमएसएमईज के अतिरिक्त	**31,643.82**		13,136.09	
ii. एमएसएमईज़	**-**	**31,643.82**	-	13,136.09
ख. देय बिल		**-**		1,438.73
योग		**31,643.82**		**14,574.82**

विविध लेनदारों में विदेशी आपूर्तिकर्ताओं से ऋण पर स्वर्ण लेकर निगम के ग्राहकों को ऋण आधार पर जारी किए गए शून्य मिलियन रूपए (विगत वर्ष 173.66 मिलियन रूपए) के अप्रयोगमूलक मूल्य का शून्य किलोग्राम (विगत वर्ष 63 किलोग्राम) स्वर्ण शामिल है।

ग्राहकों से प्राप्यों की वसूली न होने के कारण स्टीम कोल की खरीद के संबंध में विदेशी आपूर्तिकर्त्ताओं को देय 540.77 मिलियन रूपये विविध लेनदारों में शामिल हैं।

दिनांक 31 मार्च 2015 को 45 दिन से अधिक के ऐसी कोई बकाया राशि नहीं है जो निगम द्वारा माइक्रो, लघु अथवा मध्यम उद्यम को देय है।

5.3 अन्य चालू देयताएं

(₹ मिलियन में)

	31-03-2015		31-03-2014	
क. अर्जित ब्याज परंतु उधार राशियों पर देय नहीं		**4.92**		33.99
ख. अर्जित ब्याज परंतु उधार राशियों पर देय		**3.28**		1.47
ग. अग्रिम में प्राप्त आय		**-**		0.08
घ. अन्य देय				
-फारवर्ड कवर बैंक को देय राशि	**2,576.90**		5,541.55	
घटायः विदेशी मुद्रा प्राप्य	**2,522.61**		5,367.13	
	54.29		174.42	
-विविध लेनदार अन्य	**70.05**		80.56	
-ग्राहकों से प्राप्त अग्रिम	**270.59**		564.28	
-भुगतान न किए गए लाभांश	**0.31**		0.13	
-देय डिस्पैच	**10.50**		21.45	
-देय डेमरेज	**4.41**		65.67	
-विविध देनदारों में क्रेडिट शेष	**1,022.61**		1,358.04	
-सुरक्षा जमा तथा ईएमडी	**349.63**		426.95	
-करों तथा कर्मचारियों के बकाया का लंबित प्रेषण	**1,987.66**		2,219.41	
-वेतन व भत्ते	**7.84**		8.93	
-प्रशासनिक व्यय	**93.77**		139.99	
- बिना बिल के क्रय के लिए देय राशि	**3,150.90**		6,022.58	
-अन्य (i)	**1,345.26**	**8,367.82**	614.67	11,697.08
योग		**8,376.02**		**11,732.62**

(i) पर्यावरण स्वीकृति न मिलने के कारण परियोजना को बंद करने के प्रमोटरों के निर्णय के परिणामस्वरूप संयुक्त उदयम कंपनी द्वारा एमएमटीसी के हिस्से के प्रति 54.65 मिलियन रूपये (गत वर्ष 54.65 मिलियन रूपये) का व्यय शामिल है।

5.4 अल्प अवधि प्रावधान

(₹ मिलियन में)

	31-03-2015		31-03-2014	
क. कर्मचारी लाभ के लिए प्रावधान				
i. बोनस/निष्पादन संबंधित वेतन		**51.05**		58.98
ii. अर्जित अवकाश		**29.31**		24.04
iii. सेवानिवृत्ति पश्चात् चिकित्सा लाभ लाभ (क+ख)		**78.31**		70.98
ओपन ग्रुप (क)	**12.55**		-	
क्लोजिंग ग्रुप (ख)	**65.76**		-	
iv. अर्धवेतन अवकाश		**28.93**		24.34
v. ग्रेच्युटी		**2.17**		0.30
vi. अधिवर्षिता लाभ		**-**		38.46
vii. सेवा अवार्ड		**8.34**		6.82
viii. अनुकम्पा ग्रेच्युटी		**0.33**		0.40
ix. कर्मचारी परिवार लाभ योजना		**9.43**		10.50
ख. अन्य				
i. कराधान	**157.50**		778.57	
ii. प्रस्तावित लाभांश	**250.00**		150.00	
iii. लाभांश वितरण कर	**50.89**		25.49	
iv. गंतव्य भार तथा विश्लेषण जोखिम	**0.67**		1.20	
v. कारपोरेट सामाजिक दायित्वा	**6.14**		-	
vi. विधिक निर्णयों के लिए प्रावधान	**321.77**	**786.97**	-	955.26
योग		**994.84**		**1,190.10**

6 गैर चालू परिसंपत्तियां

6.1 स्थाचयी परिसंपत्तियां

6.1.1 मूर्त(टैंजीबल) परिसंपत्तियां

(₹ मिलियन में)

	सकल ब्लॉक					मूल्यनह्रास/हानि						निवल केरिंग लागत	
	1-4-2014	परिवर्धन	अन्य समायोजन	निपटान	31-03-2015	01-04-2014 को आरंभिक शेष	वर्ष के लिए मूल्यह्रास*	हानि/ (हानि का रिवर्सल)	अनुयोग	कटौतियां/ समायोजन	31-03-2015 को शेष	31-03-2015	31-03-2014
फ्रीहोल्ड भूमि													
-कार्यालय भवन	3.66	-	-	-	3.66	-	-	-	-	-	-	3.66	3.66
-स्टॉफ क्वार्टर्स	1.33	-	-	-	1.33	-	-	-	-	-	-	1.33	1.33
लीज होल्ड भूमि			-		-								
-कार्यालय भवन	39.60	-	-	-	39.60	12.13	0.50	-	12.63	-	12.63	26.97	27.47
-स्टॉफ क्वार्टर्स	2.67	-	-	-	2.67	1.12	0.03	-	1.14	-	1.14	1.53	1.55
भवन			-		-								
-कार्यालय भवन	127.60	-	-	-	127.60	59.21	1.52	-	60.73	-	60.73	66.87	68.39
-स्टॉफ क्वार्टर्स	65.72	0.19	-	-	65.91	53.09	0.51	-	53.60	-	53.60	12.31	12.63
-जलपूर्ति मल वहन, तथा निकासी	9.48	-	-	-	9.48	9.40	0.09	-	9.48	-	9.48	0.00	0.09
-विद्युत इस्टॉलेशंस	18.25	0.20	-	0.03	18.42	16.40	0.34	-	16.75	0.03	16.72	1.70	1.84
-सड़कें व पुलियां	3.58	-	-	-	3.58	3.21	0.14	-	3.35	-	3.35	0.23	0.37
-ऑडियो/अग्नि/ वातानुकूलन	12.24	0.45	(0.06)	0.08	12.55	12.00	0.16	-	12.15	0.15	12.00	0.55	0.24
संयत्र तथा उपस्कर	796.24	0.25	-	1.51	794.98	332.08	33.17	-	365.25	1.51	363.74	431.24	464.16
फर्नीचर तथा फिक्स्चर्स													
-पार्टिशन	23.41	0.21	1.17	0.04	24.75	22.96	0.01	-	22.97	(1.13)	24.10	0.65	0.46
-अन्य	50.55	0.94	(2.16)	0.15	49.18	48.01	0.85	-	48.86	2.30	46.56	2.61	2.54
वाहन	21.58	-	-	0.55	21.03	20.47	0.24	-	20.71	0.55	20.16	0.86	1.10
कार्यालय उपस्कर	57.48	2.12	1.08	1.13	59.55	48.03	5.29	-	53.32	0.01	53.31	6.24	9.45
अन्य:-													
रेलवे वैगन रैक्स	553.64	-	-	-	553.64	421.69	25.09	106.87	553.64	-	553.64	0.00	131.96
बनीहट्टी पर रेलवे लूप लाइन	26.17	-	-	-	26.17	26.17	-	-	26.17	-	26.17	0.00	0.00
गोदाम	34.11	-	-	-	34.11	19.41	2.14	-	21.54	-	21.54	12.57	14.71
कम्प्यूटर/डाटा प्रोसेसर्स	178.02	4.65	(0.02)	1.02	181.62	169.48	5.73	-	175.21	1.02	174.19	7.44	8.54
कुल योग	**2,025.34**	**9.01**	**0.00**	**4.51**	**2,029.83**	**1,274.85**	**75.79**	**106.87**	**1,457.50**	**4.43**	**1,453.06**	**576.76**	**750.49**
विगत वर्ष	**2,022.79**	**15.64**	**-**	**13.10**	**2,025.34**	**1,158.05**	**115.17**	**10.88**	**1,284.10**	**9.26**	**1,274.85**	**750.49**	

क कुछ कार्यालयों से कार्यालय की निर्माणधीन भूमि/भवन/फलैटस/पुलियों सिवरेज व ड्रेनेज की लागत के अंतरिम बिल प्राप्त नहीं हुए हैं तथा लंबित होने के कारण या निर्माणाधीन लीज डीड का निष्पादन होने तक इन्हें अस्थायी आधार पर आंका गया है।

ख दिल्ली के स्टॉफ क्वार्टर्स के लिए पट्टा धारित भूमि, सड़कें और पुलियां, सिवरेज, ड्रेनेज तथा जल आपूर्ति में वह सभी शामिल हैं जो स्ट्रेट ट्रेडिंग कारपोरेशन (एसटीसी) के साथ संयुक्त रूप से लिया गया है।

ग आवासीय फ्लैटों में 0.002 मिलियन रुपए (गत वर्ष 0.002 मिलियन रुपए) के कोआपरेटिव ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी के 41 शेयर (गत वर्ष 41 शेयर) शामिल हैं। कुल फ्लैटों में जिनका मौलिक मूल्य 31.03.2015 को 4.89 मिलियन रुपए (गत वर्ष 4.89 मिलियन रुपए) है का अंतरण लंबित है।

घ जो भूमि निगम के स्वामित्व में नहीं है उस पर बने कार्यालय भवन की लागत 6.24 मिलियन रुपए है (गत वर्ष 6.24 मिलियन रुपए) और मूल्यह्रास 3.57 मिलियन रुपए (गत वर्ष 3.45 मिलियन रूपये) का प्रावधान है।

ड. जो भूमि निगम के स्वामित्व में नहीं है उस पर जल आपूर्ति की लागत 0.66 मिलियन रुपए (गत वर्ष 0.66) मिलियन रुपए है।

च पारादीप में लीजहोल्ड भूमि पर बने रिहायशी भवन, सड़कों व पुलियों के बिजली उपकरण व्यवस्थाओं की लागत 11.63 मिलियन रुपए (गत वर्ष 11.63 मिलियन रुपए) जो 20.11.2011 को समाप्त हो चुकी है तथा संचित मूल्य ह्रास 6.44 मिलियन रूपये(गत वर्ष 6.30 मिलियन रूपये) है पारादीप पोर्ट ट्रस्ट ने 15 वर्ष के लिए इसके नवीनीकरण का अनुमोदन कर दिया है तथापि सरकार से अंतिम अनुमोदन प्रतिक्षित है।

छ. निगम ने परिसंपत्तियों को हानि(रेलवे वैगन रैक्सि) का निर्धारण किया है तथा वर्ष के दौरान परिसंपत्तियों के मूल्य में हानि/क्षति के लिए 106.07 मिलियन रूपये (गत वर्ष 10. 88 मिलियन रूपये) का प्रावधान किया है।

ज. कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची–II में वर्णित उपयोगी जीवन काल के अनुरूप निगम ने दिनांक 1 अप्रैल, 2014 से कुछ स्थायी परिसंपत्तियों के संबंध में मूल्यह्रास की दरों में संशोधन किया है। तदनुसार उक्त अनुसूची–II के परिवर्ती प्रावधानों के अनुसार निगम ने 4.97 मिलियन रूपये (गत वर्ष शून्य मिलियन रूपये) राजस्व प्रभारित किए हैं।

* जैसा कि उपर वर्णित है कि वर्ष के लिए मूल्यह्रास में राजस्व को प्रभारित 4.97 मिलियन रूपये शामिल हैं।

झ. परिसंपत्तियों के वर्गीकरण में परिवर्तन से संबंधित आडियो/अग्नि/वातानुकूलन, फर्नीचर एवं फिटिंग्स – पार्टीशन, फर्नीचर एवं फिटिग्स – अन्य , कार्यालय उपस्कर तथा कम्प्यूटर/द्वारा प्रोसेसर के प्रति सकल ब्लाक के अंतर्गत अन्य समायोजन कालम में क्रमश (0.06) मिलियन रूपये, 1.17 मिलियन रूपये, (2.16) मिलियन रूपये, 1.08 मिलियन रूपये तथा 0.02 मिलियन रूपये शामिल हैं। इसी प्रकार उपरोक्त वर्णित अनुसार परिसंपत्तियों के पुनः वर्गीकरण के प्रति कटौती/समायोजन कालम के अंतर्गत आडियो/अग्नि/वातानुकूलन, फर्नीचर तथा फिक्सचर पार्टिशन, फर्नीचर तथा फिटिंग्सि – अन्य कार्यालय उपस्कर तथा कम्प्यूटर/डाटा प्रोसेसर के लिए क्रमशः 0.06 मिलियन रूपये, (1.17 मिलियन रूपये, 2.2 मिलियन रूपये तथा (0.89) मिलियन रूपये संचित मूल्यंह्रास में शामिल हैं।

6.1.2 अमूर्त परिसंपत्तियां

(₹ मिलियन में)

	सकल ब्लॉक							परिशोधन					निवल कैरिंग मूल्य	
	1-4-2014	परिवर्धन	व्यापार के संयोजन द्वारा परिवर्धन	अन्य समायोजन	निपटान	31-03-2015	01-04-2014 को आरंभिक शेष	वर्ष के लिए परिशोधन	हानि (हानि का रिवर्सल)	उप योग	कटौतियां	दिनांक 31-03-2015 को शेष	31-03-2015	31-03-2014
कंप्यूटर साफ्टवेयर	2.41	0.14	-	-	-	2.55	0.60	0.48	-	1.08	-	1.08	1.47	1.81
योग	**2.41**	**0.14**	**-**	**-**	**-**	**2.55**	**0.60**	**0.48**	**-**	**1.08**	**-**	**1.08**	**1.47**	**1.81**
गत वर्ष	**2.05**	**0.54**	**-**	**0.19**	**-**	**2.41**	**0.41**	**0.38**	**-**	**0.79**	**0.19**	**0.60**	**1.81**	

6.1.3 प्रगति पर पूंजीगत कार्य

(₹ मिलियन में)

परिसंपत्तियां						मूल्य ह्रास/हानि						निवल कैरिंग मूल्य	
	1-4-2014	परिवर्धन	अन्य समायोजन	निपटान	31-03-2015	01-04-2014 को आरंभिक शेष	वर्ष के लिए मूल्य ह्रास	हानि (हानि का रिवर्सल)	उप योग	कटौतियां	31-03-2015 को शेष भवन	31-03-2015	31-03-2014
भवन													
-निर्माणाधीन भवन	6.71	-	-	-	6.71	6.71	-	-	6.71	-	6.71	-	-
-विद्युत संस्थापन	6.70	-	-	-	6.70	6.70	-	-	6.70	-	6.70	-	-
-सड़कें एवं पुलियां	0.47	-	-	-	0.47	0.47	-	-	0.47	-	0.47	-	-
फर्नीचर	-	0.05	-	-	0.05	-	-	-	-	-	-	0.05	-
संयंत्र एवं उपस्कर	13.80	-	-	-	13.80	13.80	-	-	13.80	-	13.80	-	-
गोमिया कोयला ब्लॉक का विकास	65.43	0.36	-	65.79	-	-	-	-	-	-	-	-	65.43
योग	**93.12**	**0.41**	**-**	**65.79**	**27.73**	**27.68**	**-**	**-**	**27.68**	**-**	**27.68**	**0.05**	**65.43**
गत वर्ष	**82.63**	**10.58**	**0.09**	**-**	**93.12**	**27.69**	**-**	**-**	**27.69**	**-**	**27.69**	**65.43**	

6.2 गैर चालू निवेश

(₹ मिलियन में)

	31-03-2015		31-03-2014	
I. व्यापारिक निवेश				
क निवेश संपत्ति				
बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लैक्स		**36.31**		36.31
ख इक्विटी दस्तावेजों में निवेश				
ए) सहायक कंपनियां				
एमएमटीसी ट्रांसनेशनल पीटीई लि. प्रत्येक सिंगापुर डालर 1 के 1,41,61,502 पूर्ण प्रदत्त इक्विटी शेयर (गत वर्ष प्रत्येक सिंगापुर डालर 1 के 1,4,61,502 पूर्ण प्रदत्त इक्विटी शेयर)		**31.45**		31.45
बी) एसोशिएट्स				
i. नीलाचल इस्पात निगम लि.				
प्रत्येक 10 रूपये मूल्यक के 289,342,744 पूर्ण प्रदत्त इक्विटी शेयर (गत वर्ष 10 रूपये मूल्यर के 289,342,744 पूर्ण प्रदत्त इक्विटी शेयर)	**3,796.85**		3,796.85	
ii. देवोना थर्मल पावर एण्ड इंफ्रास्ट्रक्चर लि.				
प्रत्येक 10/– रूपये मूल्य के 13,000 पूर्ण प्रदत्त इक्विटी शेयर (गत वर्ष प्रत्येक 10/– रूपये मूल्य के 13,000 पूर्ण प्रदत्त इक्विटी शेयर)	**0.13**	**3,796.98**	0.13	3,796.98
सी) संयुक्त उपक्रम				
i. फ्री ट्रेड वेयरहाउसिंग प्रा. लि.				
प्रत्येक 10/– रूपय मूल्य के 2600 पूर्ण प्रदत्त इक्विटी शेयर (गत वर्ष प्रत्येक 10/– रूपये मूल्य के 2600 पूर्ण प्रदत्त इक्विटी शेयर)		**0.03**		0.03
ii. एमएमटीसी पैम्प इंडिया प्रा. लि.				
प्रत्येक 10/– रूपये मूल्य के 17,446,000 पूर्ण प्रदत्त इक्विटी शेयर (गत वर्ष प्रत्येक 10/– रूपये मूल्य के 17,446,000 पूर्ण प्रदत्त इक्विटी शेयर)		**174.46**		174.46
iii. सीकाल आयरन ओर टर्मिनल लि.				
प्रत्येक 10/– मूल्य के 33,800,000 पूर्ण प्रदत्त इक्विटी शेयर (गत वर्ष प्रत्येक 10/– मूल्य के 33,800,000 पूर्ण प्रदत्त इक्विटी शेयर)		**338.00**		338.00
iv. एमएमटीसी गीतांजली प्रा. लि.				
प्रत्येक 10/–रूपये मूल्य के 2,987,400 पूर्ण प्रदत्त इक्विटी शेयर (गत वर्ष प्रत्येक 10/–रूपये मूल्य के 2,987,400 पूर्ण प्रदत्त इक्विटी शेयर)		**29.87**		29.87
v. इंडियन कमोडिटी एक्सचेंज लि.				
प्रत्येक 5/– मूल्य के 52,000,000 पूर्ण प्रदत्त इक्विटी शेयर (गत वर्ष प्रत्येक 5/– रूपये मूल्य के 52,000,000 पूर्ण प्रदत्त इक्विटी शेयर)	**260.00**		260.00	
घटाएं: निवेश के मूल्य में कमी के लिए प्रावधान	**241.10**	**18.90**	241.10	18.90
vi टीएम माईनिंग कंपनी लिमिटेड				
प्रत्येक 10/– रूपये मूल्य के 57200 पूर्ण प्रदत्त इक्विटी शेयर (गत वर्ष प्रत्येक 10/–रुपए मूल्य 39,000 के पूर्ण प्रदत्त इक्विटी शेयर)		**0.57**		0.39
डी) अन्य				
i. इंडो फ्रैंच बायोटैक लिमिटेड				
प्रत्येक 10 रूपए मूल्य के 4,750,000 पूर्ण प्रदत्त इक्विटी शेयर (गत वर्ष प्रत्येक 10 रूपए मूल्य के 4,750,000 पूर्ण प्रदत्त इक्विटी शेयर)	**47.50**		47.50	
घटाएं: निवेश के मूल्य में ह्रास के लिए प्रावधान	**47.50**	**0.00**	47.50	0.00
ii. यूनाईटेड स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड				
प्रत्येक 1/– रुपए मूल्य के 30,000,000 पूर्ण प्रदत्त इक्विटी शेयर (गत वर्ष प्रत्येक 1/– रुपए मूल्य के 30,000,000 पूर्ण प्रदत्त इक्विटी शेयर)		**30.00**		30.00
ग) अन्य				
इक्विटी के लिए अग्रिम लेकिन आबंटन लम्बित (टीएम माईनिंग कंपनी लिमिटेड)		**-**		0.18
योग		**4,456.57**		**4,456.57**

(i) सभी गैर चालू निवेशों का आकलन लागत पर किया गया है लागत में यदि कोई स्थायी ह्रास है तो इसके प्रावधान को घटा दिया गया है। निगम के कोई उद्धृत निवेश नहीं हैं। अनउद्धृत् निवेशों की कुल योग राशि 4708.86 मिलियन रुपए (गत वर्ष 4708.86 मिलियन रुपए) है। निवेशों के मूल्य में ह्रास के लिए 288.60 मिलियन रुपए (गत वर्ष 288.60 मिलियन रुपए) की कुल राशि का प्रावधान किया गया है।

(ii) एन्नोर बंदरगाह पर लौह अयस्क टर्मिनल को बनाने तथा प्रचालन हेतु सिकाल आयरन ओर टर्मिनल लिमिटेड (एसआईओटीएल) में एमएमटीसी के संयुक्त उपक्रम में 26 प्रतिशत इक्विटी के रूप में 338 मिलियन रुपए (गत वर्ष 338 मिलियन रुपए) का निवेश किया है। हालांकि नवम्ब र 2010 तक टर्मिनल का निर्माण पूरा हो गया था परन्तु लौह अयस्क के खनन, परिवहन तथा निर्यात पर लगे प्रतिबंधों के कारण बंदरगाह को अधिकृत नहीं किया गया। कामराजा पोर्ट लिमिटेड (पूर्ववत्ती एन्नोर पोर्ट लिमिटेड) द्वारा कोयले की हैंडलिंग हेतु इस सुविधा में सुधार तथा बदलाव का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है। शिपिंग मंत्रालय ने एसआईओटीएल को मना करने का प्रथम अधिकार देते हुए पुनः बोली करने का निर्णय किया है। प्रतिपूर्ति राशि का आकलन छूट करार के प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा जिसे सफल बोलीदाता(एसआईओटीएल के अतिरिक्त) के समक्ष बोली दस्तावेजों में दर्शाया जाएगा जिसे यदि एसआईओटीएल प्रस्ताव को मैच करने से मना करती है तो इसका भुगतान करना होगा। तदानुसार प्रबंध तंत्र द्वारा निवेश में किसी स्थाई ह्रास पर विचार नहीं किया जाएगा।

(iii) इंडियन कमोडिटी एक्सचेंज लिमिटेड में 26 प्रतिशत इक्विटी के लिए किए गए 260.00 मिलियन रुपए (गत वर्ष 260.00 मिलियन रुपए) के निवेश के प्रति 241.10 मिलियन रूपये (गत वर्ष 241.00 मिलियन रूपये) का प्रावधान किया गया है। वर्ष 2013–14 के दौरान आईसीईएक्स की नैटवर्थ में 92.73 प्रतिशत की कमी होने के कारण मूल्य में स्थायी ह्रास के प्रति ऐसा किया गया है।

(iv) यूनाईटिड स्टॉक एक्सचेंज (यूएसई) में किए गए 30.00 मिलियन रूपये के निवेश के संबंध में दिनांक 1.4.2014 की नियुक्त तिथि से बाम्बे (स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) के साथ यूएसई के विलय के लिए चालू वर्ष के दौरान यूएसई ने सेबी, सीसीआई तथा शेयरधारकों की स्वीकृति प्राप्त कर ली है। माननीय बाम्बे उच्च न्यायालय ने दिनांक 24.04.15 को विलय की योजना को स्वी कृति प्रदान कर दी है तथापि आदेश की प्रमाणित प्रति अभी प्राप्त की जानी है। कंपनियों के रजिस्ट्रार को आदेश की प्रमाणित प्रति जमा करने के पश्चात ही यह विलय प्रभावी होगा। परिणामस्वरूप, यूएसई के 3,00,00,000 शेयरों के बदले निगम को बीएसई के 77,922 शेयर प्राप्त् होंगे (अर्थात यूएसई में धारित प्रत्येक 385 शेयरों के लिए बीएसई का 1 शेयर)

6.3 आस्थगित कर परिसंपत्तियां (सकल)

(₹ मिलियन में)

विवरण	दिनांक 1.4.2014 को को आस्थगित कर परिसंपत्तियां / (देयताएं)	वर्ष 2014-15 के दौरान क्रेडिट / (प्रभार)	दिनांक 31.3.2015 को आस्थगित कर परिसंपत्तियां / (देयताएं)
मूल्यह्रास	(159.23)	45.83	(113.40)
संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान	2,403.89	(136.30)	2,267.59
डीडब्लयूए जोखिम	-	0.23	0.23
वीआरएस व्यय	16.90	(5.83)	11.07
मुकदमेबाजी के निपटारों के लिए प्रावधान	-	111.36	111.36
सीएसआर के लिए प्रावधान	-	2.12	2.12
कुल	**2,261.56**	**17.41**	**2,278.97**

6.4 दीर्घावधि ऋण व अग्रिम

(₹ मिलियन में)

	31-03-2015		31-03-2014	
क. केपिटल अग्रिम				
I. वसूली योग्य सुरक्षित	**-**		-	
II. वसूली योग्य असुरक्षित	**0.50**		-	
III. संदिग्ध	**-**		-	
अनुयोग	**0.50**		-	
घटाएः अशोध्य व संदिग्ध अग्रिमों के लिए प्रावधान	**-**	**0.50**	-	-
ख. सुरक्षित जमा				
I. वसूली योग्य सुरक्षित	**106.31**		49.46	
II. वसूली योग्य असुरक्षित	**19.37**		17.63	
III. संदिग्ध	**18.76**		47.49	
अनुयोग	**144.44**		114.58	
घटाएः अशोध्य व संदिग्ध अग्रिमों के लिए प्रावधान	**18.76**	**125.68**	47.49	67.09
ग. संबंधित पार्टियों को ऋण व अग्रिम				
I. वसूली योग्य सुरक्षित	**-**		-	
II. वसूली योग्य असुरक्षित (i)	**237.20**		227.65	
अर्जित तथा प्राप्य / अप्राप्य ब्याज	**38.65**		38.65	
III. संदिग्ध	**4.85**		4.85	
अनुयोग	**280.70**		271.15	
घटाएंः अशोध्य व संदिग्ध अग्रिमों के लिए प्रावधान	**4.85**	**275.85**	4.85	266.29
घ. अन्य ऋण व अग्रिम				
I. वसूली योग्य सुरक्षित				
पीएसयूज़ / अन्य कम्पनियों को ऋण एवं अग्रिम	**88.40**		88.38	
अर्जित तथा प्राप्य / अप्राप्य ब्याज	**0.03**		-	
कर्मचारियों को ऋण	**171.96**		180.35	
II. वसूली योग्य, असुरक्षित पी.एस.यूज़ / अन्य				
कम्पनियों को ऋण एवं अग्रिम	**0.32**		12.21	
अर्जित तथा प्राप्य / अप्राप्य ब्याज	**0.00**		1.11	
कर्मचारियों को ऋण	**88.22**		97.63	
अन्य	**189.65**		55.06	
III. संदिग्ध (ii)	**2,486.58**		2,362.73	
अनुयोग	**3,025.16**		2,797.46	
घटाएंः अशोध्य व संदिग्ध अग्रिमों के लिए प्रावधान	**2,486.58**	**538.58**	2,362.73	434.74
योग		**940.61**		**768.12**

उपरोक्त राशि से निगम के निदेशकों अथवा अन्य अधिकारियों अथवा उनमें एकल अथवा किसी अन्य व्यक्ति के साथ संयुक्त रूप से अथवा फर्म या प्राईवेट कम्पनी जिसमें कोई निदेशक पार्टनर हैं अथवा निदेशक हैं अथवा सदस्य हैं, से 0.05 मिलियन रुपए (गत वर्ष 0.19 मिलियन रुपए) की राशि प्राप्य है।

(i) भारत में मुक्त व्यापार वेयरहाउसिंग परियोजना की स्थापना के लिए परियोजना विकास निधि के रूप में निगम द्वारा संयुक्त उपक्रम कंपनियों को अग्रिम के रूप मे दिए गए 237.09 मिलियन रूपये(गत वर्ष 217.34 मिलियन रूपये) मैसर्स फ्री ट्रेड वेयर हाउसिंग प्रा. लि. के 33.32 मिलियन रूपये(गत वर्ष 13.57 मिलियन रूपये) हल्दिया फ्री ट्रेड वेयर हाउसिंग प्रा. लि. के 180.00 मिलियन रूपये(गत वर्ष 180.00 मिलियन रूपये) तथा इंटिग्रेटिड वेयरहाउसिंग कांडला परियोजना विकास प्रा. लि. के 23. 77 मिलियन रूपये (गत वर्ष 23.77 मिलियन रूपये) शामिल हैं। इन पर 38.65 मिलियन रूपये (गत वर्ष 38.65 मिलियन रूपये) का अर्जित ब्याज है।

(ii) क्षेत्रीय कार्यालय चैन्ने की विशेष लेखा परीक्षा रिपोर्ट के आधार पर 51.00 मिलियन रूपये (गत वर्ष 51.00 मिलियन रूपये) के ऋण शेष का मिलान नहीं किया जा सका जिसके प्रति लेखों में पहले ही पूरा प्रावधान किया जा चुका है।

6.5 अन्य गैर चालू परिसम्पत्तियाँ

(₹ मिलियन में)

	31-03-2015		31-03-2014	
दीर्घावधि ट्रेड प्राप्य				
i. वसूली योग्य(परिसम्पत्तियों की गिरवी /टाईटल डीडस के गिरवी तथा बैंक गांरिटयों से सुरक्षित)	-		-	
ii. वसूली योग्य असुरक्षित	**10.51**		14.60	
iii. संदिग्ध माने गए	**3,751.73**		4,117.93	
अनुयोग	**3,762.24**		4,132.53	
घटाएं: अशोध्य एवं संदिग्ध प्राप्त राशियों के लिए प्रावधान	**3,753.92**	**8.32**	4,117.93	14.60
कुल योग		**8.32**		**1 4.60**

7. चालू परिसम्पत्तियाँ

7.1 वर्तमान निवेश

(₹ मिलियन में)

	31-03-2015		31-03-2014	
क. म्युचुअल फंडों में निवेश (उद्धृत)				
i. एसबीआई प्रीमियर लिक्विड फंड डायरेक्ट प्लान दैनिक लाभांश शून्य (गत वर्ष प्रत्येय 1003.25 रुपए मूल्य0 की 558185.8958 यूनिटस)	-	-	560.00	560.00
योग		-		**560.00**

वर्तमान निवेशों का मूल्यांकन निम्नतर लागत तथा उचित मूल्य पर किया जाता है।

31.03.2015 को उद्धृत निवेशों की कुल बाजार लागत शून्य मिलियन रुपए (गत वर्ष 560.49 मिलियन रुपए) लागत की तुलना में शून्य मिलियन रूपये (गत वर्ष 560.00 मिलियन रुपए) है।

7.2 इन्वैंट्रीज

(₹ मिलियन में)

	31-03-2015		31-03-2014	
क. कच्चा माल	**233.91**		260.13	
ख. तैयार माल	**358.50**		626.60	
ग. स्टॉक–इन–ट्रेड (544.19 मिलियन रुपये (गत वर्ष 843.55 मिलियन रुपये) मूल्य के गुड्स इन ट्रॉजिट शामिल हैं।)	**2,601.63**		2,196.64	
घ. पैकिंग सामान	**-**	**3,194.04**	0.25	3,083.62
योग		**3,194.04**		**3,083.62**

जैसा प्रबंधतंत्र ने मूल्यांकित तथा प्रमाणित किया वैसा ही अपनाया गया।

गुडस इन ट्राजिट सहित इन्वैंट्रीज का मूल्यांकन दिनांक 31 मार्च 2015 को लागत के निम्नतर अथवा वसूली योग्य मूल्य पर किया गया।

बाजार मूल्य पर अंतिम स्टॉक का मूल्यांकन लागत से कम मूल्य पर करने के कारण 173.80 मिलियन रूपये (गत वर्ष 76.53 मिलियन रूपये) की हानि हुई जिसमें से 32.66 मिलियन रूपये बैक आप आपूर्तिकर्त्ताओं/हैंडलिंग एजेंटों के हैं, तदानुसार उनके खाते में यह राशि डेबिट की गई है।

7.3 ट्रेड प्राप्य रिसिवेबल्स

(₹ मिलियन में)

	31-03-2015		31-03-2014	
क. भुगतान के लिए नियत तिथि से छः माह से अधिक की अवधि के बकाया ट्रेड प्राप्य				
i. वसूली योग्य, सुरक्षित	**529.92**		2,367.48	
ii. वसूली योग्य, असुरक्षित	**3,121.85**		657.72	
iii. संदिग्ध	**205.60**		202.17	
	3,857.37		3,227.37	
घटाएं: अशोध्य एवं संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान	**205.60**	**3,651.77**	202.17	3,025.20
ख. अन्य ट्रेड प्राप्य				
i. वसूली योग्य, सुरक्षित	**3,553.63**		1,044.46	
ii. वसूली योग्य असुरक्षित	**23,145.35**		13,271.51	
iii. संदिग्ध	**-**		-	
	26,698.98		14,315.97	
घटाएं: अशोध्य एवं संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान	**-**	**26,698.98**	-	14,315.97
योग		**30,350.75**		**17,341.17**

7.4 रोकड़ तथा बैंक शेष

(₹ मिलियन में)

	31-03-2015		31-03-2014	
क. रोकड़ तथा रोकड़ समकक्ष				
-उपलब्ध चैक्स, ड्राफ्टस		**0.99**		0.80
-उपलब्ध रोकड़		**0.02**		0.06
-बैंकों के पास शेष				
क) चालू खाते में	**44.35**		53.62	
ख) कैश क्रेडिट खाते में	**1,005.19**		18.55	
ग) तीन माह की मूल परिपक्वता के साथ सावधि जमा	**221.80**	**1,271.34**	3,201.32	3,273.49
ख. बैंकों के पास अन्य शेष				
-मार्जिन राशि के रूप में/लियन के अर्न्तगत	**-**		3.00	
-तीन माह से अधिक तथा 12 माह तक की अवधि की मूल परिपक्वता के सावधि जमा	**365.26**		1,449.22	
-12 माह से अधिक अवधि की मूल परिपक्वता में	**0.13**	**365.39**	0.13	1,452.35
योग		**1,637.74**		**4,726.70**

मार्जिन राशि अथवा ऋणों के लिए सिक्यूरिटी, गारंटी, अन्य बाध्यताओं के रूप में बैंकों के पास 4.78 मिलियन रुपए (विगत वर्ष 4.76 मिलियन रुपए) शेष हैं।

भुगतान न किए गए लाभांश के लिए बैंकों के पास शेष में 0.31 मिलियन रुपए (विगत वर्ष 0.13 मिलियन रुपए) शामिल हैं।

भारत के इंस्टीट्यूट आफ चार्टर्ड एकाउंटैंट्स द्वारा जारी लेखा मानक–3 के प्रावधानों के अनुरूप "रोकड़ एवं रोकड़ समकक्ष" को "रोकड़ एवं बैंक शेष" में परिवर्तित किया गया है।

7.5 लघु अवधि ऋण व अग्रिम

(₹ मिलियन में)

	31-03-2015		31-03-2014	
क. अन्य				
i. प्राप्य बिल	-		-	
घटाएं: डिस्काउंटेड बिल्स	-		-	
वसूली योग्य–सुरक्षित		-		-
ii. रोकड़ अथवा माल के रूप में वसूली योग्य अग्रिम				
वसूली योग्य–सुरक्षित	**79.36**		251.23	
वसूली योग्य–असुरक्षित'*	**12,184.30**		5,519.86	
संदिग्ध	**50.03**		211.28	
	12,313.70		5,982.36	
घटाएं: अशोध्य व संदिग्ध ऋणों व अग्रिमों के लिए प्रावधान	**50.03**	**12,263.66**	211.28	5,771.09
iii. आपूर्तिकर्ताओं को अग्रिम				
वसूली योग्य– सुरक्षित	**0.00**		-	
वसूली योग्य–असुरक्षित	**41.79**		167.97	
संदिग्ध	**4.77**		98.26	
	46.56		266.23	
घटाएं: अशोध्य व संदिग्ध ऋणों व अग्रिमों के लिए प्रावधान	**4.77**	**41.79**	98.26	167.97
iv. आयकर (इसमें अग्रिम आयकर, टीडीएस तथा देय रिफंड सहित वैट शामिल हैं)				
वसूली योग्य –असुरक्षित		**573.44**		932.17
योग		**12,878.89**		**6,871.23**

निदेशकों तथा अन्य अधिकारियों (मुख्य महाप्रबंधक तथा कम्पनी सचिव) द्वारा देय 0.10 मिलियन रुपए (विगत वर्ष 0.12 मिलियन रुपए)

*अगस्त 2012 से आगे की अवधि के लिए राज्य सरकारों के लिए खाद्य तेलों के आयात के प्रति प्रतिपूर्ति हेतु भारत सरकार से प्राप्य 3732.90 मिलियन रूपये (गत वर्ष 3732.90 मिलियन रूपये) की सब्सिडी शामिल हैं। नियमित बजट तथा अनुपूरक मांग में निधियों का आबंटन न किए जाने के कारण यह राशि लम्बित है।

7.6 अन्य वर्तमान परिसम्पत्तियॉं

(₹ मिलियन में)

	31-03-2015		31-03-2014	
आस्थगित प्रीमियम	**33.92**		46.23	
बिल न किए गए क्रय के प्रति स्वर्ण/चांदी का स्टॉक	**3,150.90**		6,022.58	
	3,184.82		6,068.81	
घटाएं: संदिग्ध राशि, यदि कोई हो तो, के लिए प्रावधान	**-**	**3,184.82**	-	6,068.81
योग		**3,184.82**		**6,068.81**

8. प्रचालन से राजस्व

(₹ मिलियन में)

	2014-15		2013-14	
क. उत्पादों की बिक्री		**182,374.40**		250,706.69
ख. सेवाओं की बिक्री		**46.20**		39.62
ग. अन्य प्रचालन राजस्व				
-अर्जित डिस्पैच	**1.32**		1.31	
-दावे	**231.21**		1,903.97	
-अन्य व्यापारिक आय	**195.25**	**427.78**	44.87	1,950.15
		182,848.38		252,696.46
घटाएं:				
घ. आबकारी शुल्क	**5.56**	**5.56**	1.37	1.37
योग		**182,842.82**		**252,695.09**

विगत वर्षों के दौरान एनटीपीसी को आपूर्ति के लिए आयात किए गए कोयले के संबंध में, गंतव्य स्थान पर अंतिम गुणवत्ता विश्लेषण प्राप्त न होने के कारण फाइनल बीजक (इनवायस) जारी किए जाने तक कुछ मामलों में अंतिम आधार पर बिक्री बुक की गई। लाभप्रदता पर इसका कोई प्रभाव नहीं होगा क्योंकि फाइनल बीजक(इन्वायस) जारी होने पर यदि कोई अतंर होगा तो वह आपूर्तिकर्ता के खाते में होगा।

9. अन्य आय

(₹ मिलियन में)

	2014-15		2013-14	
क. ब्याज				
-फिक्स डिपोजिट पर ब्याज	**311.46**		837.47	
-ग्राहकों की विलम्बित राशि से ब्याज	**40.15**		29.97	
-अन्य (i)	**646.25**	**997.86**	510.07	1,377.51
ख. लाभांश				
-संयुक्त उपक्रम कम्पनी से लाभांश	**52.34**		-	
-अन्य (म्युचुअल फंडस)	**19.40**	**71.74**	32.64	32.64
ग. अन्य गैर–प्रचालन आय (उक्त आय पर सीधे आरोप्य सकल व्यय)				
-स्टाफ क्वार्टर किराया	**5.85**		5.88	
-विविध प्राप्तियॉं (ii)	**87.09**		230.86	
-रिटन बैक देयताएं	**87.37**		572.12	
-विदेशी मुद्रा विनिमय अर्जन	**-**	**180.31**	4.38	813.24
योग		**1,249.91**		**2,223.39**

(i) नीलाचल इस्पात निगम लिमिटेड (एनआईएनएल) एक एसोशिएट कंपनी को लघु अवधि ऋण सुविधा पर 543.32 मिलियन रूपये (गत वर्ष 298.98 मि.रू.) का ब्याज शामिल है।

(ii) नोट 6.2 'गैर चालू निवेश' के अंतर्गत दर्शाई गई बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स को निवेश संपत्ति से प्राप्त 24.18 मि. रूपये (गत वर्ष 31.24 मि.रू.) की किराया आय शामिल है।

10. प्रयुक्त माल की लागत

(₹ मिलियन में)

	2014-15	2013-14
कच्चा माल	**1,222.05**	1,586.70
कंज्यूमेबल्स	**-**	26.40
योग	**1,222.05**	**1,613.10**

11. स्टॉक–इन–ट्रेड का क्रय

(₹ मिलियन में)

उत्पाद समूह	2014-15		2013-14	
क. क्रय				
बहुमूल्य धातुएं	**45,761.22**		83,172.77	
धातुएं	**8,999.58**		14,960.34	
उर्वरक	**79,829.77**		39,647.85	
खनिज	**15,914.18**		22,498.71	
कृषि उत्पाद	**2,674.07**		23,584.47	
कोयला व हाईड्रोकार्वन	**15,835.33**		37,890.66	
सामान्य व्यापार	**839.03**	**169,853.18**	-	221,754.80
ख. माल के रूप में प्राप्त/जारी किया गया स्टॉक				
बहुमूल्य धातुएं	**(6.65)**		(40.96)	
अलौह धातुएं*	**(85.98)**	**(92.63)**		(40.96)
योग		**169,760.55**		**221,713.84**

* कॉपर के स्टॉक से संबंधित वसूलीयोग्य दावों के पुनर्वर्गीकरण को दर्शाता है।

12. इन्वैन्ट्रीज में परिवर्तन

(₹ मिलियन में)

उत्पाद समूह	2014-15		2013-14	
क. तैयार माल				
आरंभिक शेष	**886.98**		946.45	
अंतिम शेष	**649.91**		945.34	
तैयार माल की इन्वैंट्री में परिवर्तन		**237.07**		1.11
ख. स्टॉक–इन–ट्रेड				
आरंभिक शेष	**2,196.64**		7,941.08	
अंतिम शेष	**2,717.93**		2,214.81	
स्टॉक–इन–ट्रेड की इन्वैट्री में परिवर्तन		**(521.29)**		5,726.27
योग		**(284.22)**		**5,727.38**

13. कर्मचारी लाभ व्यय

(₹ मिलियन में)

	2014-15		2013-14	
वेतन व मजदूरी				
वेतन तथा भत्ते	**1,282.59**		1,243.59	
छुट्टी नकदीकरण	**141.99**		124.57	
वीआर व्यय	**0.18**		21.84	
बोनस	**0.15**		0.32	
निष्पादन संबंधित वेतन	**26.80**		0.29	
चिकित्सा व्यय	**222.08**		235.41	
ग्रुप बीमा	**0.73**		0.46	
डीएलआईएस में अशंदान	**3.23**	**1,677.75**	1.57	1,628.05
भविष्य निधि तथा अन्य निधियों में अशंदान				
भविष्य निधि	**97.08**		96.79	
ग्रेच्युटी निधि	**13.97**		2.68	
परिवार पैंशन योजना	**17.99**		14.39	
अधिवर्षिता लाभ	**78.84**	**207.88**	78.18	192.04
स्टाफ कल्याण व्यय		**32.64**		74.88
कुल		**1,918.27**		**1,894.97**

14. वित्त लागत

(₹ मिलियन में)

	2014-15	2013-14
I. ब्याज व्यय	**143.75**	264.89
II. विदेशी मुद्रा लेन देन पर लागू सकल लाभ/हानि	**-**	0.05
III. फारवर्ड कांट्रेक्ट पर प्रीमियम	**26.46**	404.98
योग	**170.21**	**669.92**

ब्याज व्यय में अग्रिम आय कर में कमी के लिए भुगतान किए गए शून्य मिलियन रुपए (विगत वर्ष 23.33 मिलियन रुपए) शामिल हैं।

15. अन्य व्यय

(₹ मिलियन में)

	2014-15		2013-14	
क. प्रचालन व्यय				
भाड़ा	**4,991.72**		6,938.79	
डेमरेज	**0.16**		0.29	
क्लियरिंग, हैंडलिंग, डिस्काउंट एवं अन्य प्रभार	**1,059.17**		3,781.06	
एलसी नेगोशियेशन एवं अन्य प्रभार	**10.57**		5.66	
विनिमय में अंतर (i)	**41.20**		1,046.41	
सीमा शुल्क	**3,783.78**		8,139.87	
बीमा	**7.63**		30.86	
गोदाम बीमा	**6.92**		11.03	
प्लॉट तथा गोदाम किराया	**14.18**		8.47	
पैकिंग सामग्री	**8.18**		221.27	
गंतव्यी भार एवं विश्लेषण जोखिम के लिए प्रावधान	**0.67**	**9,924.18**	1.19	20,184.92
ख. प्रशासनिक व्यय				
स्टोर्स एवं स्पेयर पार्टस की खपत	**0.30**		-	
ऊर्जा एवं इंधन	**1.67**		1.67	
किराया	**26.17**		27.32	
दरें एवं कर	**17.25**		15.39	
बीमा	**1.09**		1.72	
भवनों की मरम्मत	**47.31**		49.45	
मशीनों की मरम्मत	**0.78**		1.42	
बिजली एव जल प्रभार	**25.78**		23.27	
विज्ञापन एवं प्रचार	**16.56**		16.50	
प्रिटिंग तथा लेखन सामग्री	**7.14**		6.47	
पोस्टेज एवं टेलीग्राम	**2.99**		2.41	
टेलीफोन	**15.05**		16.31	
टेलीकम्यूनिकेशन	**6.90**		5.74	
यात्रा	**38.04**		43.97	
वाहन	**18.86**		19.20	
मनोरंजन	**6.74**		7.06	
विधिक	**48.48**		87.79	
लेखा परीक्षकों का पारिश्रमिक (ii)	**5.83**		6.35	
बैंक प्रभार	**3.97**		5.68	
किताबें एवं पत्रिकाएं	**0.43**		0.48	
ट्रेड	**5.48**		5.26	
मरम्मत एवं नवीकरण	**18.31**		17.76	
कम्पयूटर	**0.18**		1.15	
अंशदान	**3.39**		3.57	
प्रशिक्षण सेमिनार तथा कान्फ्रेंस	**7.54**		4.09	
प्रोफेशनल/कंसलटैंसी	**22.03**		26.22	
सीएसआर व्यय (iii)	**4.68**		6.34	
विनिमय में अंतर	**(2.74)**		(21.50)	
सेवा कर	**8.54**		6.90	
पूर्वावधि मदें (iv)	**15.99**		15.17	
प्रदर्शनी, मेले एवं बिक्री प्रोमोशन	**6.86**		17.15	
बट्टे खाते में डाले गए/निकाले गए(विदग्रहन) अशोध्य ऋण/दावे/परिसंपत्तियां	**299.96**		10.74	
गोमिया कोल ब्लॉक पर अलग से प्रभारित व्यय	**78.35**		-	
अशोध्य एवं संदिग्ध ऋणों/दावों/अग्रिमों के लिए प्रावधान	**12.36**		12.74	
विविध व्यय	**63.11**	**835.39**	66.78	510.57
कुल		**10,759.57**		**20,695.49**

(i) बी/एल तिथि को अप्रयोगमूलक विनिमय दरों को अपनाने के कारण

(क) आयात के लिए 33.92 मिलियन रुपए (विगत वर्ष 48.84 मिलियन रुपए) के अस्थगित फारवर्ड प्रीमियम तथा निर्यात के लिए शून्य मिलियन रुपए (विगत वर्ष (2.61) मिलियन रुपए) की पहचान अगले लेखा वर्ष के लाभ हानि खाते में की जाएगी।

(ii) लेखा परीक्षकों को भुगतान की गई राशि

(₹ मिलियन में)

	2014-15	2013-14
लेखा परीक्षकों के रूप में	**2.75**	3.04
कराधान मामलों के लिए	**1.37**	1.49
अन्य सेवाओं के लिए	**1.66**	1.79
व्ययों की प्रतिपूर्ति के लिए	**0.05**	0.03
योग	**5.83**	**6.35**

(iii) सीएसआर व्यय:

हैदरपुर दिल्ली में दो शौचालयों काम्प्लैक्सों के निर्माण पर 4.63 मिलियन रुपए तथा 0.05 मिलियन रुपए क्लीन गंगा मिशन पर स्वैच्छिक आधार पर खर्च किए गए। कंपनीज अधिनियम 2013 की धारा 135 के प्रावधानों के अंतर्गत कंपनी को सीएसआर कार्यकलापों पर खर्च करना आपेक्षित नहीं था, क्योंकि कंपनी को ठीक तीन पूर्ववर्ती वित्तीय वर्षों में अनुपातिक सकल लाभ नहीं हुआ था। इसका विवरण इस प्रकार है:

ए. वर्ष के दौरान खर्च की जाने वाली आपेक्षित कुल राशि–शून्य मिलियन रुपये

बी. वर्ष के दौरान इस पर किए गए खर्च का ब्यौरा

(₹ मिलियन में)

		नकद में	जिसका नकद भुगतान किया जाना है	कुल योग
(i)	किसी परिसंपत्ति का निर्माण/अधिग्रहण	-	-	-
(ii)	उपर्युक्त (i) के अतिरिक्त अन्य प्रयोजन	3.29	1.39	4.68

(iv) पूर्वावधि मदें

(₹ मिलियन में)

	2014-15	2013-14
व्यय		
बिक्री की लागत	**3.43**	60.77
वेतन एवं मजदूरी	**-**	(0.90)
प्रशासनिक व्यय	**1.63**	3.03
ब्याज	**(0.02)**	0.09
अन्य	**3.06**	29.81
अनुयोग	**8.10**	92.79
आय		
बिक्री	**0.29**	57.34
ब्याज	**(15.80)**	3.21
अन्य प्राप्तियां	**7.61**	17.08
अनुयोग	**(7.90)**	77.63
कुल (सकल)	**15.99**	**15.17**

16. असामान्य मदें

(₹ मिलियन में)

	2014-15	2013-14
शुद्ध वसूली योग्य मूल्य से इन्वैंट्रीज को राइट डाउन करना और उसका रिवर्सल करना।	**141.14**	76.53
स्थायी परिसंपत्तियों की मदों का निपटान	**(0.32)**	(0.71)
निवेश में स्थायी मूल्यह्रास के लिए प्रावधान	**-**	241.10
चोरी के कारण हानि	**3.54**	-
मुकदमों का निपटारा (i)	**323.39**	17.10
प्रावधान जिसकी अब आवश्यकता नहीं है (ii)	**(698.30)**	(103.45)
निवेश संपत्ति का मूल्यह्रास	**-**	-
कुल	**(230.55)**	**230.57**

(i) यूरिया आयात के संबंध में निष्पादन बैंक गारंटी भुनाने के प्रति विदेशी आपूर्तिकर्ता द्वारा फाईल किए गए दावे के लिए कंपनी के विरूद्ध दिए गए मध्यस्थता निर्णय के संबंध में देयता के प्रति 321.77 मिलियन रूपए (गत वर्ष शून्य मिलियन रूपए) शामिल हैं। निगम द्वारा माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय में इस निर्णय को चुनौती दी गई जिसे स्वीकार नहीं किया गया। उक्त निर्णय के विरूद्ध निगम ने अब अपील फाईल की है। इस अपील का निर्णय आने तक वर्ष 2014–15 के दौरान दावे के लिए (216.58 मिलियन रूपए) तथा अन्य लागत (17.07 मिलियन रूपए) आदि की देयता बनाई गई है।

(ii) एक ग्राहक से बकाया राशि की वसूली हो जाने पर वर्ष के दौरान अशोध्य एवं संदिग्ध ऋण के लिए किए गए 221.35 मिलियन रूपए गत वर्ष शून्य मिलियन रूपए के प्रावधान तथा वित्त वर्ष के दौरान बट्टे खाते में डाले गए ऋण के संबंध में किए गए 284.53 मिलियन रूपए गत वर्ष शून्य मिलियन रूपए के अनावश्यक प्रावधानों को हटाया जाना शामिल है जिसे नोट 15(बी) के बट्टे खाते में डाले गए अशोध्य ऋण के अंतर्गत शामिल किया गया है। 'सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा लाभ योजना' के 'परिभाषित अंशदान योजना' में परिवर्तित हो जाने के परिणामस्वरूप 145.85 मिलियन रूपये (गत वर्ष शून्य मिलियन रूपये) के हटाए गए अधिक प्रावधान भी इसमें शामिल हैं।

17. असाधरण मदें

दिनांक 31.07.2015 को विभिन्न देनदारों तथा नेशनल स्पॉट एक्स चेंज (एनएसईएल) द्वारा एनएसईएल के भुगतान दायित्वों में चूक करने के कारण वसूली योग्य 2097.92 मिलियन रूपए के लिए निगम ने खाता बहियों मे शून्य मिलियन रूपए (गत वर्ष 2104.42 मिलियन रूपए) का प्रावधान किया है। निगम ने एनएसईएल तथा अन्य के विरूद्ध मुम्बई उच्च न्यायालय में मुकदमा दायर किया है। सीबीआई ने भी मामला दर्ज किया है तथा जांच प्रगति पर है।

18. लाभ व हानि विवरण से संबंधित अतिरिक्त सूचनाः

i. आयात का मूल्य

(₹ मिलियन में)

	2014-15	2013-14
आयातों का सीआईएफ मूल्य		
गुड्स इन ट्रेड	**136,045.70**	160,033.60
कच्चा माल	**1,222.05**	1,582.76
कुल योग	**137,267.75**	161,616.36

ii. विदेशी मुद्रा में व्यय

(₹ मिलियन में)

व्यय	2014-15	2013-14
ब्याज	**2.60**	21.41
विदेशी कार्यालय	**5.49**	7.25
विदेशी दौरे	**4.12**	5.50
डिस्पैच/डैमरेज	**88.37**	78.78
लदान पोर्ट निगरानी प्रभार	**11.72**	11.52
वाचमैन प्रभार	**0.04**	-
समुद्री भाड़ा	**675.43**	945.59
गंतव्यय भार तथा विश्लेषण जोखिम	**4.09**	-
अन्य मामले:-	**25.59**	1.77
योग	**817.46**	**1,071.82**

iii. विदेशी मुद्रा में आय

(₹ मिलियन में)

अर्जन	2014-15	2013-14
निर्यात किए गए माल का एफओबी मूल्य	**22,937.86**	3 9,116.58
डिस्पैच/डैमरेज	**32.70**	21.96
अन्य	**26.29**	68.02
योग	**22,996.85**	**39,206.56**

iv. कच्चा माल, पुर्जों एवं घटकों का उपयोग

(₹ मिलियन में)

अर्जन	2014-15		2013-14	
	कच्चा माल	पुर्जों एवं घटकों का उपभोग	कच्चा माल	पुर्जों एवं घटकों का उपभोग
आयातित				
i. मूल्य	**1,222.05**	**-**	1,582.76	-
ii. कुल के प्रतिशत के रूप में	**100.00**	**-**	99.75	-
घरेलू				
i. मूल्य	**-**	**-**	3.95	-
ii. कुल के प्रतिशत के रूप में	**-**	**-**	0.25	-
कुल लागत	**1,222.05**	**-**	**1,586.70**	-

19. आकस्मिक देयताएं एवं वचनबद्धता (उस सीमा तक जिसका प्रावधान नहीं)

(i) आकस्मिक देयताएं

क) कंपनी की तरफ से बैंकों द्वारा जारी 2039.36 मिलियन रुपए (पिछले वर्ष 3654.78 मिलियन रुपए) की गारंटियां तथा 404 मिलियन रुपए (गत वर्ष 3361.56 मिलियन रुपए) की कारपोरेट गारंटी संविदा के निष्पादन के लिए ग्राहक के पक्ष में दी गई है, जिसके विरूद्ध एसोशिएट आपूर्तिकर्ताओं से 3764.60 मिलियन रूपए (गत वर्ष 7152.30 मिलियन रूपए) की बैकअप गारंटियां प्राप्त की गई हैं।

ख) एनआईएनएल के ऋणों से संबंधित मूल तथा ब्याज राशि की सुनिश्चितता के लिए वित्तीय संस्थाओं/बैंकों को नीलाचल इस्पात निगम लिमिटेड (एनआईएनएल) की ओर से निगम द्वारा 14693.70 मिलियन रुपए (पिछले वर्ष 13797.70 मिलियन रुपए) की कारपोरेट गारंटी दी गई है। वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा एनआईएनएल को 1800 मिलियन रूपए के ऋण के बारे में बैंक को कम्फर्ट लैटर भी जारी किया गया है जिसके विरूद्ध कंपनी ने 900.00 मिलियन रूपए की कारपोरेट गारंटी दी है। वर्ष के दौरान कंपनी ने बैंक को स्थायी अनुदेश दिए हैं कि वह कंपनी के बैंक एकाउंट से प्रतिमाह 25.00 मिलियन रूपए डेबिट करके उन्हें उसी बैंक में एनआईएनएल के चालू खाते में एनआईएनएल द्वारा अक्तूबर 2014 से 4 वर्षों की ऋण अवधि तक क्रेडिट करता रहे।

ग) एक पार्टी ने एनआईएनएल के कोकिंग कोल की आंशिक मात्रा के न उठाये जाने के संबंध में नोटिस जारी किया है जिसकी सुपुर्दगी वर्ष 2008–09 से संबंधित है और 4920.39 मिलियन रुपए (दिनांक 31.03.2015 को 62.5050 रूपए की अंतिम विनिमय दर के अनुसार 78.72 मिलियन अमेरिकी डालर बनते हैं) (गत वर्ष 4716.93 मिलियन रुपए) का दावा किया है। आर्बिट्रेशन ने बहुमत के आधार पर अवार्ड एमएमटीसी के विरूद्ध दिया है जिसे माननीय दिल्ली उच्च न्याायालय में चुनौती दी गई है। मध्यस्थी के आवार्ड के अनुसार दिनांक 31.03.2015 को ब्याज एवं मध्यस्थता की लागत 2378.41 मिलियन रूपए बनती है।

एमएमटीसी तथा एनआईएनएल के मध्य एग्रीमेंट हुआ था जिसके अनुसार एमएमटीसी एनआईएनएल को कच्चे माल की आपूर्ति करेगी जिसमें उनकी ओर से आयातित कोकिंग कोल भी शामिल है। तदानुसार मैसर्स एंग्लो कोल द्वारा एनआईएनएल को आपूर्ति किए जा रहे कोकिंग कोल के मामले में विवाद उठाया था जिसके लिए एमएमटीसी ने बाद में कानूनी कार्यवाही की थी और इस संबंध में एमएमटीसी समय–समय पर एनआईएनएल को भी सूचित करती रही है।

घ) कंपनी के विरूद्ध 3439.48 मिलियन रुपए (पिछले वर्ष 3652.51 मिलियन रुपए) के दावे जिन्हें ऋण नहीं माना गया।

ड) कंपनी द्वारा खोले गये साख पत्रों में से 235.77 मिलियन रुपए (पिछले वर्ष 6642.69 मिलियन रुपए) की राशि बकाया है।

च) 2248.73 मिलियन रुपए (पिछले वर्ष 2445.44 मिलियन रुपए) के विवादित बिक्रीकर मांग जिसके लिए 183.53 मिलियन रुपए (पिछले वर्ष 192.94 मिलियन रुपए) जमा कराये गये और 0.67 मिलियन रुपए (पिछले वर्ष 0.74 मिलियन रुपए) बैंक गारंटियों द्वारा पूरे किए गए।

छ) व्यापार सहायक सेवा के संबंध में 849.45 मिलियन

रुपए (पिछले वर्ष 809.70 मिलियन रुपए) की सेवा कर मांग।

ज) स्टीम कोल के एक बैकअप सप्लायर ने वर्ष 2011–12 से 2012–2013 के दौरान एक कस्टमर को बैक टू बैक आधार पर कोल सप्लाई हेतु बढे रेल भाड़े, अस्वीकृत बेल्ट सैम्पलिंग, रैक रिजेक्शन तथा भुगतान में हुई देरी के लिए ब्याज हेतु 504.30 मिलियन रूपए (गत वर्ष 504.30 मिलियन रूपए) का दावा किया है जिसे कस्टमर ने विवादित करार दिया है।

झ) निष्पादन हेतु मूल दस्तावेजों की प्रस्तुति इत्यादि के लिए कस्टम विभाग को बांड प्रस्तुत किए गए हैं जिनमें से कुछ अभी भी बकाया हैं। 31.03.2015 को समाप्त बांडो की राशि 9372.80 मिलियन रुपए(गत वर्ष 7615.00 मिलियन रुपए) है। जिनमें से वर्ष 2013–14 के दौरान कंपनी के दिल्ली क्षेत्रीय कार्यालय में 47.41 मिलियन रूपए के लिए कारण बताओ नोटिस प्राप्त हुआ है जिसके लिए कस्टम विभाग से बात की जा रही है।

ञ) कस्टम विभाग ने चालू वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा सहयोगी आपूर्तिकर्ताओं के माध्यम से बैक–टू–बैक की शर्तों पर स्थिर मार्जन आधार पर पावर कंपनियों को आपूर्ति किए गए स्टीम कोल के आयात पर अंतरीय कस्टम ड्यूटी/ब्याज/दंड इत्यादि के लिए विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालयों से 351.21 मिलियन रुपए (पिछले वर्ष 620.17 मिलियन रुपए) की मांग रखी है। क्षेत्रीय कार्यालय कोलकाता एवं मुंबई के मामलों में उनके लेखों की किताबों में क्रमशः 174.82 मिलियन रुपए (पिछले वर्ष शून्य मिलियन रुपए) तथा 215.61 मिलियन रुपए (पिछले वर्ष शून्य मिलियन रुपए) की फर्म देयता दिखा रखी है। अगर कस्टम डयूटी की किसी प्रकार की देयता होगी तो इसे बैकअप सप्लायर के खाते से दिया जाएगा।

ट) टारगेट प्लस लाइसेंस के अंतर्गत आयात किए गए आरबीडी पॉम आयल के संबंध में 256.99 मिलियन रूपए (गत वर्ष 256.99 मिलियन रूपए) की कस्टम डयूटी/दंड इत्यादि की मांग के संबंध में सीईएसटीएटी के पास अपील लंबित है।

ठ) उप क्षेत्रीय कार्यालय बेल्लारी से असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर ने 22.36 मिलियन रूपए(गत वर्ष शून्य मिलियन रूपए) के पीएफ की मांग की है। कंपनी ने मामले के बारे में कानूनी सलाह ली थी जिसके अनुसार यह सुझाया गया है कि मामला विवादित है और इसकी अपील की जाए।

ड) कुछ मामलों में आकस्मिक देयताओं के तहत शामिल की गई राशि भारत सरकार के खाते में किए गए वस्तु व्यापार से संबंधित है और इसे भारत सरकार से वसूल किया जाना है।

ढ) कर का निर्धारण पूरा हो जाने पर बिक्रीकर के लेखों से संबंधित मांग, कुछ कार्मिकों के विवादित दावे/हैंडलिंग एजेंटों/कांट्रेक्टरों द्वारा भविष्य निधि को नहीं काटा जाना, विवादित किराया एवं ब्याज/दंड/विधि व्यय इत्यादि के संबंध में आई मांग पर यदि कोई अतिरिक्त देयता बनती है तो इस बारे में आकस्मिक देयताओं के रूप में इंगित राशि का निर्धारण किया जा सकता। अतः इस पर विचार नहीं किया गया है।

ण) उत्पाद शुल्क/पेनल्टी इत्याादि की 193.17 मिलियन रूपए (गत वर्ष 96.59 मिलियन रूपए) की मांग के लिए कंपनी ने सीईएसटीएटी के पास अपील फाइल कर दी है।

ii वचनबद्धताएंः

(क) पूंजी खातों पर निष्पादित किए जाने वाले शेष करारों की अनुमानित राशि 9.75 मिलियन रूपये

(पिछले वर्ष 2.82 मिलियन रुपए) की राशि का प्रावधान नही किया गया।

सामान्य प्रकटन :–

20. कंपनी द्वारा बिना बिल के खरीदे गये निम्नलिखित माल को अपने पास जमा रखा गया है और जिसको अन्य चालू परिसंपत्तियों (टिप्पणी संख्य 7.6) तथा अन्य चालू देयताओं (टिप्पणी संख्या 5.3) में दिखाया गया है।

(₹ मिलियन में)

मदें	31-03-2015		31-03-2014	
	मात्रा (कि.ग्रा.)	मूल्य	मात्रा (कि.ग्रा.)	मूल्य
स्वर्ण	1,064.00	2,630.66	2,218.00	5,956.10
स्वर्णाभूषण	-	10.23	-	5.40
चांदी	14,792.11	510.01	1,550.00	61.08

21. नीलाचल इस्पात निगम लिमिटेड (एनआईएनएल), एक सहायक कंपनी को इसकी दैनिक प्रचालन गतिविधियों के लिए निगम द्वारा 1300.00 मिलियन रूपए के एकमुश्त ऋण के साथ–साथ 7500.00 मिलियन रूपए की सीमा तक के असुरक्षित लघु अवधि ऋण को समय–समय पर निरंतर बढ़ाया जा रहा है। इस सीमा के प्रति 1478.45 मिलियन रूपए (गत वर्ष 3494.68 मिलियन रूपए) को नोट संख्या 7.3 'ट्रेड प्राप्य' तथा 7191.48 मिलियन रूपए (गत वर्ष 2995.03 मिलियन रूपए) को नोट संख्या 7.5 'लघु अवधि ऋण एवं अग्रिम' के अंतर्गत दर्शाया गया

है। जैसा कि नोट संख्या् 19 (i)(ख) 'कारपोरेट दायित्व' में प्रकटन किया गया है, निगम ने इसके अतिरिक्त कारपोरेट गारंटियां आदि भी दी हैं।

22. देय तिथि के पश्चात बकाया जीआर–1 फार्मों के संबंध में निगम ने प्राधिकृत डीलरों को समय विस्तार/छोड़ने के लिए (वेवर)/बट्टे खाते में डालने के लिए आवेदन किया है। इस आवेदन पर निर्णय होने तक देयता, यदि कोई हो तो, का निर्धारण नहीं किया जा सकता। प्रवर्तन निदेशालय ने 19.81 मिलियन रूपए (गत वर्ष 19.81 मिलियन रूपए) का दण्ड लगाया है जिसका प्रतिवाद किया जा रहा है। इसके बावत 0.30 मिलियन रूपए (गत वर्ष 0.30 मिलियन रूपए) की राशि जमा करवाई गई है तथा 10.30 मिलियन रूपए (पिछले वर्ष 10.30 मिलियन रूपए) की बैंक गारंटी प्रस्तुत की गई हैं।

23. हाल के वर्षों में आए व्यापार मॉडल में विभिन्न बदलावों के कारण और नवीनतम सांविधिक जरूरतों को पूरा करने के लिए कंपनी ने वर्तमान ईआरपी पैकेज को बदलने का निणर्य लिया है।

24. लेखा मानक –15 (संशोधित) के अधीन कंपनी द्वारा कर्मचारियों को निम्नानुसार लाभ प्रदान किये जाते है :–

i. अवकाश नगदीकरण रू सेवा से अलग होने के समय पात्र कर्मचारियों को उनके अर्जित अवकाश व अर्धवेतन अवकाश का नगदीकरण देय है। संचित अर्जित अवकाश का नगदीकरण न्यूनतम 15 दिन का अर्जित अवकाश छोड़कर वर्ष में दो बार करवाया जा सकता है।

ii. सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा लाभ (पीआरएसबी)– 'परिभाषित अंशदान योजना' के अंतर्गत सूचीबद्ध अस्पतालों में भर्ती होकर तथा ओपीडी में चिकित्सा के लिए सेवानिवृत्त कर्मचारियों को यह सुविधा उपलब्ध है।

iii. ग्रेच्युटी – सेवानिवृत्ति/सेवा छोड़ने पर सेवाकाल के वर्षों की संख्या के आधार पर समस्त् कर्मचारियों को ग्रेच्युटी प्रदान की जाती है। इस योजना के अंतर्गत अदायगी कंपनी द्वारा की जाती है जिसकी व्यवस्था एक अलग ट्रस्ट द्वारा एलआईसी के माध्यम से की जाती है। माइका प्रभाग के कार्मिकों के संबंध में इस योजना की व्यवस्था प्रत्यक्ष रूप से कंपनी द्वारा एलआईसी के माध्यम से की जाती है।

iv. दीर्घ सेवा लाभ – कार्मिकों को देय दीर्घ सेवा लाभ निम्नानुसार हैं :–

(क) अधिवर्षिता/स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के अंतर्गत सेवानिवृत्ति लेने पर कार्मिकों को दीर्घ सेवा के लिए प्रत्येक समाप्त वर्ष हेतु 2500/– रूपये की राशि का भुगतान किया जाता है।

(ख) सेवाकाल में मृत्यु हो जाने पर कार्मिक के आश्रितों को एकमुश्त में 50,000/– रूपए राशि की सहानुभूति ग्रेच्युटी देय होती है।

(ग) जिस कार्मिक की मृत्यु सेवाकाल के दौरान हो जाती है उस कार्मिक के आश्रितों को अधिवार्षिता की सैद्धांतिक तिथि तक कर्मचारी लाभ परिवार योजना के अंतर्गत भुगतान किया जाता है। मृत्यु के समय 20 वर्षों से कम सेवा करने पर अंतिम देय मूल वेतन व मंहगाई भत्ते का 40% की दर से मासिक लाभ जिसकी अधिकतम सीमा 12000/– रूपए होती है, इसी प्रकार 20 वर्ष अथवा उससे अधिक सेवाकाल पूरा करने वाले के लिए अंतिम देय मूल वेतन एवं मंहगाई भत्ते का 50 % की दर से मासिक लाभ जिसकी अधिकतम सीमा 12000/– रूपए होती है।

v. भविष्य निधि – वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा प्रदत्त/भुगतान किए जाने वाले भविष्य निधि के अंशदान की लाभ व हानि विवरण में पहचान की जाती है। कंपनी के भविष्य निधि ट्रस्ट को कर्मचारी भविष्य निधि एवं विविध प्रावधान अधिनियम 1952 की धारा 17 के अंतर्गत छूट प्राप्त है। छूट की शर्तों में इस प्रकार का भी प्रावधान है कि अगर ट्रस्ट द्वारा घोषित ब्याज दर के साथ–साथ सांविधिक दर की तुलना में से किसी प्रकार की कमी आ रही हो तो नियोक्ता उसका वहन करके पूरा करेगा। फंड्स की परिसंपित्तेयों तथा निवेश पर लाभ को ध्यान में रखते हुए निकट भविष्य में और दायित्वों का निगम द्वारा पूर्वानुमान नहीं किया जाता।

vi. पेंशन योजना– वर्ष के दौरान कंपनी ने परिभाषित अंशदायी सेवानिवृत्ति पेंशन योजना के लिए लाभ व हानि विवरण में 78.84 मिलियन रूपए (गत वर्ष 78.17 मिलियन रूपए) दर्शाए हैं।

vii. लेखा मानक– 15 (संशोधित) के अनुसार परिभाषित लाभ बाध्यतओं के संबंध में 'कर्मचारी लाभ' के अन्य प्रकटन इस प्रकार है:

(क) परिभाषित लाभ देयताओं के वर्तमान मूल्य का मिलान

(₹ मिलियन में)

क्र. सं.	विवरण	ग्रेच्युटी	अर्जित अवकाश	बीमारी अवकाश	दीर्घ सेवा लाभ
(i)	दिनांक 01.04.2014 को अनुमानित लाभ देयताओं का वर्तमान मूल्य	764.71	262.97	213.85	116.90
(ii)	ब्याज लागत	61.18	22.35	18.18	

(iii)	वर्तमान सेवा लागत	7.19	11.71	8.82	
(iv)	प्रदत्त लाभ	70.04	85.09	12.59	
(v)	बीमांककीय (लाभ/हानि)	19.66	65.05	(1.15)	(0.21)
(vi)	31 मार्च 2015 को बाध्यताओं का वर्तमान मूल्य (i+ii+iii-iv+v)	782.69	277.00	227.11	116.69

(ख) 31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष के लाभ व हानि विवरण लेखा में दर्शाये गए व्ययः

(₹ मिलियन में)

क्र. सं.	विवरण	ग्रेच्युटी	अर्जित अवकाश	बीमारी अवकाश	दीर्घ सेवा लाभ
(i)	सेवा लागत	7.19	11.71	8.82	-
(ii)	ब्याज लागत	61.18	22.35	18.18	-
(iii)	योजनागत परिसंपत्तियों पर वास्तविक रिटर्न	69.30	-	-	-
(iv)	अवधि के दौरान शुद्ध बीमांककीय (लाभ/हानि)	19.66	65.05	(1.15)	(0.21)
(v)	लाभ/हानि खातों में दर्शाए गए व्यय (i+ii-iii+iv)	18.73	99.12	25.85	(0.21)

(ग) योजनाबद्ध परिसंपत्तियों के उचित मूल्यो में परिवर्तन

(₹ मिलियन में)

	ग्रेच्युटी
1.4.2014 को योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	779.54
योजनागत परिसंपत्तियों पर वास्तविक रिटर्न	69.30
नियोक्ता द्वारा अंशदान	6.89
प्रदत्ता लाभ	70.04
बीमांककीय लाभ/(हानि)	-
31.3.2015 को योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	785.68

(घ) बीमांकिक धारणाः

(₹ मिलियन में)

क्र. सं.	विवरण	31/3/2015 को
(i)	छूट दर (प्रतिवर्ष)	8.00%
(ii)	भविष्य लागत वृद्धि	6.00%
(iii)	सेवानिवृत्ति आयु	60 Years
(iv)	मृत्यु संख्या विवरण	आईएएलएम (2006-08)
(v)	निकासी दरें	1% से 3% आयु पर निर्भर

(ड) ग्रेच्युरटी के मामले में, अपने दायित्वों का निर्वाह करने के लिए निगम ने एलआईसी से पालिसी ली हुई है तथा एलआईसी द्वारा किए गए बीमांककीय मूल्यांकन के आधार पर व्ययों के दर्शाया जाता है।

viii. सेवा उपरांत चिकित्सा लाभ योजना को 'परिभाषित अंशदान योजना' बनाकर वर्ष के दौरान निगम ने कुछ परिवर्तन किए हैं जो दिनांक 1.4.2013 से लागू हैं। तदनुसार, निम्ननलिखित अकाउंटिंग की गई है।

क. प्रबंधतंत्र के निर्णयानुसार दिनांक 1.4.2013 को खातों में विद्यमान 1286.20 मिलियन रूपये के प्रति दिनांक 1.4.2013 को निगम की देयता हेतु ओपन ग्रुप (दिनांक 1.1.2007 को अथवा इसके पश्चात कार्यरत एवं सेवा निवृत्ति कर्मचारी) के लिए 575.78 मिलियन रूपए तथा दिनांक 1.1.2007 से पहले सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों के लिए 574.57 मिलियन रूपए निर्धारित किए गए हैं।

ख. दिनांक 1.1.2007 से पहले सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों के लिए पीबीटी के 1.50ः तथा सेवारत कर्मचारियों के संबंध में उनके मूल वेतन + मंहगाई भत्ते के 4.50% की दर से वर्ष 2013–14 की देयता का पुनः आकलन किया गया है जो बीमांककीय मूल्यांकन के आधार पर वर्ष 2013–14 के दौरान लाभ व हानि खाते में प्रभारित 146.10 मिलियन रूपए के प्रति 97.78 मिलियन रूपए की ब्याज लागत सहित 136.14 मिलियन रूपए बनती है।

ग. परिणामतः दिनांक 1.4.2014 को खातों में विद्यमान उपरोक्त (क) तथा (ख) से संबंधित 145.85 मिलियन रूपए की अतिरिक्त देयता को वर्ष 2013–14 के दौरान हटा दिया गया है।

घ. निधियों के प्रबंधन के लिए न्यास (ट्रस्ट) बनाए जाने तक दिनांक 31.3.2014 को देयता के साथ वर्तमान वर्ष के अंशदान को परिभाषित अंशदान योजना' के अंतर्गत 31.3.2015 को निगम की देयता के रूप में दर्शाया गया है तथा तदनुसार निपटान से एक वर्ष पहले होने के कारण 8.50ः की छूट दर से अंशदान को वर्ष के दौरान देयता के वर्तमान मूल्य् में जोड़ा गया है।

ड. वर्ष के दौरान 149.49 मिलियन रूपए (गत वर्ष 146. 14 मिलियन रूपए) के कुल व्यय को लाभ व हानि खाते में प्रभारित किया गया है।

25. लेखा मानक–17 के अनुसार कंपनी ने अपनी प्राथमिक रिपोर्ट योग्य बिजनेस सैगमेंटों में खनिजों, बहुमूल्य– धातुओं, धातुओं, कृषि उत्पादों, कोयला व हाइड्रोकार्बन, उर्वरकों तथा सामान्य व्यापार/अन्य–

की पहचान की है। सेकेंडरी सैगमेंटों की पहचान भारत की भीतरी व बाहरी भौगोलिक स्थिति पर आधारित है। अनुलग्नक 'क' में इसका विस्तारपूर्वक विवरण दिया गया है।

26. लेखा मानक–18 के अंतर्गत संबंधित पार्टियों का प्रकटन(प्रबंधतंत्र द्वारा यथा निर्धारित एवं प्रमाणित)

(ए) संबंधित पार्टियों के नाम एवं संबंध का विवरण:

क) प्रबंधतंत्र के प्रमुख कार्मिक

i. श्री डी एस ढेसी — अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (दिनांक 30.12.2014 तक

ii. श्री वेद प्रकाश — निदेशक (दिनांक 30.12.2014 तक) अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक – प्रबंध निदेशक (दिनांक 31.12.2014 से)

iii. श्री राजीव जयदेव — निदेशक

iv. श्री एम जी गुप्ता — निदेशक (मुख्य वित्तीय अधिकारी)

v. श्री आनन्द त्रिवेदी — निदेशक

vi. श्री पी के जैन — निदेशक

ख) सहायक कंपनी
एमएमटीसी ट्रांसनेशनल पीटीई लिमिटेड(एमटीपीएल), सिंगापुर

ग) एसोशिएटस
नीलाचल इस्पात निगम लिमिटेड
देवोना थर्मल पावर एंड इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड

घ) संयुक्त उद्यम

- फ्री ट्रेड वेयर हाउसिंग प्रा. लिमिटेड
- हल्दिया फ्री ट्रेड वेयर हाउसिंग प्रा. लिमिटेड (फ्री ट्रेड वेयरहाउसिंग प्रा. लि. की सहायक कंपनी)
- इंटिग्रेटिड वेयरहाउसिंग कांडला प्रोजेक्ट डेवलपमेंट प्रा. लिमिटेड (फ्री ट्रेड वेयरहाउसिंग प्रा. लि. की सहायक कंपनी)
- एमएमटीसी पैम्प इंडिया प्रा. लिमिटेड
- एमएमटीसी गीतांजली प्राइवेट लिमिटेड
- इंडियन कमोडिटी एक्सचेंज लिमिटेड
- सिकॉल आयरन ओर टर्मिनल लिमिटेड
- टीएम माइनिंग कंपनी लिमिटेड
- ब्लू वाटर आयरन ओर टर्मिनल प्रा. लि.

ख. वर्ष 2014–15 के दौरान लेन–देन का विवरण

(₹ मिलियन में)

विवरण	सहायक कंपनी	एसोशिएट्स	संयुक्त उद्यम	प्रबंधतंत्र के प्रमुख कार्मिक	कुल
माल की खरीद	11295.95	8401.64	6119.32		25816.91
माल की बिक्री	2848.69	6433.07	1468.94		10750.70
प्राप्त लाभांश			52.34		52.34
रोकड़ अथवा वस्तु के रूप में ऋण तथा इक्विटी अंशदान सहित वित्त			19.75		19.75
कारपोरेट गारंटियां		14693.70			14,693.70
अन्य भुगतान डेमरेज/ डिस्पैच	0.05				0.05
पारिश्रमिक				22.24	22.24
प्राप्य	3.94	8669.93*		0.15	8674.02
देय	2719.91	3.12	2.79		2725.82

*इसमें नोट नं. 7.5 के अंतर्गत 'अल्प अवधि ऋण एवं अग्रिम' के 7191.48 मिलियन रूपए तथा नोट नं. 7.3 के अंतर्गत 'ट्रेड प्राप्य' के 1478.45 मिलियन रूपए दिखाए गए हैं।

27. प्रति शेयर अर्जन

विवरण	2014-15		2013-14	
	असाधारण मदों से पूर्व	असाधारण मदों के बाद	असाधारण मदों से पूर्व	असाधारण मदों के बाद
कर पश्चात लाभ (मिलियन रुपये में)	479.10	479.10	1575.55	186.42
इक्विटी शेयरों की कुल संख्या (मिलियन)	1000	1000	1000	1000
बेसिक और डाइल्यूटिड प्रति शेयर अर्जन (रुपये) (अंकित मूल्य 1/– रु. प्रति शेयर) (गत वर्ष अंकित मूल्य 1/–रू. प्रति शेयर)	0.48	0.48	1.58	0.19

28. इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी संयुक्त उद्यमों में स्वामित्व की वित्तीय रिपोर्ट लेखा मानक–27 के अनुसार भारत में निगमित सभी संयुक्त उद्यम कंपनियों में स्वामित्व की हिस्सेदारी,

परिसंपत्तियां, देयताएं, आय, व्यय, विविध देयताएं व पूंजीगत अहर्ताएं निम्नानुसार हैः–

(₹ मिलियन में)

क्र. सं.	संयुक्त उद्यम कंपनी का नाम	कंपनी की हिस्सेदारी का प्रतिशत	निगमन का देश	परिसंपत्तियां	देयताएं	आय	व्यय	आकस्मिक देयताएं	पूंजीगत वचनबद्धताएं
1	फ्री ट्रेड वेयरहाउसिंग प्रा. लि.	26	India	164.33	160.98	0.89	0.37	0.07	7.70
2	एमएमटीसी पैम्प इंडिया प्रा. लिमिटेड	26	India	2602.58	2117.13	57534.81	57089.87	30.43	5.55
3	सिकॉल आयरन ओर टर्मिनल लि.	26	India	1508.31	1170.41	-	-	0.37	9.69
4	एमएमटीसी गीताजंलि प्रा. लि.	26	India	56.62	32.09	29.13	32.36	2.56	-
5	इंडियन कमोडिटी एक्सिचेंज लिमिटेड *	26	India	-	-	-	-	-	-
6	टीएम माइनिंग कंपनी लि॰	26	India	0.06	0.05	-	(0.12)	-	-
7	ब्लू वाटर आयरन ओर टर्मिनल प्रा. लि.*	18#	India	-	-	-	-	-	-

* वर्ष 2014–15 के लिए जेवी के अंकेक्षित वित्तीय विवरण प्राप्त नहीं हुए हैं।

\# कंपनी ने दिनांक 31.03.2015 तक इक्विटी में निवेश नहीं किया है।

29. इंस्टीटयूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा विनिर्दिष्ट परिसंपत्तियों की हानि जैसा कि मानक लेखा(एएस 28) द्वारा वांछित है कंपनी ने परिसपंत्तियों की हानि का मूल्य निर्धारण किया है तथा परिसंपत्तियों की लागत में क्षति पूरी हानि के लिए वर्ष के दौरान 106.87 मिलियन रूपए (गत वर्ष 10.88 मिलियन रूपए) की राशि का प्रावधान किया है।

30. मानक लेखा – 29 के अनुसार प्रावधानों का समाधान निम्नानुसार हैः–

(₹ मिलियन में)

प्रावधानों का विवरण	01.04.14 को आरंभिक शेष	वर्ष के दौरान समायोजन	वर्ष के दौरान वृद्धि	31.03.15 को अंतिम शेष
गंतव्य भार व विश्लेषण जोखिम	1.20	1.20	0.67	0.67
बोनस/पीआरपी	58.98	34.88	26.96	51.05
अधिवर्षिता लाभ	38.46	117.30	78.84	-
कराधान के लिए प्रावधान	778.57	778.57	157.50	157.50
प्रस्तावित लाभांश	150.00	(100.00)	-	250.00
प्रस्तावित लाभांश पर कर	25.49	224.59	250.00	50.89

31. लघु अवधि ऋणों एवं अग्रिमों के शीर्ष में आयकर के 571.07 मिलियन रूपए (गत वर्ष 931.62 मिलियन रूपए) में विभिन्नग कर निर्धारण वर्षों (वित्त वर्ष 2013–14 तक) की विवादित मांग/कर देयता के प्रति आयकर विभाग को भुगतान किए गए 391.52 मिलियन रूपए(गत वर्ष 366.63 मिलियन रूपए) तथा वित्ता वर्ष 2014–15 के लिए आयकर की देयता के प्रति 179.55 मि. रू.(गत वर्ष 564.99 मि.रू.) शामिल हैं। अपीलीय कार्यवाही समाप्त होने पर किसी प्रकार की अतिरिक्त मांग के लिए प्रावधान किया जाएगा।

32. मिंट बिक्री के संबंध में निगम ने मैसर्स एआईपीएल के विरूद्ध 314.02 मिलियन रूपए (गत वर्ष 314.02 मि.रू.) की वसूली के लिए दावा किया है। इस राशि में 29.49 मि.रू.(गत वर्ष 29.49 मि.रू.) का विलम्बित ब्याज भी शामिल है, जिसका निर्णय निगम के पक्ष में किया गया है। मैसर्स एआईपीएल ने भी सरकारी मिंट/एमएमटीसी के विरूद्ध 1671.97 मि.रू.(गत वर्ष 1671.97 मि.रू.) की हानि के लिए दावा किया है जो कानूनी राय के अनुसार मान्य नहीं है और इसका प्रतिवाद किया जा रहा है।

33. वर्ष 2007–08 से 2010–11 के दौरान भारत सरकार के निदेशों पर निगम ने दालों का आयात किया था। सरकार द्वारा पहुंच लागत(लेंडिड कॉस्ट) के 15 प्रतिशत तक की हानि की प्रतिपूर्ति तथा सीआईएफ मूल्य के 1.2 प्रतिशत की दर पर व्यापारिक मार्जिन की अनुमति प्रदान की गई थी। वर्ष 2008–09 के दौरान भारत सरकार द्वारा किए गए अधिक भुगतान के प्रति कटौती किए गए ब्याज के 27.40 मिलियन रूपए की राशि सहित 192.90 मिलियन रूपए(गत वर्ष 165.53 मि.रू.) वर्ष 2011–12 के दौरान किए गए दावे के लिए जो पहुंच लागत (लैंडिड कॉस्ट) के 15 प्रतिशत के अंदर है तथा अभी इसे वसूला जाना है। वर्ष 2011–12 से योजना को बंद कर दिया गया है। एमओसी ने सूचित किया कि दिनांक 16 दिसंबर, 2014 को सचिव (समन्वय) की अध्यक्षता में आयोजित अधिकारियों के समूह की बैठक में यह निर्णय लिया गया कि दिनांक 31.03.2011 को बंद की गई योजना के अंतर्गत पीएसयूज द्वारा किए गए सभी आयातों के लिए वास्तविक आधार पर हानियों की प्रतिपूर्ति की जाए। साथ ही उपभोक्ता मामलों का विभाग इसके लिए सीसीईए का अनुमोदन प्राप्त करेगा।

34. वर्ष 2006 में निगम को आबंटित गोमिया कोयला ब्लॉक के विकास पर निगम ने 78.35 मिलियन रूपए (गत वर्ष 65.43 मिलियन रूपए) का व्यय किया है जिसे 'पूंजीगत कार्य–प्रगति पर' के अंतर्गत दर्शाया गया है। भारत सरकार द्वारा कोयला ब्लाक को निरस्त किए जाने के परिणामस्वरूप 'पूंजीगत कार्य–प्रगति पर' के अंतर्गत दर्शाई गई राशि को राजस्व से चार्ज ऑफ कर दिया गया है।

35. आयातित पोलिएस्टर खराब होने के कारण एक एसोशिएट के विरूद्ध 18.89 मिलियन रूपए (पिछले वर्ष 18.89 मिलियन रूपए) का एक दावा लम्बित है जिसके लिए ईएमडी और अन्य भुगतानों के रूप में 3.61 मिलियन रूपए (पिछले वर्ष 3.61 मिलियन रूपए) को ध्यान में रखते हुए लेखा में 15.28 मिलियन रूपए (पिछले वर्ष15.28 मिलियन रूपए) का प्रावधान रखा है। कंपनी ने कस्टम को इसका परित्याग करने का अनुरोध किया जो निर्णय आदेश के लिए लम्बित है। एसोशिएट के विरूद्ध आपराधिक व सिविल सूट दायर किया है। एसोशिएट ने भी विवाद निपटारा समिति के विचारार्थ एक प्रस्ताव रखा है।

36. लिस्टिंग अनुबंध के खंड 32 में अपेक्षित ऋणों की प्रकृति में ऋण व अग्रिमों के संबंध में विवरण

(क) अग्रिमों (ब्याजमुक्त) के रूप में सहयोगियों को दिए गए ऋण व अग्रिम के विवरण

ऋणी	31.03.2015 को शेष	वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया
नीलाचल इस्पात निगम लिमिटेड	0.07 मिलियन रूपए	1.28 मिलियन रूपए
	(पिछले वर्ष 0.03 मिलियन रूपए)	(पिछले वर्ष 3.93 मिलियन रूपए)

(ख) ऋणी के निवेशों का विवरण : शून्य रूपए (पिछले वर्ष शून्य रूपए)

36. वर्ष 2011–12 के दौरान मुम्बई क्षेत्रीय कार्यालय में एक विदेशी आपूर्तिकर्ता ने माल(तांबा) की आपूर्ति किए बिना 34.03 मिलियन रूपए (गत वर्ष 32.03 मिलियन रूपए) का भुगतान प्राप्त करने के लिए बैंकिंग चैनलों द्वारा जाली शिपिंग दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं। भुगतान की देय तिथि से ब्याज का भुगतान करने के वचन पत्र के साथ साख पत्र के अंतर्गत भुगतान करने से बैंक को रोके रखने के लिए निगम ने अंतरिम स्टे प्राप्त कर लिया है। इसी आपूर्तिकर्ता ने धोखे से तांबे की उस अन्य खेप के मास्टर बिल आफ लेडिंग को अपने अधिकार में लिया हुआ है जिससे क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा 85.98 मिलियन रूपए (गत वर्ष 85.98 मिलियन रूपए) मूल्य के माल की सुपुर्दगी तथा अधिकार प्राप्त किया जाता। इस राशि का पहले ही भुगतान किया जा चुका है तथा ईएमडी एवं अन्य देयों के समायोजन के पश्चात वर्ष 2014–15 के दौरान शेष राशि के लिए प्रावधान किया गया है।

37. हैदराबाद क्षेत्रीय कार्यालय में वर्ष 2011–12 के दौरान बैंकिंग चैनलों के माध्यम से 37.52 मिलियन रुपये (गत वर्ष 37.52 मिलियन रुपये) लागत के कॉपर की दो शिपमेंटस का जाली बिल ऑफ लैडिंग प्राप्त हुआ था जिसके विरुद्ध माल प्राप्त नहीं हुआ था। कंपनी को अपने भारतीय ग्राहक से पूरा भुगतान प्राप्त हो जाने के उपरांत विदेशी सप्लायर को साख–पत्र के माध्यम से पूरा भुगतान कर दिया है। कंपनी ने विदेशी सप्लायर के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई शुरु कर दी है।

38. कंपनी ने वर्ष के दौरान निम्नलिखित लेखा नीतियों में परिवर्तन किया है:

i. कंपनीज एक्ट, 2013 की अनुसूची–II के प्रावधानों के आधार पर मूल्यलह्रास से संबंधित लेखा नीति संख्या 2.6 इसके कारण वर्ष के दौरान कंपनी के लाभ में 9.40 मिलियन रूपए की वृद्धि हुई।

ii. कर्मचारी लाभ से संबंधित लेखा नीति 2.10 (ii), पोस्ट रिटायरमेंट मेडिकल बेनिफिट स्कीम में परिवर्तन करके इसे डिफाइंड बेनिफिट स्कीम से डिफाइंड कंट्रीब्यूशन स्कीम में बदला गया। इसके परिणामस्वरूप वर्ष के दौरान कंपनी के लाभ में 145.85 मिलियन रूपए की बढ़ोतरी हुई।

39. ऐसे कोई भी सूक्ष्म (माइक्रो) छोटे व मध्यम उद्यम नहीं हैं जिनके विरूद्ध कंपनी के 31 मार्च, 2015 को 45 दिनों से अधिक देय बकाया शेष है।

40. कंपनीज (लेखा मानक) नियम 2006 का अनुपालन किया गया है। कंपनी के काफी संख्या में लेनदेन व विविध क्रियाकलाप हैं जिनका उक्त नियमों के अंतर्गत कड़ाई से पालन करने से परिचालन कठिनाइयां आई हो। यदि किसी प्रकार का कोई उल्लंघन किया होगा तो उसे कंपनी की लेखा नीतियों में बता दिया गया है।

41. शेष की पुष्टि के लिए पार्टियों को पत्र लिखे गए हैं जिनमें अनुरोध किया गया है कि वे शेष की पुष्टि करें अथवा निर्धारित तारीख तक अपनी टिप्पणी भेजें अन्यथा पत्र में दिए गए शेष को कंफर्मड माना जाएगा। कुछ मामलों में पुष्टि पत्र प्राप्त हो गए हैं। किसी भी पार्टी से प्रतिकूल टिप्पणी प्राप्त नहीं हुई है।

42. लोक उद्यम विभाग (भारत सरकार) द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार पूर्णकालिक निदेशकों द्वारा स्टाफ कार के लिए 2000 रुपये प्रति माह का भुगतान करने पर अपने प्रयोग के लिए 1000 किमी. प्रति माह का उपयोग कर सकते हैं।

43. पिछले वर्ष के आंकड़ों को जहां आवश्यक समझा गया रिग्रुप/रि–कास्ट किया गया है।

44. संलग्न लेखा नीतियां और टिप्पणियां वित्तीय विवरणों का अभिन्न अंग हैं।

हमारी समदिनांकित संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते जैन कपिला एसोशिएट्स
(चार्टर्ड एकाउंटेंट्स)
एफ आर सं 000287 एन

(सीए डी के कपिला)
पार्टनर
एम नं॰ 016905

दिनांक : 21.05.2015
स्थान : नई दिल्ली

कृते निदेशक मंडल की ओर से

(जी आनंदनारायणन)
सहायक कंपनी सचिव

(राजीव जयदेव)
निदेशक
डीआईएन 3368001

(विजय पाल)
मुख्य महाप्रबंधक (वि. व ले.)

(वेद प्रकाश)
अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक
डीआईएन 029886284

(एम जी गुप्ता)
निदेशक (वित्त)
डी आई एन 02200405

लेखों की टिप्पणियों का अनुलग्नक 'क'

वर्ष 2014–15 के लिए समेकित खंडवार निष्पादन का विवरण (आरम्भिक प्रस्तुति)

विवरण	व्यापार खंड					
	बहुमूल्य धातुएं		धातुएं		खनिज एवं अयस्क	
	31 मार्च 15	31 मार्च 14	**31 मार्च 15**	31 मार्च 14	**31 मार्च 15**	31 मार्च 14
खंडवार राजस्व						
बाह्य बिक्री						
– भारत में	**51457.71**	91729.97	**3321.93**	4181.21	**1798.93**	2831.84
– भारत के बाहर			**6291.16**	11009.92	**14411.00**	20372.69
योग (क)	**51457.71**	91729.97	**9613.09**	15191.13	**16209.93**	23204.53
अंतर–खण्ड बिक्री						
– भारत में						
– भारत के बाहर						
योग (ख)						
कुल खण्ड राजस्व (क+ख)	**51457.71**	91729.97	**9613.09**	15191.13	**16209.93**	23204.53
समस्त खण्डों के कुल राजस्व की प्रतिशतता के रूप में प्रत्येक खण्ड का कुल राजस्व	**28.21%**	36.58%	**5.27%**	6.06%	**8.89%**	9.25%
खण्डीय परिणाम						
– भारत में	**584.76**	1297.23	**77.89**	106.04	**-50.72**	80.65
– भारत के बाहर			**175.62**	331.79	**283.69**	
कुल खण्डीय परिणाम	**584.76**	1297.23	**253.51**	437.83	**232.97**	657.72
अनिर्धारित आय के निवल का अनिर्धारित कारपोरेट व्यय						
प्रचालन लाभ						
ब्याज व्यय						
ब्याज आय						
आय कर						
साधारण कार्यकलापों से लाभ						
असाधारण हानि/लाभ						
निवल लाभ						
अन्य सूचना						
खंड परिसंपत्तियां	**2539.25**	3810.24	**8019.27**	1238.16	**2107.37**	2074.05
अनिर्धारित कारपोरेट परिसंपत्तियां						
कुल परिसंपत्तियां						
साधारण कार्यकलापों से लाभ	**1230.28**	2507.08	**930.21**	64.73	**1784.11**	2337.34
अनिर्धारित देयताएं						
कुल देयताएं						
खंड पूंजीगत व्यय	**0.32**					
अनिर्धारित पूंजीगत व्यय						
कुल पूंजीगत व्यय						
खंड मूल्यहरास	**2.80**	4.28			**131.96**	55.36
अनिर्धारित मूल्यह्रास						
कुल मूल्यह्रास						
मूल्यह्रास के अलावा गैर– रोकड़ व्यय						

(रू. करोड़ में)

व्यापार खंड									
हाइड्रोकार्बन		कृषि उत्पाद		उर्वरक		अन्य		कुल	
31 मार्च 15	31 मार्च 14	**31 मार्च 15**	31 मार्च 14	**31 मार्च 15**	31 मार्च 14	**31 मार्च 15**	31 मार्च 14	**31 मार्च 15**	31 मार्च 14
21238.22	55963.48	**703.48**	17157.48	**79967.17**	37523.58	**931.54**	87.10	**159418.97**	209474.67
		2293.92	7539.37		2348.29			**22996.07**	41270.27
21238.22	55963.48	**2997.39**	24696.85	**79967.17**	39871.87	**931.54**	87.10	**182415.04**	250744.94
21238.22	55963.48	**2997.39**	24696.85	**79967.17**	39871.87	**931.54**	87.10	**182415.04**	250744.94
11.64%	22.32%	**1.64%**	9.85%	**43.84%**	15.90%	**0.51%**	0.03%	**100.00%**	100.00%
163.67	510.19	**200.73**	222.60	**-210.90**	96.78	**87.31**	76.59	**852.74**	2390.09
		29.65	144.07		12.76			**488.96**	1065.70
163.67	510.19	**230.38**	366.67	**-210.90**	109.54	**87.31**	76.59	**1341.70**	3455.79
								1597.13	2319.41
								(255.43)	1,136.38
								143.75	264.89
								997.86	1377.51
								119.58	(41.84)
								479.10	2290.84
									2104.42
								479.10	186.42
9917.65	13318.59	**6501.79**	4754.82	**21143.06**	2191.99	**4488.12**	447.37	**54716.51**	27835.22
								4792.48	19134.89
								59508.99	46970.11
10607.72	9825.77	**520.64**	2383.66	**21767.96**	2181.24	**430.74**	70.23	**37271.66**	19370.05
								8645.38	14181.36
								45917.04	33551.41
								0.32	
								9.24	20.69
								9.56	20.69
						28.90	36.36	**163.66**	96.01
								14.51	28.21
								178.17	124.22
								706.43	270.51

लेखों की टिप्पणियों का अनुलग्नक 'क'

वर्ष 2014–15 के लिए समेकित खंडवार निष्पादन का विवरण

(सैकण्डरी प्रस्तुति)

(रू. करोड़ में)

हाइड्रोकार्बन	व्यापार खंड					
	कृषि उत्पाद		उर्वरक	अन्य	कुल	
	31 मार्च 15	31 मार्च 14	**31 मार्च 15**	31 मार्च 14	**31 मार्च 15**	31 मार्च 14
राजस्व खंड						
बाह्य बिक्री	**22,996.07**	41,270.27	**159,418.97**	209,474.67	**182,415.04**	250,744.94
अंतरखण्ड बिक्री	**-**	-	**-**	-	**-**	-
कुल राजस्व	**22,996.07**	41,270.27	**159,418.97**	209,474.67	**182,415.04**	250,744.94
खण्ड परिणाम	**488.96**	1,065.70	**852.74**	2,390.09	**1,341.70**	3,455.79
खण्ड परिसंपत्तियां	**1,689.22**	2,333.73	**53,027.29**	25,501.49	**54,716.51**	27,835.22
पूंजीगत व्यय	**-**	-	**0.32**	-	**0.32**	-

31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ व हानि खाता के विवरण का अभिन्न अंग

कंपनी अधिनियम 2013 अधिनियम की संशोधित अनुसूची – **III** के पैरा 5 के भाग 2 के अनुसरण में उपभोगित /खरीद/टर्न ओवर/दी गई सेवाएं – कच्चे माल के मूल्य का 10% या अधिक मूल्य वाला माल

1) उपभोगित कच्चा माल

(मूल्य मिलियन रू. में)

	2014-15	2013-14
गोल्ड मेडालियन	1,222.05	1,586.70

2) ट्रेडिड माल

(मूल्य मिलियन रू. में)

	खरीद		बिक्री	
	2014-15 ₹	2013-14 ₹	2014-15 ₹	2013-14 ₹
सोना	34,136	73,207	37,319	78,422
यूरिया	77,878	36,100	77,976	36,200

3) दी गई सेवाएं

(मूल्य मिलियन रू. में)

	2014-15 ₹	2013-14 ₹
पार्सल हैंडलिंग प्रभार	31.83	31.31
अन्य	14.37	8.31

एमएमटीसी
लिमिटेड
MMTC
LIMITED
भारत सरकार का उपक्रम
A GOVT. OF INDIA ENTERPRISE
touching lives, adding value

खाद्य सुरक्षित भारत के लक्ष्य की ओर अग्रसर

●खाद्यान्न, खाद्य तेल और दालों के आयातक

कृषि व्यवसाय में बड़े आयात के लिए आवश्यक वृहत ढांचागत विशेषज्ञता के साथ हम एक वैश्विक कंपनी हैं। हम खाद्यान्नों की खरीद, गुणवत्ता, नियन्त्रण, समयबद्ध रूप से डिलीवरी हेतु अपने क्षेत्रीय व पोर्ट कार्यालयों और विदेश में संपर्कों के जरिये सम्पूर्ण संभार तंत्र प्रदान करते हैं।

कॉरपोरेट ऑफिस: कोर-1, स्कोप कॉम्प्लैक्स, 7 इंस्टिट्यूशनल एरिया, लोदी रोड, नई दिल्ली-110003
ईमेल : mmtc@mmtclimited.com वेबसाइट : www.mmtclimited.com

52वीं वार्षिक रिपोर्ट 2014-2015

एमएमटीसी ट्रांसनेशनल पीटीई लिमिटेड

(सिंगापुर में निगमित पंजीकरण संख्या : 199407265एम)

वित्तीय विवरण

31 मार्च 2015 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए

एमएमटीसी ट्रांसनेशनल पीटीई लिमिटेड
निदेशकों की रिपोर्ट
31 मार्च 2015 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए

निदेशकगण 31 मार्च 2015 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए अंकेक्षित वित्तीय विवरण के साथ शेयरधारकों को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं।

निदेशकगण

रिपोर्ट प्रस्तुत करने की तिथि को निम्नलिखित निदेशक कार्यरत हैं :

वेद प्रकाश

राजीव जयदेव

मदन गोपाल गुप्ता

आनंद त्रिवेदी

प्रवीन कुमार जैन

राजेन्द्र प्रसाद

दीपक कुमार दुआ

निदेशकों द्वारा शेयर और डिबेंचर अधिग्रहण करने हेतु व्यवस्था

कंपनी ने न तो वित्तीय वर्ष के अंत में और न ही वित्तीय वर्ष के दौरान ऐसी किसी भी व्यवस्था में हिस्सा लिया जिसका उद्देश्य कंपनी के निदेशकों को कंपनी या अन्य किसी कारपोरेट संस्था के शेयर या डिबेंचर अर्जित करके लाभ पहुंचाया गया हो।

शेयर अथवा डिबेंचरों में निदेशकों का हित

निदेशकों की शेयर हिस्सेदारी रजिस्टर के अनुसार वित्तीय वर्ष के अंत में कार्यरत निदेशकों में से किसी भी निदेशक का कंपनी या संबंधित निगमों के शेयरों अथवा डिबेंचरों में कोई हिस्सेदारी नहीं थी।

निदेशकों को संविदात्मक लाभ

पिछले वित्तीय वर्ष के समाप्त होने की अवधि से किसी भी निदेशक ने कंपनी द्वारा अथवा संबंधित कारपोरेशन द्वारा अथवा फर्म द्वारा जिसका वह सदस्य है अथवा कंपनी जिसमें उसका महत्वपूर्ण वित्तीय हित है, के साथ की गई संविदा के कारण उसे कोई वित्तीय लाभ प्राप्त नहीं हुआ है अथवा न ही प्राप्त करने की पात्रता बनी है। सिवाय इसके जो वित्तीय विवरणों तथा इस रिपोर्ट में दिया गया है, तथा सिवाय इसके कि कुछ निदेशक संबंधित निगमों में अपने रोजगार के कारण प्राप्त होने वाले पारिश्रमिक के।

शेयर विकल्प

वित्तीय वर्ष के दौरान कंपनी के जारी न किये गए शेयर लेने के लिए विकल्प नहीं दिया गया।

विकल्प व्यवस्था के तहत वित्तीय वर्ष के दौरान कंपनी के जारी न किये गए शेयर लेने के लिए कोई शेयर जारी नहीं किए गए।

वित्तीय वर्ष के अंत तक विकल्प के अंतर्गत जारी न किए गए शेयर उपलब्ध नहीं थे।

स्वतंत्र लेखापरीक्षक

स्वतंत्र लेखापरीक्षक, प्राइस वाटर हाउस कूपर्स एलएलपी, ने पुनः नियुक्ति के लिए अपनी इच्छा व्यक्त की है।

निदेशकों की ओर से

हस्ताक्षर	हस्ताक्षर
राजेन्द्र प्रसाद	**दीपक कुमार दुआ**
निदेशक	निदेशक
23 अप्रैल, 2015	

एमएमटीसी ट्रांसनेशनल पीटीई लिमिटेड

निदेशकों का कथन

31 मार्च 2015 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए

निदेशकों के मतानुसार,

(क) 31 मार्च 2015 को कंपनी के कार्यकलापों की वास्तविक व स्पष्ट तस्वीर दर्शाने के लिए पृष्ठ संख्या 5 से 22 तक वित्तीय विवरणों को इस प्रकार दिया गया है कि ये इसी तिथि को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के व्यापार, इक्विटी में परिवर्तन तथा रोकड़ प्रवाह के परिणामों को दर्शा सकें, तथा

(ख) इस विवरण की तिथि को यह विश्वास करने के लिए तर्कसंगत आधार है कि कंपनी अपनी देनदारियों की, उनके देय होने पर, अदायगी करने में समर्थ होगी।

निदेशकों की ओर से

हस्ताक्षर

राजेन्द्र प्रसाद
निदेशक

हस्ताक्षर

दीपक कुमार दुआ
निदेशक

23 अप्रैल, 2015

एमएमटीसी ट्रांसनेशनल पीटीई लिमिटेड के शेयरधारकों को स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

वित्तीय विवरणों पर रिपोर्ट

31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष के लिए हमने एमएमटीसी ट्रांसनेशनल पीटीई लिमिटेड के वित्तीय विवरणों, जो पृष्ठ संख्या 5 से 22 में दिए गए हैं, की लेखापरीक्षा की है जिनमें इसी तिथि को समाप्त वर्ष का तुलन–पत्र, कम्प्रीहेंसिव आय विवरण, इक्विटी में परिवर्तन का विवरण एवं रोकड़ प्रवाह विवरण के साथ–साथ महत्वपूर्ण लेखा नीतियों का संक्षिप्त रूप एवं अन्य व्याख्यात्मक टिप्पणियां शामिल हैं।

वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधतंत्र का दायित्व

सिंगापुर कम्पनी अधिनियम (दि ऐक्ट) तथा सिंगापुर वित्तीय रिपोर्टिंग मानकों के प्रावधानों के अनुसार इन वित्तीय विवरणों को तैयार करने तथा सही रूप से प्रस्तुत करने के लिए प्रबधतंत्र उत्तरदायी है। इन दायित्वों में निम्नलिखित शामिल हैं कि इस प्रकार की आंतरिक लेखा नियंत्रण प्रणाली तैयार करना व बनाए रखना जो उचित आश्वासन प्रदान कर सके कि परिसंपत्तियों को अनधिकृत उपयोग अथवा विस्थापन क्षति से सुरक्षित रखा गया है और लेनदेन को उचित रूप से अधिकृत किया गया है और उन्हें आवश्यक रूप से दर्ज किया गया है ताकि लाभ व हानि खाते व तुलनपत्र और संपत्तियों के प्रति उत्तरदायित्व को बनाये रखने के लिए सत्य व सही स्थिति प्रकट हो सके।

लेखापरीक्षकों के दायित्व

लेखापरीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर राय देना हमारा दायित्व है। लेखापरीक्षा के लिए सिंगापुर मानकों के अनुरूप हमने लेखापरीक्षा की है। इन मानकों के लिए आवश्यक है कि हम नीतिपरक आवश्यकताओं का अनुपालन करें तथा लेखापरीक्षा की योजना बनाने के साथ–साथ इस प्रकार लेखापरीक्षा करें ताकि समुचित आश्वासन मिल सके कि वित्तीय विवरणों में किसी भी महत्वपूर्ण तथ्य को गलत रूप में प्रकट नहीं किया गया है।

लेखा परीक्षा में, वित्तीय विवरणों में दर्शाई गई राशियों तथा प्रकटनों से संबंधित साक्ष्य प्राप्त करने की प्रणाली शामिल है। चयनित प्रणाली लेखापरीक्षकों के निर्णय पर आधारित होती है जिसमें धोखेबाजी अथवा चूक के कारण वित्तीय विवरणों में भौतिक गलत तथ्यों के जोखिम का आकलन समाहित रहता है। इस प्रकार के जोखिमों का आकलन करते समय उचित लेखा परीक्षा प्रणाली अपनाने के लिए लेखापरीक्षक परिस्थितियों के अनुसार उचित तैयारी तथा उचित प्रस्तुतीकरण से संबंधित आंतरिक नियंत्रण पर विचार करते हैं। परन्तु इसका उद्देश्य लागू आंतरिक नियंत्रण के प्रभावीकरण पर अपनी राय देना नहीं होता है। प्रयुक्त लेखा नीतियों तथा प्रबंधतंत्र द्वारा बनाए गए लेखानुमानों की उपयुक्तता के आकलन के साथ–साथ वित्तीय विवरणों के समग्र प्रस्तुतीकरण का आकलन करना भी लेखापरीक्षा में शामिल है।

हमें विश्वास है कि हमारे द्वारा प्राप्त किए गए लेखापरीक्षा साक्ष्य हमारी लेखापरीक्षा राय के लिए पर्याप्त तथा उचित आधार हैं।

मत

हमारी राय में कंपनी के संलग्न वित्तीय विवरण सिंगापुर कंपनी अधिनियम तथा सिंगापुर वित्तीय रिपोर्टिंग मानकों के प्रावधानों के अनुरूप उचित रूप से तैयार किये गये हैं तथा 31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के परिणामों, इक्विटी में परिवर्तनों एवं रोकड़ प्रवाह की इसी तिथि को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए सत्य तथा सही स्थिति दर्शाते हैं।

अन्य विधिक तथा रेगुलेटरी आवश्यकताओं पर रिपोर्ट

हमारे मतानुसार लेखों तथा रिकार्ड रखने से संबंधित अधिनियम की अपेक्षाओं के अनुपालन करते हुए कंपनी द्वारा लेखों एवं रिकार्ड को अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप उचित प्रकार से रखा है।

प्राइस वाटर हाउस कूपर्स एलएलपी

पब्लिक एकाउंटेंट्स एण्ड सर्टिफाइड पब्लिक एकाउंटेंट्स

सिंगापुर, 23 अप्रैल, 2015

एमएमटीसी ट्रांसनेशनल पीटीई लिमिटेड

कम्प्रीहेंसिव आय विवरण

31 मार्च, 2015 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए

	टिप्पणी	2015 अमेरिकी डालर	2014 अमेरिकी डालर
माल की बिक्री		**248,019,455**	369,456,359
अन्य आय –नेट	3	**918,931**	2,372,421
शुद्ध मुद्रा विनिमय लाभ/(हानि)		**12,108**	(228)
व्यय			
- पुनः बिक्री के लिए की गई खरीद		**(247,002,626)**	(368,808,508)
- कर्मचारी मुआवजा	4	**(850,343)**	(720,191)
- मूल्यह्रास	11	**(40,825)**	(18,322)
- किराया व्यय–आपरेटिंग लीज		**(130,779)**	(287,903)
- बैंक प्रभार		**(97,189)**	(103,919)
- वित्तीय व्यय	5	**(285,966)**	(743,134)
- अन्य व्यय	6	**(403,296)**	(1,143,391)
कुल व्यय		**(248,811,024)**	(371,825,368)
आयकर पूर्व लाभ		**139,470**	3,184
आयकर (व्यय)/क्रेडिट	7	**(9,618)**	61,750
कर पश्चात लाभ तथा कुल कंप्रीहेंसिव आय		**129,852**	64,934

संलग्न नोट इन वित्तीय विवरणों का अभिन्न अंग है।

एमएमटीसी ट्रांसनेशनल पीटीई लिमिटेड

तुलन पत्र

31 मार्च, 2015 को

	टिप्पणी	2015 अमेरिकी डालर	2014 अमेरिकी डालर
परिसंपत्तियां			
चालू परिसंपत्तियां			
नकद एवं बैंक जमा	8	**15,601,440**	15,351,812
व्यापारिक एवं अन्य प्राप्य	9	**44,654,265**	16,704,224
अन्य चालू परिसंपत्तियां	10	**100,708**	148,642
इन्वेंट्रीज		**5,478**	5,478
		60,361,891	32,210,156
नॉन करेंट परिसंपत्तियां			
संपत्ति, संयंत्र व उपकरण	11	**15,740**	2,357
		15,740	2,357
कुल परिसंपत्तियां		**60,377,631**	32,212,513
देयताएं			
चालू देयताएं			
व्यापारिक एवं अन्य देयताएं	12	**37,622,328**	8,559,821
ऋण	13	**7,074,653**	8,097,055
चालू आयकर देयताएं	7	**37,135**	41,974
कुल देयताएं		**44,734,116**	16,698,850
निवल परिसंपत्तियां		**15,643,515**	15,513,663
इक्विटी			
शेयर पूंजी	15	**1,000,000**	1,000,000
रिटेंड लाभ		**14,643,515**	14,513,663
कुल शेयरधारक इक्विटी		**15,643,515**	15,513,663

संलग्न नोट इन वित्तीय विवरणों का अभिन्न अंग है।

एमएमटीसी ट्रांसनेशनल पीटीई लिमिटेड

इक्विटी में परिवर्तन का विवरण

31 मार्च 2015 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए

	शेयर पूंजी यूएस डालर	रिटेंड लाभ यूएस डालर	योग यूएस डालर
वर्ष 2015			
वित्तीय वर्ष के आरंभ में	1,000,000	14,513,663	15,513,663
कुल कम्प्रीहेंसिव आय	-	129,852	129,852
वित्त वर्ष के अंत में	**1,000,000**	**14,643,515**	**15,643,515**
वर्ष 2014			
वित्तीय वर्ष के आरंभ में	1,000,000	14,448,729	15,448,729
कुल कम्प्रीहेंसिव आय	-	64,934	64,934
वित्त वर्ष के अंत में	**1,000,000**	**14,513,663**	**15,513,663**

संलग्न नोट इन वित्तीय विवरणों का अभिन्न अंग है।

एमएमटीसी ट्रांसनेशनल पीटीई लिमिटेड

रोकड़ प्रवाह विवरण

31 मार्च 2015 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए

	टिप्पणी	2015 अमेरिकी डालर	2014 अमेरिकी डालर
प्रचालन कार्यकलापों से रोकड़ प्रवाह			
कर पश्चात लाभ		**129,852**	64,934
के लिए समायोजन			
आय कर(क्रेडिट)/व्यय		**9,618**	(61,750)
मूल्यह्रास		**40,825**	18,322
ब्याज आय		**(274,284)**	(323,339)
ब्याज व्यय		**285,966**	743,134
		191,977	441,301
कार्यशील पूंजी में परिवर्तन:			
व्यापारिक एवं अन्य प्राप्य		**(27,962,715)**	206,067
अन्य चालू परिसंपत्तियां		**47,934**	101,681
व्यापारिक एवं अन्य देय		**29,062,507**	4,268,825
प्रचालन कार्यकलापों से प्राप्त नकद		**1,339,703**	5,017,874
प्रदत्त आयकर		**(14,457)**	(246,553)
प्रचालन कार्यकलापों के द्वारा/ शुद्ध रोकड़		**1,325,246**	4,771,321
निवेश कार्यकलापों से रोकड़ प्रवाह			
संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरणों की खरीद		**(54,208)**	-
प्राप्त ब्याज		**286,958**	382,614
निवेश कार्यकलापों से उपलब्ध कराया गया शुद्ध रोकड़		**232,750**	382,614
वित्तीय कार्यकलापों से रोकड़ प्रवाह			
प्रदत्त लाभांश		**-**	(1,874,698)
प्रदत्त ब्याज		**(285,966)**	(743,134)
उधार से आमद		**7,074,653**	8,097,055
उधार की अदायगी		**(8,097,055)**	(11,642,884)
वित्तीय कार्यकलापों में उपलब्ध कराया गया (प्रयोग किया गया) शुद्ध रोकड़		**(1,308,368)**	(6,163,661)
रोकड़ तथा रोकड़ समकक्ष में शुद्ध वृद्धि/(कमी)		**249,628**	(1,009,726)
वित्त वर्ष के आरंभ में रोकड़ एवं रोकड़ समकक्ष		**15,351,812**	16,361,538
वित्त वर्ष के अंत में रोकड़ एवं रोकड़ समकक्ष	8	**15,601,440**	15,351,812

संलग्न नोट इन वित्तीय विवरणों का अभिन्न अंग है।

एमएमटीसी ट्रांसनेशनल पीटीई लिमिटेड

वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां

31 मार्च 2015 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए

ये टिप्पणियां वित्तीय विवरणों का अभिन्न अंग हैं तथा इन्हें संबंधित वित्तीय विवरणों के साथ पढ़ा जाए।

1. सामान्य सूचना

कंपनी सिंगापुर में निगमित तथा स्थापित है। कंपनी के पंजीकृत कार्यालय का पता हैः– 3 रैफल्स प्लेस, # 8–10 भारत बिल्डिंग, सिंगापुर – 048617

कंपनी मुख्यतः खनिजों, धातुओं, उर्वरकों, कृषि उत्पादों, कोल, गोल्ड एवं हाइड्रोकार्बन उत्पादों, आभूषण तथा अन्य कमोडिटीज का व्यापार करती है।

2. महत्वपूर्ण लेखा नीतियां

2.1 लेखे तैयार करने का आधार

वित्तीय विवरण सिंगापुर वित्तीय रिपोर्टिंग मानकों (''एफआरएस'') के अनुरूप तैयार किए गए हैं। वित्तीय विवरणों को ऐतिहासिक लागत प्रथाओं के अंतर्गत तैयार किया गया है सिवाय ऐसे मामलों के जिनका नीचे लेखा नीतियों में उल्लेख किया गया है।

एफआरएस के अनुरूप वित्तीय विवरण तैयार करते समय प्रबंध–तंत्र को कंपनी की लेखा नीतियों को लागू करने की प्रक्रिया में अपना निर्णय लेना होता है। इसके अतिरिक्त कुछ विशेष लेखानुमानों तथा अवधारणाओं का प्रयोग भी करना होता है। प्रबंधतंत्र ने मूल्यांकन किया है कि ऐसे किसी अनुमान अथवा निर्णय का प्रयोग नहीं किया गया है जिससे आगामी वित्तीय वर्ष के दौरान परिसंपत्तियों और देयताओं की राशियों के समायोजन के कारण कोई महत्वपूर्ण जोखिम हो।

वर्ष 2014 में लागू प्रकाशित मानकों की व्याख्या व संशोधन

1 अप्रैल 2014 को कंपनी ने नया अथवा संशोधित एफआरएस अपनाया है तथा एफआरएस (''आईएनटी एफआरएस'') की व्याख्या के अनुसार इन्हें उसी दिनांक से लागू करना अनिवार्य है। कंपनी की लेखा नीतियों में यथानुसार परिवर्तन किये गये हैं जो संबंधित एफआरएस तथा आईएनटी एफआरएस प्रावधानों के अनुरूप हैं।

इन नए अथवा संशोधित एफआरएस और आईएनटी एफआरएस को अपनाने से कंपनी की लेखा नीतियों में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं होता है और वर्तमान अथवा पूर्व वित्त वर्षों में रिपोर्ट की गई राशियों पर कोई विशेष प्रभाव नहीं डालते हैं।

2.2 राजस्व पहचान

सामान्यतः निगम के कार्यकलापों में माल की बिक्री से प्राप्त अथवा प्राप्त होने योग्य प्रतिफल का उचित मूल्य राजस्व में शामिल है। राजस्व को माल व सेवा कर, छूट व डिस्काउंट को घटाकर दर्शाया जाता है।

राजस्व की पहचान निम्नलिखित रूप से की गई है:

क) माल की बिक्री

माल की बिक्री से प्राप्त राजस्व की पहचान शिपमैंट शर्तों के अनुरूप उत्पादों की डिलीवरी करने के बाद की जाती है।

ख) ब्याज आय

ब्याज आय की पहचान प्रभावी ब्याज प्रणाली का प्रयोग करते हुए की जाती है।

2.3 मुद्रा परिवर्तन

इन वित्तीय विवरणों को यूएस डॉलर में प्रस्तुत किया गया है जो कि कंपनी के लेन देन की मुद्रा है।

युनाइटेड स्टेट्स डालर (''विदेशी मुद्रा'') के अतिरिक्त किसी अन्य मुद्रा में किए गए लेन–देन को लेन–देन की तिथि पर प्रचलित विनिमय दर का प्रयोग करते हुए यूएस डालर में परिवर्तित किया जाता है। इस प्रकार के लेन–देन के निपटान के लिए मुद्रा परिवर्तन के परिणामस्वरूप हुए अंतर को तथा विदेशी मुद्रा में दर्शाई गई मौद्रिक परिसम्पत्तियों एवं देयताओं को तुलन पत्र की तिथि को बंद हुई दर के अनुसार परिवर्तित करते हुए लाभ हानि में दर्शाया जाता है।

2.4 बैंक शेष

व्यापार तथा अन्य प्राप्य जमा

बैंक शेष तथा व्यापार व अन्य प्राप्यों और जमा की पहचान

आरंभिक तौर पर उचित मूल्य पर की जाती है तथा इसके बाद प्रभावी ब्याज प्रणाली का इस्तेमाल करते हुए उक्त की पहचान अमोर्टाइज्ड लागत में से यदि कोई संचित हानि हो तो उसे घटाकर की जाती है।

कंपनी प्रत्येक तुलन पत्र की तारीख को यह निर्धारण करती है कि क्या इन वित्तीय परिसंपत्तियों में हुई कमी का कोई उपयुक्त प्रमाण है तथा उचित प्रमाण होने की स्थिति में ही इस प्रकार की हानि को मान्यता दी जाती है। देनदारों के बारे में विशेष वित्तीय कठिनाइयां यह होती हैं कि देनदार अपने को दिवालिया घोषित न कर दे तथा भुगतान में डिफाल्ट अथवा अधिक देरी न कर दे। इन सब कारकों को वित्तीय परिसंपत्तियों में हुई हानि के उपयुक्त साक्ष्यों के रूप में माना जाता है।

इन परिसंपत्तियों की कैरिंग राशि में मूल्यह्रास का जो तरीका अपनाया जाता है वह है क्षति राशि की गणना कैरिंग राशि तथा भावी रोकड़ प्रवाह के वर्तमान अनुमानित मूल्य की अंतर राशि निकाल कर फिर उसमें से मूल प्रभावी ब्याज दर को डिस्काउंट करके किया जाता है।

इन परिसंपत्तियों को चालू परिसंपत्तियों के रूप में प्रस्तुत किया जाता है सिवाय उन परिसंपत्तियों के जो तुलन पत्र की तिथि से 12 महीनों के बाद मैच्युर हो रही हैं। इन परिसंपत्तियों को गैर चालू परिसंपत्तियों के रूप में दर्शाया जाता है।

2.5 आयकर

चालू आयकर की पहचान कर टैक्स अथार्टीज को संभावित देय अथवा प्राप्य राशियों के आधार पर की जाती है।

सभी अस्थायी अंतर राशि की पहचान आस्थगित आयकर के रुप में की जाती है। सिवाय ऐसे मामलों के जिनमें आस्थगित आयकर संपति की आरंभिक पहचान के समय बनता हो अथवा ऐसे लेनदेन के कारण देयता जो व्यवसाय में शामिल न हो तथा जो लेनदेन के समय न तो लेखों और न ही कर योग्य लाभ व हानि को प्रभावित करता हो।

चालू और आस्थगित आयकर की पहचान तुलनपत्र की तारीख को अधिनियमित अथवा बाद में अधिनियमित कर कानूनों के अधीन कर दरों पर की जाती है और लाभ व हानि में आय अथवा व्यय के रुप में पहचान की जाती है सिवाय ऐसे व्यापार कंबीनेशन अथवा कारोबार से उत्पन्न कर के जिनकी पहचान सीधे इक्विटी में की जाती है।

व्यापार कंबीनेशन से उत्पन्न होने वाले आस्थगित कर को गुडविल के अर्जित करने पर उसके विरुद्ध एडजेस्ट किया जाता है।

2.6 इन्वेंट्रीज

इंवेंट्रीज, जिसमें रीसेल के लिए रखा माल शामिल होता है, को न्यूनतम लागत तथा नेट प्राप्त होने योग्य मूल्य पर दर्शाया जाता है। लागत का निर्धारण विशिष्ट पहचान विधि के अनुसार किया जाता है। नेट वसूली योग्य मूल्य वह अनुमानित बिक्री मूल्य होता है जिसे सामान्यतः बिजनेस के दौरान माना जाता है तथा इस अनुमानित बिक्री मूल्य में से परिवर्तनीय बिक्री खर्चों को घटाया जाता है।

2.7 संपत्ति, प्लांट तथा उपकरण

संपत्ति, प्लांट तथा उपकरण की पहचान लागत के आधार पर की जाती है तथा इसके बाद संचित मूल्यह्रास व संचित हानि को घटाकर की जाती है।

संपत्ति, प्लांट तथा उपकरण से संबंधित बाद के खर्च जिसकी पहले ही पहचान कर ली गई है को परिसंपत्ति की कैरिंग राशि में केवल तब ही जोड़ा जाता है जब यह संभावना हो कि आइटम से जुड़े भावी आर्थिक लाभ कंपनी को प्राप्त होंगे तथा आइटम की लागत की गणना विश्वसनीय तौर पर की जा सकती है।

संपत्ति, प्लांट तथा उपकरण के मूल्यह्रास की गणना स्ट्रेट लाइन पद्धति के आधार पर की जाती है ताकि उनके उपयोग के संभावित 3 वर्षों के अंदर मूल्यह्रास किया जा सके।

संपत्ति, प्लांट तथा उपकरण के शेष मूल्य तथा उपयोग अवधि तरीके के अनुसार उपयुक्त समायोजन द्वारा प्रत्येक तुलनपत्र की तारीख को की जाती है। जब परिवर्तन आता है तो किसी संशोधन के प्रभाव को लाभ अथवा हानि में पहचान की जाती है।

संपत्ति, प्लांट व उपकरण के आइटम की बिक्री करने पर नेट बिक्री राशि तथा आइटम की कैरिंग राशि की अंतर राशि को लाभ अथवा हानि में दर्शाया जाता है।

2.8 गैर–वित्तीय परिसंपत्तियों में हानि

संपत्ति, प्लांट तथा उपकरण और सहायक कंपनियों में निवेश में हानि की समीक्षा उस स्थिति में की जाती है जब कभी ऐसा कोई संकेत हो कि इन परिसंपत्तियों में हानि हो सकती है।

यदि परिसंपत्ति की वसूली योग्य राशि इसकी कैरिंग राशि से कम आंकी जाती है तो परिसंपत्ति की कैरिंग राशि को घटाकर इसे वसूली योग्य राशि तक लाया जाता है। कैरिंग राशि तथा प्राप्ति योग्य राशि के अंतर को लाभ अथवा हानि में हानि के रूप में पहचाना जाता है।

किसी परिसंपत्ति की हानि को केवल उस स्थिति में रिवर्स किया जाता है यदि पिछले समय निर्धारित की गई हानि के समय से पसिंपत्ति की वसूली योग्य राशि का निर्धारण करने के लिए आकलन में परिवर्तन किया गया हो। परिसंपत्ति की कैरिंग राशि को इसकी संशोधित वसूली योग्य राशि तक बढ़ाया जाता है बशर्ते कि यह राशि कैरिंग राशि से अधिक न हो। यदि गत वर्षों में परिसंपत्तियों में किसी हानि का निर्धारण नहीं किया गया है उस स्थिति में कैरिंग राशि का (संचित मूल्यह्रास को घटाकर) निर्धारण किया जाता है। परिसंपत्ति में हुई हानि के रिवर्सल की पहचान लाभ अथवा हानि में की जाती है।

2.9 व्यापार तथा अन्य देय

व्यापार तथा अन्य देयों की प्रारंभिक गणना उचित मूल्य पर की जाती है तथा इसके बाद प्रभावी ब्याज प्रणाली का प्रयोग करते हुए अमोर्टाइज्ड लागत पर गणना की जाती है।

2.10 आपरेटिंग लीज भुगतान

आपरेटिंग लीज (पट्टाकर्ता से प्राप्त प्रोत्साहन का समायोजन कर) के अंतर्गत जो भुगतान किया जाता है उसे स्ट्रेट–लाइन के आधार पर पट्टे की अवधि तक लाभ अथवा हानि में लिया जाता है।

2.11 कर्मचारी मुआवजा

(क) परिभाषित अंशदान योजनाएं

परिभाषित अंशदान योजनाओं में कंपनी के अंशदान को उनके देय होने पर कर्मचारी मुआवजा खर्च के रूप में दर्शाया जाता है।

(ख) कर्मचारी छुट्टी पात्रता

कर्मचारी की वार्षिक छुट्टी की पात्रता की पहचान कार्मिकों द्वारा इसे अर्जित कर लेने पर की जाती है। तुलन–पत्र की तारीख को कार्मिक द्वारा की गई सेवा के परिणामस्वरूप जो वार्षिक छुट्टी अर्जित की जाती है उसके लिए अनुमानित देयता का प्रावधान किया जाता है।

2.12 रोकड़ एवं रोकड़ समतुल्य

रोकड़ एवं रोकड़ समतुल्य में कंपनी के पास उपलब्ध रोकड़ वित्तीय संस्थानों के पास सावधि जमा तथा बैंक ओवरड्राफ्ट शामिल हैं। तुलन पत्र में बैंक ओवरड्राफ्ट को उधार के तहत चालू देयताओं के रूप में दर्शाया जाता है।

2.13 उधार लागत

उधार लागत की पहचान प्रभावी ब्याज पद्धति का उपयोग करते हुए लाभ अथवा हानि के रूप में की जाती है।

2.14 वित्तीय परिसंपत्तियों व देयताओं का उचित मूल्य अनुमान

परिशोधित लागत पर चालू वित्तीय परिसंपत्तियों तथा देयताओं का उचित मूल्य उनकी कैरिंग राशि के लगभग होता है।

2.15 उधार

उधार की पहचान प्रारंभ में उचित मूल्य(लेन–देन लागत समायोजन के बाद) पर की जाती है और बाद में परिशोधित लागत पर की जाती है। यदि लेनदेन से प्राप्त राशि (लेनदेन लागत का समायोजन करके) तथा उनके रिडेमशन मूल्य में कोई अंतर रहता है तो इस उधार अवधि के लिए प्रभावी ब्याज प्रणाली का प्रयोग करते हुए उसे लाभ व हानि विवरण में दर्शाया जाता है।

3. अन्य आय–निवल

	2015 अमेरिकी डालर	2014 अमेरिकी डालर
ब्याज आय		
- अल्प अवधि बैंक जमा	**274,284**	323,339
- ग्राहक	**211,953**	849,934
	486,237	1,173,273
विविध आय	**173,195**	96,288
डेमरेज, डिस्पैच एव शार्टेजिज	**259,499**	1,102,860
	918,931	2,372,421

4. कार्मिक मुआवजा

	2015 अमेरिकी डालर	2014 अमेरिकी डालर
वेतन तथा भत्ते	**574,081**	505,383
परिभाषित अंशदायी योजनाएं जैसे केन्द्रीय भविष्य निधि में नियोक्ता का अंशदान	**56,293**	62,224
अन्य लाभ	**219,969**	152,584
	850,343	720,191

अन्य लाभों में कर्मचारियों को प्रदान किये गये आवासीय परिसर के लिए दिया गया किराया व्यय राशि शामिल है, जिसकी राशि यूएस डालर 90,310 (2014 यूएस डॉलर 103960) है।

5. वित्त व्यय

	2015 अमेरिकी डालर	2014 अमेरिकी डालर
ब्याज व्यय :		
- ट्रस्ट प्राप्तियां तथा बीजक वित्त प्रबंध	**67,127**	46,713
- डिस्काउंटिड बिल	**218,839**	696,421
	285,966	743,134

6. अन्य आय

	2015 अमेरिकी डालर	2014 अमेरिकी डालर
डेमरेज, डिस्पैच एवं शार्टेजिज	**244,779**	972,864
अन्य व्यय	**158,517**	170,527
	403,296	1,143,391

7. आयकर

(क) आयकर व्यय

	2015 अमेरिकी डालर	2014 अमेरिकी डालर
लाभ पर देय कर व्यय का निर्धारण निम्नानुसार किया जाता है:	**9,618**	17,923
वर्तमान आयकर पूर्व वित्तीय वर्षों में किए गए अधिक प्रावधान चालू आयकर	**-**	(79,673)
	9,618	(61,750)

दिनांक 1 अप्रैल 2000 से कम्पनी को ग्लोबल ट्रेडर प्रोग्राम (''जीटीपी'') का गौरव (स्टेट्स) प्राप्त था जिसे आगे 1 अप्रैल 2010 से बढ़ाकर 31 मार्च 2015 तक नवीकरण कर दिया गया। तथापि, इंटरनेशनल इंटरप्राइज (आईई') सिंगापुर द्वारा की गई कंपनी के चालू वित्तीय कार्य–निष्पादन समीक्षा के आधार पर कंपनी प्रोग्राम की आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाई तथा कंपनी ने स्वयं को इस प्रोग्राम से 1 अप्रैल 2014 से विदड्रा कर लिया था।

जीटीपी स्टेट्स के तहत कवर होने वाली आय पर रियायती दर पर 10 प्रतिशत की दर से कर लगता है। नॉन–क्वालीफाइंग आय पर आयकर की मानक दर 17 प्रतिशत (2014: 17 प्रतिशत) लागू होती है। वित्तीय वर्ष के लाभ पर आयकर खर्च, कर पूर्व लाभ पर सिंगापुर स्टैंडर्ड आयकर की दर से निर्धारित आयकर से भिन्न रहता है। इसके निम्नलिखित कारण हैं:

	2015 अमेरिकी डालर	2014 अमेरिकी डालर
आयकर पूर्व लाभ	**139,470**	3,184
17 प्रतिशत की दर से निर्धारित किया गया कर (2014:17 प्रतिशत)	**23,710**	541
उसका प्रभाव:		
सिंगापुर कानून से आयकर छूट में वृद्धि	**(14,398)**	(20,489)
निम्न कर दर के अधीन आय	**-**	24,677
कर के लिए न घटाने योग्य व्यय	**6,940**	33,182
कर के अयोग्य आय	**(6,634)**	(19,988)
	9,618	17,923

(ख) चालू आयकर देयताओं में उतार चढ़ाव

	2015 अमेरिकी डालर	2014 अमेरिकी डालर
वित्तीय वर्ष के आरंभ में	**41,974**	350,277
प्रदत्त आयकर	**(14,457)**	(246,553)
चालू वित्तीय वर्ष के लिए लाभ पर देय कर	**9,618**	17,923
पूर्व वित्तीय वर्षों में किए गए अधिक प्रावधान	**-**	(79,673)
वित्त वर्ष के अंत में	**37,135**	41,974

8. रोकड़ एवं बैंक जमा

	2015 अमेरिकी डालर	2014 अमेरिकी डालर
रोकड़ और बैंक शेष	**192,303**	324,812
बैंकों में सावधि जमा	**15,409,137**	15,027,000
	15,601,440	15,351,812

रोकड़ एवं बैंक जमा निम्नलिखित मुद्रा में वर्गीकृत किये जाते हैं:

	2015 अमेरिकी डालर	2014 अमेरिकी डालर
अमेरिकी डालर	**15,575,425**	15,305,122
सिंगापुर डालर	**26,015**	46,690
	15,601,440	15,351,812

तुलनपत्र की तिथि को सावधि जमा पर ब्याज दर 1.40 प्रतिशत से 1.75 प्रतिशत (2014: 1.36 प्रतिशत से 2.35 प्रतिशत) वार्षिक है जिनकी मैच्युर्टी तारीखें 9 महीने से 12 महीने (2014: 1.0 महीने से 10.9 महीने) है।

9. व्यापार एवं अन्य प्राप्य

	2015 अमेरिकी डालर	2014 अमेरिकी डालर
व्यापारिक प्राप्य:		
- थर्ड पार्टी	**986,555**	8,258,880
- होल्डिंग कारपोरेशन (नोट 14)	**43,515,132**	8,303,033
प्राप्य ब्याज	**123,237**	135,911
अन्य प्राप्य	**29,341**	6,400
	44,654,265	16,704,224

जमाओं का मूल्यांकन मुख्यतः सिंगापुर डालर में किया जाता है।

11. संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण

	लीजहोल्ड सुधार अमेरिकी डालर	फर्नीचर तथा फिटिंग्स अमेरिकी डालर	कम्प्यूटर उपकरण अमेरिकी डालर	कार्यालय उपकरण अमेरिकी डालर	कुल अमेरिकी डालर
2015					
लागत					
वित्त वर्ष के आरंभ में	71,910	40,537	45,534	21,503	179,484
परिवर्धन	49,484	-	2,502	2,222	54,208
वित्त वर्ष के अंत में	121,394	40,537	48,036	23,725	233,692
संचित मूल्यह्रास					
वित्त वर्ष के आरंभ में	71,910	40,243	43,568	21,406	177,127
मूल्यह्रास प्रभार	37,159	294	2,534	838	0,825
वित्त वर्ष के अंत में	109,069	40,537	46,102	22,244	217,952
निवल बुक वैल्यू					
वित्त वर्ष के अंत में	**12,325**	**-**	**1,934**	**1,481**	**15,740**

	लीजहोल्ड सुधार अमेरिकी डालर	फर्नीचर तथा फिटिंग्स अमेरिकी डालर	कम्प्यूटर उपकरण अमेरिकी डालर	कार्यालय उपकरण अमेरिकी डालर	कुल अमेरिकी डालर
2014					
लागत					
वित्त वर्ष के आरंभ में	71,910	40,537	45,534	21,503	179,484
परिवर्धन	-	-	-	-	-
वित्त वर्ष के अंत में	71,910	40,537	45,534	21,503	179,484
संचित मूल्यह्रास					
वित्त वर्ष के आरंभ में	59,920	39,950	39,455	19,480	158,805
मूल्यह्रास प्रभार	11,990	293	4,113	1,926	18,322
वित्त वर्ष के अंत में	71,910	40,243	43,568	21,406	177,127
नेट बुक वैल्यू					
वित्तीय वर्ष के अंत में	**-**	**294**	**1,966**	**97**	**2,357**

व्यापार एवं अन्य प्राप्यों के लिए निम्नलिखित मुद्राओं में मूल्यांकन किया गया है:

	2015 अमेरिकी डालर	2014 अमेरिकी डालर
अमेरिकी डालर	**44,651,225**	16,697,824
सिंगापुर डालर	**3,040**	6,400
	44,654,265	16,704,224

10. अन्य चालू परिसंपत्तियां

	2015 अमेरिकी डालर	2014 अमेरिकी डालर
जमा	**91,977**	99,406
पूर्व भुगतान	**8,731**	49,236
	100,708	148,642

12. व्यापार एवं अन्य देय

	2015 अमेरिकी डालर	2014 अमेरिकी डालर
व्यापारिक देय:		
- थर्ड पार्टी	**37,528,178**	506,963
- होल्डिंग कारपोरेशन	**26,301**	7,978,353
अक्रूड प्रचालन व्यय	**67,849**	74,505
	37,622,328	8,559,821

व्यापार एवं अन्य देय राशियों के लिए निम्नलिखित मुद्राओं में मूल्यांकन किया गया है:–

	2015 अमेरिकी डालर	2014 अमेरिकी डालर
अमेरिकी डालर	**37,543,640**	8,431,040
सिंगापुर डालर	**78,688**	93,306
अन्य	**-**	35,475
	37,622,328	8,559,821

13. उधार

	2015 अमेरिकी डालर	2014 अमेरिकी डालर
अल्पावधि ऋण	**7,074,653**	8,097,055

उधार की औसत परिपक्वता तुलन पत्र की तिथि से 16 दिन (2014: 15 दिन) है।

तुलन–पत्र की तिथि को उधार की ब्याज दर 0.85% (2014–1.01 प्रतिशत) है।

14. इमीडिएट तथा अल्टीमेट होल्डिंग कारपोरेशन

कंपनी की इमीडिएट तथा अल्टीमेट होल्डिंग कारपोरेशन एमएमटीसी लिमिटेड है, जो भारत में निगमित है।

15. शेयर पूंजी

कंपनी की शेयर पूंजी में पूर्णप्रदत्त, 1,461,502 (2014: 1,461,502) साधारण शेयर, जिसकी राशि अमेरिकी डालर 1,000,000 (2014: अमेरिकी डालर 1,000,000) है।

16. वचनबद्धताएं

(क) क्रय व विक्रय वचनबद्धताएं

तुलनपत्र की तिथि को माल के क्रय तथा विक्रय संबंधी संविदाओं के अधीन जिन बकाया वचनबद्धताओं की वित्तीय विवरणों में पहचान नहीं की गई है, उनका विवरण नीचे दिया गया है :

	2015 अमेरिकी डालर	2014 अमेरिकी डालर
क्रय वचनबद्धता	**9,065,253**	42,837,963
विक्रय वचनबद्धता	**9,074,230**	43,223,414

(ख) आपरेटिंग लीज वचनबद्धता

कंपनी निरस्त न करने योग्य आपरेटिंग लीज करार के अंतर्गत आवासीय एवं कार्यालय परिसर लीज पर लेती है। लीज में भिन्न–भिन्न शर्तें एवं नवीकरण के अधिकार होते हैं।

तुलन पत्र की तिथि को निरस्त न करने योग्य प्रचालन लीज के अंतर्गत भविष्य का न्यूनतम लीज भुगतान जिसे देयता नहीं माना गया है, निम्नलिखित रूप से होगा :

	2015 अमेरिकी डालर	2014 अमेरिकी डालर
एक वर्ष से उपर तक नहीं	**196,909**	85,002
एक वर्ष से ऊपर परंतु 5 वर्ष से अधिक नहीं	**161,570**	-
	358,479	85,002

17 संबंधित पार्टियों के साथ लेन–देन

वित्तीय विवरणों में अन्यत्र दी गई सूचना के अतिरिक्त कंपनी और संबंधित पार्टियों के बीच वित्तीय वर्ष के दौरान सहमत शर्तों पर निम्नलिखित संबंधित पार्टियों से लेन–देन किए गए:–

(क) माल एवं सेवाओं की बिक्री एवं खरीद

	2015 अमेरिकी डालर	2014 अमेरिकी डालर
होल्डिंग कारपोरेशन को बिक्री	**183,232,469**	202,947,867
होल्डिंग कारपोरेशन से खरीद	**47,256,240**	59,930,424

(ख) प्रमुख प्रबंधन कार्मिक मुआवजे निम्नानुसार है :

	2015 अमेरिकी डालर	2014 अमेरिकी डालर
वेतन एवं अन्य् अल्पावधि कर्मचारी लाभ	**382,467**	281,477
नियुक्ति के बाद लाभ परिभाषित अंशदायी योजनाओं में अंशदान	**9,351**	6,643
	391,818	288,120

दशाई गई उपरोक्त राशि वित्तीय वर्ष के दौरान निदेशकों को भुगतान की गई राशि है।

18 वित्तीय जोखिम प्रबंधन

वित्तीय जोखिम कारक

कंपनी के कार्यकलापों को बाजार जोखिम (मुद्रा जोखिम, ब्याज दर जोखिम तथा मूल्य जोखिम सहित), क्रेडिट जोखिम तथा लिक्विडिटी जोखिम का खतरा बना रहता है। कंपनी का कुल जोखिम प्रबंधन कार्यक्रम वित्तीय बाजार की अनिश्चितता पर केन्द्रित रहता है ताकि कंपनी के वित्तीय निष्पादन पर कम से कम प्रतिकूल प्रभाव पड़े।

निदेशक मंडल द्वारा स्वीकृत नीतियों के अंतर्गत जोखिम प्रबंधन को कार्यान्वित किया जाता है। निदेशक मंडल और होल्डिंग निगम संपूर्ण जोखिम प्रबंधन के साथ साथ विशिष्ट क्षेत्रों की नीतियों के बारे में भी दिशानिर्देश देते हैं।

(क) बाजार जोखिम

(i) विदेशी मुद्रा विनिमय दर जोखिम

कंपनी को विदेशी मुद्रा विनिमय दर जोखिम से किसी प्रकार का खतरा नहीं है क्योंकि मुख्य व्यापारिक लेन–देन विदेशी मुद्रा में नहीं किया गया है।

(ii) ब्याज दर जोखिम

ब्याज दर जोखिम मुख्य रूप से आयात व निर्यात के वित्त पोषण के अंतर्गत लघुकालीन ऋणों के संबंध में होता है। कंपनी बाजार ब्याज दरों को ध्यानपूर्वक मॉनीटर करती है ताकि अनुकूल ब्याज अर्जन सुनिश्चित किया जा सके। तुलनपत्र की तिथि को कंपनी का ब्याज दर जोखिम न्यूनतम है।

(iii) मूल्य जोखिम

कंपनी का वस्तुत मूल्य जोखिम नगण्य है क्योंकि इसके पास कोई महत्वपूर्ण वस्तुए वित्तीय दस्तावेज नहीं है।

(ख) उधार जोखिम

बैंक जमा राशियां न ही पूर्व से देय है और न ही उनमें कमी आई है बल्कि मुख्यतः ऐसी जमा राशियां है जो बैंकों के पास है जिनकी क्रेडिट रेटिंग्स उच्चतर होती है क्योंकि इसका निर्धारण इंटरनेशनल क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों द्वारा किया जाता है।

कंपनी का उधार जोखिम पर होल्डिंग कारपोरेशन से बकाया राशि को छोड़कर जिसका कंपनी के साथ वसूली का निरंतर अच्छा रिकार्ड रहा है और इसके अतिरिक्त कोई महत्वपूर्ण बल नहीं रहता है। कंपनी की नीतियां इस प्रकार की हैं कि वे ये सुनिश्चित करें कि माल की बिक्री उन ग्राहकों को ही की जाये जो आर्थिक रूप से सुदृढ़ हों तथा उनका उपयुक्त क्रेडिट इतिहास हो। तुलनपत्र की तारीख को ऐसी कोई संपत्तियां नहीं है जो पूर्व से देय हों अथवा उनमें कोई क्षति हुई हो।

(ग) द्रव्यता जोखिम

कंपनी नकदी तथा उपलब्ध फंडिंग के द्वारा द्रव्यता जोखिम का प्रबंध करती हैं जिसके लिए पर्याप्त धन राशि क्रेडिट सुविधा के लिए रखी जाती है जो परिचालन आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम होती है।

कंपनी की प्रमुख वित्तीय देयताओं में व्यापार तथा अन्य देय एवं उधार और उनकी संविदात्मक मैच्युरिटी एक वर्ष से कम हैं।

(घ) पूंजीगत जोखिम

पूंजी का प्रबंधन करते समय कंपनी का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना होता है कि कंपनी के पास उसकी पर्याप्त पूंजी उपलब्ध हो तथा आवश्यकतानुसार अतिरिक्त इक्विटी कैश एवं ऋण दस्तावेज जारी करके अधिकतम कैपिटल स्ट्रक्चर कायम रखा जा सके।

जैसाकि तुलनपत्र में दर्शाया गया है कंपनी शेयरहोल्डर की कुल इक्विटी के आधार पर पूंजी को मानीटर करती है।

कंपनी को किसी प्रकार की बाहरी पूंजी की आवश्यकता नहीं है।

19. नए अथवा संशोधित लेखा मानक और व्याख्या

दिनांक 1 अप्रैल 2015 से आरंभ कंपनी की लेखा अवधि के लिए कंपनी ने अनिवार्य नए लेखा मानकों, संशोधनों व व्याख्याओं को प्रकाशित किया है। कंपनी के अनुमान के अनुसार इन लेखा मानकों, संशोधनों को अपनाने से कंपनी के वित्तीय परिणाम विवरणों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

20. वित्तीय विवरणों का अथोराइजेशन

दिनांक 23 अप्रैल 2015 को एमएमटीसी ट्रांसनेशनल पीटीई लिमिटेड के निदेशक मंडल द्वारा पारित प्रस्ताव के अनुरूप इन वित्तीय विवरणों को जारी किए जाने के लिए प्राधिकृत किया गया था।

52वीं वार्षिक रिपोर्ट
2014-2015

समेकित वित्तीय विवरण

31 मार्च 2015 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

एमएमटीसी सदस्यगण

समेकित वित्तीय विवरणों पर रिपोर्ट

हमने एमएमटीसी लिमिटेड (जिसे आगे ''होल्डिंग कंपनी'' कहा जाएगा) तथा इसकी सहायक कंपनियां (होल्डिंग कंपनी एवं इसकी सहायक कंपनियों को जिन दोनों को मिलाकर ''ग्रुप'' कहा जाएगा) के संलग्न समेकित वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा की है। इस लेखा में ग्रुप में इसकी सहायक कंपनियां तथा संयुक्त रूप से नियंत्रित एन्टिटीज की लेखा परीक्षा शामिल है। इस लेखा परीक्षा में 31 मार्च 2015 की समेकित बैलेंश शीट लाभ/हानि का समेकित विवरण तथा समेकित रोकड़ प्रवाह विवरण तथा महत्वपूर्ण लेखा नीतियां तथा अन्य विवरणात्मक सूचना (जिसे कि समेकित वित्तीय विवरण कहा गया है) शामिल है।

समेकित एकल वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधतंत्र का दायित्व

कंपनी (लेखा) नियम 2014 के नियम 7 के साथ पठनीय अधिनियम की धारा 133 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट लेखा मानकों सहित ग्रुप जिसमें सहायक कंपनियां तथा संयुक्त रुप से नियंत्रित कंपनियां तथा भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखा नीतियां भी शामिल है की समेकित वित्तीय स्थिति, समेकित वित्तीय निष्पादन तथा समेकित रोकड़ प्रवाह के सही एवं वास्तविक रूप को दर्शाने वाले इन समेकित वित्तीय विवरणों को बनाने के संबंध में कंपनी अधिनियम 2013 (जिसे ''अधिनियम'' कहा जाएगा) की धारा 133 में वर्णित मामलों के लिए निगम का निदेशक मण्डल उत्तरदायी होगा। धोखों अथवा चूक के कारण अशुद्ध वर्णन से मुक्त सही एवं वास्तविक वित्तीय विवरणों को बनाने तथा प्रस्तुतीकरण के प्रासंगिक लेखा रिकार्डों की परिशुद्धता तथा सम्पूर्णता की सुनिश्चितता के लिए प्रभावी रूप से प्रचालित पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के डिजाईन तथा कार्यान्वयन एवं रखरखाव के साथ–साथ उचित बिक्री निर्णय एवं अनुमान बनाना, समुचित लेखा नीतियों का चयन एवं कार्यान्वयन, धोखे तथा अन्य अनियमतताओं की पहचान एवं बचाव के लिए तथा ग्रुप की परिसम्पतियों की सुरक्षा के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप पर्याप्त लेखा नीतियों का रख रखाव भी इस दायित्व में शामिल है जोकि होल्डिंग कंपनी के उपरोक्त निदेशक मण्डल जिसमें इसकी सहायक कंपनियां तथा संयुक्त रुप से नियंत्रित कंपनियों ने समेकित वित्तीय विवरणों को तैयार करने में प्रयोग किया है।

लेखा परीक्षकों का दायित्व

अपनी लेखा परीक्षा के आधार पर इन समेकित वित्तीय विवरणों पर राय देना हमारा दायित्व है। लेखा परीक्षा करते समय हमने अधिनियम के प्रावधानों तथा इसके अधीन बनाए गए नियमों के अंतर्गत लेखा परीक्षा रिपोर्ट में शामिल किए जाने के लिए आवश्यक लेखा एवं लेखा परीक्षा मानकों तथा मामलों को ध्यान में रखा है जोकि अधिनियम तथा उसके तहत बने नियमों के तहत आडिट रिपोर्ट में शामिल करने आवश्यक है।

अधिनियम की धारा 143(10) के अंतर्गत विनिर्दिष्ट लेखा परीक्षा मानकों के अनुरूप हमने लेखा परीक्षा की है। इन मानकों के लिए यह आवश्यक है कि हम नीतिपरक आवश्यकताओं का अनुपालन करें तथा यह आश्वासन प्राप्त करने के लिए योजना बनाएं तथा इसका निष्पादन करें कि समेकित वित्तीय विवरणो में कोई अशुद्ध वर्णन नहीं है ।

आडिट की मुख्य भूमिका समेकित वित्तीय विवरणों में राशि तथा प्रकटन के बारे में आडिट साक्ष्य प्राप्ति करने के लिए विभिन्न प्रकियाओं का पालन करना है। धोखे अथवा गलती से समेकित वित्तीय विवरणों के जोखिम के मूल्यांकन के साथ साथ चयनित प्रक्रियाएं लेखा परीक्षकों के निर्णय पर आधारित होती है। इन जोखिमों का मूल्यांकन करते समय लेखा परीक्षक उन आंतरिक वित्तीय निर्णयों पर विचार करते हैं जो कंपनी के समेकित वित्तीय विवरण बनाने के लिए प्रासंगिक हैं तथा जो उन परिस्थितियों में उचित आडिट प्रणालियां डिजाईन करने के लिए सही व वास्तविक रूप प्रस्तुत करते हैं। प्रयुक्त लेखा नीतियों की उपयुक्तता का मूल्यांकन तथा कंपनी के निदेशकों द्वारा बनाए गए एकाउंटिंग अनुमानों की तर्कसंगतता के साथ–साथ समेकित वित्तीय विवरणों के समग्र प्रस्तुतिकरण का आकलन करना भी लेखा परीक्षा में शामिल है।

हमें विश्वास है कि हमारे द्वारा प्राप्त किए गए आडिट साक्ष्य तथा नीचे दिए गए अन्य मामलों के पैराग्राफ तथा उप पैराग्राफ (ए) में संदर्भित अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा प्राप्त किए गए साक्ष्य पर्याप्त तथा उपयुक्त हैं जो समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारी लेखा परीक्षा राय को आधार प्रदान करते हैं ।

सीमित मत का आधार

होल्डिंग कंपनी के संयुक्त उद्यम (इंडियन कॉमोडिटी एक्सचेंज लिमिटेड) तथा एक एसोसिएट (दिवोना थर्मल पावर एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड) के मामले में हमने आडिट नहीं किया है, क्योंकि होल्डिंग कंपनी को आडिटिड वित्तीय विवरण प्राप्त नहीं हुए हैं। संबंधित संयुक्त उद्यम व एशोसिएटस की सूचना/वित्तीय सूचना को इन समेकित वित्तीय विवरणों में शामिल नहीं किया गया है। (नोट 24 (बी) का संदर्भ लें)

सीमित राय

हमने अपनी राय, सूचना तथा हमें उपलब्ध करवा गए स्पष्टीकरणों के अनुसार उपरोक्त सीमित राय का आधार अनुछेद में उल्लिखित मामले के प्रभावों के बिना दी है। उपरोक्त समेकित वित्तीय विवरण अधिनियम के अनुसार आवश्यक सूचना प्रस्तुत करते हैं तथा भारत में सामान्यतः स्वीकृत अकाउंटिग नीति के अनुसरण में एक सही व वास्तविक मत प्रस्तुत करते हुए उपरोक्त समेकित वित्तीय विवरण अधिनियम द्वारा अपेक्षित सूचनाएं इस रूप में देती हैं जो आवश्यक हैं तथा भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुरूप दिनांक 31 मार्च 2015 को ग्रुप तथा इसके एसोसिएट व संयुक्त रूप से नियंत्रित एंटिटीज के मामलों, इसके लाभ तथा उसी तिथि को समाप्त वर्ष के समेकित रोकड प्रवाह का सही तथा वास्तविक रूप दर्शाते हैं।

मामले पर बल

क) हम नीलाचल इस्पात निगम लिमिटेड (एनआईएनएल) एक संबद्ध कंपनी को दिए गए 8669.90 मिलियन रुपए (गत वर्ष 6490 मि. रू.) के असुरक्षित लघु अवधि ऋण के संबंध में समेकित वित्तीय विवरण के नोट संख्या 18(1) (ख) तथा 28 की ओर ध्यान दिलाते हैं। पिछले तीन साल से हो रही लगातार वित्तीय हानि तथा विश्लेषण की रिपोर्ट के अनुसार एनआईएनएल में भारी मात्रा में धन/पूंजी/नए सावधि ऋण की आवश्यकता है।

ख) अगस्त 2012 से राज्य सरकार के लिए आयातित खाद्य तेल के संबंध में 3732.90 मिलियन रुपये की राशि सब्सिडी के रुप में भारत सरकार से वसूली जानी है उस विषय में हम समेकित वित्तीय विवरण के नोट संख्या 7.5 की ओर ध्यान आकृष्ट करते हैं।

ग) हम समेकित वित्तीय विवरण नोट 30 की ओर ध्यान दिलाना चाहते हैं। कई मामलो में देनदारों/वसूले जाने वाले दावे/ऋण व अग्रिम/विविध लेनदारों/अन्य देयताओं की पुष्टि नहीं हो पायी है तथा ऐसी पुष्टि हो जाने पर मिलान/समायोजन, यदि कुछ है तो, का निर्धारण नहीं किया जा सकता।

घ) साफ्टवेयर में समस्या के कारण आरएमएस साफ्टवेयर सांची मदों की सही सूची नहीं दिखा रहा है ।

ङ) जी आर–1 फार्म के समय विस्तार न करने/ वेवर/ बट्टे खाते में डालने के मामलों में देयताओं, यदि कोई हो तो, का प्रावधान न किए जाने के संबंध में समेकित वित्तीय विवरणों के नोट संख्या 29 की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है ।

इस मामले में हमारी राय में परिवर्तन नहीं है ।

अन्य मामले

हमने एक सहायक कंपनी तथा पांच संयुक्त रूप से नियंत्रित एंटिटीज के वित्तीय विवरणों/सूचनाओं की लेखा परीक्षा नहीं की है। इनके वित्तीय विवरणों/वित्तीय सूचनाओं के अनुसार दिनांक 31 मार्च 2015 को 8120.99 मिलियन रुपये की कुल परिसंपतियां तथा उसी तिथि को समाप्त वर्ष के लिए 72564.08 मिलियन रुपये के कुल राजस्व में तथा इसी तिथि को 791.61 मिलियन रुपये की राशि का कैश–फ्लो दर्शाए गए हैं जिन्हें समेकित वित्तीय विवरणों में लिया गया है। समेकित वित्तीय विवरण में ग्रुप को 31 मार्च, 2015 मो समाप्त हुए वित्तीय वर्ष में हुई 1158.23 मिलियन रुपये की हानि भी शामिल है, जैसा कि समेकित वित्तीय विवरण में उल्लेख है, एक एसोसिएट के वित्तीय विवरण/वित्तीय सूचनाएं हमने आडिट नहीं की

है। ये वित्तीय/विवरण वित्तीय सूचनाएं दूसरे आडिटर ने की है जिनकी रिपोर्ट प्रबंधन ने हमें प्रस्तुत की है तथा इन समेकित वित्तीय विवरणों पर जहां तक इन सहायक कंपनी, संयुक्त रूप से नियंत्रित एन्टिटीज व एसोसिएटस का संबंध है, राशि तथा डिस्कलोजर के बारे में तथा अधिनियम की धारा 143 की उपधारा (3) तथा (11) की शर्तों में हमारी रिपोर्ट तथा हमारा मत, जहां तक इसका संबंध उपरोक्त सहायक कंपनियों, संयुक्त रूप से नियंत्रित एन्टिटीज तथा एशोसिएटस से है, मात्र दूसरे आडिटरों की रिपोर्ट पर आधारित है।

समेकित वित्तीय विवरण पर हमारा मत तथा जैसा नीचे उल्लेख किया जा रहा है, अन्य कानूनी तथा वैधानिक आवश्यकताओं पर हमारी रिपोर्ट में उपरोक्त मामलों के संबंध में जोकि दूसरे आडिटरों द्वारा किए गए काम तथा उसकी रिपोर्ट तथा प्रबंधन द्वारा सत्यापित वित्तीय विवरण/वित्तीय सूचना के आधार पर है हमने अपनी रिपोर्ट में बदलाव नहीं किया है।

अन्य विधिक तथा नियामक आवश्यकताएं

1. अधिनियम की धारा 143 की उप धारा (11) के अनुरूप भारत की केन्द्र सरकार द्वारा जारी कम्पनीज (लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट) आदेश, 2015 (''आदेश'') में यथा आवश्यक है, होल्डिंग कंपनी, सहायक कंपनी, एसोसिएट कंपनी तथा भारत में संयुक्त रूप से नियंत्रण कंपनी की लेखा परीक्षा रिपोर्ट में दी गई टिप्पणी के आधार पर आदेश के पैराग्राफ 3 तथा 4, जहां तक लागू है, में विनिर्दिष्ट मामलों पर अनुलग्नक 'क' में हम विवरण प्रस्तुत कर रहे हैं ।

2. जैसा कि अधिनियम की धारा 143(3) में आवश्यक है, हम सूचित करते हैं कि:–

क) हमने वे सभी सूचनाएं तथा स्पष्टीकरण मांगी तथा प्राप्त की हैं जो कि हमारे ज्ञान एवं विश्वास में हमारी लेखा परीक्षा के उद्देश्य से उपर्युक्त समेकित वित्तीय विवरण के लिए आवश्यक थीं।

ख) उपर्युक्त वर्णित सीमित मत के आधार को छोड़कर हमारे विचार से एवं जहां तक हमारी जांच द्वारा पाया गया है कि उपर्युक्त समेकित वित्तीय विवरण को तैयार करने हेतु वैधानिक आवश्यकतानुसार उचित लेखा बहियां बनाई गई हैं।

ग) ऊपर सीमित मत के तहत उल्लिखित मामलों को छोडकर होल्डिंग कंपनी तथा इसकी सहायक कंपनियों एवं भारत में निगमित संयुक्त रुप से नियंत्रित कंपनियों के शाखा कार्यालयों के लेखों की लेखा परीक्षकों द्वारा अधिनियम की धारा 143(8) के अंतर्गत लेखा परीक्षा रिपोर्ट हमें अन्य लेखा परीक्षकों को भेजी गई है तथा इस रिपोर्ट के बनाने में हमने इनका समुचित अनुपालन किया है।

घ) इस रिपोर्ट में दिए गए समेकित तुलन पत्र, समेकित लाभ व हानि विवरण तथा समेकित रोकड़ प्रवाह विवरण समेकित वित्तीय विवरण को तैयार करने के उद्देश्य से इस संबंध में बनाई गई खाता बहियों के अनुसार हैं।

ङ) हमारी राय में, उपरोक्त समेकित वित्तीय विवरण अधिनियम की धारा 133, कंपनीज (खाते) नियम 2014 के नियम 7 के साथ पठनीय, के अंतर्गत विनिर्दिष्ट लेखा मानकों का अनुपालन करते हैं ।

च) उपरोक्त सीमित मत का आधार अनुछेद में उल्लिखित मामले, हमारे विचार से, ग्रुप के काम पर प्रतिकूल प्रभाव डालेंगे।

छ) 31 मार्च 2015 को होल्डिंग कंपनी के निदेशकों से प्राप्त लिखित प्रतिवेदन के आधार पर होल्डिंग कंपनी के निदेशक मण्डल तथा सहायक कंपनी, एसोसिएटस कंपनी तथा भारत में निगमित संयुक्त नियंत्रण की कंपनी पर सांविधिक आडिटरों की रिपोर्ट द्वारा यह रिकार्ड में लिया गया कि अधिनियम की धारा 164(2) के अनुरूप निदेशक के रूप में नियुक्त होने के लिए दिनांक 31 मार्च 2015 को कोई भी निदेशक अधिनियम की धारा 164(2) की शर्तों में अयोग्य नहीं था।

ज) लेखे तैयार करने तथा दूसरे संबंधित मामलों की सीमित्ताएं, ''सीमित मत का आधार'' अनुछेद में दिए गए उल्लेख के अनुसार है।

झ) कम्पनीज (लेखा परीक्षा तथा लेखा परीक्षक) नियम 2014 के नियम 11 के अनुरूप लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में हमारी राय तथा हमारी सूचना तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार :–

i. उपरोक्त सीमित मत का आधार अनुछेद में उल्लेख किए गए मामलों के संभावित प्रभाव के अलावा, समेकित वित्तीय विवरण में ग्रुप तथा इसके एसोसिएट तथा संयुक्त रूप से नियंत्रित एन्टिटीज के लम्बित मुकदमों के ग्रुप की समेकित वित्तीय स्थिति पर प्रभाव को प्रकट करते हैं। नोट 18 (I) (सी)(पी) व (क्यू) देखें ।

ii. उपरोक्त सीमित मत का अधिकार अनुछेद में उल्लेख किए गए मामलों के संभावित प्रभाव के अलावा, सीमित वित्तीय विवरण में ग्रुप तथा इसके एसोसिएट तथा संयुक्त रूप से नियंत्रित एन्टिटीज डिराइवेटिव संविदा सभी दीर्घकालिक संविदाओं में वास्तविक हानि नहीं हैं।

iii. होल्डिंग कंपनी, इसकी सहायक कंपनी, एसोसिएट कंपनी तथा संयुक्त रूप से नियंत्रित भारत की एन्टिटीज द्वारा निवेशक शिक्षा तथा सुरक्षा निधि के आवश्यक रूप से ट्रांस्फर की जाने वाली कोई अपेक्षित राशि नहीं थी।

कृत्ते जैन कपिला एसोसिएट्स

चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
(फर्म पंजीकरण संख्या 000287 एन)

डी के कपिला
भागीदार
एम संख्या : 016905

स्थानः नई दिल्ली
तिथिः मई 21, 2015

अनुलग्नक – क

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

(समतिथि को हमारी रिपोर्ट के "अन्य विधिक एवं नियामक आवश्यकताओं" के खण्ड के अंतर्गत पैराग्राफ 1 के संदर्भ में)

i स्थायी परिसंपत्तियों के संबंध में :–

क) एमएमटीसी लिमिटेड द्वारा मात्रात्मक विवरणों तथा स्थायी परिसम्पत्तियों की स्थिति सहित सम्पूर्ण विवरण देते हुए उचित रिकार्ड् बनाए गए हैं ।

ख) स्थायी परिसम्पत्तियों के वास्तविक प्रावधानों के अनुसार सत्यापन के नियमित प्रोग्राम के अंतर्गत हमारी राय में पर्याप्त अंतराल पर सभी स्थायी परिसम्पत्तियों के वास्तविक सत्यापन किए गए हैं।

ii) इंवैंट्रीज के सबंध में :–

क) जैसा हमें स्पष्ट किया गया कि प्रबंधतंत्र द्वारा वर्ष के दौरान इन्वैंट्रीज का वास्तविक सत्यापन किया गया था।

ख) हमारी राय तथा हमें दी गई सूचनाओं एवं स्पष्टीकरणों के अनुसार प्रबंधतंत्र द्वारा इन्वेंट्रीज के वास्तविक सत्यापन के लिए अपनाई गई प्रक्रियाओं को एमएमटीसी लिमिटेड के आकार तथा इसकी व्यापारिक प्रकृति के अनुरूप मजबूत करने की आवश्यकता है।

ग) हमारी राय तथा हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरणों के अनुसार कंपनी ने अपनी इन्वेंट्रीज के उचित रिकार्ड बनाये हैं तथा वास्तविक सत्यापन पर भौतिक भिन्नता पाई गई है ।

iii) कंपनी ने, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 189 के तहत बनाए गए रजिस्टर के तहत आने वाली कंपनी को, असुरक्षित ऋण दिया है।

iv) हमारी राय तथा हमें दी गई सूचना/स्पष्टीकरणों के अनुसार मूल धन तथा ब्याज की प्राप्तियां नियमित नहीं हैं।

v) हमारी राय तथा हमें दी गई सूचना/स्पष्टीकरणों के अनुसार विलंबित राशि 0.1 मिलियन रुपये से अधिक की है। कंपनी ने इस राशि की वसूली करने के लिए उचित कदम उठाए हैं।

vi) हमारी राय तथा हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरणों के अनुसार इन्वैंट्री तथा स्थायी परिसंपत्तियों की खरीद तथा माल एवं सेवाओं की बिक्री के लिए निगम के आकार एवं इसकी व्यापारिक प्राकृति के अनुरूप पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण सिस्टम है। घरेलू बुलियन सौदों सहित निगम द्वारा की जा रही माल, इंवैंट्रीज तथा स्टॉक की खरीद एवं बिक्री के संबंध में इसे उस तरीके से और मजबूत बनाया जाए जिससे ईआरपी सिस्टम अर्थात सौदे की वास्तविक तिथि को अद्यतन बनाने में देरी से बचा जा सके। इसी प्रकार बीजक को मैन्युअल रूप से बनाने से भी बचा जाए।

इसके अतिरिक्त पूर्ववर्णित क्षेत्रों के साथ साथ निम्न लिखित क्षेत्रों में भी आंतरिक नियंत्रण प्रणाली को मजबूत बनाने की आवश्यकता है :–

क) ईआरपी तथा अन्य एकल इन्वैंट्री सिस्टम (आरएमएस) के बीच निगम द्वारा ट्रेड किए गए माल (विशेषकर बुलियन/खुदरा ट्रेड) का आवधिक मात्रात्मक मिलान।

ख) चूंकि यह देखा गया था कि कुछ भूल–चूक के कारण देनदारों/वसूली योग्य राशि/हानियों के प्रति निगम को बहुत अधिक प्रावधान करने पड़े थे इसलिए जब भी आवश्यक समझा जाये, व्यापार की बदलती आवश्यकताओं को देखते हुए जोखिम निर्धारण तथा जोखिम प्रबंधन की निरंतर समीक्षा/मजबूत/पुननिर्माण किया जाये।

ग) वैट रिटर्न के अनुसार बिक्री, खरीद, इनपुटस/आउटपुट्स की तुलना में वित्तीय रिकार्डों के अनुसार बिक्री एवं खरीद इनपुटस/आउटपुट्स वैट के संबंध में आवधिक मिलान किया जाये। वैट रिटर्न के अनुसार इनपुट/आउटपुट वैट।

vii हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरणों के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी आदेशों तथा धारा 73 से 76 के प्रावधानों अथवा कंपनी अधिनियम के किन्हीं अन्य प्रासंगिक प्रावधानों के अंतर्गत निगम ने कोई जमा राशि स्वीकार नहीं की हैं।

viii कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 148 की उप धारा (1)

के अंतर्गत भारत सरकार ने लागत रिकार्ड का रखरखाव निर्धारित नहीं किया है?

ix सांविधिक देय राशियों के संबंध में हमें दी गई सूचनाओं तथा स्पष्टीकरणों के अनुसारः–

क) समुचित प्राधिकरणों को भविष्य निधि निवेशक शिक्षा तथा सुरक्षा निधि कर्मचारी राज्य बीमा, आयकर, बिक्री कर, संपत्ति कर, सीमा शुल्क, आबकारी शुल्क, मूल्य संवर्धन कर, चुंगी तथा निगम पर लागू अन्य वास्ताविक अविवादित सांविधिक देयों को निगम ने नियमित रूप से जमा किया है।

ख) दिनांक 31 मार्च, 2015 को देय तिथि से छः माह अधिक की अवधि के लिए भविष्य निधि, निवेशक शिक्षा तथा सुरक्षा निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आयकर, बिक्री कर, संपत्ति कर, सेवा कर, सीमाशुल्क, आबकारी शुल्क, चुंगी तथा अन्य वास्तविक सांविधिक देयों की अविवादित बकाया राशि देय नहीं थी ।

राज्य का नाम	बकाया राशि का प्रकार	राशि इंडियन रूपए में	अवधि जिससे राशि संबंधित है।	भुगतान की तिथि
आर एण्ड डी सेस अधिनियम, 1986	सेस	6332169.00	वि/व 2012–13 वि/व 2013–14 वि/व 2014–15	लम्बित

ग) किसी विवाद के कारण यदि आय कर अथवा बिक्री कर अथवा संपत्ति कर अथवा सेवाकर अथवा सीमा शुल्क अथवा आबकारी शुल्क, मूल्य संवर्धन कर अथवा चुंगी के देयों का भुगतान नहीं किया गया है तो इसकी राशि तथा फोरम जहां से लम्बित है को उद्धृत किया जायेगा।

कंपनी के रिकार्ड के अनुसार विवादों के कारण जमा न किए गए आयकर, बिक्री कर, सीमा शुल्क , आबकारी शुल्क तथा चुंगी निम्नलिखित हैः–

चेन्नै क्षेत्रीय कार्यालय

संविधि का नाम	देय राशि की प्रकृति	राशि (रुपए में)	अवधि	विवाद जिस फोरम में विचाराधीन है
टीएनजीएसटी अधिनियम	बिक्री कर, पेनल्टी व ब्याज	8,63,114	1998-99	मद्रास उच्च न्यायालय
टीएनजीएसटी अधिनियम	बिक्री कर, पेनल्टी व ब्याज	4,43,416	2000-01	बिक्री कर अपील ट्रिब्यूनल
टीएनजीएसटी अधिनियम	बिक्री कर, पेनल्टी व ब्याज	11,52,785	1999-2000	मद्रास उच्च न्यायालय
टीएनजीएसटी अधिनियम	बिक्री कर, पेनल्टी व ब्याज	1,78,566	2001-02	सहायक आयुक्त (कमी.टैक्स) चेन्नै
टी एन वैट अधिनियम	वैट तथा दण्ड	3,55,08,765	2008-09	वाणिज्यिक कर अपील क संयुक्त आयुक्त, चेन्नै

मुम्बई क्षेत्रीय कार्यालय

संविधि का नाम	देय राशि की प्रकृति	राशि (रुपए में)	अवधि	विवाद जिस फोरम में विचाराधीन है
बीएसटी अधिनियम	बिक्री कर	3,08,644	1986-87	संयुक्त आयुक्त बिक्री कर
बीएसटी अधिनियम	बिक्री कर	14,96,06,778	1989-90	संयुक्त आयुक्त बिक्री कर
बीएसटी अधिनियम	बिक्री कर	23,30,46,478	1990-91	संयुक्त आयुक्त बिक्री कर
बीएसटी अधिनियम	बिक्री कर	28,98,738	1991-92	संयुक्त आयुक्त बिक्री कर
बीएसटी अधिनियम	बिक्री कर	45,03,961	2001-02	संयुक्त आयुक्त बिक्री कर
बीएसटी अधिनियम	बिक्री कर	1,42,13,373	2008-09	संयुक्त आयुक्त बिक्री कर
बीएसटी अधिनियम	बिक्री कर	51,81,978	2008-09	संयुक्त आयुक्त बिक्री कर

हैदराबाद क्षेत्रीय कार्यालय

संविधि का नाम	देय राशि की प्रकृति	राशि (रुपए में)	अवधि	विवाद जिस फोरम के पास लंबित है
एपीजीएसटी	बिक्री कर	1,49,770	1989-90	एसटीएटी
एपीजीएसटी	बिक्री कर	29,61,551	1990-91	एसटीएटी, विजाग
एपीजीएसटी	बिक्री कर	24,02,576	1991-92	एसटीएटी, विजाग
एपीजीएसटी	बिक्री कर	13,96,269	1992-93	एसटीएटी, विजाग
एपीजीएसटी	बिक्री कर	17,62,687	1992-93	एसटीएटी, विजाग
एपीजीएसटी	बिक्री कर	6,30,615	1993-94	एसटीएटी, विजाग
सीएसटी	केंद्रीय बिक्री कर	4,41,446	1993-94	एडीसी(सीटी)
सीएसटी	केंद्रीय बिक्री कर	2,04,481	1994-95	एसी (एलटीयू)
सीएसटी	केन्द्रीय बिक्री कर	5,97,266	1995-96	एडीसी(सीटी)
एपीजीएसटी	बिक्री कर	38,03,875	1995-96	एसटीएटी, विजाग
एपीजीएसटी	बिक्री कर	28,80,309	1995-96	एसटीएटी, विजाग
सीएसटी	केंद्रीय बिक्री कर	21,34,306	1996-97	एसटीएटी, विजाग
एपीजीएसटी	बिक्री कर	58,43,100	1997-98	एसटीएटी, विजाग
सीएसटी	केंद्रीय बिक्री कर	6,35,504	1997-98	एडीसी (सीटी)
एपीजीएसटी	बिक्री कर	55,65,147	1998-99	एसटीएटी, विजाग
एपीजीएसटी	बिक्री कर	39,04,454	1999-2000	एसटीएटी, विजाग
एपीजीएसटी	बिक्री कर	2,52,926	2000-2001	एसटीएटी, विजाग
एपीजीएसटी	बिक्री कर	2,12,176	2001-02	एसी (एलटीयू)
एपीजीएसटी	बिक्री कर	68,901	2002-03	एसी (एलटीयू)
एपीजीएसटी	बिक्री कर	34,856	2003-04	एसी (एलटीयू)
एपीजीएसटी	बिक्री कर	1,26,000	2004-05	एसी (एलटीयू)
वैट	वैट	6,76,058	2006-07	एसटीएटी
वैट	वैट	71,000	2007-08	एसी (एलटीयू)
वैट	वैट	5,00,000	2008-09	एसटीएटी, विजाग
वैट	वैट	11,90,100	2008-09	एसटीएटी, विजाग
केंद्रीय उत्पाद व सीमा	सीमा शुल्क	24,10,79,065	2008-09	आयुक्त सीमा एवं उत्पाद शुल्क

भुवनेश्वर क्षेत्रीय कार्यालय

संविधि का नाम	देय राशि की प्रकृति	राशि (रुपए में)	अवधि	विवाद जिस फोरम के पास लंबित है
उड़ीसा बिक्री कर	ब्याज दंड	26,50,388	1978-79	उड़ीसा उच्च न्यायालय
उड़ीसा बिक्री कर	उड़ीसा बिक्री कर	34,00,919	1978-79	उड़ीसा उच्च न्यायालय
उड़ीसा बिक्री कर	उड़ीसा बिक्री कर	1,70,046	1978-79	उड़ीसा उच्च न्यायालय
उड़ीसा बिक्री कर	ब्याज दंड	6,53,452	1979-80	उड़ीसा उच्च न्यायालय

संविधि का नाम	देय राशि की प्रकृति	राशि (रुपए में)	अवधि	विवाद जिस फोरम के पास लंबित है
उड़ीसा बिक्री कर	केन्द्रीय बिक्री कर	34,83,020	1982-83	उड़ीसा उच्च न्यायालय
उड़ीसा बिक्री कर	ब्याज	3,57,42,030	1978-79	उड़ीसा उच्च न्यायालय
उड़ीसा बिक्री कर	डीईपीबी	14,98,22,308	2006-09	अपर आयुक्त बिक्री कर उड़ीसा
उड़ीसा बिक्री कर	डीईपीबी	5,08,43,080	2010-12	अपर आयुक्त बिक्री कर उड़ीसा
ओवीएटी	2009–10 एवं 2010–11	14,28,18,841	2013-14	अपर आयुक्त बिक्री कर उड़ीसा
सीएसटी (ओडिसा)	2009–10 एवं 2010–11	58,07,05,822	2013-14	अपर आयुक्त बिक्री कर उड़ीसा
ईटी उड़ीसा	2009–10 एवं 2010–11	52,63,10,091	2013-14	अपर आयुक्त बिक्री कर उड़ीसा
केन्द्रीय उत्पाद एक्ट	सेवा कर	4,17,04,374	2003-05	सीमा, उत्पाद शुल्क व सेवा कर अपीलीय ट्रिब्युनल
केन्द्रीय उत्पाद एक्ट	सेवा कर	15,55,24,520	2003-07	सीमा, उत्पाद शुल्क व सेवा कर अपीलीय ट्रिब्युनल
केन्द्रीय उत्पाद एक्ट	सेवा कर	3,55,84,190	2007-08	सीमा, उत्पाद शुल्क व सेवा कर अपीलीय ट्रिब्युनल
केंद्रीय उत्पाद एक्ट	सेवा कर	7,60,64,279	2008-10	सीमा, उत्पाद शुल्क व सेवा कर अपीलीय ट्रिब्युनल
केंद्रीय उत्पाद एक्ट	सेवा कर	3,75,81,878	2010-11	आयुक्त, सीमा, उत्पाद व सेवा कर भुवनेश्वर
केंद्रीय उत्पाद एक्ट	सेवा कर	3,59,43,529	2011-12	आयुक्त, सीमा, उत्पाद व सेवा कर भुवनेश्वर
केंद्रीय उत्पाद एक्ट	सेवा कर	28,49,57,172	2009-12	आयुक्त, सीमा, उत्पाद व सेवा कर भुवनेश्वर
केंद्रीय उत्पाद एक्ट	सेवा कर	65,20,157	2009-11	आयुक्त, सीमा, उत्पाद व सेवा कर भुवनेश्वर
केंद्रीय उत्पाद एक्ट	सेवा कर	31,27,912	2012-13	आयुक्त, सीमा, उत्पाद व सेवा कर भुवनेश्वर
केंद्रीय उत्पाद एक्ट	सेवा कर	3,44,69,468	2012-13	आयुक्त, सीमा, उत्पाद व सेवा कर भुवनेश्वर

जयपुर क्षेत्रीय कार्यालय

संविधि का नाम	देय राशि की प्रकृति	राशि (रुपए में)	अवधि	विवाद जिस फोरम के पास लंबित है
आरएसटी अधिनियम	बिक्री कर	1,49,46,540/-	2003-04	राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर– विरोधस्वरूप 35,49,446/– रूपए जमा किए गए कर बोर्ड में बिक्री कर विभाग ने डीसी (अपील) के आदेश के विरूद्ध अपील की है

संविधि का नाम	देय राशि की प्रकृति	राशि (रुपए में)	अवधि	विवाद जिस फोरम के पास लंबित है
आरएसटी अधिनियम	बिक्री कर	26,07,605/-	1999-00	राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर– आरएसटी अधिनियम की धारा 84 के अंतर्गत 4767मी.टन डीएपी के मांग के प्रति कर बोर्ड में लंबित है ।
राज वैट अधिनियम	वैट	3,26,47,269/-	2010-11	बिक्रीकर विभाग की अपील के विरूद्ध राजस्थान कर बोर्ड ने एमएमटीसी लिमिटेड के पक्ष में निर्णय लिया ।
सीएसटी अधिनियम	सीएसटी	59,92,494/-	2010-11	बिक्रीकर विभाग की अपील के विरूद्ध राजस्थान कर बोर्ड ने एमएमटीसी लिमिटेड के पक्ष में निर्णय लिया ।
आरएसटी अधिनियम	वैट	18,01,941/-	2010-11	बिक्री कर विभाग को आवश्यक दस्तावेज जमा करवाए गए हैं। ए ओ के पास संशोधन लम्बित है ।
एसटी	टर्न ओवर कर	5,32,992/-	2003-04	उच्च न्यायालय कर बोर्ड आर्डर के प्रति उच्च न्यायालय मे बिक्री कर विभाग ने अपील फाइल की है ।

विजाग क्षेत्रीय कार्यालय

संविधि का नाम	देय राशि की प्रकृति	राशि (रुपए में)	अवधि	विवाद जिस फोरम के पास लंबित है
एपीजीएसटी अधिनियम	बिक्री कर	18,56,325	1968-69	एसटीएटी, हैदराबाद
एपीजीएसटी अधिनियम	बिक्री कर	26,39,647	1981-82	एडीसी, विज़ाग
एपीजीएसटी अधिनियम	बिक्री कर	6,88,552	1982-83	एडीसी, विज़ाग
एपीजीएसटी अधिनियम	बिक्री कर	17,66,784	1983-84	एडीसी, विजाग
एपीजीएसटी अधिनियम	बिक्री कर	30,00,436	1984-85	एडीसी, विजाग
एपीजीएसटी अधिनियम	बिक्री कर	25,05,806	1985-86	एसटीएटी, विजाग
एपीजीएसटी अधिनियम	बिक्री कर	2,70,83,841	1986-87	एसटीएटी, विजाग
एपीजीएसटी अधिनियम	बिक्री कर	36,45,076	1987-88	एडीसी
एपीजीएसटी अधिनियम	बिक्री कर	19,34,139	1991-92	एसीएलटीयू
एपीजीएसटी अधिनियम	बिक्री कर	4,79,000	1989-90	एसटीएटी
सीएसटी	बिक्री कर	8,41,695	1994-95	एसीएलटीयू
सीएसटी	बिक्री कर	48,62,340	1995-96	एसटीएटी, हैदराबाद
सीएसटी	बिक्री कर	33,58,889	1996-97	एसटीएटी, हैदराबाद
एपीजीएसटी अधिनियम	बिक्री कर	25,27,960	1997-98	एसटीएटी, हैदराबाद
सीएसटी	बिक्री कर	104,614	2007-08	एडीसी
केंद्रीय उत्पाद व सीमा कर	सेवा कर	12,65,26,554	2003 -06	एसटीएटी, बंगलोर

कोलकाता क्षेत्रीय कार्यालय

संविधि का नाम	देय राशि की प्रकृति	राशि (रुपए में)	अवधि	विवाद जिस फोरम के पास लंबित है
सीएसटी अधिनियम 1956	केंद्रीय बिक्री कर	11,30,858	2005-06	अपीलीय बोर्ड
सीएसटी अधिनियम 1956	केंद्रीय बिक्री कर	77,60,971	2006-07	अपीलीय बोर्ड

कारपोरेट कार्यालय

संविधि का नाम	देय राशि की प्रकृति	राशि (रुपए में)	अवधि	विवाद जिस फोरम के पास लंबित है
आयकर अधिनियम	आय कर	5 61 821	1993-94	एओ
आयकर अधिनियम	आय कर	54 81 338	1996-97	सीआईटी(ए)/आईटीएटी
आयकर अधिनियम	आय कर	1 02 93 042	1993-94	एओ
आयकर अधिनियम	आय कर	2 60 66 476	1999-00	आईटीएटी
आयकर अधिनियम	आय कर	1 84 63 021	2000-01	आईटीएटी
आयकर अधिनियम	आय कर	1 17 65 008	2001-02	सीआईटी(ए)/आईटीएटी/हाई कोर्ट
आयकर अधिनियम	आय कर	73 04 915	2002-03	आईटीएटी
आयकर अधिनियम	आय कर	11 16 907	2003-04	एओ
आयकर अधिनियम	आय कर	4 19 85 746	2004-05	आईटीएटी
आयकर अधिनियम	आय कर	6 94 85 393	2005-06	एओ
आयकर अधिनियम	आय कर	73 50 191	2007-08	सीआईटी(ए)/आईटीएटी
आयकर अधिनियम	आय कर	2 79 66 209	2008-09	एओ
आयकर अधिनियम	आय कर	10 64 92 947	2009-10	सीआईटी(ए)
आयकर अधिनियम	आय कर	3 93 72 128	2010-11	सीआईटी(ए)
आयकर अधिनियम	आय कर	10 17 50 890	2011-12	सीआईटी(ए)

आयकर मामलों के संबंध में जमा की गई राशि – 3,73705142/–

दिल्ली क्षेत्रीय कार्यालय

संविधि का नाम	देय राशि की प्रकृति	राशि (रुपए में)	अवधि	विवाद जिस फोरम के पास लंबित है
दिल्ली वैट	सीएसटी/एलएसटी/ब्याज/जुर्माना (स्वर्ण संस्मारक मेडालियन)	3745290	2002-03	आयुक्त डीवैट
दिल्ली वैट	एलएसटी	1165303	1984-85	डीसी अपील
दिल्ली वैट	एलएसटी/सीएसटी	65732207	1986-87	अपर आयुक्त
दिल्ली वैट	एलएसटी/सीएसटी	43186549	1987-88	अपर आयुक्त
दिल्ली वैट	एलएसटी/सीएसटी	40296672	1988-89	अपर आयुक्त
दिल्ली वैट	एलएसटी	6187340	1989-90	अपर आयुक्त

संविधि का नाम	देय राशि की प्रकृति	राशि (रुपए में)	अवधि	विवाद जिस फोरम के पास लंबित है
दिल्ली वैट	एलएसटी	2223198	1990-91	अपर आयुक्त
यू पी वैट	एलएसटी/सीएसटी	617588	1990-91	मुरादाबाद, इलाहबाद, उच्च न्यायालय
यू पी वैट	एलएसटी	470578	1991-92	मुरादाबाद,इलाहबाद, उच्च न्यायालय
यू पी वैट	एलएसटी	195000	1994-95	बिक्री कर अधिकारी, मुरादाबाद
यू पी वैट	एलएसटी	185100	1993-94	मुरादाबाद, इलाहबाद, उच्च न्यायालय
यू पी वैट	एलएसटी	1635160	1987-88	कानपुर, संयुक्त
यू पी वैट	वैट	921383	1993-94	आयुक्त, यूपी वैट
यू पी वैट	वैट	1223616	1996-97	आयुक्त, यूपी वैट
यू पी वैट	वैट फार्म 3 बी (स्वर्ण) व फाम 3सी1 के (मेंथा ऑयल) जमा न करने के लिए ब्याज	249828	2007-08	आयुक्त, यूपी वैट
हरियाणा वैट	एलएसटी	424587	1992-93	फरीदाबाद, पंजाब तथा हरियाणा उच्च न्यायालय, चंडीगढ़
मध्य प्रदेश वैट	एलएसटी	150004	1999-00	बिक्री कर अधिकारी इंदौर
मध्य प्रदेश वैट	एलएसटी	4730692	1998-99	निर्धारण अधिकारी इंदौर
सीमा शुल्क व केन्द्रीय उत्पाद	सीमा शुल्क तथा एसोसिएट्स द्वारा लिए गए स्वर्णाभूषणों का निर्यात न करने पर ब्याज	27267919	1999-2000	माननीय उच्चतम न्यायालय के निदेशानुसार माननीय उच्च न्यायलय के समक्ष लंबित
सीमा शुल्क व केन्द्रीय उत्पाद	सीमा शुल्क	20000000	2006-07	उपायुक्त कस्टम
सीमा शुल्क व केन्द्रीय उत्पाद	सीमा शुल्क	15050000	2007-08	उपायुक्त कस्टम
सीमा शुल्क व केन्द्रीय उत्पाद	सीमा शुल्क	6180000	2008-09	उपायुक्त कस्टम
सीमा शुल्क व केन्द्रीय उत्पाद	सीमा शुल्क	6180000	2009-10	उपायुक्त कस्टम
सीमा शुल्क व केन्द्रीय उत्पाद	एक्साईज डयूटी	910439	2010-11	केंद्रीय उत्पाद
सीमा शुल्क व केन्द्रीय उत्पाद	एक्साईज डयूटी	95676890	2011-12	केंद्रीय उत्पाद

एमएमटीसी– पैम्प इण्डिया प्रा. लिमिटेड

संविधि का नाम	लेनदारी का प्रकार	राशि (रुपए में)	अवधि जिससे राशि संबंधि है	विवाद किस फार्म के पास लंबित है
आयकर अधिनियम, 1961	अस्वीकृत खर्चे	816360.00	वि/व 2010–11	आयकर आयुक्त (अपील)

(घ) हमें दी गई सूचना/स्पष्टीकरणों के अनुसार कंपनी अधिनियम 1956 के प्रासंगिक प्रावधानों के अनुरूप निवेशक शिक्षा तथा सुरक्षा निधि में कोई राशि अंतरित करनी आवश्यक नहीं थी ।

x. 31 मार्च 2015 को निगम के वित्तीय विवरणों में कोई संचित हानियां नहीं दर्शाई गई हैं। हमारी लेखा परीक्षा में कवर किए गए वित्तीय वर्ष तथा इससे तुरंत पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान निगम को कोई रोकड़ हानि नहीं हुई है ।

xi. हमारी राय में तथा हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरणों के अनुसार वित्तीय संस्थानों, बैंकों तथा डिबेंचर घटकों को देय राशि के पुर्नभुगतान में निगम ने कोई चूक नहीं की है।

xii. हमें दी गई सूचनाओं/स्पष्टीकरणों के अनुसार बैंकों तथा वित्तीय संस्थानों से अन्य द्वारा लिए गए ऋण के प्रति निगम ने ऐसी कोई गारंटी नहीं दी है जो निगम के लिए हानिकारक हो ।

xiii. हमारी राय में तथा हमें दी गई सूचनाओं एवं स्पष्टीकरणों के अनुसार वर्ष के दौरान निगम ने कोई अवधि (टर्म) ऋण नहीं लिया है ।

xiv. भारत के सामान्यतः स्वीकृत लेखा परीक्षा की प्रेक्टिस तथा हमें दी गई सूचना तथा स्पष्टीकरण के अनुरूप निगम की बहियों तथा रिकार्ड की हमारी जांच में वर्ष के दौरान निगम पर/द्वारा कोई धोखेबाजी नहीं पाई गई है ।

जैन कपिला एसोसिएट्स
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स

(फर्म पंजीकरण संख्या 000287 एन)

डी के कपिला

भागीदार

एम संख्या 016905

स्थान : नई दिल्ली
तिथि : मई 21, 2015

वर्ष 2014–15 के समेकित वित्तीय विवरणों की आडिट रिपोर्ट में लेखा परीक्षकों द्वारा की गई टिप्पणियों के संबंध में प्रबंधतंत्र का उत्तर

	लेखा परीक्षकों की टिप्पणी	प्रबंधतंत्र का उत्तर
1.	**क्वालीफाइड मत का आधार** होल्डिंग कंपनी के संयुक्त उद्यम (इंडियन कमोडिटी एक्सचेंज लिमिटेड) तथा एक एशोसिएट (देवोना थर्मल पावर एंड इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड) के लेखों की हमने लेखा परीक्षा नहीं की है क्योंकि होल्डिंग कंपनी को संबंधित संयुक्त उद्यम तथा एसोशिएट के आडिटिड वित्तीय विवरण/सूचना प्राप्त नहीं हुई थी जिसके कारण इनके वित्तीय विवरणों/सूचना को इन वित्तीय विवरणों में विचार में नहीं लिया गया है। (संदर्भ नोट संख्या 22)।	क्योंकि उक्त संयुक्त उद्यम तथा एसोशिएट के आडिटिड वित्तीय विवरण/सूचना प्राप्ति नहीं हुई थी अतः इन्हें वित्तीय विवरणों में शामिल नहीं किया गया। इस तथ्य का उल्लेख पर्याप्त रूप से वित्तीय विवरणों में किया गया है।
2	**मामले पर बल**	
ए	हम वित्तीय विवरणों के 18 (1) (बी) तथा 28 जो एसोशिएट नीलाचल इस्पात निगम लिमिटेड (एनआईएनएल) को 8669.90 मिलियन रूपये (पिछले वर्ष 6490.00 मिलियन रूपये) को अल्पावधि का असुरक्षित लोन की सुविधा दिए जाने से संबंधित है। चूंकि यह एसोशिएट कंपनी पिछले तीन वर्षों से लगातार घाटे में चल रही है तथा विशलेषक की रिपोर्ट के अनुसार एनआईएनएल को भारी फंड/पूंजी/नए लोन की आवश्यकता है।	स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के संबंध में की गई टिप्पणी का उत्तर देखें।
बी.	हम वित्तीय विवरणों के नोट 7.5 जो भारत सरकार से 3732.90 मिलियन रूपए की सब्सिडी राशि वसूल किए जाने से संबंधित है की ओर ध्यान आकृष्ट करते हैं। यह सब्सिडी राशि अगस्त 2012 से राज्य सरकारों के लिए खादय तेल का आयात करने से संबंधित है।	स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के संबंध में की गई टिप्पणी का उत्तर देखें।
सी.	हम वित्तीय विवरणों के नोट 30 जो विविध देनदारों/वसूली योग्य दावों/ऋण व अग्रिम/विविध लेनदारों/अन्य देयताओं से संबंधित है की ओर ध्यान आकृष्ट करते हैं। कई मामलों में पुष्टि नहीं की गई है तथा पुष्टि के बाद किसी मिलान/समायोजन की आवश्यकता होगी इसका पता नहीं चलता है।	स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के संबंध में की गई टिप्पणी का उत्तर देखें।

	लेखा परीक्षकों की टिप्पणी	प्रबंधतंत्र का उत्तर
डी	पैकेज में समस्याएं आने के कारण सांची आइटमों की सही इन्वेंनटरी आरएमएस साफ्टवेयर में रिफ्लेक्ट नहीं होती है।	स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के संबंध में की गई टिप्पणी का उत्तर देखें।
ई	हम समेकित वित्तीय विवरणों के नोट 29 की ओर ध्यान आकृष्ट करते हैं। जो समय विस्तार न करने/वेवर/जीआर –। फार्मों के राइट ऑफ करने के लिए है।	स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के संबंध में की गई टिप्पणी का उत्तर देखें।
	स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट का अनुलग्नक	
	मुख्य आडिट रिपोर्ट के अनुलग्नक का पैरा– vi माल की खरीद व बिक्री, इन्वेंट्रीज तथा स्टॉक्स बुलियन लेन–देन सहित के मामले में प्रक्रिया को और मजबूत किए जाने की आवश्यकता है। इसे इस प्रकार से बनाया जाए कि ईआरपी सिस्टम तथा लेन–देन की वास्तविक तारीख का अपडेशन अविलंब हो सके साथ ही इन्वायसेस का मैनुअल जनरेशन की आवश्यकता न पड़े । इसके अलावा आंतरिक मैकेनिज्म को और मजबूत बनाने की आवश्यकता है। साथ ही इससे पूर्व बताए गए क्षेत्रों के अतिरिक्त निम्नलिखित क्षेत्रों को सुदृढ़ करने की आवश्यकता है।	स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के संबंध में की गई टिप्पणी का उत्तर देखें।
ए.	कंपनी द्वारा किए गए व्यापार के माल की (विशेषकर बुलियन/रिटेल ट्रेड) ईआरपी एवं अन्यं स्टेंडअलोन इन्वेंट्री सिस्टम (आरएमएस) का आवधिक आधार पर मात्रा का मिलान किया जाए।	स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के संबंध में की गई टिप्पणी का उत्तर देखें।
बी.	व्यापार की बदलती आवश्यकताओं के अनुसार जब भी आवश्यक हो जोखिम मूल्यांकन एवं जोखिम प्रबंधन की लगातार समीक्षा/सुदृढ़ बनाने/पुनर्निर्माण करने की ओर उचित कदम उठाए जाएं, क्योंकि ये पाया गया है कि किसी भी प्रकार की भूल–चूक के कारण कंपनी को देनदारों/वसूली योग्य नुकसान के लिए बहुत ज्यादा प्रावधान करना पड़ता है।	स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के संबंध में की गई टिप्पणी का उत्तर देखें।
सी	बिक्री एवं खरीद के संबंध में इनपुट/आउटपुट वैट का वित्तीय रिकार्डों के साथ–साथ वैट रिटर्नस के अनुसार बिक्री, खरीद, इनपुट/आउटपुट वैट का आवधिक मिलान किया जाए।	स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के संबंध में की गई टिप्पणी का उत्तर देखें।

31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित तुलन पत्र

(रुपए मिलियन में)

	अनुसूची सं.	31.03.2015		31.03.2014	
इक्विटी व देयताएं					
शेयर धारकों की निधियां	3				
शेयर पूंजी	3.1	**1000.00**		1000.00	
रिजर्व एवं अधिशेष	3.2	**12643.09**	**13643.09**	13501.83	14501.83
अल्पसंख्यक हित			**-**		-
गैर चालू देयताएं	4				
दीर्घावधि ऋण	4.1	**501.72**		929.87	
अन्य दीर्घावधि देयताएं	4.2	**339.23**		166.65	
दीर्घावधि प्रावधान	4.3	**1774.17**	**2615.12**	1826.64	2923.16
चालू देयताएं	5				
अल्प अवधि ऋण	5.1	**3862.85**		4649.28	
भुगतान योग्य व्यापार	5.2	**33017.74**		15053.22	
अन्य चालू देयताएं	5.3	**8689.28**		12177.90	
अल्प अवधि प्रावधान	5.4	**1173.55**	**46743.42**	1270.97	33151.37
योग			**63001.63**		**50576.36**
परिसंपत्तियां					
गैर चालू परिसंपत्तियां	6				
अचल परिसंपत्तियां	6.1				
मूर्त परिसंपत्तियां	6.1.1	**1169.47**		1369.69	
अमूर्त परिसंपत्तियां	6.1.2	**50.55**		91.28	
पूंजीगत कार्य प्रगति पर	6.1.3	**1534.60**		1418.61	
गैर चालू निवेश	6.2	**2625.72**		3761.08	
आस्थगित कर परिसंपत्तियां(निवल)	6.3	**2233.31**		2214.07	
दीर्घावधि ऋण व अग्रिम	6.4	**907.08**		737.68	
अन्य गैर चालू परिसंपत्तियां	6.5	**12.49**	**8533.22**	18.72	9611.13
चालू परिसंपत्तियां	7				
वर्तमान निवेश	7.1	**128.81**		560.45	
इन्वैंट्रीज	7.2	**3338.22**		3168.36	
व्यापार प्राप्य	7.3	**30436.35**		17424.86	
रोकड़ व बैंक शेष	7.4	**4181.49**		6458.79	
अल्पावधि ऋण व अग्रिम	7.5	**13179.75**		7267.72	
अन्य चालू परिसंपत्तियां	7.6	**3203.79**	**54468.41**	6085.05	40965.23
योग			**63001.63**		**50576.36**
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां	2				
संलग्न टिप्पणियां वित्तीय विवरण का अभिन्न अंग हैं।					

हमारी समदिनांकित संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते जैन कपिला एसोशिएटस
(चार्टर्ड एकाउंटेंटस)
एफ आर सं 000287एन

कृते निदेशक मंडल की ओर से

(सीए डी के कपिला)
पार्टनर
एम नं. 016905

(जी आनंदनारायणन)
सहायक कंपनी सचिव

(विजय पाल)
मुख्य महाप्रबंधक(वि. व ले.)

(एम जी गुप्ता)
निदेशक(वित्त)
डीआईएन 02200405

(राजीव जयदेव)
निदेशक
डीआईएन 3368001

(वेद प्रकाश)
अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक
डीआईएन 02988628

दिनांक : 21.05.2015
स्थान : नई दिल्ली

31 मार्च 2015 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए समेकित लाभ व हानि लेखा का विवरण

(रुपए मिलियन में)

	अनुसूची सं.	31.03.2015 को समाप्त वर्ष		31.03.2014 को समाप्त वर्ष	
आय					
प्रचालनों से राजस्व	8	**239316.42**		281422.55	
अन्य आय	9	**1449.06**	**240765.48**	**2399.66**	283822.21
कुल राजस्व			**240765.48**		283822.21
व्यय					
उपभोग की गई सामग्री की लागत	10	**1222.05**		1613.10	
स्टॉक इन ट्रेड का क्रय	11	**225268.38**		249552.80	
तैयार माल, प्रगतिशील कार्य तथा स्टाक इन ट्रेड की इन्वेंट्रीज में परिवर्तन	12	**(340.99)**		5 ,773.45	
कार्मिक लाभों पर व्यय	13	**2020.96**		1996.82	
वित लागत	14	**391.01**		859.31	
मूल्यह्रास तथा परिशोधन व्यय		**237.29**		173.22	
अन्य व्यय	15	**11147.85**	**239946.54**	21087.65	281056.35
कुल व्यय			239946.54		281056.35
विशिष्ट, असाधारण मदों व कर पूर्व लाभ			**818.94**		2,765.86
विशिष्ट मदें	16		**(230.56)**		(10.53)
असाधारण मदों व कर पूर्व लाभ			**1,049.49**		2776.39
असाधारण मदें	17		**0.00**		2104.42
कर पूर्व लाभ			**1,049.49**		671.97
कर व्यय					
चालू कर					
कराधान के लिए प्रावधान		**154.59**		753.32	
पूर्व वर्षो में		**(17.01)**		8.42	
आस्थगित कर		**(17.41)**		(807.32)	
संयुक्त उद्यमों में हित की हिस्सोदारी		**152.03**	**272.20**	122.46	76.88
एसोशिएटस की हिस्सेदारी से पूर्व वर्ष के लिए लाभ			**777.29**		595.09
एसोशिएटस से लाभ की हिस्सेदारी से ब्याज					
एसोशिएटस से लाभ की हिस्सेहदारी		**(1,158.23)**		(732.84)	
घटाएं : गुडविल अमोर्टाइज्ड (एसोशिएटस)		**43.83**	**(1,202.07)**	43.83	(776.67)
एसोशिएटस की हिस्सेदारी के पश्चात वर्ष के लिए शुद्ध लाभ			**(424.78)**		(181.58)
1 रुपये मात्र मूल्य के प्रत्येक इक्विटी शेयर पर आय		**असाधारण से पहले (निवल कर)**	**असाधारण के बाद (निवल कर)**	**असाधारण से पहले (निवल कर)**	**असाधारण के बाद (निवल कर)**
बेसिक (रुपये में)		**(0.42)**	**(0.42)**	**1.21**	**(0.18)**
डाइल्यूटिड (रुपये में)		**(0.42)**	**(0.42)**	**1.21**	**(0.18)**
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां	2				
संलग्न टिप्पणियां वित्तीय विवरण का अभिन्न अंग हैं।					

हमारी समदिनांकित संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते जैन कपिला एसोशिएट्स
(चार्टर्ड एकाउंटेंट्स)
एफ आर सं 000287एन

(सीए डी के कपिला)
पार्टनर
एम नं. 016905

(जी आनंदनारायणन)
सहायक कंपनी सचिव

कृते निदेशक मंडल की ओर से

(विजय पाल)
मुख्य महाप्रबंधक(वि.व ले.)

(एम जी गुप्ता)
निदेशक(वित्त)
डीआईएन 02200405

(राजीव जयदेव)
निदेशक
डीआईएन 3368001

(वेद प्रकाश)
अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक
डीआईएन 02988628

दिनांक : 21.05.2015
स्थान : नई दिल्ली

31 मार्च 2015 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए समेकित रोकड़ प्रवाह विवरण

(रुपए मिलियन में)

	31.03.2015 को समाप्त वर्ष		31.03.2014 को समाप्त वर्ष	
क. प्रचालन गतिविधियों से रोकड़ प्रवाह				
कर व असाधरण मदों से पूर्व लाभ		**1,049.49**		2,776.39
समायोजन के लिए				
असाधारण मदें	**-**		(2,104.42)	
इन्वेंट्रीज के मूल्यांकन पर हानि	**141.14**		76.53	
मूल्यह्रास व परिशोधन व्यय	**237.29**		217.05	
निवल विदेशी मुद्रा (लाभ)/हानि	**37.72**		1,042.03	
मूर्त परिसंपत्तियों की बिक्री पर (लाभ)/हानि	**(0.32)**		(0.71)	
ब्याज आय	**(1,011.81)**		(1,448.45)	
लाभांश आय	**(71.74)**		(32.64)	
वित लागत	**391.01**		859.31	
बट्टे खाते में डाले गये ऋण/दावे	**299.96**		10.74	
बट्टे खाते में डाली गई पूंजी डब्ल्यू आई पी	**65.79**		-	
संदिग्ध ऋण/कर्ज व अग्रिमों के लिए प्रावधान	**12.36**		12.74	
प्रावधान जिनकी अब आवश्यकता नहीं	**(698.29)**		(103.45)	
रिटन बैक देयताएं	**(87.38)**		(572.12)	
डीडब्ल्यूए जोखिम के लिए प्रावधान	**0.67**	**(683.59)**	1.19	(2,042.20)
		365.90		734.19
परिसंपत्तियों व देयताओं में परिवर्तन				
इन्वेंट्रीज	**(310.99)**		5,768.72	
व्यापार प्राप्ति योग्य	**(12,622.04)**		2,010.78	
ऋण व अग्रिम	**(6,534.24)**		4,410.72	
अन्य चालू व गैर चालू परिसंपत्तियां	**2,887.50**		(4,329.88)	
भुगतान योग्य व्यापार	**18,010.70**		(10,562.75)	
अन्य देयताएं	**(3,269.36)**		3,271.57	
प्रावधान	**246.85**	**(1,591.59)**	70.46	639.62
		(1,225.69)		1,373.81
प्रदत्त कर		**(551.24)**		(659.38)
प्रचालन गतिविधियों से निवल रोकड़ प्रवाह		**(1,776.93)**		714.43
ख. निवेश गतिविधियों से रोकड़ प्रवाह				
अचल परिसंपत्तियों का क्रय	**(234.70)**		(210.77)	
मूर्त परिसंपत्तियों का विक्रय	**0.67**		4.75	
निवेशो की खरीद/विक्री	**-**		(1.42)	
शेयरों की खरीद के लिए अग्रिम	**-**		(0.13)	
प्राप्त किया गया ब्याज	**1,011.81**		1,448.45	
प्राप्त किया गया लाभांश	**71.74**		32.64	
समेकन पर गुडविल	**-**	**849.52**	(0.13)	1,273.39
निवेश गतिविधियों से निवल रोकड़ प्रवाह		**849.52**		1,273.39
ग. वित्त पोषण गतिविधियों से रोकड़ प्रवाह				
लिये गये उधार	**(1,214.58)**		(11,215.17)	
वित्त लागत	**(391.01)**		(859.31)	
प्रदत्त लाभांश (कर सहित)	**(175.49)**	**(1,781.08)**	(100.00)	(12,174.48)
वित पोषण गतिविधियों से रोकड़ प्रवाह		**(1,781.08)**		(12,174.48)
रोकड़ रोकड़ समतुल्य से शुद्ध वृद्धि/(कमी)		**(2,708.49)**		10,186.66)
रोकड़ तथा रोकड़ के समतुल्य का आरम्भिक शेष		**7,018.79**		17,205.45
रोकड़ तथा रोकड़ के समतुल्य का अंतिम शेष		**4,310.30**		7,018.79

टिप्पणी

1. जहां भी आवश्यक समझा गया, पूर्व वर्ष के आंकड़ों को पुनः समूहित किया गया है।

2. **रोकड़ एवं रोकड़ समतुल्य में बैंकों के पास रोकड़ एवं बैंक शेष एवं जमा तथा तीन माह से कम अवधि की परिपक्वता वाले अल्पावधि निवेश शामिल हैं।**

	की समाप्ति पर		
	2014-15		**2013-14**
ए. रोकड़ व रोकड़ समतुल्य			
(क) उपलब्ध चैक व ड्राफ्ट	**0.99**		0.80
(ख) उपलब्ध रोकड़	**0.08**		0.11
(ग) बैंकों में उपलब्ध शेष			
– चालू खाते में	**56.32**		73.04
– कैश क्रेडिट खाते में (डेबिट शेष)	**1,005.19**		18.55
– 3 माह तक की परिपक्वता वाले आवधिक जमा	**221.80**		3,202.82
– 3 माह तक की परिपक्वता वाले अल्पावधि निवेश	**128.81**		560.00
बी. बैंकों में अन्य शेष			
– मार्जिन राशि/लीयन के अंतर्गत	**-**		3.00
– 3 माह से अधिक एवं 12 माह तक की मूल परिपक्वता वाले आवधिक जमा	**1,330.49**		2,348.14
– 12 माह से अधिक की मूल परिपक्वता वाले आवधिक जमा	**0.13**		0.13
सी. संयुक्त उपक्रमों में हितों की हिस्सेदारी	**1,566.49**		812.20
कुल योग	**4,310.30**		7,018.79

हमारी समदिनांकित संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते जैन कपिला एसोशिएटस (चार्टर्ड एकाउंटेंटस)
एफ आर सं 000287एन

कृते निदेशक मंडल की ओर से

(सीए डी के कपिला)
पार्टनर
एम नं. 016905

(जी आनंदनारायणन)
सहायक कंपनी सचिव

(विजय पाल)
मुख्य महाप्रबंधक (वि. व ले.)

(एम जी गुप्ता)
निदेशक(वित्त)
डीआईएन 02200405

(राजीव जयदेव)
निदेशक
डीआईएन 3368001

(वेद प्रकाश)
अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक
डीआईएन 02988628

दिनांक : 21.05.2015
स्थान : नई दिल्ली

31.3.2015 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों की समेकित लेखा नीतियां व टिप्पणियां

ये टिप्पणियां वित्तीय विवरणों का अभिन्न अंग है तथा इन्हें संलग्न वित्तीय विवरणों के साथ पढ़ा जाए।

1. सामान्य सूचना

कंपनी भारत में स्थापित सार्वजनिक क्षेत्र की मिनी रत्न कंपनी है जो वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार के नियंत्राणाधीन है। कंपनी का पंजीकृत कार्यालय कोर–1, स्कोप काम्पलेक्स, 7 इंस्टीटयूशनल एरिया, लोदी रोड, नई दिल्ली – 110003 भारत में स्थित है। कंपनी के अंतर्गत 11 क्षेत्रीय कार्यालय भारत के विभिन्न क्षेत्रों में स्थित हैं तथा इसकी एक पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी एमएमटीसी ट्रांसनेशनल पीटीई लिमिटेड (एमटीपीएल) सिंगापुर में स्थित है।

कंपनी की प्रमुख गतिविधियां खनिजों का निर्यात तथा बहुमूल्य धातुओं, अलौह धातुओं, उर्वरकों, कृषि उत्पादों, कोयला तथा हाईड्रोकार्बन इत्यादि का आयात करना है।

कंपनी की व्यापारिक गतिविधियां एशिया, यूरोप, अफ्रीका, मध्यपूर्व, लेटिन अमेरिका तथा उत्तरी अमेरिका के विभिन्न देशों तक फैली हैं।

2. महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

2.1 वित्तीय विवरण को तैयार करने के आधार

वित्तीय विवरणों को ऐतिहासिक लागत परंपरा तथा कंपनीज (लेखा मानक) नियम 2006, कंपनीज(लेखा) नियमावली 2014 के लेखा मानकों के परिवर्ती प्रावधानों एवं कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों द्वारा अधिसूचित आवश्यक लेखा मानकों के अनुरूप आन गोईंग कंसर्न के रूप में बनाया गया है।

2.2 क्रय तथा विक्रय

क. विक्रेताओं/क्रेताओं के साथ किए गए संविदा/करार के निष्पादन होने अथवा सरकार से आबंटन पत्र प्राप्त होने पर क्रय तथा विक्रय को लेखों में लिया जाता है।

जहां उक्त संविदा/करार/आबंटन का आंशिक रूप से निष्पादन हुआ है तो आंशिक रूप से किए गए निष्पादन को ही क्रय/विक्रय के रूप में लेखों में लिया जाता है।

ख. विशेष मदों के मामले में जिनका आयात निगम द्वारा सरणीकृत (कैनेलाइज्ड) है, उन्हें भारत सरकार द्वारा जारी प्राधिकृत पत्र के अंतर्गत 'सरकारी खाते मे' आयात किया गया है एवं क्रय/विक्रय को कंपनी के नाम से बुक किया गया है।

ग. डिपोजिट के तहत प्राप्त सोना/चांदी

i. एक नामित एजेंसी के रूप में कंपनी द्वारा संचालित एग्जिम नीति की योजना के अनुसार, निर्यातकों को विक्रय के लिए आउटराइट क्रय आधार पर, जमा स्टॉक से लिया गया सोना/चांदी क्रय में सम्मिलित है।

ii. वर्ष के दौरान घरेलू बिक्री के लिए सोने की खरीद को लेखों में शामिल करते समय सोने/चांदी को डिपोजिट से लिया गया तथा अपूर्तिकर्त्ताओं के साथ हुए मूल्य निर्धारण के अनुसार हिसाब में लिया गया है। वर्ष के अंत में कंपनी के पास डिपोजिट के तहत गोल्ड/सिल्वर के रूप में उपलब्ध स्टॉक को वर्तमान स्टॉक के रूप में हिसाब में लिया जाता है जिसे अनबिल्ड खरीद टाइटिल दिया जाता है और उसे वर्तमान देयताएं मानते हुए अनबिल्ड खरीद के लिए देय राशि दर्शाया जाता है। ऐसा करते समय वर्ष के अंत में प्रचलित बुलियन के मूल्यों को आधार माना जाता है। तथापि डिपाजिट में शेष पर भुगतान की गई कस्टम डयूटी को पूर्व प्रदत्त व्यय के रूप में दर्शाया जाता है।

iii. ऋण आधार पर निकाले गए स्वर्ण/चांदी को पार्टियों को दिए गए ऋण के रूप में तथा इसे ऋण व अग्रिम खाते में दर्शाया गया है। विदेशी आपूर्तिकर्ताओं से प्राप्त स्टॉक के लिए समानुरूप देयता को विविध क्रेडिटर्स के अन्तर्गत दर्शाया गया है। ऋण/विविध क्रेडिटर्स का समायोजन क्रय तथा विक्रय बुक करने के समय किया जाता है।

iv. रिप्लेनिशमेंट आधार के मामले में मार्जिन राशि अदा करते हुए निर्यातक द्वारा बुक किये गये सोना/चांदी के लिए विदेशी आपूर्तिकारों के साथ मूल्य का निर्धारण करके खरीद बुक की जाती है तथापि निर्यात पूरा हो जाने के बाद माल की वास्तविक डिलीवरी होने पर सेल को बुक किया जाता है।

घ. दस्तावेजों के टाइटल के हस्तांतरण द्वारा आयात के

दौरान बिक्री अर्थात माल के भारत की कस्टम सीमा लांघने से पहले क्रेता के पक्ष में माल के टाईटल के दस्तावेजों के हस्तांतरण पर पार सागरीय(हाई सीज) बिक्री को लेखों में लिया जाता है।

ड. नेशनल स्पॉट एक्सचेंज जैसे कमोडिटी एक्सचेंज जहां माल की वास्तविक डिलीवरी की जाती है, के माध्यम से किए गए व्यापार को क्रय/विक्रय को बुक किया जाता है।

च. लौह अयस्क/मैंगनीज अयस्क के निर्यात के संबंध में गंतव्य भार व विश्लेषण परिणामों के आधार पर अंतिम विक्रय मूल्य निर्धारित किया जाता है जहां ऐसे परिणाम प्रतीक्षित हैं, अंतिम विक्रय मूल्य पर औसतन आधार 1 प्रतिशत की दर पर डीडब्ल्यूए जोखिम के लिए प्रावधान किया गया है। एफओबीटी आपूर्ति की स्थिति में, जहां खरीद मूल्य पर डीडब्ल्यूए जोखिम, आपूर्तिकर्ता के खाते में है, विक्रय एवं क्रय मूल्य के बीच के अंतर के लिए 1 प्रतिशत की दर से प्रावधान किया गया है।

छ) निपटान के मामले लंबित होने की स्थिति में जैसे अर्जित/डिस्पैच/देय डैमरेज इत्यादि कतिपय व्यय/लाभ/हानि को अंतिम आधार पर खाते में लिया जाता है।

2.3 राजस्व पहचान

(क) आईसीएआई द्वारा जारी एएस – 9 के प्रावधानों के अनुरूप कुछ मदों की वसूली क्योंकि अनिश्चित है अतः वास्तविक वसूली पर लेखों में शामिल की जाने वाली निम्नलिखित मदों के अतिरिक्त संग्रहण (अक्रूअल) आधार पर राजस्व की पहचान की जाती है।

i. टारगेट प्लस योजना, आरईपी/एडवांस लाइसेंस, सर्विस टैक्स रिफंड इत्यादि के अंतर्गत टैक्स, डयूटी क्रेडिट का अथॉराईजेशन।

ii. निष्पादन के लिए लंबित डिक्रियां/विवादित देय तथा उन पर ब्याज, यदि कोई हो तो,

iii. प्राप्त की जाने वाली विलम्बित राशि पर ब्याज जिसकी प्राप्ति अनिश्चित है।

iv. आपूर्तिकर्ताओं/अंडरराइटर्स पर निर्धारित की गई क्षति/सर्वेक्षण में पाई गई कमी के कारण कस्टम डयूटी की वापसी, तथा आयकर/बिक्री–कर/वैट एवम् इन पर ब्याज की वापसी।

ख. बीमा कम्पनी द्वारा स्वीकृत होने पर बीमा दावों को लेखों में लिया जाता है।

ग. लाभ व हानि लेखों में दावों की पहचान अक्रूअल आधार पर की जाती है जिसमें सरकार की ओर से सब्सिडी के रूप में प्राप्त होने वाली ऐसी राशियां, नकद प्रोत्साहन, हानि की प्रतिपूर्ति शामिल है जिनके प्राप्त होने में कोई संदेह नहीं है। चिन्हित दावे जो बाद में संदिग्ध हो गए हैं उनके लिए लाभ व हानि खाते में प्रावधान किया गया है।

2.4 पूर्व प्रदत्त व्यय

प्रत्येक मामले में 10,000/– रुपए के पूर्व प्रदत्त भुगतान खर्चों को राजस्व खाते में दर्शाया जाता है। सरकारी विभागों, सांविधिक निगमों, विद्युत बोर्डों तथा स्थानीय निकायों में 5000/– रुपए की जमा राशि को भी राजस्व खाते में दर्शाया जाता है।

2.5 अचल परिसंपत्तियॉं

(क) सभी स्थिर परिसंपत्तियों को ऐतिहासिक मूल्य में से संचित मूल्यह्रास तथा मूल्य में किसी प्रकार की कमी को घटाकर दर्शाया जाता है।

(ख) सरकारी/अर्ध सरकारी प्राधिकरणों के स्वामित्व वाली भूमि में निर्माण/विकास कार्य पर कंपनी द्वारा किये गये खर्च को ''भूमि पर बनाई गई अचल परिसंपत्तियां और न तो अचल परिसंपत्तियां और न ही भूमि कंपनी की है'', के शीर्ष में कैपिटलाईज किया जाता है।

2.6 मूल्यह्रास

निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित उपयोगी जीवन काल पर स्ट्रेट लाइन पद्धति के अनुसार मूल्यह्रास का प्रावधान किया जाता है जो कि कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II में दिए गए प्रावधानों के समान है। वर्ष के दौरान अधिग्रहीत/बेची गई परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास, परिसंपत्ति के अधिग्रहण करने से निपटान करने तक के माह तक किया जाता है। अमूर्त परिसंपत्तियों तथा लीजहोल्ड परिसम्पत्तियों का परिशोधन भी मूल्यह्रास में शामिल है। सभी परिसंपत्तियों के शेष मूल्य को 1 रूपया लिया गया है। परिसंपत्तियों का उपयोगी जीवन काल निम्नलिखित हैः–

परिसंपत्तियों का नाम	निगम द्वारा अपनाया गया उपयोगी जीवन काल	अनुसूची II में दिया गया उपयोगी जीवन काल
ए. सामान्य परिसंपत्तिया		
फर्नीचर एवं फिटिंग्स	10	10
कार्यालय उपस्कटर	5	5
वाहन		
स्कूटर	10	10

कार	8	8
कम्प्यूटर्स		
सर्वर व नेटवर्क	6	6
एंड यूजर्स डिवाइस	3	3
पट्टे की भूमि	लीज एग्रीमेंट के अनुसार	
वैगन रैक्स	करार/वेगन निवेश योजना के अनुसार	
पंखों के अतिरिक्त लगा हुआ इलैक्ट्रोनिक सामान	10	10
जल आपूर्ति एवं मलवहन तथा निकासी	5	5
सड़कें		
कारपेटिड सड़कें–आरसीसी	10	10
कारपेटिड सड़कें–आरसीसी के अतिरिक्त	5	5
नान कारपेटिड सड़कें	3	3
कल्वर्टस	30	30
बिल्डिंग		
आरसीसी	60	60
आरसीसी के अतिरिक्त	30	30
आवासीय फ्लैट(बने हुए) आरसीसी	60	60
आरसीसी के अतिरिक्त	30	30
अस्थायी ढांचे एवं लकडी के पार्टिशन	3	3
भंडारगृह/गोदाम	30	30
बी. निर्माण इकाइयों की परिसंपत्तियां		
फैक्टरी बिल्डिंग	30	30
पंखों के अतिरिक्त लगा हुआ इलैक्ट्रोनिक सामान	10	10
जल आपूर्ति एवं मलवहन तथा निकासी	5	5
प्लांट एवं मशीनरी		
एकल शिफ्ट	15	15
दो शिफ्ट	10	10
तीन शिफ्ट	7.5	7.5
प्लांट एवं मशीनरी – अनवरत (विंड मिल)	22	22
सी. भूमि पर बनाई गई अचल परिसंपत्तियां और न तो अचल परिसंपत्तियां और न ही भूमि कंपनी की है।	5	-
डी. अमूर्त परिसंपत्तियां		
कम्प्यूटर साफटवेयर	5	परिसंपत्तियों के उपयोगी जीवनकाल (एएस 26 के अनुसार)

ई. कैलकुलेटर्स, दीवारघड़ी, रसोईघर के बर्तन तथा अन्य उपभोज्य वस्तुओं जैसे छोटे मूल्य की कुछ मदों जिनका उपयोगी जीवन काल सीमित होता है, को उनके खरीद वर्ष में ही राजस्व में प्रभारित किया जाता है। इसी प्रकार मोबाईल हैंडसैट्स को इनके क्रय वर्ष में ही राजस्व में प्रभारित किया जाता है क्योंकि अधिकारियों द्वारा अपने नाम से खरीदे गए मोबाईल हैंडसेटों, जिन्हें निगम को नहीं लौटाया जाता, की कीमत की प्रतिपूर्ति उनकी पात्रता के अनुरूप की जाती है।

एफ. अनुसूची – 2 के प्रभावी होने की तिथि से, अनुसूची –2 के अनुसार परिसंपत्ति के शेष उपयोगी जीवन काल पर परिसंपत्ति की कैरिंग राशि में मूल्यह्रास किया जाता है। जब भी किसी परिसंपत्ति का शेष उपयोगी जीवन काल शून्य होता है तो रेजीड्यूल मूल्य को रखने के पश्चात रिटेंड अर्जन के आरंभिक शेष में कैरिंग राशि की पहचान की जाती है।

जी. पांच वर्ष की अवधि में गुडविल अमोर्टाइज्ड हो जाती है।

2.7 निवेश

ए. मूल्य में स्थाई मूल्यह्रास के लिए प्रावधान घटाकर, लागत पर दीर्घावधि निवेश का मूल्यांकन किया जाता है।

बी. निम्नतर लागत व उचित मूल्य पर चालू निवेश का मूल्यांकन किया जाता है।

2.8 विदेशी मुद्रा लेन–देन

(i) अपरिवर्तनीय भारतीय मुद्रा के मामले में रुपया भुगतान देशों के साथ लेन–देन को विदेशी विनिमय में लेन–देन माना जाता है।

(ii) विदेशी मुद्रा आर्थिक मदों (लम्बित ऋणों अथवा जहॉ वसूली अनिश्चित है को छोड़कर) को इंस्टीट्यूट आफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी एएस–11 में विनिर्दिष्ट अंतिम दरों का प्रयोग करते हुए बदला जाता है। लेन देन की तिथि की विनिमय दर का प्रयोग करते हुए गैर मौद्रिक मदों की सूचना दी जाती है। विनिमय के लाभ/हानि के अंतर को लाभ व हानि खाते में दिखाया जाता है।

(iii) अचल परिसंपत्तियों के अधिग्रहण के संबंध में विदेशी मुद्रा में देयता को इंस्टीट्यूट आफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स आफ इंडिया द्वारा जारी एएस–11 में विनिर्दिष्ट अंतिम दर से बदला जाता है। विनिमय के अंतर को लाभ व हानि खाते में दर्शाया जाता है।

(iv) फारवर्ड एक्सचेंज संविदा के मामले में

प्रीमियम/डिस्काउंट तथा हानि/लाभ की पहचान निम्नलिखित तरीके से की गई है:

ए. वर्तमान लेन–देन के विरूद्ध फारवर्ड एक्सचेंज अनुबंध के संबंध में, अनुबंध की अवधि के उपर प्रीमियम/डिस्काउंट अनुपातिक रूप से माने जाते हैं। अंतिम दर अथवा निपटान की तिथि की दर, यदि लेन–देन का निपटान वर्ष के दौरान किया गया है तथा (i) फारवर्ड अनुबंध के आरंभ होने की तिथि के पश्चात अथवा अंतिम सूचित तिथि की (ii) विनिमय दरों के बीच विनिमय दर के अंतर के कारण हुई हानि एवं लाभ को वर्ष के लाभ व हानि खाते में दर्शाया जाता है।

बी. पक्की वचनबद्धताओं एवं अधिक संभावना वाले पूर्वानुमानित लेन–देन से संबंधित फारवर्ड संविदाओं के संबंध में विनिमय अंतर के कारण हानि को सूचित अवधि, जिसमें विनिमय दर में परिवर्तन हुआ है, के लाभ व हानि खाते में दर्शाया जाता है। उक्त संविदाओं के नवीकरण अथवा निरस्तीकरण के कारण होने वाले किसी लाभ अथवा हानि की पहचान उस अवधि की आय अथवा व्यय के रूप में की जाती है।

V. भारत से बाहर सहायक कंपनी में निवेश को अधिग्रहण की तिथि पर प्रचलित विनिमय दर पर परिवर्तित किया जाता है।

2.9 खण्डवार रिपोर्टिंग

प्रमुख खण्डः प्रबंधतंत्र द्वारा निगम के निष्पादन का आकलन करते हुए तथा निम्नलिखित व्यापार खंडों/उत्पाद खंडों के विभिन्न निष्पादन सूचकों के विश्लेषण के आधार पर संसाधनों का आबंटन किया जाता है:–

I. बहुमूल्य धातुएं

ii. धातुए

iii. खनिज

iv. कोयला एवं हाइड्रोकार्बन

v. कृषि उत्पाद

vi. उर्वरक

vii. सामान्य व्यापार/अन्य

निगम के संगठनात्मक ढांचे के साथ–साथ इन खंडों के विभिन्न जोखिमों तथा लाभों को ध्यान में रखते हुए एएस–17 'खंड रिपोर्टिंग' के अनुरूप उपरोक्त व्यापार खंडों की पहचान की जाती है।

गौण खंड :– निगम के ग्राहकों की भौगोलिक स्थिति के आधार पर गौण खंडों की पहचान की जाती है अर्थात :

1. भारत से बाहर

2. भारत के अंदर (भारत के आंतरिक ग्राहकों को हाईसीज बिक्री सहित)

2.10 कर्मचारियों को लाभ

(i) ग्रेच्युटी, छुट्टी नकदीकरण/उपयोग करना, सेवानिवृत्ति पश्चात् चिकित्सा लाभ तथा दीर्घ सेवा लाभ जैसे सर्विस अवार्ड, अनुकंपा ग्रेच्युटी तथा कर्मचारी लाभ योजना का प्रावधान इंस्टीट्यूट आफ चार्टर्ड एकाऊंटेंटस द्वारा जारी एएस 15 (संशोधित) के अनुसार बीमांकक के मूल्यांकन के आधार पर किया जाता है।

(ii) सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा लाभों का प्रावधान परिभाषित अंशदान के आधार पर किया जाता है।

(iii) भविष्य निधि अंशदान, अक्रूअल आधार पर भविष्य निधि ट्रस्ट में जमा किए जाते हैं।

(iv) स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति पर उपदान व नोटिस वेतन का भुगतान उसी वर्ष के राजस्व में प्रभारित होता है।

2.11 स्टॉक का वास्तविक सत्यापन

(i) स्टॉक का प्रत्यक्ष सत्यापन वर्ष में एक बार किया जाता है और शेष स्टॉक का निर्धारण वर्ष के अंत तक आवश्यक समायोजन के बाद किया जाता है। वास्तविक रूप से सत्यापित स्टॉक को अंतिम शेष के रूप में मान लिया जाता है तथा कमी/अधिकता पर उचित रूप से कार्रवाई की जाती है।

ii. कुछ मामलों में जहां स्टॉक हैंडलिंग एजेंट/एसडब्ल्यूसी/सीडब्ल्यूसी/प्राइवेट पार्टियों के पास पड़ा है, उन एजेंसियों द्वारा दिए गए प्रमाण–पत्र के आधार पर स्टॉक को मान लिया जाता है।

2.12. स्टॉक का मूल्यांकन

मार्गस्थ माल सहित इन्वैंट्रीज का मूल्यांकन 31 मार्च को वसूली योग्य मूल्य अथवा लागत के निम्नतर मूल्य पर किया जाता है। बैक–टू–बैक लेन–देन के संबंध में, लागत व लाभ मार्जिन के आधार पर निवल वसूली योग्य मूल्य निश्चित किया जाता है। मूल्यांकन की विधि निम्नानुसार है:

क) निर्यात

I. निर्यात स्टॉक का मूल्य–निर्धारण उस स्थान तक जहा स्टॉक पड़ा है, किए गए समस्त खर्चों को शामिल करने के बाद किया जाता है। इसी प्रकार वसूली योग्य मूल्य का निर्धारण बाजार–मूल्य से उन खर्चों को घटाकर

किया जाता है, जो खर्च माल को उस स्थान तक पहुंचाने में होगा जिस स्थान पर उसे बेचा जाता है।

ii) खनिज अयस्कों में निर्यात अनुबंध के अनुसार खनिज अयस्कों का वसूली योग्य मूल्य एफई/एमएन की निम्नतम मात्रा के आधार पर निर्धारित किया जाता है तथा इसकी तुलना अयस्क के भारित औसत एफई/एमएन मात्रा/भारित औसत नमी मात्रा के भारित औसत मूल्य से की जाती है। लौह अयस्क का भूमिगत स्टॉक इन्वैंट्री में शामिल नहीं है, अतः इसका मूल्यांकन नहीं किया गया।

(ख) आयात

i. आयातित वस्तुओं के स्टॉक का मूल्य–निर्धारण वार्षिक क्षेत्रीय भारित औसत लागत की गणना करके किया जाता है सिवाय अलौह धातुओं के जहां शेष स्टॉक की भारित औसत लागत की गणना जहां माल रखा गया है वहां तक किए गए सभी व्ययों को शामिल करके किया जाता है। तथापि जहां स्टॉक विशेषतया रखने योग्य है वहां तक किये गये सभी व्ययों को शामिल करके माल की वास्तविक लागत की गणना की जाती है।

ii. पुनः पूर्ति (रिप्लेनिशमेंट) विकल्प के तहत निर्यातकों द्वारा बुक किये गये माल के तहत विदेशी आपूर्तिकारों से खरीदा गया सोना/चांदी जिसकी सुपुर्दगी वर्ष के अंत तक नहीं की गयी है कंपनी के स्टॉक के रूप में दर्शाए जाते हैं और लागत पर मूल्यांकित किये जाते हैं।

(ग) घरेलू

i. सोने/चांदी के मेडालियन तथा चांदी के सामान का मूल्य वार्षिक आधार पर माल की स्थानीय भारित लागत तथा प्रारंभिक स्टॉक की लागत पर तय किया जाता है। लागत में विनिर्माण/ फेब्रीकेशन प्रभार, अपव्यय तथा अन्य प्रत्यक्ष लागत सम्मिलित है।

ii. तराशे और पॉलिश किये पत्थर तथा स्वर्णाभूषण (तैयार/अर्धतैयार) के संबंध में जहां स्टॉक विशेष रूप से पहचान योग्य है, उस स्थान तक जहां माल रखा है वहां तक समस्त व्ययों सहित माल की वास्तविक लागत की गणना की जाती है। वेस्टेज एवं अन्य सीधे निर्माण खर्च लागत में शमिल हैं।

iii. पैकिंग सामाग्री का मूल्यांकन 31 मार्च को निम्नतर लागत पर अथवा प्राप्ति योग्य मूल्य पर किया जाता है।

iv. ऋण/फैब्रीकेशन पर स्टॉक फेब्रीकेटरों के पास रखे स्टाक को समायोजन तक कंपनी का स्टाक माना जाता है।

2.13 पूर्व अवधि समायोजन

चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी एएस–5 (अवधि के लिए शुद्ध लाभ व हानि, पूर्व अवधि मदों तथा लेखा नीतियों में परिवर्तन) के प्रावधानों के अनुसार ''पूर्व अवधि समायोजन खाते'' के अंतर्गत पूर्व वर्ष संबंधी व्यय/आय दर्शाए जाते हैं।

2.14 ऋण लागत

(i) व्यापार के सामान्य व्यवहार में किसी अवधि में किए गए व्ययों को उस अवधि के ऋण लागत व्यय के रूप में जाना जाता है।

(ii) मान्य परिसंपत्तियों के अधिग्रहण, निर्माण पर आरोपित ऋण लागत को इन परिसंपत्तियों के अभीष्ट प्रयोग के लिए तैयार होने की तिथि तक की लागत के एक भाग के रूप में कैपिटलाईज किया जाता है। अन्य सभी ऋण लागतों की पहचान, जिस वर्ष में व्यय किये गए हैं उस वर्ष के व्ययों के रूप में की जाती है।

2.15 आस्थगित कर

आस्थगित कर को युक्ति–युक्त समय अंतराल, कर योग्य आय तथा लेखा आय जो कि एक अवधि में उत्पन्न हुई हो तथा जिनको एक अथवा अधिक परवर्ती अवधियों में रिवर्सल किया जा सके, के आधार पर मान्यता प्रदान की जाती है। आस्थगित कर का निर्धारण परिसंपत्तियों और देयताओं को तुलन–पत्र की तिथि से लागू होने वाले कर की दरों और कर–कानूनों के आधार पर किया जाता है।

2.16 परिसंपत्तियों की क्षति

जब परिसंपत्तियों की कैरिंग लागत इसके वसूली योग्य मूल्य से अधिक हो जाती है तो परिसंपत्ति को क्षतिग्रस्त माना जाता है तथा इस क्षति की हानि को जिस वर्ष इसके क्षतिग्रस्त होने की पहचान होती है उस वर्ष के लाभ व हानि खाते में प्रभारित किया जाता है। यदि वसूली योग्य राशि के अनुमान में किसी प्रकार का परिवर्तन होता है तो पूर्व लेखा अवधियों में पहचानी गई क्षति की हानि को प्रतिवर्तित (रिवर्स) कर दिया जाता है।

2.17. प्रावधान, आकस्मिक देयताएं तथा आकस्मिक परिसंपत्तियां

(I) प्रावधान

(ए) संदिग्ध ऋणों/अग्रिमों/दावों के लिए प्रावधान

संदिग्ध ऋणों/अग्रिमों/दावों के लिए प्रावधान वहां रखा जाता है जहां अपनी देय राशि की किसी भी अवधि

के लिए वसूली अनिश्चित हो। विगत तीन वर्षों से अधिक बकाया राशियों के लिए (सरकारी देय राशि को छोड़कर) पूर्ण प्रावधान किया जाता है, जब तक कि यह राशि वसूली योग्य मानी जाती है। यह निश्चित हो जाने पर की वसूली नहीं की जा सकती तब ऋण/अग्रिम/दावे राईट आफ किए जाते हैं।

(बी) अन्य

(i) प्रावधान तब मान्य है जब :

(ए) कोई पूर्व की घटना के परिणामस्वरूप कंपनी पर कोई वर्तमान बाध्यता हो ।

(बी) बाध्यताओं के निपटान में संसाधनों का संभावित आउटफ्लो होने की उम्मीद हो

तथा

(सी) इस बाध्यता की राशि का विश्वसनीय आंकलन किया जा सकता हो।

(ii) किसी एक प्रावधान के समायोजन के लिए आवश्यक व्यय की प्रतिपूर्ति की पहचान संविदा प्रावधान के अनुसार की जाती है अथवा जब यह वास्तव में सुनिश्चित हो जाए कि प्रतिपूर्ति प्राप्त की जायेगी, उस स्थिति में की जाती है।

(iii) प्रत्येक तुलन–पत्र की तिथि को प्रावधानों की समीक्षा की जाती है ।

(II) आकस्मिक देयताएं व आकस्मिक परिसंपत्तियां

(i) आकस्मिक देयताओं की पहचान नहीं की जाती है परन्तु इन्हें लेखों की टिप्पणियों में दर्शाया जाता हैं। आकस्मिक देयताओं पर ब्याज यदि कोई हो तो, को सामान्यतः लेखों की टिप्पणियों में नहीं दर्शाया जाता क्योंकि इसका निर्धारण नहीं किया जा सकता।

(ii) आकस्मिक परिसंपत्तियों की पहचान न तो वित्तीय विवरणों में दी जाती है अथवा न ही इन्हें दर्शाया जाता है।

2.18. परियोजना कार्यान्वयन/निर्माण अवधि के दौरान व्ययों की स्थिति

निर्माण के दौरान व्ययों को पूर्व–प्रचालन व्ययों में शामिल किया जाता है तथा निर्माण/प्रस्थापन पूरा हो जाने पर संबंधित स्थायी परिसंपत्तियों में दिखाया जाता है।

2.19 प्रचालन पट्टे

उन परिसंपत्तियों के पट्टों में जहां पर स्वामित्व के दायित्व और लाभ के महत्वपूर्ण हिस्से को पट्टाकर्ता अपने पास रखता है उसका वर्गीकरण परिचालन पट्टों के रूप में किया जाता है। परिचालन पट्टों (पट्टाकर्ता से प्राप्त किसी भी प्रोत्साहन का निवल) के अंतर्गत किए गए भुगतान को पट्टे की अवधि के दौरान आय विवरणिका में स्ट्रेट लाइन आधार पर लिया जाता है।

आकस्मिक किरायों की पहचान जिस समय पट्टा समाप्त होता है उसी वित्तीय वर्ष की आय विवरणिका में व्यय के रूप में की जाती है। पट्टे की अवधि समाप्ति से पहले ही जब परिचालन पट्टे को निरस्त किया जाता है तो दण्ड स्वरूप पट्टाकर्ता को जो भुगतान करना अपेक्षित होता है, उसे जिस समय पट्टा समाप्त होता है उसे उसी वित्तीय वर्ष के खर्च में दर्शाया जाता है।

2.20 वित्तीय विवरण भारतीय रुपये में दिए गए हैं तथा जब तक अन्यथा न कहा गया हो सभी मूल्यों को नजदीकी मिलियन में लिया गया है।

2.21 समेकन के सिद्धान्त

समेकित वित्तीय विवरण एमएमटीसी लिमिटेड, इसकी सहायक कंपनी और कंपनी के हित में संयुक्त उपक्रमो से संबंद्ध संयुक्त रूप से नियंत्रण करने वाले घटकों के रूप में हैं।

(क) प्रमुख कंपनी तथा इसकी सहायक कंपनी के वित्तीय विवरण पंक्ति आधार पर जुड़े होते हैं जिनको परिसंपत्तियों, देयताओं, आय और व्ययों की बुक वेल्यू को आंतरिक समूह शेषों और आंतरिक लेन देनों को पूरी तरह से हटाकर शामिल किया जाता है, जिसके परिणामस्वरूप इंस्टीटयूट आफ चार्टर्ड एकाउटेंट्स आफ इंडिया द्वारा जारी वित्तीय मानक (एएस)21 ''समेकित वित्तीय विवरण'' के अनुसार लाभ अथवा हानि खाता तैयार किया जाता है।

(ख) नान इंटीग्रल विदेशी सहायक कंपनी के वित्तीय विवरणों के निगमन के लिए वित्तीय विवरणों की व्याख्या हेतु निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई जाती है :

i. नान इंटीग्रल विदेशी सहायक कंपनी की मौद्रिक एवं गैर मौद्रिक दोनों प्रकार की परिसंपत्तियों एवं देयतओं को चार्टर्ड एकाउंटेंट्स आफ इंडिया द्वारा जारी एएस–11 में विनिर्दिष्ट अंतिम दरों का प्रयोग करते हुए बदला जाता है।

ii. नान इंटीग्रल विदेशी सहायक कंपनी के आय व व्यय मदों की व्याख्या औसत विनिमय दर पर की जाती है।

iii. परिणामस्वरूप सभी विनिमय शेषों का परिवर्तित विदेशी मुद्रा को रिजर्व में तब तक रखा जाता है जब निवल निवेश का निपटान नहीं हो जाता।

(ग) जहां कंपनी के पास सीधे या सहायक कंपनी के माध्यम से 20 प्रतिशत से अधिक इक्विटी होती है वहां इंस्टीटयूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी एकाउंटिंग स्टैंडर्ड (लेखा मानकों) 23 ''एकाउंटिंग फार इन्वेस्टमेंट इन एसोशिएट इन कन्सोलिडेटिड फाइनेंशियल स्टेटमेंट'' में निर्धारित लेखों के ''इक्विटी मैथड'' का उपयोग करने के लिए शामिल किया जाता है।

(घ) कंपनी अपने तथा एसोशिएट के बीच हिस्सेदारी की सीमा तक गैर वसूली लाभ व हानि को घटाने के बाद एसोशिएट की निवल परिसंपत्ति में परिवर्तन को लेखों में शामिल किया जाता है। उपलब्ध सूचना के आधार पर एसोशिएट के लाभ व हानि खाते में शामिल करने योग्य परिवर्तन की सीमा तक लाभ व हानि खाते के माध्यम से और इसके शेष के लिए रिजर्व के माध्यम से शामिल किया जाता है।

(ङ) एसोशिएट में हिस्सेदारी की खरीद के समय निवल परिसंपत्तियों के शेष और इसमें निवेश की लागत में अंतर को वित्तीय विवरणों में गुडविल या कैपिटल रिजर्व, जैसा भी मामला हो, के रूप में पहचान की जाती है।

(च) समेकित वित्तीय विवरणों में संयुक्त उपक्रम कंपनियों के हिस्से को शामिल किया जाता है जो लेखों के अनुपातिक समेकन विधि और रिपोर्टिंग के लिए उपयोग में लाई जाती है जिसके द्वारा संयुक्त रूप से नियंत्रित तत्व को कंपनी की प्रत्येक परिसंपत्ति, देयता, आय और व्यय की हिस्सेदारी को समेकित वित्तीय विवरणों में पृथक पंक्ति की मद माना जाता है।

जहां तक संभव होता है समान परिस्थितियों में लेन देन व अन्य व्यवहार के लिए एक समान लेखा नीतियों का प्रयोग किया जाता है और ठीक उसी तरह प्रस्तुत किया जाता है जैसे कंपनी के पृथक वित्तीय विवरण।

दिनांक 31.03.2015 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर समेकित टिप्पणियां

3. शेयरधारकों की निधि

3.1 शेयर पूंजी तथा रिपोर्टिंग अवधि के आरंभ तथा समाप्ति पर बकाया शेयरों की संख्या का समायोजन

(रुपए मिलियन में)

	31-03-2015		31-03-2014	
	संख्या	राशि	संख्या	राशि
ए. अधिकृत प्रत्येक 1/– रुपये समतुल्य के इक्विटी शेयर	**1,000,000,000**	**1000.00**	1,000,000,000	1,000.00
बी. निर्गमित, अभिदत्त एवं पूर्णतः प्रदत्त				
दिनांक 1 अप्रैल, 2014 को आरंभिक शेष	**1,000,000,000**	**1000.00**	1,000,000,000	1,000.00
जमा -	-	-	-	
घटाएं -	-	-	-	
दिनांक 1 अप्रैल, 2015 को अंतिम शेष	**1,000,000,000**	**1000.00**	**1,000,000,000**	**1000.00**
संयुक्त उद्यमों में हित की हिस्सेदारी				
कुल	**1000.00**		**1,000.00**	

'वर्ष 2010–11 के दौरान, निगम के 5,00,00,000 शेयरों जोकि प्रत्येक 10/– रुपए मूल्य का था को 1/– रुपये प्रत्येक के मूल्य पर 500,000,000 शेयरों में विभाजित किया गया तथा सामान्य अधिशेष रिजर्व से 500 मिलियन रुपए का पूंजीकरण करते हुए 1:1 अनुपात में बोनस शेयर जारी किए गए।

निगम के एक ही वर्ग के शेयर हैं जिसमें प्रत्येक 1/– रुपए के मूल्य का सामान्य शेयर शामिल है। निगम के संगम अनुच्छेद तथा लागू कानूनों के अनुसार निगम के सामान्य शेयर धारकों को निगम की आम बैठकों की सूचना तथा वोट देने के अधिकार, निगम के समापन होने पर किन्हीं अधिशेष परिसंपत्तियों को प्राप्त करने के अधिकार प्रदान करते हैं। साथ ही, साधारण शेयरों पर घोषित लाभांश प्राप्त करने की पात्रता भी उपलब्ध करवाते हैं।

निगम की कोई होल्डिंग कंपनी नहीं है।

प्रवर्तकों के अतिरिक्त किसी भी शेयरधारक के पास कंपनी के 5 प्रतिशत से अधिक शेयर नहीं हैं। प्रवर्तकों, अर्थात् भारत के राष्ट्रपति की शेयरधारिता दिनांक 31.03.2015 को 899,268,762 शेयर (गत वर्ष 900,000,000 शेयर) की थी जो 89.93 प्रतिशत (गत वर्ष 90 प्रतिशत) है।

3.2 रिजर्व एवं अधिशेष

(मिलियन रुप्ए में)

	31-03-2015	31-03-2014
रिजर्व		
पूंजी रिजर्व – आरंभिक शेष	**0.69**	**4.40**
जोड़ें : बढोतरी	–	
जोड़ें : संयुक्त उद्यमों में हित की हिस्सेदारी	–	
घटायें : कटौती	–	3.71
अंतिम शेष	**0.69**	**0.69**
सामान्य रिजर्व –आरंभिक शेष	**6,850.47**	**6,729.15**
जोड़ें : बढोतरी	143.37	102.14
जोड़ें : संयुक्त उद्यमों में हित की हिस्सेदारी	-	19.17
	6,993.84	6,850.47
घटायें : कटौती	-	-
अंतिम शेष	**6,993.84**	**6,850.47**
विदेशी मुद्रा ट्रांसलेशन रिजर्व – आरंभिक शेष	**34.77**	**(407.77)**
जोड़ें : बढोतरी	2.97	442.53
	37.74	34.77
घटायें : कटौती	-	-
अंतिम शेष	**37.74**	**34.77**
दीर्घकालिक विकास रिजर्व –आरंभिक शेष	-	**2.11**
जोड़ें : बढोतरी	-	-
	-	2.11
घटायें : कटौती	-	2.11
अंतिम शेष	**-**	**-**
कारपोरेट सामाजिक दायित्व –आरंभिक शेष	**0.13**	**4.36**
जोड़ें : बढोतरी	-	-
	0.13	4.36
घटायें : कटौती	-	4.23
अंतिम शेष	**0.13**	**0.13**
अनुसंधान एवं विकास रिजर्व –आरंभिक शेष	**3.54**	**-**
जोड़ें : बढोतरी	-	3.54
	3.54	3.54
घटायें : कटौती	-	-
अंतिम शेष	**3.54**	**3.54**
योग (ए)	**7,035.93**	**6,889.59**
अधिशेष		
अधिशेष – आरंभिक शेष	**6,612.24**	**7,587.64**
पूर्व अवधि के लिए अधिशेष का समायोजन	(27.25)	(531.29)
शुद्ध लाभ	(714.43)	(345.56)
जोड़ें : लाभ व हानि विवरण से अंतरित संयुक्त उद्यमों में हित की हिस्सेदारी	289.65	163.96
दीर्घकालिक विकास रिजर्व	-	2.11
कारपोरेट सामाजिक दायित्व रिजर्व	-	4.23
मूल्यह्रास के लिए आरंभिक समायोजन	(5.16)	-
विनियोजन के लिए उपलब्ध राशि	**6,155.05**	**6,881.08**
विनियोजन		
अंतिम लाभांश	250.00	150.00
लाभांश कर	50.89	25.49
सामान्य रिजर्व को अंतरित रिजर्व	100.00	9.40
अनुसंधान एवं विकास रिजर्व	-	3.54
संयुक्त उद्यमों में हित की हिस्सेदारी	147.00	80.40
अधिशेष – अंतिम शेष(बी)	**5,607.15**	**6,612.24**
योग (ए+बी)	**12643.09**	**13501.83**

(ए) कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची II के अनुसार इसमें विर्निदिष्ट उपयोगी समयावधि से लिंक करते हुए कंपनी ने अपनी कुछ अचल परिसंपतियों की मूल्यह्रास की दरों को 01 अप्रैल, 2014 से संशोधित किया है। तदनुसार कंपनी ने 5.16 मिलियन रूपये (गत वर्ष शून्य मिलियन रूपये) की राशि अनुसूची II के ट्रांजीसनल प्रावधानों के अनुसार रिजर्व में प्रभारित की है।

4. गैर चालू देयताएं

4.1 दीर्घावधि ऋण

(मिलियन रुपए में)

	31-03-2015		31-03-2014	
संयुक्त उपक्रमों में हितों की हिस्सेदारी				
क. सुरक्षित	**501.72**		89.80	
ख. असुरक्षित	**-**	**501.72**	840.07	929.87
योग		**501.72**		**929.87**

4.2 अन्य दीर्घावधि देयताएं

(मिलियन रुपए में)

	31-03-2015		31-03-2014	
ट्रेड देय				
– एमएसएमईज के अतिरिक्त	**119.87**		12.52	
– एमएसएमईज	**-**	**119.87**	-	12.52
अन्य				
– बिक्री कर/सीएसटी/सीमाशुल्क	**68.62**		6.02	
– अन्य	**76.15**	**144.77**	80.93	86.95
		264.64		99.47
संयुक्त उपक्रमों में हितों की हिस्सेदारी		**74.59**		67.17
योग		**339.23**		**166.65**

4.3 दीर्घावधि प्रावधान

(मिलियन रुपए में)

	31-03-2015		31-03-2014	
क. कर्मचारी लाभों के लिए प्रावधान				
ए छुट्टी नकदीकरण	**247.92**		238.93	
पप सेवानिवृत्ति पश्चात् चिकित्सा लाभ–ओपनग्रुप	**723.48**		1297.34	
–क्लो जड ग्रुप	**502.79**		0.00	
पपप अर्धवेतन अवकाश	**198.44**		189.51	
पअ सेवा अवार्ड	**47.70**		47.68	
अ अनुकम्पा ग्रेच्युटी	**1.86**		1.97	
अप कर्मचारी परिवार लाभ योजना	**49.05**	**1771.24**	49.52	1824.95
		1771.24		1824.95
संयुक्त उपक्रमों में हितों की हिस्सेदारी		**2.93**		1.69
योग		**1774.17**		**1826.64**

5. चालू देयताएं

5.1 लघु अवधि ऋण

(मिलियन रूए में)

	31-03-2015		31-03-2014	
क. मांग होने पर देय ऋण				
बैंक से				
i सुरक्षित (इन्वेंट्रीज, ट्रेड प्राप्तियां तथा वर्तमान एवं भविष्य की अन्य चालू परिसंपत्तियों के हाईपोथिकेशन के प्रति)	**2060.42**		2245.95	
असुरक्षित	**1249.22**	**3309.65**	2368.68	4614.63
		3309.65		4614.63
संयुक्त उपक्रमों में हितों की हिस्सेदारी		**553.20**		34.65
योग		**3862.85**		**4649.28**

किसी भी निदेशक अथवा अन्य व्यक्तियों द्वारा ऋणों की गारंटी नहीं दी गई है।
बैंकों से कैश क्रेडिट/पैकिंग क्रेडिट खाते/अन्य से ऋण लिए गए हैं तथा एक वर्ष के अंदर भुगतान किया जाना है।
किसी भी ऋण तथा इस पर ब्याज के पुनर्भुगतान में कंपनी ने चूक नहीं की है।

5.2 व्यापारिक देय

(मिलियन रुपए में)

	31-03-2015		31-03-2014	
क. विविध लेनदार				
I एमएसएमईज के अतिरिक्त	**31268.34**		12663.08	
ii एमएसएमईज	**-**	**31268.34**	-	12663.08
ख. देय बिल		-		1438.73
		31268.33		14101.81
संयुक्त उपक्रमों में हितों की हिस्सेदारी		**1749.41**		951.41
योग	**33017.74**		**15053.22**	

5.3 अन्य चालू देयताएं

(मिलियन रुपए में)

	31-03-2015		31-03-2014	
क. ब्याज अर्जित लेकिन ऋणों पर देय नहीं	**4.92**	33.99		
ख. ब्याज अर्जित लेकिन ऋणों पर देय		**3.28**		1.47
ग. पहले ही प्राप्त आय		**-**		0.08
घ. अन्य देय (प्रकार स्पष्ट करें)				
–फारवर्ड कवर – बैंक को देय राशि	**2,576.90**		5,541.55	
घटायें : प्राप्य विदेशी मुद्रा	**2,522.61**		5,367.14	
	54.29		174.41	
– विविध लेनदार–अन्य	**70.05**		80.56	
– ग्राहकों से प्राप्त अग्रिम	**270.85**		564.53	
– अप्रदत्त लाभांश	**0.31**		0.13	
– देय डिस्पैच	**13.91**		24.71	
– देय डेमरेज	**4.41**		65.67	
– विविध देनदारों में क्रेडिट शेष	**1022.61**		1358.04	
– सुरक्षा जमा तथा ईएमडी	**349.95**		426.95	
– करों तथा कर्मचारियों के बकाया के लिए लंबित विप्रेषित राशि	**1988.14**		2219.93	
– वेतन व भत्ते	**7.84**		9.02	
– प्रशासनिक व्यय	**95.90**		143.08	
– बिना बिल के क्रय के लिए देय राशि	**3150.89**		6022.58	
– अन्य	**1345.78**		614.67	
		8374.93		11704.28
		8383.13		11739.82
संयुक्त उपक्रमों में हितों की हिस्सेदारी		**306.16**		438.08
योग		**8689.28**		**12177.90**

5.4 लघु अवधि प्रावधान

(मिलियन रुपए में)

	31-03-2015		31-03-2014	
क. कर्मचारी लाभों के लिए प्रावधान				
i. बोनस/निष्पादन संबंधित वेतन	**53.64**		59.89	
ii. अर्जित अवकाश	**29.31**		24.95	
iii. सेवानिवृत्ति पश्चापत् चिकित्सा लाभ–ओपन ग्रुप	**12.55**		70.98	
iii. सेवानिवृत्ति पश्चापत् चिकित्सा लाभ–क्लोजड ग्रुप	**65.76**		-	
iv. अर्धवेतन अवकाश	**28.93**		24.34	
v. ग्रेच्युटी	**2.17**		0.78	
vi. अधिवर्षिता लाभ	-		39.20	
vii. सेवा अवार्ड	**8.34**		6.82	
viii. अनुकम्पार ग्रेच्युटी	**0.33**		0.40	
ix. कर्मचारी परिवार लाभ योजना	**9.43**		10.50	
x. अन्य	**-**	**210.46**	**-**	237.86
ख. अन्य				
i. कराधान	**160.74**		781.09	
ii. प्रस्तावित लाभांश	**250.00**		150.00	
iii. लाभांश वितरण कर	**50.89**		25.49	
iv. गंतव्य भार तथा विश्लेषण जोखिम	**0.67**		1.19	
v. कारपोरेट सामाजिक दायित्व	**6.14**		-	
vi. कानूनी झगड़ों के निपटारों हेतु प्रावधान	**321.77**		-	
		790.21		957.78
		1000.67		1195.64
संयुक्तय उपक्रमों में हितों की हिस्सोदारी		**172.87**		75.33
योग		**1173.55**		**1270.97**

6. गैर–चालू परिसंपत्तियां

6.1 स्थायी परिसंपत्तियां

6.1.1 मूर्त(टैंजीबल) परिसंपत्तियां

(रुपए मिलियन मे)

	सकल ब्लॉक					मूल्यवद्दास/क्षति						सकल कैरिंग लागत	
	1-4-2014	जोड़े गए	अन्य समायोजन	निपटान किए गए	31-03-2015	01-04-2014 को आरंभिक शेष	वर्ष के लिए मूल्यूह्रास*	क्षति/(क्षति का निराकरण (रिवर्सल))	अनुयोग	कटौतियां	को शेष 31-03-2015	31-03-2015	31-03-2014
फ्रीहोल्ड भूमि													
-कार्यालय भवन	3.66	-			**3.66**	-			-		**-**	**3.66**	3.66
-स्टॉफ क्वार्टर्स	1.33	-			**1.33**	-			-		**-**	**1.33**	1.33
लीज होल्ड भूमि													
-कार्यालय भवन	39.60				**39.60**	12.13	0.50	-	12.63	-	**12.63**	**26.97**	27.47
-स्टॉफ क्वार्टर्स	2.67				**2.67**	1.12	0.03	-	1.14		**1.14**	**1.53**	1.55
भवन													
-कार्यालय भवन	127.61	-	-	-	**127.61**	59.21	1.52	-	60.73	-	**60.73**	**66.88**	68.40
-स्टॉफ क्वार्टर्स/ रिहायशी फ्लैटस	70.03	0.19	(4.31)	-	**65.90**	53.46	0.51	-	53.97	(0.37)	**54.34**	**11.57**	16.57
-जलापूर्ति, मल निकासी तथा ड्रेनेज	9.48	-	-	-	**9.48**	9.40	0.08	-	9.48		**9.48**	**-**	0.09
-विद्युत इन्सटोलेशन्स	18.25	0.20	0.01	0.03	**18.43**	16.40	0.34	-	16.74	0.05	**16.69**	**1.73**	1.86
-सड़कें व पुलियां	3.58	-	-	-	**3.58**	3.21	0.14	-	3.35		**3.35**	**0.23**	0.37
-आडियो/आग/ वातानुकूलन	12.24	0.45	(0.06)	0.08	**12.54**	12.01	0.16	-	12.16	0.15	**12.01**	**0.53**	0.23
संयत्र तथा उपस्कर	796.24	0.25	-	1.51	**794.99**	332.08	33.17	-	365.25	1.51	**363.74**	**431.25**	464.16
फर्नीचर तथा फिक्चर्स		-	-	-									
-पार्टिशन	23.42	3.31	5.71	0.04	**32.42**	22.96	0.91	-	23.86	(0.76)	**24.62**	**7.78**	0.47
-अन्य	52.92	0.94	(2.11)	0.15	**51.60**	49.16	1.00	-	50.16	2.28	**47.88**	**3.72**	3.76
वाहन	21.57	-	-	0.55	**21.02**	20.47	0.24	-	20.71	0.55	**20.16**	**0.86**	1.09
कार्यालय उपस्कर	58.71	2.26	1.13	1.13	**60.97**	48.90	5.60	-	54.50	0.01	**54.49**	**6.48**	9.81
अन्य:-													
रेलवे वैगन रैक्स	553.64	-	-	-	**553.64**	421.68	25.10	106.87	553.64	-	**553.64**	**-**	131.97
बनीहट्टी पर रेलवे लूप लाइन	26.17	-	-	-	**26.17**	26.17	-	-	26.17	-	**26.17**	**-**	-
		-	-	-									
गोदाम	34.11	-	-	-	**34.11**	19.41	2.14	-	21.54	-	**21.54**	**12.56**	14.71
		-	-	-									
कम्प्यूटर/डाटा प्रोसेसर्स	180.58	4.87	0.08	1.37	**184.16**	171.47	6.15	-	177.62	1.15	**176.46**	**7.70**	9.11
		-	-	-									
संयुक्ती उपक्रमों में हितों की हिस्सेदारी	688.77	34.82	-	0.58	**723.01**	82.29	56.23	0.00	138.52	0.20	**138.32**	**584.69**	606.48
कुल योग	2724.58	47.28	0.46	5.44	**2766.89**	1361.51	133.80	106.87	1602.18	4.78	**1597.41**	**1169.47**	1363.09
विगत वर्ष	**2714.89**	**43.54**	**0.00**	**13.54**	2744.89	**1216.47**	**157.36**	**10.88**	**1384.71**	**9.51**	1375.20	**1369.69**	

(क) कुछ कार्यालयों से कार्यालय भूमि/भवन/फ्लैटस/पुलियों, सिवरेज व ड्रेनेज की लागत के अंतिम बिलों की प्राप्ति लंबित होने के कारण या निर्माणधीन/लीज डीड का निष्पादन होने तक इन्हें अस्थायी आधार पर आंका गया है।

(ख) दिल्ली के स्टॉफ क्वार्टर्स के लिए पट्टा धारित भूमि, सड़कें और पुलियों, सिवरेज, ड्रेनेज तथा जल आपूर्ति में वह सभी शामिल हैं जो स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन (एसटीसी) के साथ संयुक्तय रूप से लिया गया है।

(ग) आवासीय फ्लैटों में 0.002 मिलियन रुपए (गत वर्ष 0.002 मिलियन रुपए) के कोआपरेटिव ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी के 41 शेयर (गत वर्ष 41 शेयर) शामिल हैं। कुल फ्लैटों में जिनका प्रारंभिक मूल्य 31.3.2015 को 4.89 मिलियन रूपए (गत वर्ष 4.89 मिलियन रूपए) है, का हस्तांतरण पत्र लंबित है।

(घ) जो भूमि निगम के स्वामित्व में नहीं है उस पर बने कार्यालय भवन की लागत 6.24 मिलियन रुपए है (गत वर्ष 6.24 मिलियन रुपए) और मूल्यह्रास के लिए 3.57 मिलियन रुपए(गत वर्ष 3.45 मिलियन रुपए) का प्रावधान है।

(ड.) जो भूमि निगम के स्वामित्व में नहीं है उस पर जल आपूर्ति की लागत 0.66 मिलियन रुपए (गत वर्ष 0.66 मिलियन रुपए) है ।

(च) पारादीप में लीजहोल्ड भूमि जिसकी अवधि 20.11.2011 को समाप्त हो गई है पर बने रिहायशी भवन सड़कों व पुलियों तथा बिजली उपकरण व्यवस्थाओं की लागत 11.63 मिलियन रुपए (गत वर्ष 11.63 मिलियन रुपए) है तथा संचित मूल्यह्रास 6.44 मिलियन रुपए (गत वर्ष 6.30 मिलियन रुपए) है। पारादीप पोर्ट ट्रस्ट ने 15 वर्ष के लिए इसके नवीनीकरण की स्वीकृति प्रदान कर दी है। लेकिन सरकार से अंतिम अनुमोदन प्रतीक्षित है।

(छ) निगम ने परिसंपत्तियों की क्षति का निर्धारण किया है तथा परिसंपत्तियों के मूल्य में क्षति/हानि के लिए वर्ष के दौरान 106.87 मिलियन रुपए (गत वर्ष 10.88 मिलियन रुपए) का प्रावधान किया है।

(ज) कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची–।। के अनुसार कंपनी ने 1 अप्रैल, 2014 से अचल परिसंपत्तियों की मूल्यह्रास दरों को वस्तु की सक्रियता के आधार पर संशोधित किया है। तदानुसार कंपनी ने उक्त अनुसूची–।। के अनुसार 5.16 मिलियन रूपए (गत वर्ष शून्य मिलियन रूपये) ट्रांजिशनल प्रावधान के रूप में रिजर्व में प्रभारित किए हैं।

'जैसा कि उपर निर्दिष्ट किया गया है वर्ष के मूल्यह्रास में रिजर्व पर प्रभारित 5.16 मिलियन रूपए भी शामिल हैं।

(झ) अन्य समायोजन कॉलम में सकल ब्लाक के अंतर्गत स्टाफ क्वाटर्स/आवासीय फ्लैटस, इलैक्ट्रिकल इन्सटालेशंस, आडियो/फायर/एयर कंडीशनिंग, फर्निचर एंड फिक्सचर–पार्टिशन फर्निचर एंड फिक्सचर–अन्य, कार्यालय उपस्किर एंड कम्यूटर/डाटा प्रोसेसर के लिए क्रमशः (4.31) मिलियन रूपए, (0.01) मिलियन रूपए, (0.06) मिलियन रूपए, 1.17 मिलियन रूपए, (2.16) मिलियन रूपए, 1.08 मिलियन रूपए तथा (0.02) मिलियन रूपए की राशि परिसंपत्तियों के वर्गीकरण के लिए शामिल है। इसी प्रकार स्टाफ क्वाटर्स/आवासीय फ्लैटस, इलैक्ट्रिकल इन्सटालेशंस, आडियो/फायर/एयर कंडीशनिंग, फर्निचर एंड फिक्सचर–पार्टिशन, फर्निचर एंड फिक्सचर–अन्य, कार्यालय उपस्कर एवं कम्पयूटर/डाटा प्रोसेसर में कटौती/समायोजन। समायोजन कालम के अंतर्गत में कमशः (0.37) मिलियन रूपए, 0.01 मिलियन रूपए, 0.06 मिलियन रूपए, (1.17) मिलियन रूपए, 2.24 मिलियन रूपए, एवं (0.89) मिलियन रूपए, उपरोक्तानुसार परिसंपत्तियों के पुनर्वर्गीकरण हेतु तथा संचित मूल्यह्रास हेतु शामिल हैं। इसमें फर्निचर एंड फिक्सचर–पार्टीशन 0.24 मिलियन रूपए, फर्निचर एंड फिक्सचर–अन्य 0.07 मिलियन रूपए, कार्यालय उपस्कर 0.06 मिलियन रूपए एवं कम्पयूटर तथा डाटा प्रोससर 0.10 मिलियन रूपए विदेशी सहायक कंपनी की परिसंपत्तियों को क्लोजिंग विनिमय दरों में परिवर्तित करते समय विदेशी विनिमय के अंतर हेतु शामिल हैं।

6.1.2अमूर्त परिसंपत्तियां

(मिलियन रुपए में)

	सकल ब्लॉक						एसोटाईजेशन					निवल कैरिंग मूल्य	
	1-4-2014	जोड़े गए	अन्य समायोजन	निपटान	31-03-2015	को आरंभिक शेष 01-04-2014	वर्ष के लिए मूल्यह्रास	क्षति /(क्षति का निराकरण (रिवर्सल))	अनुयोग	कटौतियां	सकल कैरिंग मूल्य 31-03-2015	31-03-2015	31-03-2014
कम्प्यूटर सॉफटवेयर	2.68	0.14	0.01		2.83	0.83	0.53		1.36	-	**1.36**	**1.47**	1.84
समेकन पर गुडविल (संयुक्त उपक्रम)	8.59	0.18	-	-	8.77	8.07	0.41		8.47		**8.47**	**0.30**	0.52
समेकन पर गुडविल (एसोशिएटस)	219.16	-			219.16	131.50	43.83		175.33		**175.33**	**43.82**	87.67
संयुक्त उपक्रमों में हितों की हिस्सेदारी	1.43	4.94		-	6.37	0.34	1.07		1.40		**1.40**	**4.96**	1.09
कुल	231.86	5.26	0.01	-	**237.13**	140.74	45.83	-	186.57	-	**186.56**	**50.55**	91.12
विगत वर्ष	**263.37**	**1.66**	**0.19**	-	**264.84**	**122.60**	**51.14**	-	**173.74**	**0.19**	**173.55**	**91.28**	

6.1.3कार्यशील पूंजी

(मिलियन रुपए में)

	परिसंपत्तिया						मूल्यह्रास/क्षति					निवल कैरिंग मूल्य	
परिसंपत्तिया	1-4-2014	जोड़े गए	अन्य समायोजन	निपटान	31-03-2015	को आरंभिक शेष 01-04-2014	वर्ष के लिए मूल्यह्रास	क्षति /(क्षति का निराकरण (रिवर्सल))	अनुयोग	कटौतियां	सकल कैरिंग मूल्य 31-03-2015	31-03-2015	31-03-2014
भवन													
–निर्माणाधीन भवन	6.71				**6.71**	6.71			6.71		**6.71**	**-**	-
–विद्युत इंस्टालेशन	6.70				**6.70**	6.70			6.70		**6.70**	**-**	-
–सड़कें एवं पुलिया	0.47				**0.47**	0.47			0.47		**0.47**	**-**	-
कम्प्यूटर	0.00	0.05	-	-	0.05	-	-	-	-	-	**0.00**	**0.05**	0.00
संयत्र एवं उपस्कर	13.80		-		**13.80**	13.80			13.80		**13.80**	**-**	-
गोमिया कोल ब्लाक का विकास	65.43	0.36	-	65.79	-	-			-		**-**	**-**	65.43
संयुक्त उपक्रमों में हितों की हिस्सेदारी	1353.18	181.75	-	-	**1534.94**	-		0.39	0.39		**0.39**	**1534.55**	1353.18
कुल	1446.30	182.16	-	65.79	**1562.67**	27.69	-	0.39	28.07	-	**28.07**	**1534.60**	1418.61
विगत वर्ष	**1284.87**	**161.52**	**0.09**	**0.00**	**1446.30**	**27.69**	**0.00**	**0.00**	**27.69**	**0.00**	**27.69**	**1418.61**	

6.2 गैर चालू निवेश

(रूपए मिलियन में

	31-03-2015		31-03-2014	
I व्यापारिक निवेश				
क. निवेश संपत्ति				
बांद्रा कुर्ला काम्प्लैक्स		**36.31**		36.31
ख. इक्विटी दस्तावेजों में निवेश				
क) एसोशिएटस				
i. नीलाचल इस्पात निगम लि.				
प्रत्येक 10/–रू. मूल्य के 289,342,744 पूर्ण प्रदत्ते इक्विटी शेयर (गत वर्ष प्रत्येक 10/– रू. मूल्य के 289,342,744 पूर्ण प्रदत्त इक्विटी शेयर)	**3796.85**		**3796.85**	
जोडें : एसोशिएटस से अब तक आय	**(1,036.49)**		121.74	
घटाएं : गुडविल	**219.16**	**2541.19**	219.16	3699.43
ii. देवोना थर्मल पावर एण्ड इंफ्रास्ट्रक्चर लि				
प्रत्येक 10/–रू. मूल्य के 13,000 पूर्ण प्रदत्ते इक्विटी शेयर (गत वर्ष प्रत्येक 10/– रु. मूल्य के 13,000 पूर्ण प्रदत्त इक्विटी शेयर)	**0.13**		0.13	
घटाएं : गुडविल	**0.13**	**-**	0.13	-
ग. अन्य				
I. इंडो फ्रैंच बायोटैक लिमिटेड प्रत्येक 10 रुपये मूल्य के 4,750, 000 पूर्ण प्रदत्त इक्विटी शेयर (गत वर्ष प्रत्येक 10/– रुपये मूल्य के 4,750,000 पूर्ण प्रदत्त इक्विटी शेयर)	**47.50**		47.50	
घटाए : निवेश के मूल्य में ह्रास के लिए प्रावधान	**47.50**	**0.00**	47.50	0.00
ii. यूनाईटेड स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड प्रत्येक 1/– रुपए मूल्य के 30,000,000 पूर्ण प्रदत्त इक्विटी शेयर (गत वर्ष प्रत्येक 1/– रुपए मूल्य के 30,000,000 पूर्ण प्रदत्त इक्विटी शेयर)		**30.00**		30.00
घ. इक्विटी के लिए अग्रिम लेकिन आबंटन लम्बित – टीएम माईनिंग कंपनी लिमिटेड		**0.00**		**0.13**
		2607.50		**3765.87**
II. अन्य निवेश–संयुक्त उद्यम				
प्रत्येक 5/– रूपए मूल्य के 52,000,000 पूर्ण प्रदत्त इक्विटी शेयर (गत वर्ष प्रत्येक 5/– रूपये मूल्य के 52,000,000 पूर्ण प्रदत्त इक्विटी शेयर)	**260.00**			
घटाएं : निवेश के मूल्य में हरास के लिए प्रावधान	**241.10**	**18.90**		
संयुक्त उपक्रमों में हितों की हिस्सेदारी		**(0.69)**		(4.79)
योग		**2625.71**		**3761.08**

*जेवी कंपनी कमोडिटी एक्सचेंज से वर्ष 2014–15 के वित्तीय विवरण प्राप्त नहीं हुए हैं अतः उन्हें समेकित वित्तीय विवरण में लिया गया है और तदनुसार निवेश दिखाया गया है।

(i) सभी गैर चालू निवेशों का आकलन लागत पर किया गया है लागत में यदि कोई स्थायी ह्रास है तो इसके प्रावधान को घटा दिया गया है। निगम के कोई उद्धृत निवेश नहीं हैं। अनुद्धृत निवेशों की कुल योग राशि 3874.48 मिलियन रुपए (गत वर्ष 3874.48 मिलियन रुपए) है। निवेशों के मूल्य में ह्रास के लिए 47.50 मिलियन रुपए(गत वर्ष 47.50 मिलियन रुपए) की कुल राशि का प्रावधान किया गया है।

(ii) यूनाइटेड स्टॉक एक्सचेंज (यूएसई) में 30.00 मिलियन रूपए (गत वर्ष 30.00 मिलियन रूपए) के निवेश के बारे में, चालू वर्ष के दौरान यूएसई ने सेबी, सीसीआई एवं शेयरहोल्डर्स से यूएसई को बाम्बे स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) में मिलाने के लिए अनुमोदन प्राप्त कर लिया है और इसकी नियत तिथि 1.4.2014 है। माननीय बाम्बे, उच्च न्यायालय ने मिलान की योजना को दिनांक 24.04.2015 को अनुमोदन प्रदान कर दिया है, लेकिन आर्डर की प्रमाणित प्रति प्राप्त होनी शेष है। आर्डर की प्रमाणित प्रति रजिस्ट्रार आफ कंपनीज के कार्यालय में फाइल कर देने के उपरांत मिलान प्रभावी हो जाएगा। परिणामस्वरूप कंपनी को यूएसई में 3,00,00,000 शेयरों के बदले बीएसई के 77,922 शेयर मिल जाएंगें (जो कि यूएसई के प्रत्येक 385 शेयरों के बदले बीएसई का 1 शेयर मिलेगा)

6.3 आस्थगित कर संपतियां(निवल)

दिनांक 31.03.2015 को आस्थगित कर परिसंपत्तियों में निम्नलिखित शामिल हैं:

(रूपए मिलियन में)

विवरण	दिनांक 1.4.2014 का अस्थगित कर परिसंपत्तियां / (देयता)	2014–15 के दौरान क्रेडिट / (चार्ज)	दिनांक 31.03.2015 को अस्थगित कर परिसंपत्तियां / (देयता)
मूल्यह्रास	(159.23)	45.83	**(113.40)**
संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान	2403.89	(136.30)	**2267.59**
डीडब्ल्यूए जोखिम	0.00	0.23	**0.23**
वीआरएस व्यय	16.90	(5.83)	**11.07**
मुकदमेबाजी निपटाने के लिए प्रावधान	0.00	111.36	**111.36**
सीएसआर के लिए प्रावधान	0.00	2.12	**2.12**
संयुक्त उपक्रमों में हितों की हिस्सेदारी	(47.49)	1.84	**(45.66)**
कुल	**2214.07**	**19.25**	**2233.31**

6.4 दीर्घावधि ऋण व अग्रिम

(रूपए मिलियन में)

	31-03-2015		31-03-2014	
क. पूंजी अग्रिम				
I. वसूली योग्य सुरक्षित	-		-	
II. वसूली योग्य असुरक्षित	**0.50**		-	
III. संदिग्ध	-		-	
	0.50		-	
घटाएं: अशोध्य व संदिग्ध अग्रिमों के लिए प्रावधान	-	**0.50**	-	-
ख. सुरक्षित जमा				
I. वसूली योग्य सुरक्षित	**106.31**		49.46	
II. वसूली योग्य असुरक्षित	**19.37**		17.63	
III. संदिग्ध	**18.76**		47.49	
	144.44		114.58	
घटाएं: अशोध्य व संदिग्ध अग्रिमों के लिए प्रावधान	**18.76**	**125.68**	47.49	67.09
ग. संबंधित पार्टियों को ऋण व अग्रिम				
I. वसूली योग्य सुरक्षित	**-**		-	
II. वसूली योग्य असुरक्षित	**0.11**		10.25	
III. संदिग्ध	**4.85**		4.85	
	4.95		15.10	
घटाएं: अशोध्य व संदिग्ध अग्रिमों के लिए प्रावधान	**4.85**	**0.11**	4.85	10.25
घ. अन्य ऋण व अग्रिम				
I. वसूली योग्य सुरक्षित				
-पीएसयू/अन्य कंपनियों को ऋण एवं अग्रिम	**88.40**		88.38	
-अर्जित तथा प्राप्य/अप्राप्य ब्याज	**0.03**		**-**	
-कर्मचारियों को ऋण	**171.96**	**260.39**	180.35	268.73
II. वसूली योग्य असुरक्षित				
-पीएसयूज/अन्य कंपनियों को ऋण एवं अग्रिम	**175.77**		173.09	
-अर्जित तथा प्राप्य/अप्राप्य ब्याज	**28.60**		29.72	
-कर्मचारियों को ऋण	**88.22**		97.63	
-अन्य	**189.65**		55.07	
III. संदिग्ध	**2486.58**		2362.73	
	2968.83		2718.24	
घटाएं: अशोध्य व संदिग्ध अग्रिमों के लिए प्रावधान	**2486.58**	**482.24**	2362.73	355.51
		868.92		701.57
संयुक्त उपक्रमों में हितों की हिस्सेदारी		**38.16**		36.10
योग		**907.08**		**737.68**

6.5 अन्य गैर चालू परिसंपत्तियां

(रूपए मिलियन में)

	31-03-2015		31-03-2014	
क दीर्घावधि ट्रेड प्राप्य				
I. वसूली योग्य (परिसंपत्तियों की गिरवी/टाईटल डीडस के गिरवी तथा बैंक गारंटियों से सुरक्षित)	-		-	
ii. वसूली योग्य असुरक्षित	**10.51**		14.60	
iii. वसूली योग्य संदिग्ध	**3751.73**		4117.93	
	3762.24		4132.53	
घटाएं : अशोध्य व संदिग्ध अग्रिमों के लिए प्रावधान	**3753.92**	**8.32**	4117.93	14.60
ख. अन्य		**-**		-
		8.32		14.60
संयुक्त उपक्रमों में हितों की हिस्सेदारी		**4.17**		4.12
योग		**12.49**		**18.72**

7. चालू परिसंपत्तियां

7.1 वर्तमान निवेश

(मिलियन रूपए में)

	31-03-2015		31-03-2014	
एसबीआई प्रीमियर लिक्विट फंड – डायरेक्ट प्लान दैनिक लाभांश शून्य रूपए (558185.8958 यूनिटस प्रत्येक यूनिट का मूल्य 1003.25 रूपए)	-	-	560.00	560.00
संयुक्त उपक्रमों में हितों की हिस्सेदारी		**128.81**		0.45
योग		**128.81**		**560.45**

वर्तमान निवेशों का मूल्यांकन निम्नतर लागत तथा उचित मूल्य पर किया जाता है।
31.03.2015 को उदधृत निवेशों की कुल बाजार लागत शून्य मिलियन रूपए (गत वर्ष 560.49 मिलियन रूपए) लागत की तुलना में शून्य मिलियन रूपए (गत वर्ष 560.00 मिलियन रूपए) है।

अनुदधृत निवेशों की कुल राशि 128.81 मिलियन रूपए (गत वर्ष 0.45 मिलियन रूप्ए) है।

7.2 इन्वैंट्रीज

(मिलियन रूपए में)

	31-03-2015		31-03-2014	
क. कच्चा माल	**233.91**		260.13	
ख. तैयार माल	**358.50**		626.60	
ग. स्टाक–इन–ट्रेड (544.19 मिलियन रूपए मूल्य के गुडस इन ट्रांजिट शामिल हैं।) (गत वर्ष 843.55 मिलियन रूपए)	**2,601.69**		2,196.97	
घ अन्य (स्पष्ट करें)	**-**	**3194.10**	0.25	3083.95
		3194.10		3083.95
संयुक्त उपक्रमों में हितों की हिस्सेदारी		**144.12**		84.41
योग		**3338.22**		**3168.36**

प्रबंधतंत्र के मूल्यांकन एवं प्रमाणन के अनुसार आंकड़ों को लिया गया है।

7.3 ट्रेड प्राप्य (रिसिवेबलस)

(मिलियन रूपए में)

	31-03-2015		31-03-2014	
क. भुगतान के लिए नियत तिथि से छः माह से अधिक की अवधि के बकाया ट्रेड प्राप्य				
I. सुरक्षित–वसूली योग्य	**529.92**		2367.48	
ii. असुरक्षित – वसूली योग्य	**3,121.85**		669.79	
iii. संदिग्ध	**205.60**		202.17	
	3,857.37		3239.44	
घटाएं : अशोध्य एवं संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान	**205.60**	**3,651.77**	202.17	3037.27
ख. अन्य ट्रेड प्राप्य				
i. सुरक्षित–वसूली योग्य	**3,553.63**		1044.46	
ii. असुरक्षित – वसूली योग्य	**23,211.37**		13276.44	
iii. संदिग्ध	**-**		-	
	26,765.00		14320.90	
घटाएं : अशोध्य एवं संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान	**-**	**26,765.00**	-	14320.90
		30416.77		17358.17
संयुक्त उद्यमों में हितों की हिस्सेदारी		**19.58**		66.69
योग		**30436.35**		**17424.86**

7.4 रोकड़ तथा बैंक शेष

(मिलियन रूपए में)

	31-03-2015		31-03-2014	
क. रोकड़ तथा रोकड़ समकक्ष				
– उपलब्ध चौक्स, ड्राफ्टस		**0.99**		0.80
– उपलब्ध रोकड		**0.08**		0.11
– बैंकों में शेष				
I. चालू खाते में	**56.32**		73.04	
ii. कैश क्रेडिट खाते में (डेबिट शेष)	**1,005.19**		18.55	
iii. तीन माह की मूल मैच्यूरिटी के साथ सावधि जमा	**221.80**	**1283.31**	3201.32	3292.91
ख. बैंकों के पास अन्य शेष				
– मार्जिन राशि/लियन के रूप में	**-**		3.00	
– तीन माह से अधिक तथा 12 माह तक की अवधि की मूल मैच्यूरिटी के सावधि जमा	**1330.49**		2349.64	
– 12 माह से अधिक अवधि की मूल मैच्योरिटी	**0.13**	**1330.62**	0.13	2352.77
		2615.00		5646.59
संयुक्त उद्यमों में हितों की हिस्सेदारी		**1566.49**		812.20
योग		**4181.49**		**6458.79**

भारत के इंस्टीट्यूट आफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स द्वारा जारी लेखा मानक–3 के प्रावधानों के अनुरूप "रोकड़ एवं रोकड़ समकक्ष" को "रोकड़ एवं बैंक शेष" में परिवर्तित किया गया है।

7.5 लघु अवधि ऋण व अग्रिम

(मिलियन रूपए में)

	31-03-2015		31-03-2014	
अन्य				
i. रोकड़ अथवा माल के रूप में वसूली योग्यड अग्रिम				
सुरक्षित – वसूली योग्य	**79.91**		254.18	
असुरक्षित – वसूली योग्य*	**12199.62**		5534.33	
संदिग्ध	**50.03**		211.28	
	12329.56		5999.79	
घटाएं : अशोध्य एवं संदिग्धी ऋणों के लिए प्रावधान	**50.03**	**12279.53**	211.28	5788.51
ii. आपूर्तिकर्ताओं को अग्रिम				
सुरक्षित – वसूली योग्य	**0.00**		-	
असुरक्षित – वसूली योग्य	**41.79**		167.97	
संदिग्ध	**4.77**		98.26	
	46.57		266.23	
घटाएं : अशोध्य एवं संदिग्धी ऋणों व अग्रिमों के लिए प्रावधान	**4.77**	**41.79**	98.26	167.97
iii. आयकर (अग्रिम आयकर, टीडीएस तथा वैट सहित देय रिफंड)				
असुरक्षित–वसूली योग्य		**573.44**		932.17
		12894.76		6888.65संयुक्ति
उद्यमों में हितों की हिस्सेदारी		**284.99**		379.07
योग		**13179.75**		**7267.72**

* अगस्त 2012 से राज्य सरकारों के लिए आयात किए गए खाद्य तेलों के विरूद्ध भारत सरकार से प्राप्त होने वाली सब्सिडी के लिए रिसिवेबल में 3732.90 मिलियन रूपए (गत वर्ष 3732.90 मिलियन रूपए) शामिल हैं। राशि अभी तक लंबित है क्योंकि नियमित बजट तथा ग्रांटस हेतु सप्लीमेंटरी डिमांड में फंडस का आबंटन नहीं हुआ है।

7.6 अन्य वर्तमान परिसंपत्तियां

(मिलियन रूपए में)

	31-03-2015		31-03-2014	
आस्थगित प्रीमियम	**33.92**		46.22	
बिल न किए गए क्रय के प्रति स्वर्ण/चांदी का स्टॉक	**3150.89**		6022.58	
	3184.81		6068.80	
घटाएं : संदिग्ध राशि, यदि कोई हो तो, के लिए प्रावधान	**-**	**3184.81**	-	6068.80
संयुक्त उद्यमों में हितों की हिस्सेदारी		**18.98**		16.25
योग		**3203.79**		**6085.05**

8. प्रचालन से राजस्व

(मिलियन रूपए में)

	2014-15		2013-14	
क. उत्पादों की बिक्री		**181426.10**		257340.51
ख. सेवाओं की बिक्री		**46.20**		39.62
ग. अन्य प्रचालन राजस्व				
-अर्जित डिस्पैच	**12.68**		9.11	
-दावे	**231.21**		1903.97	
-आर्थिक सहायता	**-**		0.00	
-अन्य व्यापारिक आय	**210.36**		108.78	
	454.25		2021.86	
घटाएं:				
घ. उत्पाद शुल्क	**5.56**	**448.69**	1.37	2020.49
		181920.99		259400.62
संयुक्त उद्यमों में हितों की हिस्सेदारी		**57395.43**		22021.93
योग	**239316.42**		**281422.55**	

9. अन्य आय

(मिलियन रूपए में)

	2014-15		2013-14	
क. ब्याज				
- फिक्स डिपजिट पर ब्याज	**328.24**		857.02	
- ग्राहकों की विलम्बित राशि से ब्याज	**40.15**		81.36	
- अन्य (i)	**659.21**	**1027.61**	510.07	1448.45
ख. लाभांश				
- संयुक्त उद्यम कंपनी से	**52.34**			
- अन्य(म्यूचुअल फंडस)	**19.40**	**71.74**		32.64
ग. निवेशों की बिक्री से शुद्ध लाभ/हानि		**-**		-
ग. अन्य गैर प्रचालन आय (उक्त आय पर सीधा आरोप्य सकल व्यय)				
- स्टाफ क्वार्टर किराया	**5.85**		5.88	
- विविध प्राप्तियां	**87.09**		231.65	
- रिटन बैक देयताएं	**87.38**		572.12	
- विदेशी मुद्रा विनिमय अर्जन	**0.00**		4.38	
घटाएं: विदेशी विनिमय हानि	**-**	**180.32**	-	814.03
		1279.66		2295.12
संयुक्त उद्यमों में हितों की हिस्सेदारी		**169.39**		104.54
योग		**1449.06**		**2399.66**

(i) समय–समय पर सहायक कंपनी नीलाचल इस्पात निगम लिमिटेड (एनआईएनएल) को प्रदान की गई अल्पावधि ऋण की सुविधा पर 543.32 मिलियन रूपए (गत वर्ष 298.98 मिलियन रूपए) का ब्याज भी शामिल है।

10. प्रयुक्त माल की लागत

(मिलियन रूपए में)

	2014-15	2013-14
कच्चा माल	**1,222.05**	1,586.70
पैकिंग माल	**-**	-
कंज्यूमेबल्स	**-**	26.40
लूज टूल्सल	**-**	-
	1,222.05	1,613.10
संयुक्त उद्यमों में हितों की हिस्सेदारी	**-**	-
योग	**1222.05**	**1,613.10**

11. स्टॉक इन ट्रेड का क्रय

(मिलियन रूपए में)

उत्पाद समूह	2014-15		2013-14	
क. क्रय				
बहुमूल्य धातुएं	**43788.27**		84441.94	
धातुए	**9263.37**		15094.38	
उर्वरक	**79702.15**		39616.24	
खनिज	**16019.90**		22534.98	
कृषि उत्पाद	**2949.59**		27281.96	
कोयला व हाईड्रोकार्बन	**16218.18**		37961.80	
सामान्य व्यापार/अन्य	**839.03**	**168780.49**	0.00	226931.30
ख. माल के रूप में प्राप्त/जारी किया गया स्टॉक				
बहुमूल्य धातुएं		**(6.65)**		**(40.96)**
अलौह धातुएं		**(85.98)**		
		168687.86		226890.34
संयुक्त उद्यमों में हितों की हिस्सेदारी		**56580.52**		22662.46
योग		**225268.38**		**249552.80**

12. इन्वैन्ट्रीज में परिवर्तन

(मिलियन रूपए में)

उत्पाद समूह	2014-15		2013-14	
क. तैयार माल				
आरंभिक शेष	**886.98**		946.75	
अंतिम शेष	**649.91**		945.42	
तैयार माल की इन्वैंट्रीज में परिवर्तन		**237.07**		1.33
ख. स्टॉक–इन–ट्रेड				
आरंभिक शेष	**2197.28**		7941.08	
अंतिम शेष	**2718.31**		2214.75	
स्टॉक–इन–ट्रेड का इन्वैंट्रीज में परिवर्तन		**(521.03)**		5,726.33
		(283.96)		5,727.66
संयुक्त उद्यमों में हितों की हिस्सेदारी		**(57.03)**		45.79
योग		**(340.99)**		**5,773.45**

13. कर्मचारी लाभ व्यय

(मिलियन रूपए में)

	2014-15		2013-14	
वेतन व मजदूरी				
वेतन तथा भत्ते	**1316.66**		1286.42	
छुट्टी नकदीकरण	**142.33**		124.57	
वीआर व्यय	**0.17**		21.83	
बोनस	**2.68**		(4.07)	
निष्पादन संबंधित वेतन	**27.64**		0.29	
चिकित्सा व्यय	**72.65**		235.63	
सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा व्यय	**149.49**		0.00	
ग्रुप बीमा	**1.14**		0.46	
डीएलआईएस में अशंदान	**3.23**	**1715.99**	1.57	1666.70
भविष्य निधि तथा अन्य निधियों में अशंदान				
भविष्य निधि	**100.52**		100.55	
ग्रेच्युटी निधि	**14.06**		2.67	
परिवार पैंशन योजना	**17.99**		14.49	
अधिवर्षिता लाभ	**79.12**	**211.69**	78.18	195.89
स्टाफ कल्याण व्यय		**37.08**		75.92
		1964.76		1938.51
संयुक्त उद्यमों में हितों की हिस्सेदारी		**56.20**		58.31
योग		**2020.96**		**1996.82**

14. वित्त लागत

(मिलियन रूपए में)

	2014-15	2013-14
I. ब्याज व्यय	**161.24**	309.81
II. अन्य ऋण लागत	**-**	-
III. विदेशी मुद्रा लेन देन पर लागू सकल लाभ/हानि	**-**	0.05
IV फारवर्ड कांट्रेक्ट पर प्रीमियम	**26.46**	404.99
	187.70	714.85
संयुक्त उद्यमों में हितों की हिस्सेदारी	**203.31**	144.46
योग	**391.01**	**859.31**

15. अन्य व्यय

(मिलियन रूपए में)

	2014-15		2013-14	
क. प्रचालन व्यय				
भाड़ा	**5051.41**		7057.95	
डेमरेज	**10.60**		2.45	
क्लियरिंग, हैंडलिंग, डिस्काउंट एवं अन्य प्रभार	**1070.30**		3838.65	
एलसी नेगोशियेशन एवं अन्य प्रभार	**10.57**		5.66	
विनिमय में अंतर	**41.20**		1 ,046.41	
सीमा शुल्क	**3783.78**		8139.87	
बीमा	**9.48**		30.99	
गोदाम बीमा	**6.92**		11.03	
प्लॉट तथा गोदाम किराया	**14.18**		8.47	
पैकिंग माल	**8.18**		221.02	
गंतव्यी भार एवं विष्लेषण जोखिम के लिए प्रावधान	**0.67**	**10007.29**	1.19	20363.69
ख. प्रशासनिक व्यय				
स्टोर्स तथा स्पेयर पार्टस का उपभोग	**0.30**		-	
ऊर्जा एवं इंधन	**1.67**		1.67	
किराया	**39.69**		44.73	
दरें एवं कर	**17.25**		15.39	
बीमा	**1.12**		1.77	
भवनों की मरम्मत	**47.31**		49.45	
मशीनों की मरम्मत	**0.78**		1.42	
बिजली एव जल प्रभार	**25.90**		23.42	
विज्ञापन एवं प्रचार	**16.69**		16.51	
प्रिटिंग एवं स्टेशनरी	**7.23**		6.59	
पोस्टेज एवं टेलीग्राम	**3.09**		2.54	
टेलीफोन	**15.05**		16.31	
टेलीकम्युनिकेशन	**8.09**		7.26	
यात्रा	**39.17**		44.31	
वाहन	**19.32**		19.20	
मनोरंजन	**7.18**		7.54	
विधिक	**48.55**		87.79	
लेखा परीक्षकों का पारिश्रमिक (i)	**6.56**		7.79	
बैंक प्रभार	**4.17**		12.10	
किताबें एवं पत्रिकाएं	**0.43**		0.48	
ट्रेड	**5.67**		5.27	
मरम्मत एवं नवीकरण	**18.41**		17.76	
कम्प्यूटर	**0.18**		1.15	
अंशदान	**3.56**		4.54	
प्रशिक्षण सेमिनार तथा कान्फ्रेंस	**7.54**		4.09	
प्रोफेशनल/कंसलटैंसी	**23.46**		29.01	
सीएसआर तथा स्थाई विकास	**4.68**		6.34	
विनिमय में अंतर	**(3.48)**		(21.49)	
सेवा कर	**8.54**		-	
पूर्वावधि मदें (ii)	**16.00**		6.90	
प्रदर्शनी, मेले एवं बिक्री प्रोमोशन	**6.86**		15.17	
अशोध्य ऋण/दावे/बट्टे खाते में डाली गई /निकाली गई(विदड्रान) परिसंपत्तियां	**299.96**		17.15	
गोमिया कोल ब्लॉक पर हुए व्यय पर अलग से प्रभारित	**78.35**		10.74	
अशोध्य एवं संदिग्ध ऋणों/दावों/अग्रिमों के लिए प्रावधान	**12.36**		12.74	
विविध व्यय	**66.24**	**857.88**	68.87	544.51
		10865.17		20908.20
संयुक्त उद्यमों में हितों की हिस्सेदारी		**282.68**		179.45
कुल		**11147.85**		**21087.65**

(प) लेखा परीक्षकों को भुगतान की गई राशि

(मिलियन रूपए में)

	2014-15	2013-14
लेखा परीक्षकों के रूप में	**3.45**	4.48
कराधान मामलों के लिए	**1.38**	1.49
कंपनी के विधि मामलों के लिए	**-**	-
प्रबंधतंत्र सेवाओं के लिए	**-**	-
अन्य सेवाओं के लिए	**1.66**	1.79
व्ययों की प्रतिपूर्ति के लिए	**0.07**	0.03;
योग	**6.56**	**7.79**

(ii) पूर्वावधि मद

(मिलियन रूपए में)

	2014-15	2013-14
व्यय		
विक्रय की लागत	**3.43**	60.77
वेतन एवं मजदूरी	**-**	(0.90)
प्रशासनिक व्यय	**1.63**	3.03
ब्याज	(0.02)	0.09
मूल्यह्रास	**-**	-
अन्य	**3.06**	29.81
अनुयोग	**8.10**	92.80
आय		
बिक्री	**0.29**	57.34
ब्याज	(15.80)	3.21
अन्य प्राप्तियां	**7.61**	17.08
अनुयोग	(7.90)	77.63
कुल निवल	**16.00**	**15.17**

16. अपवादिक मदें

अपवादिक मदों में निम्नलिखित शामिल हैं:

(मिलियन रूपए में)

	2014-15		2013-14	
इन्वैंट्रीज का शुद्ध वसूली योग्य मूल्य के बराबर राइट डाउन करना और उसका रिवर्सल।	**141.14**		76.53	
रिस्ट्रक्चरिंग लागत के लिए किसी प्रावधान का रिवर्सल	-		-	
स्थायी परिसंपत्तियों की मदों का निपटारा	**(0.32)**		(0.71)	
निवेश में स्थायी हरास के लिए प्रावधान	**-**		-	
पिल्फरेज के कारण हानि	**3.54**		-	
मुकदमेवाजी का निपटारा	**323.39**		17.10	
प्रावधान जिसकी अब आवश्यकता नहीं है	**(698.29)**		(103.45)	
निवेश संपत्ति के मूल्य में गिरावट	**-**	**(230.56)**	0.00	(10.53)
कुल		**(230.56)**		**(10.53)**

17. असाधरण मदें

18. आकस्मिक देयताएं एवं वचनबद्धता (उस सीमा तक जिसका प्रावधान नहीं):

I. आकस्मिक देयताएं:

क) कंपनी की तरफ से बैंकों द्वारा जारी 2039.36 मिलियन रुपए (पिछले वर्ष 3654.78 मिलियन रुपए) की गारंटियां 404 मिलियन रुपए (गत वर्ष 3361.56 मिलियन रुपए) की कारपोरेट गारंटी अनुबंध के निष्पादन के लिए ग्राहक के पक्ष में दी गई है, जिसके विरूद्ध एसोशिएट आपूर्तिकर्ताओं से 3764.60 रूपए (गत वर्ष 7152.30 मिलियन रूपए) की बैकअप गारंटियां प्राप्त की गई हैं।

ख) एनआईएनएल के ऋणों से संबंधित मूल तथा ब्याज राशि की सुनिश्चितता के लिए वित्तीय संस्थाओं बैंकों को नीलाचल इस्पात निगम लिमिटेड (एनआईएनएल) की ओर से निगम द्वारा 14693.70 मिलियन रुपए (पिछले वर्ष 13793.70 मिलियन रुपए) की कारपोरेट गारंटी दी गई है। वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा एनआईएनएल को 1800 मिलियन रूपए के ऋण के बारे में बैंक को कम्फर्ट लैटर भी जारी किया गया है जिसके विरूद्ध कंपनी ने 900.00 मिलियन रूपए की कारपोरेट गारंटी दी है। वर्ष के दौरान कंपनी ने बैंक को स्थायी अनुदेश दिए हैं कि वह कंपनी के बैंक एकाउंट से प्रति माह 25 मिलियन रूपए डेबिट करके उन्हें उसी बैंक में एनआईएनएल के चालू खाते में एनआईएनएल द्वारा अक्तूबर 2014 से 4 वर्षों की ऋण अवधि तक क्रेडिट करता रहे।

ग) कंपनी के विरूद्ध 3431.04 मिलियन रुपए (पिछले वर्ष 3652.51 मिलियन रुपए) के दावे जिन्हें ऋण नहीं माना गया।

घ) कंपनी द्वारा खोले गये साख पत्रों में से 3143.05 मिलियन रुपए (पिछले वर्ष 7496.56 मिलियन रुपए) की राशि बकाया है।

ड) 2248.73 मिलियन रुपए (पिछले वर्ष 2445.44 मिलियन रुपए) के विवादित बिक्री कर मांग जिसके लिए 183.53 मिलियन रुपए (पिछले वर्ष 192.94 मिलियन रुपए) जमा कराये गये और 0.67 मिलियन रुपए(पिछले वर्ष 0.74 मिलियन रुपए) बैंक गारंटियों द्वारा पूरे किए गए।

च) व्यापार सहायक सेवा के संबंध में 849.45 मिलियन रुपए (पिछले वर्ष 809.70 मिलियन रुपए) की सेवा कर मांग।

छ) स्टीम कोल के एक बैकअप सप्लायर ने वर्ष 2011–12 से 2012–2013 के दौरान एक कस्टमर को बैक टू बैक आधार पर कोल सप्लाई हेतु बढे रेल भाड़े, अस्वीकृत बैल्ट सैम्पलिंग, रैक रिजेक्शन तथा भुगतान में हुई देरी के लिए ब्याज हेतु 504.30 मिलियन रूपए (गत वर्ष 504.30 मिलियन रूपए) का दावा किया है जिसे कस्टमर ने विवादित करार दिया है।

ज) निष्पादन हेतु मूल दस्तावेजों की प्रस्तुति इत्यादि के लिए कस्टम विभाग को बांड प्रस्तुत किए गए हैं जिनमें से कुछ अभी भी बकाया हैं। 31.03.2015 को असमाप्त बांडो की राशि 9372.80 मिलियन रुपए (गत वर्ष 7615.00 मिलियन रुपए) है। जिनमें से वर्ष 2013–14 के दौरान कंपनी के दिल्ली क्षेत्रीय कार्यालय में 47.41 मिलियन रूपए का कारण बताओ नोटिस प्राप्त हुआ है जिसके लिए कस्टम विभाग से बात की जा रही है।

झ) एक पार्टी ने एनआईएनएल के कोकिंग कोल की आंशिक मात्रा के न उठाये जाने के संबंध में नोटिस जारी किया है जिसकी सुपुर्दगी वर्ष 2008–09 से संबंधित है और 4920.39 मिलियन रुपए (दिनांक 31.03.2015 को 62.5050 रूपए की अंतिम विनिमय दर के अनुसार 78.72 मिलियन अमेरिकी डालर बनते हैं)(गत वर्ष 4716.93 मिलियन रुपए) का दावा किया है। आर्बिट्रेशन ने अधिकांश आवार्ड एमएमटीसी के विरूद्ध दिया है जिसे माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई है। मध्यस्थ के अवार्ड के अनुसार दिनांक 31.03.2015 को ब्याज एवं मध्यस्थता की लागत 2370.41 मिलियन रूपए बनती है।

एमएमटीसी एवं एनआईएनएल के मध्य एग्रीमेंट हुआ था जिसके अनुसार एमएमटीसी एनआईएनएल को कच्चे माल की आपूर्ति करेगी जिसमें उनकी ओर से आयातित कोकिंग कोल भी शामिल है। तदनुसार मैसर्स एंगलो कोल द्वारा एनआईएनएल को आपूर्ति किए जा रहे कोकिंग कोल के मामले में विवाद उठाया था जिसके लिए एमएमटीसी ने बाद में कानूनी कार्यवाही की थी और इस संबंध में एमएमटीसी समय–समय पर एनआईएनएल को भी सूचित करती रही है।

ण) कस्टम विभाग ने चालू वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा सहयोगी आपूर्तिकर्ताओं के माध्यम से बैक–टू–बैक की शर्तों पर स्थिर मार्जिन आधार पर पावर कंपनियों को आपूर्ति किए गए स्टीम कोल के आयात पर अंतरीय कस्टम ड्यूटी/ब्याज/दंड इत्यादि के लिए विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालयों से 351.21 मिलियन रुपए (पिछले वर्ष 620.17 मिलियन रुपए) की मांग रखी है। क्षेत्रीय कार्यालय कोलकाता एवं मुंबई के मामलों में उनके लेखों की किताबों में क्रमशः 174.82 मिलियन रुपए (पिछले वर्ष शून्य मिलियन रुपए) तथा 215.61 मिलियन रुपए

(पिछले वर्ष शून्य मिलियन रुपए) की फर्म देयता दिखा रखी है। अगर कस्टम डयूटी की किसी प्रकार की देयता होगी तो इसे बैकअप सप्लायर के खाते से दिया जाएगा।

ट) उत्पाद शुल्क/पेनल्टी इत्यादि की 193.17 मिलियन रूपए (गत वर्ष 96.59 मिलियन रूपए) की मांग के लिए कंपनी ने सीईएसटीएटी के पास अपील फाइल कर दी है।

ठ) टारगेट प्लस लाइसेंस के विरूद्ध आयात किए गए आरबीडी पॉम आयल के संबंध में 256.99 मिलियन रूपए (गत वर्ष 256.99 मिलियन रूपए) की कस्टम डयूटी/दंड इत्यादि की मांग के संबंध में सीईएसटीएटी के पास अपील लंबित है।

ड) कुछ मामलों में आकस्मिक देयताओं के तहत शामिल की गई राशि भारत सरकार के खाते में किए गए वस्तु व्यापार से संबंधित है और इसे भारत सरकार से वसूल किया जाना है।

ढ) कर का निर्धारण पूरा हो जाने पर बिक्रीकर के लेखों से संबंधित मांग, कुछ कार्मिकों के विवादित दावे, एजेंटों/कांट्रेक्टरों द्वारा भविष्य निधि को नहीं काटना, विवादित किराया एवं ब्याज/दंड/विधि व्यय इत्यादि के संबंध में आई मांग पर यदि कोई अतिरिक्त देयता बनती है तो इस बारे में आकस्मिक देयताओं की निर्दिष्ट राशि अनिर्धारित तथा सुविचारित नहीं की गई है।

ण) उप क्षेत्रीय कार्यालय बेल्लारी से असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर ने 22.36 मिलियन रूपए (गत वर्ष शून्य मिलियन रूपए) के पीएफ की मांग की है। कंपनी ने मामले के बारे में कानूनी सलाह ली थी जिसके अनुसार यह सुझाया गया है कि मामला विवादित है और इसकी अपील की जाए।

त) संयुक्त उद्यमों के परीक्षित/गैर परीक्षित लेखा विवरणों के आधार पर आकस्मिक देयताओं में 33.43 मिलियन रुपए (गत वर्ष 22.49 मिलियन रुपए) की हिस्सेदारी बनती है।

थ) सहयोगियों के परीक्षित/गैर परीक्षित लेखा विवरणों के आधार पर आकस्मिक देयताओं में 1595.92 मिलियन रुपए (गत वर्ष 3525.79 मिलियन रुपए) की हिस्सेदारी बनती है ।

II. वचनबद्धताएं:

(क) पूंजी खातों पर निष्पादित किए गए करारों की अनुमानित राशि शून्य मिलियन रुपए (पिछले वर्ष 9.75 मिलियन रुपए) का प्रावधान नही किया गया।

(ख) संयुक्त उद्यमों के परीक्षित/गैर परीक्षित लेखा विवरणों के आधार पर पूंजी खातों पर निष्पादित नहीं किए गए करारों की अनुमानित राशि की हिस्सेदारी 22.94 मिलियन रूपए (गत वर्ष 101.46 मिलियन रूपए) का प्रावधान नहीं किया गया।

(ग) सहयोगियों के परीक्षित/गैर परीक्षित लेखा विवरणों के आधार पर पूंजी खातों पर निष्पादित नहीं किए गए करारों की अनुमानित राशि की हिस्सेदारी 886.41 मिलियन रूपए (गत वर्ष 1164.56 मिलियन रूपए) का प्रावधान नहीं किया गया।

सामान्य प्रकटनः–

19. लेखा मानक–17 के अनुसार कंपनी ने अपनी प्राथमिक रिपोर्ट योग्य बिजनेस सैगमेंटों में खनिजों, बहुमूल्य धातुओं, धातुओं, कृषि उत्पादों, कोयला व हाइड्रोकार्बन, उर्वरक तथा सामान्य व्यापार अन्यों की पहचान की है। सैकेंडरी सैगमेंटों की पहचान भारत की भीतरी व बाहरी भौगोलिक स्थिति पर आधारित है। अनुलग्नक 'क' में इसका विस्तार पूर्वक विवरण दिया गया है।

20. लेखा मानक–18 के अंतर्गत संबंधित पार्टियों का प्रकटन (प्रबंधतंत्र द्वारा यथा–निर्धारित एवं प्रमाणित)

(ए) संबंधित पार्टियों के नाम एवं संबंध का विवरणः

क) प्रबंधतंत्र के प्रमुख कार्मिक

i. श्री डी एस ढेसी अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (दिनांक 30.12.2014 तक), एमएमटीसी लिमिटेड

ii. श्री वेद प्रकाश निदेशक (दिनांक 30.12.2014 तक) अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक– प्रबंध निदेशक, एमएमटीसी लिमिटेड (दिनांक 31.12.2014 से)

iii. श्री राजीव जयदेव निदेशक, एमएमटीसी लिमिटेड

iv. श्री एम जी गुप्ता निदेशक (मुख्य वित्तीय अधिकारी), एमएमटीसी लिमिटेड

v. श्री आनन्द त्रिवेदी, निदेशक, एमएमटीसी लिमिटेड

vi. श्री पी के जैन, निदेशक, एमएमटीसी लिमिटेड

vii. श्री राजेंद्र प्रसाद, प्रबन्ध निदेशक, एमटीपीएल

viii श्री दीपक कुमार दुआ, निदेशक, एमटीपीएल

ख) सहायक कंपनी

एमएमटीसी ट्रांसनेशनल पीटीई लिमिटेड(एमटीपीएल), सिंगापुर

ग) एसोशिएट

नीलाचल इस्पात निगम लिमिटेड
देवोना थर्मल पावर एंड इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड

घ) संयुक्त उद्यम

- फ्री ट्रेड वेयर हाउसिंग प्रा. लिमिटेड
- हल्दिया फ्री ट्रेड वेयर हाउसिंग प्रा. लिमिटेड
- (फ्री ट्रेड वेयरहाउसिंग प्रा. लि. की सहायक कंपनी)
- इंटिग्रेटिड वेयरहाउसिंग कांडला प्रोजेक्ट डेवलपमेंट प्रा. लिमिटेड (फ्री ट्रेड वेयरहाउसिंग प्रा. लि. की सहायक कंपनी)
- एमएमटीसी पेम्प इंडिया प्रा. लिमिटेड
- एमएमटीसी गीतांजली प्राइवेट लिमिटेड
- इंडियन कमोडिटी एक्सचेंज लिमिटेड
- सिकॉल आयरन ओर टर्मिनल लिमिटेड
- टीएम माइनिंग कंपनी लिमिटेड
- ब्लू वाटर आयरन ओर टर्मिनल प्रा. लि.

बी. वर्ष 2014–15 के दौरान लेन–देन का विवरण

(रुपए मिलियन में)

विवरण	सहायक कंपनी	एसोशिएटस	संयुक्त उद्यम	प्रबंधतंत्र के प्रमुख कार्मिक	कुल
माल की खरीद	11295.95	8401.64	6119.32		25816.91
माल की बिक्री	2848.69	6433.07	1468.94		10750.70
प्राप्त लाभांश			52.34		52.34
रोकड़ अथवा वस्तु के रूप में ऋण तथा इक्विटी अंशदान सहित वित्त			19.75		19.75
कारपोरेट गारंटियां		14693.70			14,693.70
अन्य भुगतान डेमरेज/ डिस्पैच	0.05				0.05
पारिश्रमिक				36.09	36.09
प्राप्य	3.94	8669.93*		0.15	8674.02
देय	2719.91	3.12	2.79		2725.82

* इसमें नोट नं. 7.5 के अंतर्गत 'अल्प अवधि ऋण एवं अग्रिम' के 7191.48 मिलियन रूपए तथा नोट नं. 7.3 के अंतर्गत 'ट्रेड प्राप्य' के 1478.45 मिलियन रूपए दिखाए गए हैं।

21 . प्रति शेयर अर्जन

विवरण	2014-15		2013-14	
	असाधारण मदों से पूर्व	असाधारण मदों के बाद	असाधारण मदों से पूर्व	असाधारण मदों के बाद
कर पश्चात लाभ (मिलियन रुपये में)	(424.78)	(424.78)	1207.55	(181.58)
इक्विटी शेयरों की कुल संख्या(मिलियन)	1000	1000	1000	1000
बेसिक और डाइल्यूटिड प्रति शेयर अर्जन (रुपये) (अंकित मूल्य 1/– रु. प्रति शेयर) (गत वर्ष अंकित मूल्य 1/–रू. प्रति शेयर)	(0.42)	(0.42)	1.21	(0.18)

22. इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी संयुक्त उद्यमों में स्वामित्व की वित्तीय रिपोर्ट लेखा मानक–27 के अनुसार भारत में निगमित सभी संयुक्त उद्यम कंपनियों में स्वामित्व की हिस्सेदारी, परिसंपत्तियां, देयताएं, आय, व्यय, विविध देयताएं व पूंजीगत अर्हताएं निम्नानुसार हैं:

(रुपये मिलियन में)

क्रम सं.	संयुक्त उद्यम कंपनी का नाम	कंपनी की हिस्सेदारी का प्रतिशत	निगमन का देश	परिसंपत्तियां	देयताए	आय	व्यय	विविध देयताए	पूंजीगत वचन बद्धताएं
1	फ्री ट्रेड वेयरहाउसिंग प्रा. लि.	26	India	164.33	160.98	0.89	0.37	0.07	7.70
2	एमएमटीसी पेम्प इंडिया प्रा. लिमिटेड	26	India	2602.58	2117.13	57534.81	57089.87	30.43	5.55
3	सिकॉल आयरन ओर टर्मिनल लि.	26	India	1508.31	1170.41	-	-	0.37	9.69
4	इंडियन कमोडिटी एक्सिचेंज लिमिटेड	26	India	-	-	-	-	-	-
5	एमएमटीसी गीताजंलि प्रा. लि.	26	India	56.62	32.09	29.13	32.36	2.56	-
6	टीएम माइनिंग कं. लि.	26	India	0.06	0.05	-	(0.12)	-	-
7	ब्लू वाटर आयरन ओर टर्मिनल प्रा. लि..*	18**	India	-	-	-	-	-	-

*वर्ष 2014–15 के लिए जेवी के अंकेक्षित वित्तीय विवरण प्राप्त नहीं हुए हैं।

*कंपनी ने दिनांक 31.03.2015 तक इक्विटी में निवेश नहीं किया है।

23. मानक लेखा – 29 के अनुसार प्रावधानों का समाधान निम्नानुसार है:–

(रुपये मिलियन में)

प्रावधानों का विवरण	01.04.2014 को आरंभिक शेष	वर्ष के दौरान समायोजन	वर्ष के दौरान वृद्धि	31.03.2015 को अंतिम शेष
गंतव्य भार व विश्लेषण जोखिम	1.19	1.19	0.67	0.67
बोनस/पीआरपी	59.89	33.89	27.64	53.64
अधिवर्षिता लाभ	39.20	118.04	78.84	-
कराधान के लिए प्रावधान	781.09	781.09	160.74	160.74
प्रस्तावित लाभांश	150.00	150.00	250.00	250.00
प्रस्तावित लाभांश पर कर	25.49	25.49	50.89	50.89

24. कंपनी अधिनियम 2013 के अनुरूप समेकित वित्तीय विवरण के संबंध में अतिरिक्त सूचनाः–

ए) समेकित वितीय विवरण में शामिल सहायक कंपनियों, एसोशिएटस तथा संयुक्त उदयमों की सूची इस प्रकार हैः

सहायक कंपनी का नाम	निगमन का देश	दिनांक 31.03.2015 को स्वामित्व की हिस्सेदारी का अनुपात
एमएमटीसी ट्रांसनेशनल प्रा. लि.	सिंगापुर	100 प्रतिशत

एसोशिएटस का नाम		
नीलाचल इस्पात निगम लिमिटेड	भारत	49.78 प्रतिशत

संयुक्त उद्यम का नाम	निगमन का देश	दिनांक 31.03.2015 को स्वामित्व की हिस्सेदारी का अनुपात
फ्री ट्रेड वेयरहाउसिंग प्रा. लि.	भारत	26.00 प्रतिशत
एमएमटीसी पैम्प इंडिया प्रा. लि.	भारत	26.00 प्रतिशत
सिकॉल आयरन ओर टर्मिनल लि	भारत	26.00 प्रतिशत
एमएमटीसी गीतांजलि प्रा.लि	भारत	26.00 प्रतिशत
टीएम माइनिंग कंपनी लि.	भारत	26.00 प्रतिशत
हल्दिया फ्री ट्रेड वेयरहाउसिंग प्रा. लिमिटेड	भारत	वित्तीय विवरण फ्री ट्रेड वेयरहाउसिंग प्रा. लि. में सम्मिलित हैं।
इंटीग्रेटिड वेयरहाउसिंग कांडला प्रोजेक्ट डेवलपमेंट प्रा. लि.	भारत	वित्तीय विवरण फ्री ट्रेड वेयरहाउसिंग प्रा. लि. में सम्मिलित हैं।

बी) समेकित वित्तीय विवरण में शामिल नहीं की गई सहायक कंपनियों, एसोशिएटस तथा संयुक्त उद्यमों की सूची तथा इनके शामिल नहीं करने के कारण नीचे दिए गए हैं :–

एसोशिएटस का नाम	निगमन का देश	दिनांक 31.03.2015 को स्वामित्व की हिस्सेदारी का अनुपात
देवोना पावर एंड इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (i)	भारत	26.00 प्रतिशत

संयुक्तइ उद्यम का नाम	निगमन का देश	दिनांक 31.03.2015 को स्वामित्व की हिस्सेदारी का अनुपात
ब्लू वाटर आयरन ओर टर्मिनल प्रा. लि. (ii)	भारत	18.00 प्रतिशत*
इंडियन कमोडिटी एक्स चेंज लिमिटेड (iii)	भारत	26.00 प्रतिशत

(i) देवोना पावर एंड इन्फ्रांस्ट्रक्चर लिमिटेड से वर्ष 2014–15 का वित्तीय विवरण प्राप्त नहीं हुआ है अतः समेकित वित्तीय विवरण में इस पर विचार नहीं किया गया है।

(ii) ब्लू वाटर आयरन ओर टर्मिनल प्रा. लि. के लेखों का समेकन के लिए विचार नहीं किया गया क्योंकि कंपनी ने ब्लू वाटर आयरन ओर टर्मिनल प्रा. लि. की पूंजी/इक्विटी में कोई भी अंशदान नहीं किया और न ही 'दिनांक 31.03.2015 तक कंपनी ने इक्विटी में भी कोई निवेश किया है।

(iii) इंडियन कमोडिटी एक्सचेंज लिमिटेड से वर्ष 2014–15 के वित्तीय विवरण प्राप्त नहीं हुए हैं अतः समेकित वित्तीय विवरणों में इन पर विचार नहीं किया गया।

सी) समेकित वित्तीय विवरण में शामिल नहीं की गई सहायक कंपनियों, एसोशिएटस एवं संयुक्त उद्यमों की शुद्ध परिसंपत्तियों एवं लाभ/(हानि) में हिस्सेदारी

क्र. सं.	कंपनी का नाम	समेकित शुद्ध परिसंपत्तियों का प्रतिशत	राशि (मिलियन रुपये में)	समेकित लाभ/(हानि) का प्रतिशत	राशि (मिलियन रुपयों में)
	प्रमुख कंपनी				
	एमएमटीसी लिमिटेड	99.55	13,582.02	61.39	479.08
	विदेशी सहायक कंपनी				
1	एमएमटीसी ट्रांसनेशनल प्रा. लि. सिंगापुर	7.00	955.23	1.09	8.54
2	न्यून (माइनॉरटी) हिस्सेदारी	-	-	-	-
	भारतीय सहायक कंपनी				
1	नीलाचल इस्पात निगम लिमिटेड	(8.81)	(1,202.06)	(99.75)	(1,202.06)
	भारतीय संयुक्त उद्यम				
1	फ्री ट्रेड वेयरहाउसिंग प्रा. लि.	0.02	3.32	0.04	0.28

2	एमएमटीसी पैम्प इंडिया प्रा. लि	2.28	310.99	37.48	292.44
3	सीकॉल आयरन ओर टर्मिनल लि.	(0.00)	(0.10)	(0.00)	(0.00)
4	एमएमटीसी गीतांजलि लि.	(0.04)	(5.67)	(0.24)	(2.84)
5	टीएम माइनिंग कंपनी लि.	(0.00)	(0.65)	(0.02)	(0.21)
	योग	**100.00**	**13,643.09**		
			अर्जित लाभ	100.00	780.33
			हुई हानि	(100.00)	(1,205.11)
			शुद्ध लाभ/ (हानि)		**(424.78)**

25. सहायक कंपनी एमएमटीसी ट्रांसनेशनल पीटीई लिमिटेड का विवरण इस प्रकार है :–

सहायक कंपनी का नाम	निगमन का देश	दिनांक 31.03.2015 को स्वामित्व की हिस्सेदारी का अनुपात
एमएमटीसी ट्रांसनेशनल (मास्को) प्रा.लि.	रूस	100 प्रतिशत

एमएमटीसी ट्रांसनेशनल (मास्को) प्रा. लि. की हैसियत एक निष्क्रिय कंपनी के रूप में है और इसमें किए गए निवेश को इसकी होल्डिंग कंपनी एमएमटीसी ट्रांसनेशनल प्रा. लि., सिंगापुर ने इसे क्षीण कर दिया है।

26. संयुक्त उद्यम/एसोशिएटस/सहयोगी कंपनियों का प्रचालन विभिन्न वातावरण में होने के कारण संयुक्त उद्यम/एसोशिएटस/सहयोगी कंपनियों की लेखा नीतियां कंपनी द्वारा अनुसरण की जा रही लेखा नीतियों से अलग हैं। इसका विवरण नीचे दिया जा रहा है:–

विवरण	संयुक्त उद्यम/एसोसिएट्स/ सहायक कंपनी का नाम	लेखा नीतियां		एमएमटीसी की हिस्सेदारी का अनुपात (सकल राशि)
		एमएमटीसी लिमिटेड	**संयुक्त उद्यम/एसोशिएटस/ सहायक कंपनी**	
मूल्यह्रास एवं परिशोधन	सिकॉल आयरन ओर टर्मिनल लि.	कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची 2 के अंतर्गत दिए गए लाभप्रद कार्यकाल को ध्यान में रखते हुए मूल्यह्रास का प्रावधान स्ट्रेट लाइन पद्धति के अनुसार किया गया है।	कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची 2 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट दरों पर उपर्युक्त अनुसूची में उल्लिखित शेष लाभप्रद कार्यकाल एवं बाद में की गई पुनरीक्षा के अनुसार अगर प्रावधान कम है तो प्रबंधतंत्र के अनुमान के आधार पर लाभप्रद कार्यकाल/शेष लाभप्रद कार्यकाल के मूल्यह्रास का प्रावधान उच्च दरों पर किया गया।	मात्रा योग्य नही
	एमएमटीसी पैम्प इंडिया प्रा. लि.	कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची 2 के अंतर्गत दिए गए लाभप्रद कार्यकाल को ध्यान में रखते हुए मूल्यह्रास का प्रावधान स्ट्रेट लाइन पद्धति के अनुसार किया गया है।	प्रबंधतंत्र द्वारा अनुमानित लाभप्रद कार्यकाल के आधार पर मूल्यह्रास का प्रावधान स्ट्रेट लाइन पद्धति के अनुसार किया गया है। प्रबंधतंत्र की अनुमानित दरें अनुभवी व्यक्तियों के मूल्यांकन के आधार पर हैं जिनमें प्लांट एवं मशीनरी की कुछ परिसंपत्तियों के लिए वास्तविक लाभप्रद कार्यकाल 15 साल का है जबकि कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची 2 में ऐसी मदों के लिए दिखाया गया लाभप्रद कार्यकाल कम अवधि का है।	मात्रा योग्य नहीं
	एमएमटीसी ट्रांसनेशनल पीटीई लिमिटेड, सिंगापुर	कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची 2 के अंतर्गत दिए गए लाभप्रद कार्यकाल को ध्यान में रखते हुए मूल्यह्रास का प्रावधान स्ट्रेट लाइन पद्धति के अनुसार किया गया है।	मूल्यह्रास 33.33 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से प्रभारित	लेखों में मूल्यह्रास एवं परिशोधन के लिए 0.85 मिलियन रूपए कम प्रभारित किए गए ।
इनवेंट्री मूल्यांकन	एमएमटीसी ट्रांसनेशनल पीटीई लिमिटेड, सिंगापुर	भारित औसत लागत	विशिष्ट पहचान विधि	मात्रा योग्य नहीं
	एमएमटीसी गीतांजलि प्रा. लि.	भारित औसत लागत	वेंडर वार औसत आधार और एफआईएफओ आधार पर	मात्रा योग्य नहीं
	एमएमटीसी पैम्प इंडिया प्रा. लि.	भारित औसत लागत	एफआईएफओ आधार पर	मात्रा योग्य नहीं

विवरण	संयुक्त उद्यम/एसोसिएट्स/सहायक कंपनी का नाम	लेखा नीतियां		एमएमटीसी की हिस्सेदारी का अनुपात (सकल राशि)
		एमएमटीसी लिमिटेड	संयुक्त उद्यम/एसोशिएटस/सहायक कंपनी	
विदेशी मुद्रा विनिमय़	नीलाचल इस्पात निगम लिमिटेड	गैर मौद्रिक मदें लेन–देन विनिमय दर की तिथि को रिपोर्ट की जाती है।	वर्ष के दौरान विदेशी मुद्रा में पूंजी एवं राजस्व दोनों के लेन–देन के निपटान की तिथि को प्रचलित दर पर की जाती है।	मात्रा योग्य नही
विदेशी मुद्रा विनिमय़	नीलाचल इस्पात निगम लिमिटेड	लाभ व हानि खाते में चार्ज की गई स्थाई परिसंपत्तियों की देयताओं के संबंध में विनिमय अंतर	ऐसी परिसंपत्तियों की ले जाई गई राशियों में परिसंपत्तियों से संबंध देयताओं के संबंध में विनिमय अंतर का समायोजन किया जाता है	मात्रा योग्य नही
वित्तीय विवरणों की तैयारी का आधार	एमएमटीसी ट्रांसनेशनल पीटीई लिमिटेड, सिंगापुर	इंडियन जीएएपी	सिंगापुर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स	मात्रा योग्य नहीं
राजस्व पहचान	एमएमटीसी ट्रांसनेशनल पीटीई लिमिटेड, सिंगापुर	एक्रूवल आधार पर लाभांश की पहचान	प्रभावी ब्याज विधि पर ब्याज आय की पहचान	मात्रा योग्य नहीं
	सिकाल आयरन ओर टर्मिनल लिमिटेड	नगद आधार पर लाभांश आय की पहचान	समय अनुपात आधार पर लाभांश आय की पहचान	मात्रा योग्य नहीं
व्यापार व अन्य प्राप्तिया	एमएमटीसी ट्रांसनेशनल पीटीई लिमिटेड, सिंगापुर	इंडियन जीएएपी	प्रभावी ब्याज विधि के प्रयोग परिशोधन लागत	मात्रा योग्य नहीं
व्यापार व अन्य भुगतान	एमएमटीसी ट्रांसनेशनल पीटीई लिमिटेड, सिंगापुर	इंडियन जीएएपी	प्रभावी ब्याज विधि के प्रयोग परिशोधन लागत	मात्रा योग्य नहीं
टर्मिनल लाभ	एमएमटीसी ट्रांसनेशनल पीटीई लिमिटेड, सिंगापुर	परिभाषित लाभ योजना सिवाय सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा लाभ	परिभाषित अंशदान योजना	मात्रा योग्य नहीं
वित्तीय परिसंपत्तियां व देयताएं	एमएमटीसी ट्रांसनेशनल पीटीई लिमिटेड, सिंगापुर	इंडियन जीएएपी	प्रभावी ब्याज विधि के प्रयोग से परिशोधन लागत	मात्रा योग्य नहीं
उधारी	एमएमटीसी ट्रांसनेशनल पीटीई लिमिटेड, सिंगापुर	इंडियन जीएएपी	प्रभावी ब्याज विधि के प्रयोग से परिशोधन लागत	मात्रा योग्य नहीं
आयकर	एमएमटीसी ट्रांसनेशनल पीटीई लिमिटेड, सिंगापुर	तुलन पत्र की तिथि को लागू दरों के अनुसार	भुगतान की जाने वाली अपेक्षित राशि अथवा टैक्स अथॉरिटीज से वसूली जाने वाली राशि की पहचान	मात्रा योग्य नहीं

27. कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची 129(3) के अनुसार सहायक कंपनियों/एसोसिएटस कंपनियों/संयुक्त उद्यमों के वित्तीय विवरणों में प्रमुख विशेषताओं का विवरण निर्धारित फार्म एओसी–। में अनुलग्नक–बी में संलग्न है।

28. कंपनी नीलाचल इस्पात निगम लिमिटेड (एनआईएनएल) सहायक कंपनी को अधिकतम 7500 मिलियन रूपए की सीमा तक समय–समय पर प्रदान की गई असुरक्षित अल्प अवधि ऋण की सुविधा को बढ़ाती जा रही है तथा इसके साथ–साथ प्रचालन कार्यकलापों के लिए निरंतर आधार पर 1300.00 मिलियन रूपयों का एक मुश्त ऋण भी दिया गया है। इस सीमा के विरूद्ध 1478.75 मिलियन रूपए (गत वर्ष 2995.30 मिलियन रूपए) के बकाया शेष को नोट नं. 7.3, के अंतर्गत 'ट्रेड प्राप्य' में दिखा रखा है तथा नोट 7.5 के अंतर्गत 7191.48 मिलियन रूपये (गत वर्ष 2995.03 मिलियन रूपये) 'अल्पअवधि ऋण एवं अग्रिम' मे दिखा रखा है। इसके अतिरिक्त कंपनी ने कारपोरेट गारंटी इत्यादि भी दे रखी है जिन्हें नोट सं. 18 (।) (बी) में 'आकस्मिक देयताओं' के अंतर्गत दिखा रखा है।

29. कंपनी ने प्राधिकृत डीलरों से बकाया जीआर–1 फार्मों के संबंध में देय तिथि के बाद वसूली के लिए समय बढ़ाने के लिए/छोड़ने के लिए/बट्टे खाते में डालने के लिए आवेदन किया है। इनका फैसला होने तक देयता का निर्धारण नहीं किया जा सकता।

प्रवर्तन निदेशालय ने 19.01 मिलियन रूपए (गत वर्ष 19.81 मिलियन रूपए) का दंड लगाया है जिसका प्रतिवाद किया जा रहा है। इसके बावत शून्य मिलियन रूपए (विगत वर्ष 0.30 मिलियन रूपए) की राशि जमा करवाई गई है तथा 10.30 मिलियन रूपए (पिछले वर्ष 10.30 मिलियन रूपए) की बैंक गारंटी प्रस्तुत की गई है।

30. बकाया राशियों की पुष्टि के लिए पार्टियों को पत्र जारी किये गये हैं जिनमें निर्धारित अवधि के भीतर पुष्टि करने या टिप्पणी करने का अनुरोध किया गया है जिसके अभाव में पत्र में दर्शाए गए शेष को पुष्टिकृत माना जाएगा। कुछ मामलों में पुष्टि पत्र प्राप्त हो चुके हैं। यद्यपि किसी पार्टी से विपरीत सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

31. पिछले वर्ष के आंकड़ों का और जहां आवश्यक समझा गया फिर से पुनः वर्गीकरण/सुधार किया गया है।

32 . संलग्न लेखा नीतियां और टिप्पणियां वित्तीय विवरणों का अभिन्न अंग हैं।

सम दिनांक को संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते जैन कपिला एसोशिएटस
चार्टर्ड एकांउटेंटस
एफआर सं.000287 एन

(सीए डी के कपिला)
पार्टनर
एम सं.016905

कृते और निदेशक मंडल की ओर से

(जी आनन्दनारायणन)
सहायक कंपनी सचिव

(राजीव जयदेव)
निदेशक
डीआईएन 3368001

(विजय पाल)
मुख्य महाप्रबंधक(वि. व ले.)

(वेद प्रकाश)
अध्यक्ष व प्रबंधक निदेशक
डीआईएन 02988628

(एम जी गुप्ता)
निदेशक(वित्त)
डीआईएन 02200405

तिथि : 21.05.2015
सीान : नई दिल्ली

लेखों की टिप्पिणियों का अनुलग्नक 'क'

वर्ष 2014–15 के लिए समेकित खंडवार निष्पादन का विवरण (आरम्भिक प्रस्तुति)

विवरण	व्यापार खंड					
	बहुमूल्य धातुएं		धातुएं		खनिज एवं अयस्क	
	31 मार्च 15	31 मार्च 14	31 मार्च 15	31 मार्च 14	31 मार्च 15	31 मार्च 14
खंडवार राजस्व						
बाह्य बिक्री						
– भारत में	**106879.55**	113686.46	**3321.93**	4181.21	**1798.93**	2831.84
– भारत के बाहर		2592.97	**6626.22**	11278.83	**14517.42**	20410.78
योग (क)	**106879.55**	116279.43	**9948.15**	15460.04	**16316.35**	23242.62
अंतर–खण्ड बिक्री						
– भारत मे						
– भारत के बाहर						
योग (ख)						
कुल खण्ड राजस्व (क+ख)	**106879.55**	116279.43	**9948.15**	15460.04	**16316.35**	23242.62
समस्त खण्डों के कुल राजस्व की प्रतिशतता के रूप में प्रत्येक खण्ड का कुल राजस्व	**44.75%**	41.62%	**4.16%**	5.53%	**6.83%**	8.32%
खण्डीय परिणाम						
– भारत में	**1456.72**	1900.91	**77.89**	106.04	**(50.72)**	80.65
– भारत के बाहर		0.06	**176.76**	347.02	**284.49**	579.44
कुल खण्डीय परिणाम	**1456.72**	1900.97	**254.65**	453.06	**233.77**	660.09
अनिर्धारित आय के निवल का अनिर्धारित कारपोरेट व्यय						
प्रचालन लाभ						
ब्याज व्यय						
ब्याज आय						
आय कर						
साधारण कार्यकलापों से लाभ						
असाधारण हानि/लाभ						
निवल लाभ						
अन्य सूचना						
खंड परिसंपत्तियां	**5197.73**	3809.94	**8018.88**	1257.94	**2169.38**	2074.05
अनिर्धारित कारपोरेट परिसंपत्तियां						
कुल परिसंपत्तियां						
साधारण कार्यकलापों से लाभ	**3378.09**	2507.03	**928.57**	81.99	**1846.12**	2337.34
अनिर्धारित देयताएं						
कुल देयताएं						
खंड पूंजीगत व्यय	**0.32**					
अनिर्धारित पूंजीगत व्यय						
कुल पूंजीगत व्यय						
खंड मूल्यहृास	**2.80**	5.31			**131.96**	55.36
अनिर्धारित मूल्यहृास						
कुल मूल्यहृास						
मूल्यहृास के अलावा गैर– रोकड़ व्यय						

(रुपये मिलियन में)

व्यापार खंड									
हाइड्रोकार्बन		कृषि उत्पाद		उर्वरक		अन्य		कुल	
31 मार्च 15	31 मार्च 14	**31 मार्च 15**	31 मार्च 14	**31 मार्च 15**	31 मार्च 14	**31 मार्च 15**	31 मार्च 14	**31 मार्च 15**	31 मार्च 14
21238.22	55963.48	**703.48**	17157.48	**79892.59**	37523.58	**931.54**	95.06	**214766.24**	231439.11
385.58	74.78	**2566.08**	11247.52		2325.09			**24095.30**	47929.97
21623.80	56038.26	**3269.56**	28405.00	**79892.59**	39848.67	**931.54**	95.06	**238861.54**	279369.08
21623.80	56038.26	**3269.56**	28405.00	**79892.59**	39848.67	**931.54**	95.06	**238861.54**	279369.08
9.05%	20.06%	**1.37%**	10.17%	**33.45%**	14.26%	**0.39%**	0.03%	**100.00%**	100.00%
163.67	510.19	**200.73**	222.60	**(210.90)**	96.78	**87.29**	76.57	**1724.68**	2993.74
0.19	2.54	**32.40**	164.93	**45.81**	23.52			**539.65**	1117.51
163.86	512.73	**233.13**	387.53	**-165.09**	120.30	**87.29**	76.57	**2264.33**	4111.25
								3053.50	3250.17
								(789.17)	861.08
								391.01	309.81
								1027.61	1448.45
								272.20	76.88
								(424.78)	1922.84
									2104.42
								(424.78)	(181.58)
9918.66	13318.49	**6501.79**	4756.11	**21148.23**	2189.17	**4579.57**	447.31	**57534.24**	27853.01
								5467.40	22723.35
								63001.63	50576.36
10608.10	9825.49	**520.64**	2379.26	**21777.52**	2184.50	**475.37**	70.17	**39534.41**	19385.78
								9824.14	16688.75
								49358.55	36074.53
								0.32	
								234.39	206.44
								234.71	206.44
							36.36	**134.77**	97.04
								102.52	76.18
								237.29	173.22
								855.19	29.42

लेखों की टिप्पणियों का अनुलग्नक 'क'

वर्ष 2014–15 के लिए समेकित खंडवार निष्पादन का विवरण (सैकण्डरी प्रस्तुति)

(रुपये मिलियन में)

हाइड्रोकार्बन	व्यापार खंड					
	कृषि उत्पाद	उर्वरक	अन्य		कुल	
	31 मार्च 15	31 मार्च 14	**31 मार्च 15**	31 मार्च 14	**31 मार्च 15**	31 मार्च 14
राजस्व खंड						
बाह्य बिक्री	**24,095.30**	47,929.97	**214,766.24**	231,439.11	**238,861.54**	279,369.08
अंत–खण्ड बिक्री	**-**	-	**-**	-	**-**	-
कुल राजस्व	**24,095.30**	47,929.97	**214,766.24**	231,439.11	**238,861.54**	279,369.08
खण्ड परिणाम	**539.65**	1,117.51	**1,724.68**	2,993.74	**2,264.33**	4,111.25
खण्ड परिसंपत्तियां	**1,757.03**	2,333.73	**55,777.21**	25,519.28	**57,534.24**	27,853.01
पूंजीगत व्यय	**-**	-	**0.32**	-	**0.32**	-

अनुलग्नक 'ख'

एओसी–I

सहायक/एसोसिएट कंपनीज़/संयुक्त उद्यमों के वित्तीय विवरणों की मुख्य विशेषताओं का विवरण (कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 129(3) के अनुसरण में)

भाग "क" : सहायक कंपनियां

(रु. मिलियन में)

1	क्रम संख्या	**1**
2	सहायक कंपनी का नाम	एमएमटीसी ट्रांसनेशनल पीटीई लि., सिंगापुर
3	यदि सहायक कंपनी की रिपोर्टिंग अवधि होल्डिंग कंपनी से भिन्न है तो उस रिपोर्टिंग अवधि का उल्लेख करें	लागू नहीं
4	विदेश सहायक कंपनी के मामले में संबंधित वित्तीय वर्ष की अंतिम दिनांक को रिपोर्टिं केरंसी तथा विनियम दर	अमेरिकन डॉलर, एक्सचेंज रेट रु. 64.64 (औसत दर)
5	शेयर पूंजी	**31.45**
6	रिर्जव तथा सरपल्स	**955.51**
7	कुल परिसंपत्तिया	**3,789.10**
8	कुल देयताएं	**2,802.14**
9	निवेश	**-**
10	टर्नओवर	**15,169.28**
11	कराधान पूर्व लाभ	**9.13**
12	कराधान के लिए प्रावधान	**0.59**
13	कराधान के बाद लाभ	**8.54**
14	प्रस्तावित लाभांश	शून्य
15	शेयर होल्डिंग का प्रतिशत	**100**
क)	ऐसी सहायक कंपनियों के नाम जिनका परिचालन अभी शुरू नहीं हुआ है।	शून्य
ख)	सहायक कंपनियों के नाम जिनका वर्ष के दौरान निस्तारण अथवा बिक्री हुई है।	शून्य

भाग "ख" : एसोसिएट्स और संयुक्त उद्यम

(रु. मिलियन में)

एसोसिएट्स/ संयुक्त उद्यमों का नाम	नीलाचल इस्पात निगम लि.	देवोना थर्मल पावर एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर लि.	फ्री ट्रेड वेयर हाऊसिंग प्रा. लि.	एमएमटीसी पैम्प इंडिया प्रा. लि.	सिकॉल आयरन ओर टर्मिनल लि.	एमएमटीसी गीतांजलि प्रा. लि.	टीएम माइनिंग कंपनी लि.	इंडियन कमोडिटी एक्सचेंज लि.*	ब्ल्यू वॉटर आयरन ओर टर्मिनल प्रा. लि.
1. नवीनतम लेखा परीक्षित तुलन पत्र की तारीख	**31.03.2015**	**31.03.2014**	**31.03.2015**	**31.03.2015**	**31.03.2015**	**31.03.2015**	**31.03.2015**	**31.03.2014**	
2 वर्ष के अन्त में कंपनी द्वारा धारित एसोसिएट/संयुक्त उद्यमों के शेयर									
संख्या	**289342744**	**13000**	**2600**	**17446000**	**33800000**	**2987400**	**57200**	**52000000**	
एसोसिएट्स/संयुक्त उद्यम में निवेश की गई राशि होल्डिंग	**3,796.85**	**0.13**	**0.026**	**174.46**	**338**	**29.874**	**0.572**	**260.00**	
सीमा प्रतिशत	**49.78**	**26**	**26**	**26**	**26**	**26**	**26**	**26**	
3. महत्वपूर्ण प्रभाव का विवरण	इक्विटी तथा प्रबंध तंत्र नियंत्रण	इक्विटी	इक्विटी	इक्विटी	इक्विटी	इक्विटी	इक्विटी	इक्विटी	लागू नहीं
4. वह क्या कारण है जिसकी वजह से एसोसिएट/संयुक्त उद्यम समेकित नहीं हुआ है।		प्राप्त न हुए वित्तीय वितरण	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	प्राप्त न हुए वित्तीय विवरण	31.03.2015 तक कंपनी ने इक्विटी में कोई निवेश नहीं किया है
5. नवीनतम लेखा परीक्षित तुलन पत्र के अनुसार शेयर होल्डिंग के अनुपात में नटवर्थ	**2626.04**	**(2.95)**	**3.35**	**485.45**	**337.90**	**24.52**	**0.01**	**46.82**	
6. वर्ष के लिए लाभ/हानि **i.** समेकन विवरण में लिया गया	**(1,158.23)**	लागू नहीं	**0.28**	**292.44**	**-**	**(2.52)**	**(0.12)**	लागू नहीं	
ii. समेकन विवरण में नहीं लिया गया	लागू नहीं								
क)ऐसी सहायक कंपनियों के नाम जिनका परिचालन अभी शुरू नहीं हुआ है				शून्य					
ख) सहायक कंपनियों के नाम जिनका वर्ष के दौरान निस्तारण अथवा बिक्री हुई है				शून्य					

लेखा परीक्षक

भारत सरकार के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कार्यालय ने अपने पत्र संख्या सीए.वी/सीओवाई/केन्द्रीय सरकार एमएमटीसी (12)/329 दिनांक 01 अगस्त, 2014 के द्वारा कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 139 के अधीन वित्त वर्ष 2014–15 के लिए कंपनी के लेखा परीक्षकों की नियुक्ति संबंधी सूचना दी है जिसका विवरण नीचे दिया गया है।

सांविधिक लेखा परीक्षक	क्षेत्र
जैन कपिला एंड एसोसिएटस, नई दिल्ली	- उप क्षेत्रीय कार्यालयों सहित क्षेत्रीय कार्यालय, दिल्ली - कारपोरेट कार्यालय, नई दिल्ली (विदेश कार्यालयों सहित), माइका प्रभाग के कार्यालयों की सभी शाखाओं के लेखों का समेकन व विलय
शाखा लेखा परीक्षक	
राजेश के झुनझुनवाला एंड कंपनी, कटक	- उप कार्यालयों/वितरण केन्द्रों सहित भुवनेश्वर क्षेत्रीय कार्यालय
जी के चोकसी एंड कंपनी, अहमदाबाद	- उप कार्यालयों/वितरण केन्द्रों सहित अहमदाबाद क्षेत्रीय कार्यालय
सुंदर श्रिनि एंड श्रीधर, बंगलोर	- उप कार्यालयों/वितरण केन्द्रों सहित बंगलोर क्षेत्रीय कार्यालय
कैलाश चंद जैन एंड कंपनी, मुम्बई	- उप कार्यालयों/वितरण केन्द्रों सहित मुम्बरई क्षेत्रीय कार्यालय
सी एन हुन्नारगीकर एंड कंपनी, बेलगाम	- उप कार्यालयों/वितरण केन्द्रों सहित गोवा क्षेत्रीय कार्यालय
चतुर्वेदी एंड कंपनी, कोलकाता	- उप कार्यालयों/वितरण केन्द्रों सहित कोलकाता क्षेत्रीय कार्यालय कोलकाता, अभ्रक नगर, झुमरीतलैया एवं गिरिडिह के माइका प्रभाग
सी रामाचंद्रन एंड कंपनी, हैदराबाद	- उप कार्यालयों/वितरण केन्द्रों सहित हैदराबाद क्षेत्रीय कार्यालय
भंडावत एंड कंपनी, अजमेर	- जयपुर क्षेत्रीय कार्यालय
आनंद एंड पोन्नयपन, चेन्नई	- उप कार्यालय व वितरण केन्द्रों तथा गुडूर के माइका प्रभाग सहित चेन्नई क्षेत्रीय कार्यालय
बाशा एंड नरसिम्हन, विशाखापटनम	- उप कार्यालयों/वितरण केन्द्रों सहित विशाखापटनम क्षेत्रीय कार्यालय

एमएमटीसी बैंकर्स

1. स्टेट बैंक आफ इंडिया
2. केनरा बैंक
3. एचडीएफसी बैंक
4. बैंक आफ इंडिया
5. बैंक आफ बड़ौदा
6. बैंक आफ महाराष्ट्र
7. यूनियन बैंक आफ इंडिया
8. स्टैंन्डर्ड चार्टर्ड बैंक
9. पंजाब नेशनल बैंक
10. इंडियन ओवरसीज बैंक
11. आईडीबीआई बैंक
12. स्टेट बैंक आफ हैदराबाद
13. देना बैंक
14. डॉयस बैंक
15. इंडसइंड बैंक
16. ओरिएंटल बैंक आफ कामर्स
17. एक्सिस बैंक
18. आईसीआईसीआई बैंक
19. आईएनजी वैश्य बैंक
20. डेवलपमेंट क्रेडिट बैंक
21. यस बैंक
22. डीबीएस
23. कोटक महेन्द्रा बैंक
24. एएनजैड बैंक
25. एचएसबीसी बैंक

एमएमटीसी कार्यालय

कारपोरेट कार्यालय

एमएमटीसी लिमिटेड, कोर–1, स्कोटप कॉम्प्लेक्स, 7, इंस्टीट्यूशनल एरिया, लोदी रोड, नई दिल्ली–110003
टेलीफोनः 91–11–24362200, **ई–मेल :** mmtc@mmtclimited.com
वेबसाइट : www.mmtclimited.com

क्षेत्रीय कार्यालय

उत्तरी जोन	**दिल्ली क्षेत्रीय कार्यालय** झंडेवालान ज्वैलरी काम्पलेक्स, एफ–8–11 फ्लेटिड फैक्ट्रीज काम्पलेक्स, रानी झांसी रोड, नई दिल्ली–110055 टेलीफोन 011–23623950, 23623952, 23670408 फैक्स : 011 –23633175 ईमेल: head_jjc@mmtclimited.com **उप क्षेत्रीय कार्यालय/फील्ड कार्यालय : आगरा, कानपुर, लुधियाना** **जयपुर** द्वितीय तल, ब्लाक–सी, गौरव टावर–।। मालवीय नगर, जेएलएन मार्ग जयपुर–302017 फोनः 0141–2554809, 2554053, 2554735 फैक्स रू 0141–2722501 ईमेलः head_jaipur@mmtclimited.com
साउथ जोन	**चेन्नै** एस्सार हाउस, 6, एसप्लेनेड, चेन्नै – 600108 (तमिलनाडु) फोन – 044–25341942, 25341938 फैक्स – 044–25340544,25340317 ईमेल : head_chennai@mmtclimited.com, jvnrao@mmtclimited.com **उप क्षेत्रीय कार्यालय/फील्ड कार्यालय : कोची** **बेंगलुरू** ''शिक्षक सदन'', भूतल, के. जी. रोड, बेंगलुरु – 560 002 कनार्टक फोन रू 080 –22534800 से 22534830 फैक्स : 080 – 22272043 ईमेल : :head_bangalore@mmtclimited.com, mmtcbglr@mmtclimited.com **उप क्षेत्रीय कार्यालय/फील्ड कार्यालय : मेंगलौर, गजेंद्रगढ़, बेलारी, बन्नीहट्टी, होस्पेट, रणजीतपुरा,** **विजाग** एमएमटीसी भवन, पोर्ट एरिया, पोस्ट बाक्स नं. 132, विशाखापट्नम 530 035, (आंध्र प्रदेश) फोन : 0891–2562356, 2562771 फैक्सं : 0891–2562611 ईमेल : mmtcvizag@mmtclimited.com **उप क्षेत्रीय कार्यालय/फील्ड कार्यालयः काकीनाडा** **हैदराबाद** 9–1–76 से 77/1/बी, तीसरा तल, एस डी रोड, सिकंदराबाद – 500 003 फोन : 040 – 27804033, फैक्स : 040 – 27804038 27725401 ईमेल : mmtchyd@mmtclimited.com, tsrao@mmtclimited.com **उप क्षेत्रीय कार्यालय/फील्ड कार्यालय : गुंटूर**
ईस्ट जोन	**कोलकाता** एनआईसी बिल्डिंग, चतुर्थ व पांचवां तल, 8, इंडिया एक्सचेंज प्लेस, कोलकाता – 700 001, पश्चिम बंगाल फोन : 033–22101079, 22421252, 22421261 फैक्सः सं. 033–22421292 ई मेल : head_kolkata@mmtclimited.com, mmtccol@mmtclimited.com **उप क्षेत्रीय कार्यालय/फील्ड कार्यालय : हल्दिया, जमशेदपुर, गुवाहाटी**

	भुवनेश्वर आलोक भारती कॉम्प्लेक्स, सातवां तल, शहीद नगर, भुवनेश्वर – 751 007 (ओडिशा) फोन : 0674– 2546848, 2518517, 2503336, 2544783 फैक्स : 0674–2546847, 2512832 ई मेल : head_bhubaneswar@mmtclimited.com, mmtcbbsr@mmtclimited.com **उप क्षेत्रीय कार्यालय/फील्ड कार्यालय : पारादीप, बडबिल, क्योंझर**
वेस्ट जोन	**मुम्बई** एमएमटीसी हाउस, सी – 22, ई ब्लॉक, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (ईस्ट), मुम्बई – 400051 दूरभाषः 022–26572437, 26594100, 6573193, 61214500 फैक्स – 022–26572541, 26572807 ईमेल: head_mumbai@mmtclimited.com, mmtcmumbai@mmtclimitd.com **उप क्षेत्रीय कार्यालय/फील्ड कार्यालय : नागपुर, गोवा** **अहमदाबाद** 2, नगीनदास चैम्बर्स, उस्मानपुरा, आश्रम रोड, अहमदाबाद – 380014 (गुजरात) दूरभाषः 079 – 27540643, 27543796, 40244712, 40244711, 27545563 फैक्स : 079 – 27543739 ईमेलः head_ahmedabad@mmtclimited.com, mmtcahm@mmtclimited.com **उप क्षेत्रीय कार्यालय/फील्ड कार्यालय : कांडला, मोरवी, राजकोट**
प्रोन्नत प्रोजेक्ट	नीलाचल इस्पात निगम लिमिटेड, एनेक्सी का प्रथम तल, आईपीआईसीओल हाउस, जनपथ, भुवनेश्वर – 751022 फोन : 0674–2543231 फैक्सः 0674–2541763
विदेश कार्यालय	**सिंगापुर** एमएमटीसी ट्रांसनेशनल पीटीई लिमिटेड, 20 सेसिल स्ट्रीट : 14–03/04, सिंगापुर एक्सचेंज, सिंगापुर – 049705 फोनः 0065–65385313 पीबीएक्सः– 2276567, 2276517 फैक्स : 0065–64385327 ईमेलः info@mtpl.com.sg **जोहान्सबर्ग** एमएमटीसी लिमिटेड, प्रथम तल, सेंडटन आफिस टावर, सीएनआर रिवोनिया रोड एवं 5 वीं स्ट्रीट, सैंडहस्टस एक्सन. 3, सैंडटन, जोहान्सिबर्ग, साउथ अफ्रीका फोनः 002772323286739 ईमेल: chakma@mmtclimited.com

एमएमटीसी
लि मि टे ड
MMTC
LIMITED
भारत सरकार का उपक्रम
A GOVT. OF INDIA ENTERPRISE
touching lives, adding value

ऊर्जा सुरक्षित भारत के लक्ष्य की ओर अग्रसर

●कोयले का प्रमुख आयातक
●कोयला खनन और पवन ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र में पदार्पण

हम देश के महत्वपूर्ण आधारभूत संरचना जैसे विद्युत संयत्र, लौह ढलाई संयत्र, सीमेंट एवं कागज उद्योग को सहयोग प्रदान करते हैं। राज्य विद्युत बोर्डों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए हमने पवन ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र में भी कदम बढाये हैं।

कॉरपोरेट ऑफिसः कोर-1, स्कोप कॉम्प्लैक्स, 7 इंस्टिट्यूशनल एरिया, लोदी रोड, नई दिल्ली-110003
ईमेल : mmtc@mmtclimited.com वेबसाइट : www.mmtclimited.com

एमएमटीसी
लिमिटेड
MMTC
LIMITED
भारत सरकार का उपक्रम
A GOVT. OF INDIA ENTERPRISE
touching lives, adding value

अधिक उत्पादन के लिए किसानो को प्रोत्साहन

●यूरिया, एमओपी, डीएपी, सल्फर आदि जैसे उर्वरकों का आयात

भारत के प्रमुख उपभोक्ताओं के बीच हमने स्वयं को एक भरोसेमंद और विश्वासी उर्वरक आपूर्तिकर्ता के रूप में स्थापित किया है। हम विश्व भर में उर्वरक की खरीद के लिए एक प्रमुख संस्थानिक खरीददार हैं और सभी प्रकार के उर्वरक उत्पादों की खरीद और बिक्री के लिए विश्व भर में एक महत्वपूर्ण श्रोत हैं।

कॉरपोरेट ऑफिसः कोर-1, स्कोप कॉम्प्लैक्स, 7 इंस्टिट्यूशनल एरिया, लोदी रोड, नई दिल्ली-110003
ईमेल : mmtc@mmtclimited.com वेबसाइट : www.mmtclimited.com

हमारे दायित्व...

▪ खनिज ▪ धातु ▪ उर्वरक ▪ कृषि ▪ कोल व हाइड्रोकार्बन ▪ बहुमूल्य धातु

...व्यापार से आगे बढ़कर

एमएमटीसी
लिमिटेड
MMTC
LIMITED
भारत सरकार का उपक्रम
A GOVT. OF INDIA ENTERPRISE
touching lives, adding value

कॉरपोरेट ऑफिस भारतः स्कोप कॉम्प्लैक्स, कोर-1, 7 इंस्टिट्यूशनल एरिया, लोदी रोड, नई दिल्ली-110 003

स्वच्छ भारत
एक कदम स्वच्छता की ओर

www.censer.in (M) 9810118199

एम एम टी सी
लि मि टे ड
MMTC
LIMITED
भारत सरकार का उपक्रम
A GOVT. OF INDIA ENTERPRISE
touching lives, adding value

कारपोरेट कार्यालय
नई दिल्ली

CORPORATE OFFICE
New Delhi

एमएमटीसी लिमिटेड की ओर से
एम.जी. गुप्ता, निदेशक (वित्त)
द्वारा प्रकाशित
कारपोरेट कम्युनिकेशन्स प्रभाग
द्वारा निर्मित एवं मुद्रित

Published by
M..G. Gupta, Director (Finance)
on behalf of **MMTC Limited**
Produced & Printed by
Corporate Communications Division